लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

49 LSS/73—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, सोमवार, 17 दिसम्बर, 1973/26 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 26, Monday, December 17, 1973/Agrahayana 26, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या विषय S. Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
बल्गारिया के संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत	Welcome to the Bulgarian Parliamentary Delegation	1
प्रश्नो के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
503 पश्चिम बंगाल में खाद्य संकट	Food Crisis in West Bengal . .	1
506 महाराष्ट्र से ग्रामीण जल सप्लाई योजना	Rural Water Supply Scheme from Maharashtra	3
509 विश्व खाद्य स्थिति को देखते हुए अनाज की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय	Steps for ensuring adequate quantity of food supply in view of World Food situation	5
511 जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा., दिल्ली और चन्डीगढ़ में शिक्षण संस्थाओं को विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial assistance from Abroad to Educational Institutions in Jammu and Kashmir, H.P., Punjab, Haryana, Delhi and Chandigarh . . .	9
514. कर्नाटक में केन्द्रीय तथा पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को रियायतें	Concessions to S.C. & S.T. students in Central and Public Schools in Karnatka	11
519 कुछ राज्यों में भूमि सुधार शीघ्र लागू करने हेतु केन्द्रीय निदेश	Central directives for speedy implementation of Land Reforms in certain States	15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
504. अपमिश्रित उर्वरक के बोरों का पता लगाना	Detection of bags of adulterated fertilizer	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
505	बिड़ला और टाटा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Birla and Tata Institutes of Science and Technology .	17
507	सब्जी मंडी दिल्ली के गोदामों में अत्यावश्यक वस्तुएं जमा कर रखने के बारे में सुराग देना	Clues given for Godowns stocked with Essential Commodities in Subzimandi, Delhi	18
508	कागज का अकाल	Paper Famine	18
510	आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली	Ayurvedic System of Medicine . .	18
512	राज्य फार्म निगम के अन्तर्गत फार्मों के कार्यकरण की आलोचना	Criticism on working of Farms under State Farms Corporation . .	19
513	गन्ने का मूल्य निर्धारण	Fixation of Sugarcane Price . .	19
515	पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का दूसरा चरण	Second phase of Evaluation of Text Books	20
516	व्यापारिक नौवहन के बारे में रूस से वार्ता	Talks with Russia re. Merchant Shipping	20
517	अमेरिकन पाल्ट्री फार्म के साथ प्रजनन कार्यक्रम हेतु सहयोग	Collaboration with American Poultry Farm for Breeding Programme .	21
518	केन्द्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा उज्जैन में खुदाई कार्य	Excavation of Ujjain by Archaeological Department	21
520	खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट	Fall in prices of Food Articles .	21
521	झांसी में राजा गंगाधर राव की छतरी	Canopy of Raja Gangadhar Rao in Jhansi	22
522	महाराष्ट्र भूमि अधिकतम सीमा विधेयक पर केन्द्रीय निदेश	Central directives of Maharashtra Land Ceiling Bill	23
523	मणिपुर के सरकारी अस्पतालों के अंतरंग रोगियों के लिए आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता	Non-availability of essential Medicines for Indoor Patients of Government Hospitals, Manipur . . .	24
524	बाढ़ पीड़ित राज्यों को अधिक उर्वरकों का नियतन	Increased allotment of Fertilisers to floodaffected States . . .	24
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
4908	मध्य प्रदेश में राज्य बृहत योजना (मास्टर प्लान)	Master Plan in State of Madhya Pradesh	25
4909	पांचवीं योजना में पानी की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश की योजना	Madhya Pradesh Scheme for providing Water in Fifth Plan. . . .	25

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4910	मध्य प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था करने संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति	Achievement of targets for providing drinking water in Madhya Pradesh	26
4911	मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ वन्य पशु शरण्य-स्थल	Bhandhawagarh game sanctuary in Madhya Pradesh	26
4912	पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण वाहनों पर कर में छूट देना	Tax relief on vehicles due to price rise in Petrol	27
4913	अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कुछ मामलों में उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देना	Allotment of extra marks to candidates for appointment of Teachers in certain cases	27
4914	आर० के० पुरम में केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा	DTC bus service from R.K. Puram to Central Secretariat	27
4915	वयोवृद्ध व्यक्तियों को नव जीवन प्रदान करने वाली 'ट्रोजोडोन' नामक नई दवा	New Medicine 'Trojodon' give new life to aged persons	28
4916	देश में क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयों को खोलना	Opening of Regional Health Offices in the country	28
4917	केरल को यूकेलिप्टस उगने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for raising Eucalyptus to Kerala	28
4918	औद्योगिक बागान योजनाओं के लिये निगम	Corporation for Industrial Plantation Schemes	29
4919	भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक तथा चेयरमैन का चयन	Selection of Managing Director and Chairman FCI	29
4920	मध्य प्रदेश के सिंधी जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ सम्पर्क की व्यवस्था	Provision for National Highway Link passing through Sidhi District, Madhya Pradesh	29
4921	सेवानिवृत संस्कृत विद्वानों को राजसहायता के रूप में पेंशन	Pension subsidy to retired Sanskrit Scholars	30
4922	मुरैना जिला (मध्य प्रदेश) में महाभारत संबधित शिलालेखों के मिलने की संभावना	Possibilities of Existence of fort and rock inscriptions connected with Mahabharat in Morena District (M.P.)	31
4923	देश में आटे की मिलें और उनका राष्ट्रीयकरण	Flour mills in the country and their Nationalisation	31

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4924	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों को जीवन बीमा निगम के पास गिरवी रखना	Mortgage of flats constructed by DDA with LIC	32
4925	विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा	Science talent Search Examination .	32
4926	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के वितरण के लिए सलाहकार समिति	Advisory Committee for distribution of DMS Milk	33
4927	अरविंद कालेज, मालवीय नगर, नई दिल्ली के प्रोफैसरों की कठिनाइयां	Grievances of Professors of Aurovindo College, Malviya Nagar, New Delhi	33
4928	जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्र	Area developed by DDA in Janakpuri .	34
4929	सरोजनी नगर मार्किट नई दिल्ली के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय के लिये क्वार्टर दिया जाना	Release of a quarter to Accommodate CGHS Dispensary, Sarojini Nagar Market, New Delhi . . .	34
4930	दादरा और नगर हवेली को सप्लाई की गई रवा, मैदा और गेहूं के आटे की मात्रा	Quantity of Rawa, Maida and Wheat Flour supplied to Dadar and Nagar Haveli	35
4931	दादरा और नगर हवेली में आदिवासी तथा गैर आदिवासी किसानों को दी गई राज सहायता	Subsidy given to Adivasi and non-Adivasi Agriculturists in Dadra and Nagar Haveli	35
4932	पशुओं से फसल की रक्षा के लिये खेत की मेड़ों पर जहरीली झाड़ लगाना	Plantation of a poisonous Shrub on edges of field for protection from Cattle . . .	35
4933	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी मकानों के लिये नीलामी से बेचे गये प्लाट	Plots of land for Residential Houses sold by Auction by DDA . .	36
4934	दिल्ली विकास प्राधिकरण में हड़ताल	Strike in DDA.	37
4935	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्तियों की आय की सीमा बिना 100 फ्लैटों का आवंटन	Allotment of 100 Flats to Persons irrespective of Income or Registration by DDA	38
4936	डेरा इस्माइलखां आवास सोसाइटी दिल्ली का 'सर्विस' प्लान'	Service Plan of the Dera Ismail Khan Housing Society, Delhi . . .	38

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4937	डेरा इस्माइलखां सहकारी आवास समिति लिमिटेड, दिल्ली पर लागू नये आदर्श उप-नियम	New Model bye-laws applicable to Dera Ismail Khan Cooperative Housing Society Ltd. Delhi .	39
4938	भूमिहीन श्रमिकों और हरिजनों के आवास निर्माण के बारे में मध्य प्रदेश की योजना	Scheme by Madhya Presesh re: Construction of Houses for Landless Labourers and Harijans	39
4939	मध्य प्रदेश को नाइट्रोजन उर्वरक का आवंटन	Allocation of Nitrogenous Fertilisers to M.P.	40
4940	विदेशों को भेजे गये शैक्षणिक प्रतिनिधि मंडल	Educational Delegation sent to Foreign Countries . .	40
4941	वर्तमान वन संबंधी अनुसंधान कार्यों की सूची	nventory of Existing Forest Research	42
4942	ग्रेटर कैलाश-दो, नई दिल्ली में पानी तथा बिजली की सप्लाई	Iupply of Water and Electricity in Greater Kailash-II, New Delhi .	43
4943	दिल्ली प्रशासन द्वारा हलवाइयों, बेकरियों, और होटलों को गेहूं दिया जाना जिसके कारण राशन में गेहूं की कमी पड़ जाना	Diversion of Wheat to Confectionaries and Hotels by Delhi Administration Resulting Scarcity and Cut in Ration .	44
4944	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के चिकित्सा बिल	Medical Bills by FCI Employees	44
4945	केन्द्रीय सरकार की सहायता पाने वाले मध्य प्रदेश के ग्रामीण अस्पताल	Rural Hospitals in Madhya Pradesh receiving Central Assistance	45
4946	दरभंगा फार्बिसगंज लिंक रोड	Durbhanga Forbesganj link Road . .	46
4947	नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कानूनी शिक्षा संबंधी अंतर-विश्वविद्यालय सम्मेलन	Inter-University Conference on Legal Education Organised by Nagpur University	47
4948	बूचड़खानों में फालतू पदार्थों का उपयोग	Utilisation of Waste products in Slaughter Houses	47
4949	मिन्टो रोड प्रेस, नई दिल्ली में टैक्निकल असिस्टेंटों को छुट्टी देने की विधि	Decision on Grant of leave to Technical Assistants of Minto Road Press, New Delhi	48
4950	आई० बी० एम० यूनिट के लिथो प्रेस में एक्सिरोज मशीन के आपरेटर	Operators of Xerox Machines in IBM Unit of Litho Press	49
4951	राज्यों में फालतू भूमि के वितरण के लिये समय-सीमा	Time Limit for Distribution of Surplus Land in States	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4952	फोटो लिथो प्रेस और लेटर प्रैस, मिन्टो रोड, नई दिल्ली	Photo Litho Press and Letter Press, Minto Road, New Delhi . .	50
4954	उर्वरक की सप्लाई के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported Statement of Chief Minister of U.P. regarding supply of Fertilizer.	50
4955	सहरसा और पूर्णिया जिलों में सिंचाई के लिये पूर्वी कोसी नहर जल का उपयोग	Utilisation of Eastern Kosi Canal Water for Irrigation in Saharsa and Purnea Districts .	52
4956	फसलों के अंतर्गत सिंचित भूमि	Irrigated Land under Crops .	53
4957	मनीपुर में चालू वर्ष में लघु सिंचाई पर व्यय	Expenditure on Minor Irrigation during the current year in Manipur . .	54
4958	राजस्थान में लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत बांधों का निर्माण	Construction of Dams under Small Irrigation Schemes in Rajasthan	54
4959	महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में पेय जल सुविधाओं के लिये 'ड्रिलिंग रिग'	Drilling rigs for drinking water facilities in Maharashtra and Uttar Pradesh	54
4960	स्वदेशी तथा विदेशी कारों की संख्या	Number of Indigenous and Foreign Cars	55
4961	सी० एम० डी० ए० योजनाओं की क्रियान्विति के संबंध में खर्च की गई धनराशि	Amount spent in connection with the Implementation of CMDA schemes .	55
4962	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना	Rural Employment Guarantee Scheme for Scheduled Castes/Tribes . .	55
4963	माडर्न बेकरी द्वारा मशीनों से तैयार की गई 'चपाती' का बेचा जाना	Marketing of Mechanically produced Chappati by Modern Bakery .	56
4964	दिल्ली परिवहन निगम की बसों के कारण दिल्ली में पर्यावरण दूषण	Environment Pollution in Delhi due to DTC Buses	56
4965	25वीं स्वतंत्रता जयंती के दौरान कृषि विकास	Agricultural Development during 25th Independence Jayanti . . .	57
4966	मछुओं के हितों की रक्षा के लिये कानून	Legislation to Safeguard the interest of Fishermen	58

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4967	कुछ वस्तुओं के समुद्रपार भेजने के भाड़े में कमी	Reducation in Overseas Freight Rate on some items	59
4968	बांदीपुर मैसूर में बाघ सुरक्षा योजना के क्षेत्र का विस्तार	Extension of Area of Project Tiger Scheme in Bandipur, Mysore . .	59
4969	दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० बी० ए० तथा बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा के लिये पत्राचार	Correspondence Course in MBA and Diploma in Business Management in Delhi University . . .	60
4970	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना अस्पताल पटपड़गंज (युमना-पार क्षेत्र) दिल्ली-51 के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the Functioning of CGHS Hospital, Patper Ganj (Trans-Yamuna) Area, Delhi-51 . .	60
4971	चावल मिलों से चावल खरीदने के कारण	Reasons for Purchasing Rice from Rice Mills	60
4972	गाजियाबाद में नकली दवाइयों का उत्पादन	Manufacturing of Spurious Drugs at Ghaziabad	61
4973	नकली दवाइयां बनाने के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested by manufacturing spurious drugs	61
4974	महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय अहमदनगर द्वारा धान की नई किस्म का विकास	New variety of paddy developed by Mahatma Phule Agricultural University, Ahmadnagar . . .	61
4975	छात्रों तथा अध्यापकों में असंतोष संबंधी उप-समिति	Sub-committe on unrest among students add teachers	62
4976	नेहरु युवक केन्द्र	Nehru Yuvak Kendras . . .	62
4977	कुकरे तथा अन्य नेत्र रोग	Trachoma and other Eye Diseases .	63
4978	उच्च शिक्षा में केन्द्र के उत्तर-दायित्व संबंधी समिति	Committee on Central responsibility in Higher Education . . .	63
4979	पश्चिम बंगाल में धान और चावल की वसूली और वितरण के लिये एजेंट के रूप में भारतीय खाद्य निगम	FCI as agent for procurement and distribution of Paddy and rice in West Bengal	64
4980	दिल्ली में सरकारी कार्यालयों के लिये बहु मंजिले भवनों का अधिग्रहण	Acquaisition of multi-storeyed buildings for government offices in Delhi .	64
4981	भारतीय खाद्य निगम के मध्य प्रदेश स्थित राजनंद गांव के कार्यालय के बारे में शिकायत	Complaints about FCI Rajnandgaon Madhya Pradesh . . .	64

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4982	दुग्ध चूर्ण का आयात	Import of milk powder . .	65
4983	वर्ष 1973 के दौरान विश्वविद्यालयों का बंद होना	Universities closed during 1973 .	65
4984	कृषि स्नातकों को रोजगार	Employment to Agricultural Graduates	66
4985	वनस्पति का मूल्य नियत करना और उसे लागू करना	Fixation of Vanaspati price and its Implementation . . .	66
4986	विभिन्न राज्यों में गेहूं, चावल, मूंगफली और गन्ने की उपज	Production of Wheat, Rice, Groundnuts and Sugarcane in various States	67
4987	ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं	Medical facilities in the Villages .	67
4988	दिल्ली की परिवहन समस्या के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्री तथा दिल्ली के उपराज्यपाल की बैठक	Meeting between Shipping and Transport Minister and Lt. Governor of Delhi Re: Transport Problem in Delhi	68
4989	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines from ICAR on setting up New Agricultural Universities . .	69
4990	दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली नगर निगम से अपने नियंत्रण में लिये गये गृह विज्ञान के जूनियर अध्यापकों के पदनाम में परिवर्तन	Change in Designation of Junior Domestic Science Teachers taken over from MCD by Delhi Administration .	70
4991	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों के प्रयोगशाला सहायकों को चयन वेतन-मान	Selection Grade to Schedule Caste Laboratory Assistants in Education Department of Delhi Administration.	70
4992	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में नृत्य अध्यापकों के वेतन-मान	Pay Scale to Dance Teachers in Education Department of Delhi Administration	71
4993	पेंशनर्स आर्गेनाइजर्स एसोसिएशन से आवास समस्याओं के बारे में ज्ञापन	Memorandum regarding Accommodation Problem from Pensioners Organisers Association	71
4994	मुगल लाइंस द्वारा माल वाहन सेवा आरंभ करना	Cargo Service by Mogul Lines	72
4995	शाहदरा में छात्रों की मांगें	Demands of Shadra Students . .	72
4996	रूस से आयातित गेहूं की पहली खेप की मात्रा	Quatum of First Consignment of Wheat Import from USSR. . .	72
4997	नियमित खेती के लिए मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Survey of Hill areas of Manipur for Stablished Cultivation .	73

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4998	मणिपुर स्वास्थ्य सेवा का गठन	Constitution of Manipur Health Service	73
4999	स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 'परीक्षा पद्धति में' सुधार	Reform in Examination in School and Universities	74
5000	दिल्ली प्रशासन में दस्तकारी के अध्यापकों के वेतनमानों में असंगति	Anomaly in Grades of Crafts Teachers in Delhi Administration . . .	74
5001	कच्छ जिले (गुजरात) में मांडवीं में पांडित श्यामजी कृष्ण वर्मा मकान को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव	Proposal to protect house of Pandit Shyamji Krishna Varma at Mandvi in District Kutch (Gujarat) . .	74
5002	देश में सभी सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण का सर्वेक्षण	Survey of the Working of All Government Hospitals in the country . .	75
5003	दिल्ली में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की वरीयता	Seniority of Teachers in Govt. Schools in Delhi	75
5004	जनसंख्या-वृद्धि और मानवीय विकास पर सम्मेलन	Conference on population Growth and Human Development . . .	76
5005	फल संरक्षण आदेश अधिनियम के अंतर्गत सोडावाटर आदि का विपणन	Marketing of Aerated Waters under Fruit Preservation Order . .	76
5006	केन्द्रीय विद्यालय, गुड़गांव में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अपनाई गई प्रक्रिया .	Criteria Adopted for Admission of Students in Kendriya Vidyalaya, Gurgaon	77
5007	राष्ट्रीय अनुशासन योजना को समाप्त करना और राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारम्भ करना	Winding up of NDS and Starting NSS .	78
5008	1973 के दौरान पत्तनों में हड़ताल	Port Strikes during 1973	80
5009	जल को दूषित करने वाली कम्पनियों पर उप-कर	Cess on the Companies whose Industrial Plants Pollute Water. . .	81
5010	खेलों के लिए उचित मार्गदर्शन का अभाव और अपर्याप्त सुविधायें	Lack of Proper Guidance and Poor facilities in Sports	81
5011	"डी०. डी० ए० हैज फेल्ड इन इट्स आब्जेक्टिव" शीर्षक से समाचार	"DDA has Failed in its Objective"	82
5012	तमिलनाडु सरकार का अपने राज्य में बने उर्वरकों के वितरण की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुरोध	Request of Tamil Nadu Government for Power to Distribute Fertiliser Manufactured within that State .	82
5013	भारतीय खाद्य निगम द्वारा लम्बे रास्तों से खाद्यान्नों को भेजना	Transportation of Foodgrains by longer Routes by FCI	83

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5014	दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पी० जी० टी० की नियुक्ति का आधार	Basis of Appointment of PGT in Government Schools in Delhi . .	83
5015	जगन्नाथ मंदिर, पुरी की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश	Recommendation of Expert Committee on Jagannath Temple, Puri . .	84
5016	रूस में अध्ययन करने के लिये छात्रों का नामांकन	Sponsoring of students for study in USSR	84
5017	सार्वजनिक स्कूलों एवं छात्रावासों में अनुसूचित जातियों और स्वर्ण वर्ग के छात्रों को प्रवेश	Admission of Scheduled Castes and Caste Hindu in Public Schools and Hostels.	85
5019	कुछ राज्यों में व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद और इसकी उपलब्धता पर उसका असर	Purchase of wheat by dealers in some states and its effect on its Availability	86
5020	मेडिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा कालेजों तथा अस्पतालों को खोलना	Opening of Medical, Ayurvedic, Homeopathic and Nature Cure Colleges and Hospitals . . .	86
5021	कर्मचारियों के चिकित्सा पर हुये व्यय की वापसी संबंधी दावे	Medical Re-imbursement Claims of the Staff	87
5022	दिल्ली विश्वविद्यालय के 'बौद्ध अध्ययन विभाग' का दर्शन विभाग के साथ विलय करने का प्रस्ताव.	Proposal to Merge Department of Buddhist Studies and Philosophy of Delhi University	87
5023	पश्चिम बंगाल में मत्स्य उद्योग लिए वृहद योजना (मास्टर प्लान)	Master Plan for Fishing Industry in West Bengal	87
5024	कलकत्ता में पर्यावरण-दूषण के बारे में उद्योगों का सर्वेक्षण	Survey in Industries for Environmental Pollution in Calcutta . . .	88
5025	पश्चिमी बंगाल में वनस्पति का उत्पादन करने वाली मिलें औरके उनका उत्पादन	Vanaspati Mills in West Bengal and their Production	88
5026	रायचक (पश्चिम बंगाल) में गहरे पानी में मछली पकड़ने की परियोजना	Deep Sea Fishing Project at Raichak, West Bengal	89
5027	उर्वरक की मांग और पूर्ति में अंतर	Gap between Demand and Supply of Fertilizers	90
5028	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रिजर्वेशन असिस्टेंट	Preservation Assistants in National Archives of India . . .	90

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5029	राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में कैमरा और लेमीनेशन मशीन का कार्य न करना	Non-working of Cameras and Lemination Machine in National Archives in New Delhi	91
5030	चौगुले की मुआवजे के पुनरीक्षण के लिये अपील	Appeal by Chowghule to revise Compensation	91
5031	भारत में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा (प्लास्टिक सर्जरी) संबंधी सुविधायें ।	Facilities for plastic Surgery in India .	92
5032	तम्बाकू तथा नकदी फसलें बोने और खाद्य समस्या को हल करने के लिये किसानों को सुविधायें	Facilities to Farmers for Solving Food Problem and Growing Tobacco and Cash Crops	92
5033	दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का मांग पत्र	Charter of Demands by Delhi University Students Union . . .	93
5034	तूतीकोरिन पत्तन पर मुख्य अभियंता और प्रशासक द्वारा गबन की शिकायतें	Complaints of Misappropriation by Chief Engineer and Administrative or of Tuticorin Harbour . . .	93
5035	सैंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें	Complaints Against Director, Central Ariz Zone Research Institute, Jodhpur	94
5036	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में सेवा निवृत्त अधिकारी	Superannuated Officers on the Roll of ICMR	94
5037	रूसी तथा भारतीय अध्यापकों को उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिये पाठ्यपुस्तकों का संकलन	Compilation of Text Books for Higher Educational Establishments by Soviet and Indian Teachers . .	96
5038	वेरावल मछली वाले पत्तन के लिये मछली पकड़ने के जहाज	Fishing Vessel for Veraval Fishing Port	97
5039	भारत में विलयक निस्सारण (साल्वेंट एक्स्ट्रेशन) संयंत्र	Solvent Extraction Plants in India	97
5040	गुजरात में समुद्र तट के निकट की भूमि का नमकीन होना	Land near Sea Shore of Gujarat becoming Salty	97
5041	राजधानी में नये विषाणु रोग का फैलना	Spread of New Virus Disease in the Capital	98
5042	कलकत्ता का एस० एस० के० एम० अस्पताल में लघु चिकित्सा संस्थान	Mini Medical Institute at SSKM Hospital of Calcutta . . .	98

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5043	चित्तरंजन कैंसर अस्पताल	Chittaranjan Cancer Hospital . .	99
5044	खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य में वृद्धि.	Increase in Issue Price of Foodgrains	99
5045	भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल स्थित गोदामों में जमा भंडार और भूख के कारण मौतें	Stock in certain FCI Godowns, West Bengal and Starvation Deaths . .	100
5046	चावल की वसूली तथा उसे गोदामों में रखा जाना	Procurement of Rice and Their Storage in Godowns	100
5047	नकद लेन-देन में भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि	Loss by FCI on cash transaction	101
5048	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल और चीनी का सड़ने की वजह से बेकार हो जाना	Wastage of Sugar and Rice due to Rotting in FCI Godowns . .	101
5049	विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा केन्द्रों में विकलांग छात्र	Disabled Students in Educational Centres for Disabled Persons . .	102
5050	ओटावा में जुलाई, 1973 में नौवहन सम्मेलन	Shipping Conference in Ottawa during July, 1973	102
5051	पत्तन और गोदी कर्मचारियों के संबंध में असंगतियों का समाधान	Solution of Anomalies in Port and Dock Workers	103
5052	रोजगारोन्मुख विश्वविद्यालय	Job Oriented University . . .	104
5053	राजस्थान के जिला नागौर के छोटी खाट ग्राम में पुरातत्व वस्तुओं की चोरी	Theft of Archaeological Articles in Chhoti Khat Village District Nagaur in Rajasthan	104
5054	राजस्थान में मैदा उपलब्ध न होना	Non Availability of Maida in Rajasthan	105
5056	वृक्षों की संख्या में कमी	Decline in Number of Trees. . .	105
5057	दिल्ली के होटलों के लिये राशन के गेहूं में कटौती	Cut in Ration wheat in Delhi for hotels	106
5058	मोटे अनाज की वसूली	Procurement of coarse grains . .	106
5059	गेहूं खरीद केन्द्रों का बंद होना	Closure of wheat procurement centres	107
5060	पशुओं का वध करने से पूर्व उन्हें मूर्छित करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान विकास संगठन के मद्रास केन्द्र द्वारा एक नये ढंग की पिस्तौल का बनाया जाना	Manufacture of a new Type of pistol for making Animal Unconscious before Slaughtering by Madras Centre of Mechanical Engineering Research Development Organisation .	107

अता० प्र० संख्या० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5061	मार्डन बेकरी द्वारा नान की बिक्री	Sale of Nans by Modern Bakeries .	107
5062	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये मुकदमें	Court cases filed by the Employees of ICAR	107
5063	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की बीच में छोड़ी गयी अनुसंधान योजनायें	Research Schemes of ICAR given up in Mid Way	109
5064	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रकाशन में विलंब	Delay in Publication of Animal Reports of ICAR	110
5065	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनबिके प्रकाशनों का जमा होना	Accumulation of Unsold Publications of ICAR	111
5066	बड़े औद्योगिक गृहों के पास मत्स्य नौकाएं	Fishing Trawlers owend by big Industrial Houses	111
5067	आन्ध्रा प्रदेश को नाइट्रोजन उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Nitrogenous Fertiliser to A.P.	113
5068	आन्ध्र प्रदेश में भांडागार और विपणन सुविधाओं के विकास हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	Financial Aid from World Bank for Developing Warehousing and Marketing Facilities in Andhra Pradesh .	115
5069	गंडक नदी पर डुमरियाघाट पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge on National Highway Dhumaria Ghat on Gandak River	115
5071	सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली का प्रबंध अपने हाथ में लेना	Take over of Education System .	116
5072	उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाने का प्रयास	Efforts to Enhance the Price of Sugarcane in U.P. and Andhra Pradesh .	116
5073	चीनी का लेवी मूल्य	Levy Price of Sugar . .	117
5074	दिल्ली में छात्रों द्वारा परिवहन गाड़ियों का जलाया जाना	Burning of Transport Vehicles by Students in Delhi	117
5075	कलकत्ता पत्तन पर नौचालन बत्तियों (नेविगेशनल लाइट्स) की चोरी	Pilferage of navigational Lights at Calcutta Port . . .	118
5076	बिहार के कटिहार में भूख से मृत्यु	Starvation Deaths in Kathihar, Bihar .	118

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJFCT	पृष्ठ PAGES
5077	पटना में गंगा पर सड़क पुल बनाने के लिए बिहार को सहायता	Assistance to Bihar for Road Bridge on Ganga in Patna . .	119
5078	बिहार में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपने मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाना	Loan to Central Government employees for construction of their own Houses in Bihar	119
5079	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के 'धीरे काम करो' आन्दोलन का देश की उचित दर की दुकानों का अनाज की सप्लाई पर प्रभाव	Affect of Go-slow Agitation by FCI Workers on Supply of Cereals to Fair Price Shops in the country . .	120
5080	दक्षिण दिल्ली में "वाणिज्य" विषय पढ़ाने के लिए महिला कालेज का न होना	Non-existence of Women College for Teaching Commerce Classes in South Delhi	120
5081	अतिरिक्त बस-मार्गों के लिए लारेंस रोड के निवासियों का अनुरोध	Request for Residents of Lawrence Road for Additional Bus Routes .	121
5082	लारेंस रोड, दिल्ली के पाकेट ए-1 में दिल्ली दुग्ध योजना के बूथ	DMS Booth in A-I pocket Lawrence Road, Delhi . . •	121
5083	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में तनाव को समाप्त करने के तरीकों और साधनों का पता लगना	Exploring ways and means for ending tension in Delhi University Campus .	122
5084	योरोपीय साझा बाजार से मक्खन का आयात	Import of Butter from ECM .	122
5085	राजकोट और पोरबंदर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण	Construction of National Highway between Rajkot and Porbander. .	123
5086	विलायक निस्सारण (सालवैन्ट एक्स्ट्रेक्शन) संयंत्र तथा डी० आयल केक के व्यापार का राष्ट्रीकरण	Nationalsation of Solvent Extraction Plant and Trade of D. Oil Cake. .	123
5087	वर्ष 1972-73 के दौरान निर्यात की गई 'डी० आयल केक' की मात्रा	Quantity of D. Oil Cake Exported during 1972-73	124
5088	हिन्दुस्तान लेटेक्स द्वारा फरक्का में एक दूसरे सयंत्र की स्थापना	Setting up a Second Plant at Farrakka by the Hindustan Latex . .	124
5089	पश्चिमी बंगाल में उर्वरक की कमी	Shortage of Fertilizer in west Bengal .	125
5090	पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को जनवरी, 1973 से उर्वरकों का आवंटन	Allotment of Fertilizers from January 1973 to West Bengal, U.P. and Orissa	125
5091	दिल्ली में प्रसूति गृह	Maternity Hospitals in Delhi .	126

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5092	दादरा और नगर हवेली में चीनी तथा खाने वाले तेल का वितरण	Distribution of Sugar and Edible Oil in Dadra and Nagar Haveli . .	126
5093	दादरा तथा नगर हवेली में उचित मूल्य की दुकानें खोलना	Opening of Fair Price Shops in Dadra and Nagar Haveli	127
5094	दादरा और नगर हवेली में सहकारी समितियां और सहकारी चावल मिलें	Cooperative Societies and Cooperative Rice Mills in Dadra and Nagar Hav-eli	127
5095	उर्वरकों की कमी के कारण पंजाब में रबी की फसल को खतरा	Threat to Rabi Crop in Punjab due to Lack of Fertiliser . . .	128
5096	रक्त की जांच से 'कोलन' कैंसर का का निदान संभव	Blood Test can Diagnose Colon Cancer	128
5097	अमरीका से नटराज की मूर्तियां वापस मांगना	Acquisition of Natraja Idols om America	128
5098	स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खेल-कूद	Sports among School going Children .	129
5099	नालंदा स्थित नेपाली इस्टीट्यूट का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to Upgrade Pali Institute at Nalanda	129
5100	बसंत बिहार, नई दिल्ली में एक रिहायशी इमारत का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग	Miusse of the Premises for Commercial Pruposes in a Residential Building in Vasant Vihar, New Delhi . .	129
5101	बसंत बिहार, नई दिल्ली में प्लाटों का उप-पट्टा समाप्त करना	Temrination of Sub-lease of plot in Vasant Vihar, New Delhi. . .	130
5102	नवम्बर 1973 के दौरान टैक्सी-हड़ताल	Taxi Strike during November, 1973 .	130
5103	छात्रों द्वारा बसों को रोकना	Detention of Buses by Students . .	131
5104	विदेश भेजने के लिए खिलाड़ियों का चयन करने हेतु चयन समिति का गठन	Selection Committee to select Players for sending abroad . . .	132
5105	मध्य प्रदेश में नर्स प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for setting up Nurse Training Centres in Madhya Pradesh.	132
5106	1972-73 में एच० एम० टी० जेटर 2511, हर्ष टी-25 और ले लैंड ड्यूड ट्रैक्टरों की बिक्री	Sale of HMT Zetor 2511, Harsha T-25 and Leyland Deutz Tractors in 1972-73	132
5107	राष्ट्रीय स्तर पर फसल तथा पशु बीमा योजना बनाये जाने के बारे में वित्त मंत्री का सुझाव	Suggestion made by Finance Minister in regard to formation of a Crop and Cattle Insurance Scheme on a National Scale . . .	133

49 LSS/73—2

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
30 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8540 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Correcting statement to U S Q No. 8540 dated 30-4-1973 .	134
लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion on strike by Loco Running Staff .	135
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	136
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . . .	138
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	139
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उड़ीसा) 1973-74--विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Orissa) 1973-74—Statement presented	139
दिल्ली नगर कला आयोग विधेयक पुरः-स्थापित	Delhi Urban Art Commission Bill—introduced . . .	139
नियम 377 के अंतर्गत मामला	Matter under Rule 377 . . .	140
लेवी चीनी के कारखाना द्वारा मूल्य में वृद्धि और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर शुल्क में वृद्धि करने का सरकार का निर्णय	Government's decision to raise exfactory price of levy sugar and increase duty on free sale sugar . .	140
रेलवे कन्वेशन कमेटी के अंतरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	Resolution re. Interim Report of Railway Convention Committee .	142
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1973-74 और लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1973-74 and Statement re. Strike by Loco Running Staff . .	144
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	144
श्री बीरेन्द्र दत्त	Shri Biren Dutta .	149
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury .	150
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee .	151
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	152
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	152
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B.P. Maurya .	154
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K.S. Chavda . .	154
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani . .	155
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A.P. Sharma . .	155
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . .	156
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar . .	157
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	157

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	158
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar .	159
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque. .	159
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey .	160
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik. . .	160
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary . .	160
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh .	161
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra. . .	161
वर्ष 1973-74 के उत्पादन की लेवी चीनी के कारखाना-द्वारा मूल्यों के निर्धारण के बारे में वक्तव्य	Statement re-fixation of ex-factory prices of levy sugar of 1973-74 production.	161
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed	161
मेरठ की घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement re. Meerut Incidents. .	163
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dixit. . .	163
एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड के बारे में वक्तव्य	Statement re. Acquisition of Alcok Ashdown Company, Ltd. . .	164
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai.	164
रेलवे कन्वेंशन समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प, अनुपूरक अनुदानों की मांगें रेल (1973-74) और लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य—जारी	Demands for Supplementary Grants (Railways) 1973-74 and statement re. strike by Loko Running Staff—contd.	164
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar. . .	164
विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1973-पुरःस्थापित	Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1973 Introduced . . .	167
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	167
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	168
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra . . .	169
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . . .	169
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass. . . .	169
आधे-घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion . . .	169
स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाना	Stepping up of product on production of Scooters	169
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N.K. Sanghi	169
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	172
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee . .	174
35वां प्रतिवेदन	Thirty Fifth Report . . .	174

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 17 दिसम्बर, 1973/26 अग्रहायण, 1895 (शक)

Monday, December 17, 1973/Agrahayana 26, (1895 Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

बलगारिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

Welcome to the Bulgarian Parliamentary Delegation

अध्यक्ष महोदय : हम बलगारिया जनवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामहिम डा० वलाडिमीर बोनेव तथा बलगारिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत आने पर स्वागत करते हैं। यह शिष्टमंडल आज प्रातः यहां पहुंचा है और भारत में 9 दिन तक रहेगा। अब वे स्पेशल बाक्स में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से बलगारिया की संसद, सरकार तथा वहां की जनता को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिमी बंगाल में खाद्य संकट

503. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उनको पता है कि गेंहूं के केन्द्रीय कोटे में कमी तथा खुले बाजार में चावल के मूल्यों में बृद्धि के कारण पश्चिम बंगाल के दस जिलों में अत्यन्त खाद्य संकट व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो संकट का मुकाबला करने के लिये पश्चिम बंगाल को यदि कोई सहायता दी गई है तो वह क्या है अथवा क्या सहायता दी जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा बताई गई कठिन खाद्य स्थिति, केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में सरकारी वितरण की उपयुक्त आवश्यकताओ को पूरा करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार की यथासंभव अधिक से अधिक

आवंटन किए जा रहे हैं। राज्य के अन्दर वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है।

नवम्बर, 1973 में 1.30 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था जबकि चालू महीने में 1.45 लाख मीटरी टन का आवंटन किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि राज्य सरकार ने जुलाई से अक्तूबर, 1973 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार से कितने गेंहूं और चावल की मांग की थी और वास्तव में कितना गेंहूं और चावल सप्लाई किया गया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जुलाई से अक्तूबर तक राज्य सरकार ने 65,000 टन चावल की मांग की थी। गेंहूं की मांग जुलाई के लिये 175,000, अगस्त के लिये 175,000, सितम्बर के लिये 175,000 और अक्तूबर के लिये 145,000 टन थी। चावल का आवंटन जुलाई में 20,000 अगस्त में 70,000, सितम्बर में 70,000 और अक्टूबर में 70,000 टन था। चावल की वास्तविक सप्लाई (हजार टनों में) जुलाई में 13.8, अगस्त में 24.8, सितम्बर में 17.5 और अक्टूबर, में 21.3 थी। इन चार महीनों के लिये गेंहूं का आवंटन 135,000, 135,000, 120,000 और 106,000 टन था और गेंहूं की वास्तविक सप्लाई 131,000, 148,000, 150,000 और 122,000 टन थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय द्वारा दिए आंकड़े ठीक नहीं हैं। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उल्लिखित अवधि में 6,30,000 टन गेंहूं की मांग की थी। परन्तु वास्तव में 5,30,000 टन से अधिक गेंहूं सप्लाई नहीं किया गया। चावल की मांग 2.80 लाख टन की थी परन्तु वास्तव में 77,200 टन चावल सप्लाई किया गया। मंत्री महोदय इस का खंडन कर सकते हैं परन्तु ये आंकड़े कांग्रेसियों द्वारा प्रकाशित अमृत बाजार जगांतर ग्रुप द्वारा कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये गये। क्या मंत्री महोदय 1 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक के चावल और गेंहूं संबंधी आंकड़े बतायेंगे ? क्या वह यह भी बतायेंगे कि पश्चिम बंगाल के लिये वसूली लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितनी वसूली हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह कितना राशन दिया जाता है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने नवम्बर में 1.30 लाख टन अनाज–दोनों चावल और गेंहूं का आवंटन किया था। वास्तविक सप्लाई कुछ अधिक थी अर्थात 1.33 लाख टन थी। उनकी मांग 2.10 लाख टन थी चावल की 65,000 टन और गेंहूं की 145,000 टन। दिसम्बर के महीने में चावल की मांग 35,000 टन और गेंहूं की 1,35,000 टन की थी। दिसम्बर में कुल आवंटन 145,000 टन था और इतना ही सप्लाई किया गया था। वसूली कार्य अभी शुरू हुआ है क्योंकि बंगाल में देश के अन्य भागों से वसूली का काम देर से होता है। वसूली का लक्ष्य 5 लाख टन था। उन्होंने वसूली का काम हाल ही में आरम्भ किया है और लगभग 10,000 टन तक प्राप्त हो गया है। मुझे इस बात का खेद है कि कुछ राजनैतिक शक्तियां पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के विरुद्ध हैं जो खाद्य मितव्ययता के प्रबंध में कठिनाइयां पैदा कर रही हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : वसूली का काम हो रहा है और राज्य सरकार सांविधिक राशन क्षेत्रों के लिये निर्धारित चावल का कोटा सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। अतः क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री से इस महीने के लिये 40,000 टन अधिक कोटा दिये जाने का

अनुरोध प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या सरकार वसूली अभियान को ध्यान में रखते हुए और सांविधिक राशन क्षेत्रों में रहने वाली जनता की रक्षा करने के लिये इस संबंध में कोई निर्णय करने वाली है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पश्चिम बंगाल सरकार हमारे साथ निरन्तर सम्पर्क स्थापित किये हुए है और हमें उनकी कठिनाइयों का पता है। उनकी कठिनाइयों को देखते हुए हमने अपनी कठिनाइयों के बावजूद इस महीने के लिये आवंटन में 15,000 टन की वृद्धि कर दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या केन्द्रीय सरकार के विचार में पश्चिम बंगाल सरकार की चावल की मांग उचित है या नहीं और यदि वे उचित हैं तो केन्द्रीय सरकार ने चावल सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की और यदि केन्द्रीय सरकार नहीं दे सकती तो कहां से सप्लाई किया जा सकता है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है भारत सरकार को बंगाल, केरल और महाराष्ट्र जैसे कमी वाले सभी राज्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। फिर हमें अपने भंडार और खाद्यान्न की उपलब्धता की स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। दुर्भाग्य से मुझे पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि वहां फसलें तो बहुत अच्छी थीं। परन्तु फिर भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि सभी दल सहयोग करें तो निश्चय ही इन कठिनाइयों पर काबू पाया जा सकता है।

महाराष्ट्र से ग्रामीण जल सप्लाई योजना

*506. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के जहां पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं ; गांवों के लिये पानी की त्वरित सप्लाई के कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण जल सप्लाई की कितनी योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) सरकार ने कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है तथा उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या जो राशियां उपलब्ध करायी गयीं हैं वे वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या आवंटन में उपयुक्त वृद्धि की जायेगी ताकि योजनाओं की प्रगति में बाधा न पड़े ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने कुल 520.03 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 136 योजनाएं भेजी थीं।

(ख) केन्द्र सरकार ने 323.53 लाख रुपये की लागत की 87 योजनाएं मंजूर की थीं।

(ग) तथा (घ) 1972–73 में राज्य सरकार को 106 लाख रुपये की राशि दी गई थी और उनको यह सलाह दी गई थी कि वे योजनाओं की अनुमोदित सूची में से उन योजनाओं को चुन लें तथा उन पर कार्य आरम्भ कर दें जिनकी लागत उपलब्ध नियतन से पूरी हो सके। चालू वर्ष में, इन योजनाओं के लिए राज्य को 70 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है। मितव्ययिता की सख्त जरूरत तथा चालू वर्ष के बजट में अपेक्षित कटौती को ध्यान में रखते हुए फिलहाल किसी अधिक नियतम की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : अब सरकार मितव्ययिता की बात सोच रही है। जब योजना आरम्भ की गई थी तब इसको दो बर्ष में पूरा करने का विचार था। राज्य सरकार ने 136 योजनाएं भेजी थीं जिनमें से केन्द्रीय सरकार ने 87 योजनाओं का अनुमोदन किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन 87 योजनाओं का काम जोरों से चल रहा है? अन्य योजनाओं की स्थिति क्या है? इन योजनाओं पर वर्ष 1972-73 में राज्य सरकार ने कितनी धन राशि खर्च की है?

श्री भोला पासवान शास्त्री : जहां तक राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का संबंध है, वह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी। यदि माननीय सदस्य यह जानकारी चाहते हैं तो हम राज्य सरकार को लिखेंगे और उसे प्राप्त करेंगें। जहां तक ग्रामीण जल सप्लाई योजना का संबंध है हमने उस सिद्धान्त के अनुसार केवल 87 योजनाएं उचित पाई हैं जो ग्रामों के चयन के लिये अपनाया गया था।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत राशि से अधिक व्यय कर चुकी है और अनुमोदित योजनाओं का काम जोरों पर है, क्या सरकार इन के काम की गति धीमी करने संबंधी अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी और चल रही योजनाओं के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेगी?

श्री भोला पासवान शास्त्री : यह कार्यवाही करने के लिये अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये अनुरोध नहीं है। वह पूछ रहे हैं कि क्या उन योजनाओं के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी या नहीं क्योंकि वे अभी पूरी नहीं हुई हैं।

श्री भोला पासवान शास्त्री : यह बात धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

श्री शंकरराव सावंत : केन्द्रीय सरकार द्वारा धन उपलब्ध न किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी कितनी योजनाओं का काम रोकना पड़ेगा?

श्री भोला पासवान शास्त्री : इस प्रश्न का संबंध मुख्य प्रश्न से नहीं है।

श्री शंकरराव सावंत : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ कैसे संबंध नहीं है? राज्य सरकार ने कुछ योजनाएं वास्तव में स्वंय आरम्भ की थीं। मंत्री महोदय ने कहा है कि धन के अभाव के कारण वे रुकी पड़ीं हैं। मैंने पूछा था कि ऐसी योजनाएं कितनी हैं?

श्री भोला पासवान शास्त्री : 87 योजनाओं का अनुमोदन किया गया था; अन्य योजनाओं का अनुमोदन अभी होना है।

Shri E. V. Vikhe Patil : May I know whether Government wants to held up the scheme which has been started to provide drinking water to drought hit area and which should be given priority, for want of funds?

Shri Bhola Pashwan Shastri : Supply of drinking water in drought hit areas and Sanitation is a State subject. The centre is giving assistance keeping in view the importance of the scheme but primarily it is the responsibility of the State Governments.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला अकाल और सुखाग्रस्त क्षेत्र है यदि हां, तो इस जिले में पानी के अभाव को दूर करने के लिये कितनी ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं आरम्भ की गयी हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह जिलावार जानकारी से संबंधित प्रश्न नहीं है प्रश्न राज्यवार जानकारी से से संबंधित है। यदि मंत्री महोदय इसकी जानकारी देना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भोला पासवान शास्त्री : कोल्हापुर के बारे में मुझे जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस समय मैं किसी जिला विशेष के बारे में जानकारी नहीं दे सकता।

Shri M. C. Daga : Several times it has been assured that the villages having saline water would be given priority and that serious consideration. would be given to it by Central Government. May I know the basis of these schemes? What is the ratio of t e expenditure incurred by the Central Government and the State Governments on these schemes.

Shri Bhola Paswan Shashtri : So far as drinking water is concerned Government have been taking necessary steps. Inspite of the fact that it is a state matter, Central Government are aware of the importance of drinking water. We feel that Central Government should give some assistance in the regard . Whatever amount is given by the Centre is given in the form of assistance, not in the form of grant. The question under discussion relates to the areas where Harijans, tribals and poor persons live and the areas where people have to drink such water as causes diseases like cholera, plague, etc. and to the places where people have to walk miles to fetch drinking water. Central Government provides assistance to the State Governments for taking up schemes for these people. If a list of such areas is sent we will certainly give central assistance.

विश्व खाद्य स्थिति को देखते हुए अनाज की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय

*509. **श्री दिनेश सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 और 1974 में विश्व में खाद्य स्थिति की संभावनाएं निराशाजनक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में अनाज की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) काफी अस्थिरता की स्थिति होने के कारण 1974 में विश्व की खाद्य स्थिति के बारे में कोई पक्के अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, हाल ही में रोम में हुए खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आशा की जाती है कि 1973-74 के विश्व में अनाजों के अधिशेष में कम अस्थिरता होगी जबकि शरद के प्रारम्भ में इस संबंध में आशंका थी।

(ख) इस स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है, देश में खाद्यान्नों की सप्लाई को बनाए रखने के लिये समय-समय पर यथा-आवश्यक पग उठाए जाते हैं।

श्री दिनेश सिंह : इससे दो या तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी होने की आशंका थी। किन्तु मैं समझता हूं कि स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। स्थिति के जटिल होने का कारण ऊर्जा का संकट है जिससे उर्वरकों की कमी होने की संभावना है। खाद्य सामग्री के बारे में विश्व बाजार भी चिंतित है। हमारे

देश में भी उत्पादन में कमी होगी। अतः क्या विशेश कार्यवाही किये जाने का विचार है केवल इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि कार्यवाही किये जाने का विचार किया जा रहा है। सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है जिससे अगले वर्ष भारी कमी का सामना न करना पड़े ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कहना ठीक नहीं है कि इस वर्ष उत्पादन में कमी होगी। जहां तक इस वर्ष की खरीद की फसल का संबंध है खरीफ की फसल की कटाई हो रही है तथा यह फसल बहुत अच्छी हुई है। रबी की फसल भी बहुत अच्छी होने की संभावना है। वर्तमान स्थिति को देखते हुये देश के लिये खाद्यान्नों का कोई संकट उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं है।

जहां तक विश्व स्थिति का प्रश्न है बहुत-सी जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं। सर्व प्रथम विश्व में फालतू खाद्यान्न की मात्रा घटती जा रही है। यह सच है। कुछ महीने पूर्व यह आशंका थी कि यह संकट विश्वव्यापी होगा। किन्तु अब ऐसी स्थिति नहीं रही। रूसी गेंहूं सहित लगभग 61 लाख टन खाद्यान्न का आयात किये जाने की संभावना है। इसमें से गत वर्ष 23 लाख टन आ चुका है तथा शेष चालू वर्ष में आ जाएगा। अतः हमें आशा है कि इस आयात से देश की खाद्य समस्या को भलीभांति हल कर लिया जाएगा।

श्री दिनेश सिंह : मुझे यह जानकर प्रशन्नता है कि मंत्री महोदय खाद्य स्थिति के बारे में इतने आशावादी हैं। सामान्य कथन की बजाय यदि मंत्री महोदय आगामी वर्ष में होने वाली पैदावार के कुछ आंकड़े भी दे दें तो बहुत अच्छी बात होगी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि माननीय सदस्य का आशय देश में उत्पादन से है तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि खरीफ की फसल बहुत अच्छी होने की संभावना है। लगभग 6.70 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा होने की आशा है। हमारा लक्ष्य भी इतना ही था तथा उसकी लगभग प्राप्ति हो जाएगी।

रबी की पैदावार का अभी अनुमान लगाना कठिन है। यह फसल अभी छोटी है तथा कल की बरसात का अच्छा प्रभाव होगा। स्थिति उत्साहवर्द्धक है। किन्तु उस समय रबी की फसल के बारे में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : It has been stated by the hon. Minister that this year both *kharif* and *Rabi* Crops would be bumper crops. But Government could not meet the full requirement of fertilizers needed by the country. Due to the non-availability of fertilizers farmers have not produced Maxican wheat but they have produced indigeneous wheat which yields low production. In this situation how can Rabi crops be expected to be encouraging.

Mr. Speaker : Next question relates to fertilizers. Let him put it when it is taken up.

श्री ए० के० एम० इसहाक : मंत्री महोदय ने सुखद भविष्य की झलक दिखायी है। बहुत वर्षों के बाद अच्छी फसल होगी। गत वर्ष भी खाद्यान्न की कमी फसल खराब होने से नहीं हुई थी। इसमें मनुष्यों का हाथ बताया गया था। उनका मंत्रालय ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहा है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैंने सुखद भविष्य की झलक दिखायी है। वास्तव में फसल बहुत अच्छी हुई है। माननीय सदस्य तथा सदन इस बात को अनुभव करेंगे कि हम अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जब पाइप लाइनें पूरी तरह से सूखी रही हैं। यह एक

गंभीर चोट की भांति है। अतः इसमें कुछ समय तो लगेगा ही। अच्छी फसल होने के पश्चात् भी इस स्थिति में स्थिरता लाने के लिये कुछ समय अवश्य लगेगा। माननीय सदस्यों को पैदावार के बारे में सरकार द्वारा लगाये गये अनुमानों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए।

जहां तक खाद्य व्यवस्था का प्रश्न है खाद्यान्न वसूली के समय यदि वसूल खाद्यान्न आवश्यकता से थोड़ा कम या थोड़ा अधिक होता है तो प्रबन्धक को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। अतः खाद्यान्न की वसूली के बारे में हम अधिकाधिक जोर दे रहे हैं तथा जो भी खाद्यान्न वसूल किया गया है उसका न्यायसंगत वितरण किये जाने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत भारत रक्षा नियम तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम को लागू किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें स्थिति का सतर्कता जायजा लेती रहेगी।

श्री के० एस० चावड़ा : सरकार केवल गेंहूं और चावल के उत्पादन पर ही मुख्य रूप से ध्यान दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार गरीब जनता द्वारा खाये जाने वाले, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : यहां उसके उल्लेख का क्या औचित्य है।

श्री के० एस० चावड़ा : प्रश्न देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के बारे में है। इसका अर्थ है गेंहूं, चावल और समाज के कमजोर वर्गों द्वारा मुख्य रूप से खाये जाने वाले मोटे अनाज की पर्याप्त सप्लाई।

अध्यक्ष महोदय : जब आप ने कमजोर वर्ग कहा तो थोड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया।

श्री के० एस० चावड़ा : प्रश्न खाद्यान्नों की सप्लाई के बारे में है। क्या बाजरा, ज्वार और मक्का खाद्यान्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका विरोध नहीं करता। मैं तो आपकी सहायता ही कर रहा हूं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारे देश में मोटे अनाज का स्वाभाविक रूप से बहुत महत्व है क्योंकि लगभग 10.0 करोड़ टन कुल उत्पादन में से मोटे अनाज की मात्रा 3 करोड़ टन है। अतः यह कहना सच नहीं है कि हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जहां तक इस वर्ष का संबंध है गत वर्ष की तुलना में राजस्थान, गुजरात (जहां से माननीय सदस्य आये हैं), महाराष्ट्र और मैसूर के कुछ भाग से इस वर्ष अधिक मोटा अनाज पैदा होने की संभावना है क्योंकि गत वर्ष इस क्षेत्र में सूखा के कारण मोटे अनाज का उत्पादन कम हुआ था। किन्तु इस वर्ष अधिक अनाज मिलने की संभावना है। माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगें कि गत वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र में मूल्य भी कम है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से अधिकाधिक मोटा अनाज वसूल करने का आग्रह कर रही है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि अभावग्रस्तता के बारे में चर्चा से जनता के मन में प्रायः वास्तविक स्थिति से अधिक अभाव की आशंका पैदा हो जाती है? इस स्थिति को देखने हुए क्या सरकार का विचार कोई अग्रिम कार्यवाही करने का है जिससे फालतू खाद्यान्न वाले विभिन्न राज्यों से यह अनुरोध किया जाए कि वे अपनी वसूली व्यवस्था को अधिक सक्रिय कर दें क्योंकि अच्छी फसल होने की संभावना के फलस्वरूप वे अपने वसूली लक्ष्यों को बढ़ा सकें।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह मुख्य मंत्रियों के गत सम्मेलन में किया गया था। विशेषकर इस समस्या पर चर्चा की गई थी तथा राज्य सरकार इस बात पर सहमत हो गई थी कि अधिक-से-अधिक वसूली करने का प्रयत्न किया जायेगा। मैं माननीय समस्यों से सहयोग और सहायता की आशा करता हूं तथा इस संबंध में उनसे निवेदन भी करूंगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्र समस्या होने पर माननीय सदस्य कृपया राज्यों पर अपना प्रभाव डालें। वसूली कार्यक्रम को सफल बनाने का दायित्व हम सभी पर है। मेरे विचार से इस वर्ष अच्छी फसल होने की संभावना है तथा यदि सभी सहयोग दें तो लक्ष्यों की प्राप्ति की पूरी संभावना है।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होंने की संभावना है। किन्तु क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में हाल में आये तूफान का देश के खाद्यान्न उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में तूफान आया था और उनसे फसल को मामूली नुकसान हुआ है। किन्तु हमें इस तूफान से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि समग्र रूप से फसल अच्छी होन की संभावना है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री दिनेश सिंह के प्रश्न के भाग क में 1973-74 में पैदावार की स्थिति का उल्लेख है। प्राप्त अनुभव के अनुसार हमें पता है कि जब रूस और चीन ने अमरीका से भारी तादाद में गेंहूं की खरीद की तो गेंहूं का मूल्य 50 डालर प्रति टन से बढ़कर 200 डालर प्रति टन हो गया। उस समय हम ने गेंहूं का निर्यात करने का निर्णय किया था। इस अनुभव के आधार पर क्या सरकार इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखेगी तथा यदि 1973-74 के लिये स्थिति खराब रहती है तथा खाद्यान्न का आयात अनिवार्य हो जाता है तो क्या सरकार उचित समय पर निर्णय करेगी जिससे हमें बहुत अधिक मूल्य पर भारी खरीद न करनी पड़े ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार समय-समय पर स्थिति का अध्ययन करती रहती है। तथा यह स्वाभाविक है कि हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेंगे। किन्तु जैसा कि मैंने माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इस वर्ष अच्छी फसल होने के बावजूद हमें 40 लाख टन खाद्यान्न का आयात करना होगा। हमने विदेशों से इस संबंध में दीर्घकालिक करार किये हैं जिससे सूखा या किसी अन्य कठिनाई की स्थिति में हम स्थिति का मुकाबला कर सकें।

श्री बी० वी० नायक : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में अच्छी फसल होने तथा बाजार में खाद्यान्नों की कमी का कभी पारस्परिक संबंध नहीं रहा तथा इस देश में काले धन के माध्यम से खाद्यान्न की सप्लाई को सदा विफल कर दिया गया है चाहे रबी या खरीफ की फसलें कितनी भी अच्छी क्यों न हों, क्या यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा कोई वित्तीय और आर्थिक उपाय किये जायेंगे कि काले धन के द्वारा कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए क्यों कि हमारे देश में काला धन खाद्य व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करता रहा है। अतः मंत्री महोदय क्या वित्तीय और आर्थिक उपाय करने जा रहे हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस सुझाव की वित्त मंत्रालय सराहना करता है।

श्री बी० वी० नायक : इस संबंध में सरकार क्या ठोस कार्यवाही करेगी ?

Shri Madhu Limaye : May I know whether the foodgrains purchased from U.S.A. this year were purchased through Supply Mission or by the Ministry directly? What is the procedure for future pruchases in this regard?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह स्वाभाविक है कि पश्चिमी गोलार्द्ध से अर्थात अमरीका, अर्जेंटाइना और कनाडा से इस खरीद का कार्य सप्लाई मिशन को सौंपा जाता है।

Shri Ganda Singh : There were heavy rains in certain districts of U.P. in the month of October. In my district crops worth Rs. 20 crores were damaged due to excessive rain. That district is ruined. People have no place to live. About 50,000 homes have been destroyed. May I know whether the hon. Minister is aware of this situation?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की इस भावना की सराहना करता हूं जिससे उन्होंने यह प्रश्न किया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार सम्पर्क स्थापित किये हुये हैं। हमें इस स्थिति की जानकारी है। अधिक वर्षा के कारण वहां फसल को कुछ क्षति पहुंची है। वहां पर नमी भी अधिक है। यदि रबी की फसल के लिये कुछ करने की आवश्यकता हुई तो हम उन क्षेत्रों से विचार विमर्श करेंगे।

Shri Genda Singh : It has been stated by the hon. Minister that prospects for Rabi crops are good. May I know the arrangements made for sowing the Rabi Crop?

जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चण्डीगढ़ में शिक्षण संस्थाओं को विदेशों से वित्तीय सहायता

*500. **श्री नारायाण चन्द्र पाराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा दिल्ली और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी कुछ शिक्षण संस्थायें हैं जिन्हें विदेशों से वित्तीय सहायता लेने की अनुमति है, यदि हां, तो वे संस्थायें कहां-कहां पर हैं;

(ख) इन संस्थाओं ने वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई सरकारी निकाय है कि इस प्रकार ली गई सहायता की राशि को वास्तव में उसी कार्य के लिये खर्च किया जाये जिसके लिये वह दी गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) वर्तमान मुद्रा विनियम नियंत्रण सम्बन्धी विनियमों के अन्तर्गत, देश में भेजी हुई रकम पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, विदेशी विनिमय में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले विनिमय नियन्त्रण के आंकड़े जिसमें लाभ भोगियों का विवरण भी दर्शाया गया है, केवल 10,000 रुपये तथा उस से अधिक रकम से संबंधित हैं। 10,000 रुपये से कम भेजी गई रकम का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

सहायता देने वाले देशों के नाम तथा 1972-73 के दौरान सहायता के ब्यौरे सहित, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों तथा दिल्ली और चण्डीगढ़ संघ क्षेत्रों की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की सूची जिन्होंने 10,000 रुपये तक तथा इससे अधिक राशि को सहायता विदेशों से प्राप्त की थी संकलित करके यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी। परन्तु उसमें कुछ समय लगने की संभावना है। इससे पहले के वर्षों अर्थात् 1970-71 और 1971-72 के लिये इसी प्रकार की सूचना के संकलन से प्राप्त होने वाले परिणाम में लगने वाले समय तथा परिश्रम के समतुल्य न होंगे

(ग) जी नहीं।

श्री नारायण चन्द्र पाराशर : इन निरन्तर अफवाहों को देखते हुये कि इस देश में शिक्षण संस्थाओं द्वारा विदेशों से मिलने वालों सहायता का लगातार दुरुपयोग हो रहा है क्या मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि वे अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें? यदि वे इस पर पुनर्विचार करेंगे तो क्या इसका यह मतलब नहीं होगा कि विश्लेषण हेतु गत दो वर्षों की सूचना उतनी आवश्यक है जितनी कि चालु वर्ष 1972-73 की है?

श्री डी० पी० यादव : हम पूरी कोशिश करेंगे।

श्री नारायण चन्द्र पाराशर : मुख्य प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं में हैं मेरे विचार में यह अत्यावश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिये कोई सरकारी व्यवस्था होनी चाहिये कि विशेषकर शिक्षण के उद्देश्यों के लिये मिलने वाली सहायता का उपयोग केवल शिक्षण के उद्देश्यों के लिये ही किया जाये न कि अन्य उद्देश्यों के लिये क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी व्यवस्था की जायेगी?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रो० एस० नुरुल हसन) : गृह मंत्रालय देश में आने वाले विदेशी धन पर नियंत्रण रखने तथा कुछ नियम निर्धारित करने हेतु सदन में एक विधेयक लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जब यह विधेयक सदन में लाया जायेगा तब यह सदन उस मामले पर निर्णय ले सकेगा, ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether it is correct that these educational institutions get assistance directly from abroad and Government do not come in the picture at all? Can not the Government make such rule that every assistance will come through the Government?

Prof. S. Nurul Hassan : The Education Ministry has instructed all the Universities and educational institutions not to ask for any assistance directly from outside institutions or Governments and even if such help is forth coming, they should not accept it without the permission of the Government. This advice has repeatedly been given and still it is our opinion that these institutions should seek foreign assistance through our Government.

Shri Atal Bihari Vajpayee : But these instructions are not being followed.

Prof. S. Nurul Hasan : I know that it is not being followed everywhere. That is why the reply of our Ministry was not complete because if we were sure that all the assistance is coming from outside through us then we would have given full information to the House. But the problem is that unless we have legal authority, we cannot get it imple mented. I have already indicated that the Government is thinking of bringing a bill in the House.

Shri Shashi Bhusan : Is the Government aware that many educational institution are misusing the assistance being received from abroad? May I know whether the Government have information that certain institutions are running on the assistance being received from unfriendly countries like Portugal and even now the institutions get money from other countries? Will the Government look into it so that educational institutions in this country may not get assistance from unfriendly countries?

Prof. S. Nural Hassan : If the hon. Member gives me information, I will surely try to look into it.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उन्हें पता है कि इस देश सी बहुत की शिक्षण संस्थाओं को जो अमरीकी धन मिल रहा है उसका उद्देश्य यहां कीं राजनीतिक जीवन में तथा विद्यार्थी और अध्यापकों में बुराई फैलाना है और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि ऐसे धन को, जो वस्तुतः अमरीकी गुप्तचर विभाग का है तथा जो विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों और शिक्षण संस्थाओं को मिलता है, यहां आने से रोका जाये?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभी तरह का धन चाहे वह अमरीकी हो या रूसी।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक सरकार को जानकारी है, किसी भी शिक्षण संस्था को अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन नहीं मिल रहा है, यदि माननीय सदस्य मुझे कोई विशेष जानकारी देते हैं, तो निश्चय ही मुझे इसकी जांच करने में प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि कुछ सदस्य प्रत्येक प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं, वे इतने चंचल हैं, मैं पीछे बैठे सदस्यों को मौका दूंगा। मैं उनको बोलने का अवसर दूंगा जिनको पहिले मौका नहीं मिला है परन्तु यदि सभी सदस्य प्रत्येक प्रश्न पर उठ खड़े होते हैं तो वे इस तरह दूसरों का अधिकार छीन रहे हैं, प्रत्येक को समान अवसर मिलना चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि गृह मंत्रालय वस्तुत शिक्षण संस्थाओं को विदेशों से वित्तीय सहायता मिलने की समूची नीति का पुनरीक्षण कर रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक इस कानून को लायेगी? दूसरा क्या वित्तीय सहायता न लेने की यह विशेष नीति केवल धन तक सीमित है अपितु यह विदेशों से आने वाले विद्वानों, उपकरण तथा अन्य वस्तुओं पर भी लागू होगी?

प्रो० एस० नुरुल हसन : प्रस्तावित विधेयक केवल शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं है। यह सभी क्षेत्रों को मिलने वाली विदेशी धन से सम्बन्धित है, ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। मैं कह नहीं सकता हूं कि गृह मंत्री उनको अन्तिम रूप कब तक देंगे।

श्री हरि किशोर सिंह: इस विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये विधेयक लाने की आवश्यकता को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सरकार विश्वविद्यालयों को केवल निर्देश देकर ही इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो शिक्षण संस्थाओं को धन देती है यह क्यों नहीं निदेश दिया जाता है कि वे शिक्षण संस्थाओं को सीधे विदेशों से सहायता लेने की मनाही कर दे?

श्री डी० पी० यादव : हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अथवा मंत्रालय से निदेश द्वारा विश्वविद्यालयों को लिख रहे हैं कि वे सीधे विदेशों से ऐसी सहायता न लें अपितु शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से ऐसी सहायता लें।

कर्नाटक में केन्द्रीय तथा पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को रियायतें

*514. **श्री के० मालन्ना :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य में चल रहे केन्द्रीय तथा पब्लिक स्कूलों की संख्या कितनी है और वे कहां कहां हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान के रूप में प्रति वर्ष कितनी धनराशि दी जाती है; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को ऐसे स्कूलों में दाखिले के समय तथा अन्य प्रकार से क्या रियायतें दी जाती हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : यह एक लम्बा विवरण है। क्या मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री डी० पी० यादव : मैं सभा पटल पर विवरण रखता हूं।

विवरण

(क) कर्नाटक राज्य में सात केन्द्रीय विद्यालय तथा चार पब्लिक स्कूल हैं जो कि निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:—

केन्द्रीय विद्यालय

1. केन्द्रीय विद्यालय ए० एस० सी० केन्द्र (दक्षिण) बंगलौर।
2. केन्द्रीय विद्यालय एम० ई० जी० तथा केन्द्र बंगलौर।
3. केन्द्रीय विद्यालय हैव्वल बंगलौर।
4. केन्द्रीय विद्यालय वायु सेवा स्टेशन जालाहाली (प०) बंगलौर।
5. केन्द्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बंगलौर।
6. केन्द्रीय विद्यालय हुवली।
7. केन्द्रीय बिद्यालय पनम्बुर मंगलौर।

पब्लिक स्कूल

1. बेलगांव सैनिक स्कूल बेलगांव।
2 बंगलौर सैनिक स्कूल बंगलौर।
3. सैनिक स्कूल बीजापुर।
4. संदूर रेजिडैंशिल स्कूल संदूर।

(ख) जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सम्बन्ध है कर्नाटक सहित सभी केन्द्रीय विद्यालयों को चलाने का पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन नामक एक स्वायत्त निकाय के जरिये वहन किया जाता है।

जहां तक पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है उनकी स्थिति नीचे बताई गई है:—

(1) बैलगांव सैनिक स्कूल, बैलगांव तथा

(2) बंगलौर सैनिक स्कूल, बंगलौर

इन स्कूलों को पूरा धन रक्षा सेवा प्राक्कलनों से दिया जाता है।

(3) सैनिक स्कूल बीजापुर।

रक्षा मंत्रालय निम्नलिखित पद के तीन सैनिक अधिकारियों की सेवायें उपलब्ध कराता है :

(1) प्रिंसिपल—लै० कर्नल अथवा उसके समकक्ष

(2) रजिस्ट्रार } एक मैजर अथवा उसके समकक्ष
(3) मुख्याध्यापक } तथा एक कैप्टेन अथवा उसके समकक्ष

जब तक ये तीन सैनिक अधिकारी सैनिक स्कूल में सेवा करते रहेंगे, उनके वेतन तथा भत्ते रक्षा सेवा प्राक्कलनों से लिये जाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अवसरों पर की गई यात्रा से संबंधित सेवा नियमों के अधीन यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते भी रक्षा सेवा प्राक्कलनों से दिये जाते हैं:—

(क) सैनिक स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने पर

(ख) सैनिक स्कूल में सेवा-अवधि पूरी कर लेने के बाद अपनी सेवा पर प्रत्यावर्तित होने पर

(ग) जहां सेवा मुख्यालय द्वारा स्थाई तबदीलियां प्राधिकृत की जाती ह, तथा

(घ) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से संबंधित डाक्टरी जांच के लिये डाक्टरी बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होने पर।

इसके अलावा, ये अधिकारी अपने-अपने सेवा नियमों के अनुसार छुट्टी तथा छुट्टी यात्रारियायतों के हकदार भी हैं इसकी लागत भी रक्षा सेवा प्राक्कलनों से ही पूरी की जाती है।

(4) संडूर रैजिडैंशियल स्कूल, संडूर।

इसे भारत सरकार से कोई भी अनुरक्षण अनुदान नहीं मिलता है।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	पब्लिक स्कूल का नाम	(ग) ऐसे स्कूलों में दाखिले के समय अथवा अन्यथा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली रियायतें।
1	2	3
1.	वेलगांव सैनिक स्कूल, बेलगांव।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर सर्विस कर्मचारियों के पुत्रों को इन स्कूलों में दाखिल किया जाता है, बशर्ते वे सैनिक मुख्यालय द्वारा संचालित दाखिला परीक्षा में उत्तीर्ण हों। इस दाखिले के लिये योग्यता सूची में उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार दाखिल लड़कों को इन स्कूलों के अन्य लड़कों के समान ही सुविधायें मिलती हैं।
2.	बांगलौर सैनिक स्कूल, बंगलौर।	(ऊपर के अनुसार)
3.	सैनिक स्कूल बीजापुर।	सैनिक स्कूल सोसायटी के अनुसार यद्यपि सैनिक स्कूलों में दाखिला केवल मात्र योग्यता के आधार पर किया जाता है, किन्तु कक्षा V के लिये प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों के सभी लड़कों को, योग्यता क्रम को ध्यान में रखे बिना दाखिल कर लिया जाता है। सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के और अधिक लड़कों

1	2	3
		को दाखिल करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि चालु वर्ष 1973-74 से, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सभी लड़कों को, जो चार विषयों में से दो विषयों में 7 अंकों– तक अनुतीर्ण हों, दाखिले के लिये पात्र घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते वे कुल अंकों में उत्तीर्ण हों।
		सैनिक स्कूलों में दाखिल किये गये अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लड़के, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की छात्रवृति योजनाओं में लड़कों के माता पिता की आय सीमा आदि के संबंधित अनिर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन छात्रवृत्तियां पाने के भी हकदार हैं।
4. संडूर रिहायशी स्कूल, संडूर।		अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को कोई रियायत नहीं दी जाती है।

श्री जी० वाई० कृष्णन : सन्डूर रेजिडेन्शल स्कूल, सन्डूर को कोई रियायत नहीं दी गई। क्या यह सच है कि रियायतों के लिये न तो स्कूल मांग कर रहा है और न छात्र ही। सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को रियायतें नहीं दी जा रही हैं। क्या प्रबन्ध इसके लिये मांग नहीं कर रहा है अथवा छात्र इनके लिये मांग नहीं कर रहे हैं ?

श्री डी० पी० यादव : जहां तक संडूर रेजिडेंशल स्कूल का सम्बन्ध है, इसे भारत सरकार से सहायता नहीं मिलती है। हम स्कूल के अधिकारियों को लिखेंगे और इस योजना के जरिये उसकी यथा संम्भव सहायता की जायेगी।

श्री जी० वाई कृष्णन : यह बताया गया है कि जहां तक इन रियायतों का सम्बन्ध है, छात्रों के माता-पिता की आय की सीमा को इसका आधार बनाया गया है। क्या यह आय की सीमा केन्द्र और राज्यों में एक समान है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री डी० पी० यादव : राज्यों में इस विषय पर आदेश अलग अलग हो सकते हैं। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, उसने आय की सीमा लगभग 500 रुपये रखी हुई है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Mr. Speaker, Sir, there is inequality in the society. On the same line a dual policy is going on in the sphere of education. I would like to know where there is any proposal under consideration of closing public schools and opening the schools of only one type for all people.

Mr. Speaker : This is a general question you please ask a specific question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is stated in the statement that no concessions are given to the students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Sondur Residential School. The Minister has not stated any reasons therefor . I would like to know the reasons therefor?

Shri D.P. Yadav : This fact has been brought to the notice of the Ministry for the first time. I have given an assurance to the House that Ministry will take steps to bring this school at par with others.

कुछ राज्यों में भूमि सुधार शीघ्र लागू करने हेतु केन्द्रीय निदेश

*519. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों को जिन्होंने भूमि सुधारों को लागू नहीं किया है, अपने-अपने राज्यों में इन सुधारों को शीघ्र लागू कराने के लिये सहमत करने हेतु क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

16 राज्यों ने अब तक लागू भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को संशोधित करके उन्हें राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप बनाने के लिये कानून पारित किये हैं। उनमें से 14 कानून बन गये हैं। मैसूर और महाराष्ट्र के राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानूनों की जांच की जा रही है ताकि उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल सके। गुजरात में कानून पारित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है। मणिपुर और त्रिपुरा अपने कानूनों को संशोधित करने के उपाय कर रहे हैं। नागालैंड और मेघालय राज्यों का भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाने का विचार नहीं ह, क्योंकि वहां भूमि पर अधिकतर सामुदायिक स्वामित्व है। विधानमंडल में कानून पारित कराने में समय लगता है और उसके क्रियान्वयन में और भी अधिक समय लगता है। अधिकांश राज्य इन प्रक्रियाओं में से गुजर रहे हैं।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : इस बात को ध्यान में रखते हुये केरल सरकार ने भूमि सुधारों को 1971 से 1973 के बीच तीव्रता से लागू किया है और इसके परिणामस्वरूप वहां लाखों अल्प भूमि वाले कृषक अस्तित्व में आ गये हैं, क्या केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को भूमि सुधारों के शीघ्र कार्यान्वियन के लिये वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस वित्तीय वर्ष में 3 महीने शेष हैं। पांचवीं योजना में भारत सरकार ने यह प्रयास किया है कि केरल समेत विभिन्न राज्यों की योजना में 125 करोड़ रुपये की राशि भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की सहायता के लिये रखी जाये। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने राज्यों की सहायता के लिये 25 करोड़ रुपये की राशि नियत की है। भूमि आवंटन के मामले में केरल के हितों पर अवश्य ही ध्यान दिया जायेगा।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : बीज, उर्वरक और अन्य उपकरण देते समय क्या सरकार छोटे किसानों की आवश्यकता पर भी ध्यान देती है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारी नीति यही है कि भूमि सुधारों से जिन लोगों को जिनमें छोटे किसान भी सम्मिलित हैं, पर्याप्त मात्रा में बीज आदि की सुविधायें दी जायें।

Shri Sarjoo Pandey : Government have promised to the people in the whole country that revolutionary land reforms will be brought about. But in Uttar Pradesh all the land which is found in excess of land ceiling or which belongs to Gram Samaj, is under the

occupation of such people, as are not entitled to have that. I would like to know the steps Government are going to take to introduce land reforms in those states where land re forms are not being implemented?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भूमि सुधारों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हम राज्य सरकारों का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित करेंगे।

श्री बी० के० दासचौधरी : विवरण से पता चलता है कि नागालैंड और मेघालय राज्यों का भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाने का विचार नहीं है, क्योंकि वहां अधिकतर भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व है। 'सामुदायिक स्वामित्व' से क्या तात्पर्य है। कितने राज्यों ने ऐसा कानून बनाया है। भूमि सुधारों के उचित कार्यान्वियन से कितने एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेषकर मेघालय और नागालैंड में भूमि पर समुदाय का स्वामित्व है और समुदाय की अनुमति से उस भूमि को कुछ व्यक्ति जोतते बोते हैं। माननीय सदस्य को यह ज्ञात है। जहां तक दूसरे प्रश्न पर सम्बन्ध है, हमने राज्यों से पत्र डालकर यह पूछा है कि उनके यहां कुल कितनी भूमि फालतू निकलेगी? अभी तक कुछ ही राज्यों ने उसका उत्तर दिया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार फालतू भूमि 37 लाख एकड़ के करीब होगी राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार इतनी भूमि फालतू घोषित कर्क जायेगी।

श्री नटवरलाल पटेल : कुछ राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को उचित रूप से लागू किया गया है और कुछ राज्य सरकारों ने जानबूझकर यह नीति लागू नहीं की है। सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है? भूमि सुधार सम्बन्धी नीति क्रियान्वित करने हेतु राज्यों के लिये क्या कोई समय सीमा नियत की गई है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भूमि सुधारों को लागू करने में सहयोग देने का वायदा सभी राज्यों सरकारों ने किया है। अधिकतर राज्यों में तत्सम्बन्धी कानूनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। केवल कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विधेयक विचाराधीन है। जहां तक कानूनों के लागू किये जाने का सम्बन्ध है, घोषणा आदि करने के लिये नियमों में समय सीमा निर्धारित है। कुछ लोग उन्हें दायर नहीं कर सकते और न्यायालय की कार्यवाही आदि में कुछ समय लगता ही है। सभी राज्य सरकारें भूमि सुधार लागू करने के लिये इच्छुक हैं।

Shri Jagannath rao Joshi : No doubt, a number of difficulties are to be countered while implementing the land reforms laws after their passage. But even then there should be some reasonable time for their implementation. What is that period? Secondly, what are states where land reforms laws have been implemented in accordance with your advice?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने इसके लिये समय-सीमा निर्धारित की है और सामान्यत: यह सिफारिश भी राज्यों से की है कि एक निश्चित तारीख तक इस सम्बन्ध में कानून बना लिये जायें। यह समय गत दिसम्बर था। जहां तक आगे की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण भेजने आदि, आवेदन देने और न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है।

श्री वेकारिया : मंत्री महोदय ने विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के लागू होने के बारे में वक्तव्य दिया है। किन्तु उन्होंने केन्द्र प्रशासनिक प्रदेश दादरा और नागर

हवेली के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। क्या केन्द्रीय सरकार वहां पर भी ऐसे कानून तत्काल लागू करने जा रही है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस प्रश्न का जब उत्तर दिया गया, उस समय माननीय सदस्य अनुपस्थित थे। दादरा नगर हवेली के लिये राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप अपेक्षित कानून बना लिये गये हैं और उन्हें लागू किया जायेगा।

Shrimati Sahodrabai Rai : May I know whether land ceiling laws have been made applicable in Madhya Pradesh and if not the time by which the same will be imposed ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भूमि सुधार अधिनियम वहां लागू कर दिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अपमिश्रित उर्वरक के बोरों का पता लगाना

*504. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि नवम्बर, 1973 में भटिण्डा के निकट मौर-कलां में अपमिश्रित उर्वरक के 272 और बोरों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1973 तक कुल कितने बोरों का पता लगा है;

(ग) क्या कोई विश्लेषण किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि 30 नवम्बर, 1973 को भटिण्डा के निकट मौर-कलां में पुलिस ने मिलावट के सन्देह पर डायामोनियम फास्फेट की 250 बोरियां कब्जे में ली थीं। मौर-कलां में पकड़ी गई उर्वरकों की बोरियों से विश्लेषण के लिये नमूने लिये गये थे। इससे यह पता चला कि कुछ बोरियों में मिलावट वाले उर्वरक थे।

बिड़ला और टाटा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों का राष्ट्रीकरण

*505. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बिड़ला और टाटा के सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार के राष्ट्रीयकरण में संवैधानिक तथा अन्य कठिनाइयां होती हैं।

Clues Given for Godowns Stocked with Essential Commodities in Subzimandi, Delhi

***507. Shri Chhatrapati Ambesh:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a 8-year old boy gave clues in regard to some godowns in Subzimandi, Delhi in which various food grains were stocked separately;

(b) if so, the steps taken to protect the said boy and the quanity and value each of the commodities seized from these godowns; and

(c) the action taken by Government against these godown owners?.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) to (c) The Delhi Administration have reported that they have no knowledge of the incident of an eight-year old boy having given clues about the storage of foodgrains in some godowns in Subzimandi. However, in the last four months, the Delhi Administration raided 170 godowns of 76 foodgrains dealers. Stocks of pulses, coarse grains, gram and rice were found stored in these godowns.

Action, including registration of cases under D.I.R., has been taken in all cases where any violations of the control Orders relating to any particular commodity were detected.

कागज का अकाल

*508. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अनुसार कागज अकाल का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ सकता है तथा इस मामले में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनेक उपाय किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुस्तक प्रकाशन उद्योग को पर्याप्त कागज सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) देश में कागज का यह अकाल कब तक चलता रहेगा; और

(घ) देश में विद्यार्थियों के अध्ययन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) लेखन तथा छपाई के कागज की वर्तमान कमी, यदि जारी रहती है तो इसका असर शिक्षा संस्थाओं के लिये पाठय पुस्तकों तथा कापियों की आपूर्ति पर पड़ेगा। औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा, लेखने तथा छपाई के कागज का उत्पादन बढ़ाने और पुस्तक निर्माण उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कागज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। कोयले की उपलब्धता में सुधार, बिजली की कमी के दूर होने इत्यादि से आगामी महीनों में कागज के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।

AYURVEDIC SYSTEM OF MEDICINE

***510. Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Seminar on heart diseases held in Delhi sometime back had laid emphasis on Ayurvedic System of medicine including research to be carried on in this system ;

(b) whether as compared to Allopathy, Ayurvedic system of medicines has also its own place in the treatment of heart diseases; and

(c) if so, whether Government have formulated any special scheme to encourage this ancient system of midicine?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Research on the effects of selected Ayurvedic drugs on heart diseases is being carried out under the Central Council for Research in Indian Medicine & Homoeopathy.

राज्य फार्म निगम के अन्तर्गत फार्मों के कार्यकरण की आलोचना

*512. **श्री पीलू मोदी : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों फार्म निगम के प्रबंधाधीन कई फार्मों के कार्यकरण की आलोचना की गई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इन आलोचनाओं की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी आलोचनाओं के सम्बन्ध में कोई जांच की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) केरल राज्य में अरालम केन्द्रीय राज्य फार्म के प्रबन्ध के बारे में समाचार पत्रों में कुछ आलोचना छपी थी। इस फार्म में स्थिति असन्तोषजनक होने के सम्बन्ध में केरल राज्य सरकार से भी सूचनायें प्राप्त हुई थी और इस राज्य के संसद सदस्यों से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुये थे। सरकार ने इन आरोपों की जांच करने के बाद इस फार्म के काम की जांच के लिये केन्द्र तथा राज्य के अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया। इस दल से खासकर इस फार्म के विकास की योजनाओं, वित्तीय प्रबन्ध और प्रशासनिक मामलों की जांच करने के लिये कहा गया। अभी इस दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

जब कभी किसी फार्म के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई आलोचना प्राप्त होती है तो इस पर भारतीय राज्य फार्म निगम के प्रबन्धकों के परामर्श से जांच की जाती है, ताकि जहां कहीं आवश्यक हो समुचित कार्यवाही की जा सके।

Fixation of Sugurcane Price

***513. Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister **of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the State Governments of Haryana and Uttar Pradesh have announced an increase in the price of sugarcane;

(b) whether only the Central Government is competent to fix the prices; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) be in the affirmative, whether the Central Government have permitted all the State Governments to raise the price of sugarcane arbitararily?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) Under the provisions of the Sugarcane (Control) Order, 1966, the Government of India only are empowerd to fix the statutory minimum prices payable by vacume pan sugar factories for the sugarcane purchased by them. Accordingly, the Government of India have already fixed the statutory minimum prices for 1973-74 season. However as a result of the continuance of partial control policy and the excise duty rebates allowed to the industry, the factories are expected to pay higher prices for the sugarcane than the statutory minimum. The Government of Haryana and Uttar Pradesh, in consultation with the industry, have accordingly arranged for higher cane prices.

पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का दूसरा चरण

*515. **श्री के० लकप्पा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यांकन अभियान का यह दूसरा चरण है,

(ग) दूसरा चरण, पहले चरण से किस प्रकार भिन्न है, और

(घ) योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के पास राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद का पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने का एक कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है। अभी तक इसके अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाज विज्ञान नैतिक विज्ञान प्रादेशिक भाषा हिन्दी, संस्कृत, फारसी और अरबी के विषयों के लिये I - XI तक की कक्षाओं में राज्य शिक्षा विभागों तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को शामिल किया गया है। अब इसने उपरोक्त विषयों तथा भूगोल व अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य पुस्तकों का मूल्यकन कार्य भी शुरू कर दिया है। चाहे वे स्कूल किसी भी संगठन के सम्बन्ध हों। इन पाठ्य पुस्तकों की सूचियों संकलन तथा साथ ही अखिल भारतीय समीक्षकों की एक निदेशिका भी तैयार की जा रही है। दो समीक्षकों द्वारा अलग अलग लगभग तीन तीन हजार पुस्तकों का मूल्यांकन किया जायेगा और उनके द्वारा पाई गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की, एक विशेष रूप से गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा और आगे समीक्षा की जायेगी, जो संबंधित प्राधिकारियों को उस आपत्तिजनक सामग्री को हटाने अथवा संशोधित करने के सबन्ध में सिफारिश करेगी

व्यापारिक नौवहन के बारे में रुस से वार्ता

*516. **श्री पुरुषोत्तम काकोडर :**
श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने व्यापारिक नौवहन के बारे में रूस से नवम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह में कोई वार्ता की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी करार का हस्ताक्षर हुये हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी हां।

(ख) बातचीत पूरी नहीं की जा सकी और बाद में और बातचीत करने के लिये छोड़ दी गई।

अमेरिकन पोल्ट्री फार्म के साथ प्रजनन कार्यक्रम हेतु सहयोग

*517. **श्री सी0के० जाफर शरीफ :**
श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिकन पोल्ट्री फार्म के साथ देश में प्रजनन कार्यक्रम हेतु सहयोग करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और क्या भारत इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में है और यदि हां तो कब तक ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । कुक्कुट प्रजनन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये विभिन्न कदम उठाए गए हैं । तथापि इस संबंध में कोई निश्चित समय बता सकना सम्भव नहीं है।

Excavation of Ujjain by Archaeological Department

*518. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the excavation of Ujjain (Ujjaini) was taken up by the Archaeological Department in 1954 and 1956,

(b) if so, the results achieved therefrom so far and the reasons for which its report was not published, and

(c) whether it is not a loss from archaeological point of view and the action propos ed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes Sir. The excavations at Ujjain were undertaken by the Archaeological Survey of India during three successive field-seasons of 1955-56, 1956-57, 1957-58, and one season of 1964-65.

(b) & (c) : The excavations revealed a continuous occupation of the site extending from circa 6th century B.C. to the beginning of the Muslim Rule in Malva in the forteenth century, and divided into four cultural period.

The report on the excavations was submitted in 1966 but due to some bottlenecks in printing, it has not been so far possible to send it to the press. However, this has been included in the Survey's programme of publishing excavation reports and is being made press ready.

खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट

*520. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 1973 से खाद्य-वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आनी आरम्भ हो गई है ;

(ख) यदि हां तो यह कहां तक सच है ;

(ग) क्या नवम्बर तथा दिसम्बर, 1973 में भी मूल्य गिरे हैं;

(घ) यदि हां तो किस दर से ; और

(ङ) क्या सरकार को और गिरावट आने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ) अक्तूबर 1973 के पहले पखवाड़े में चावल और गेहूं को छोड़कर अनाजों के मूल्यों में सामान्यतया गिरावट का रुख आया था जबकि चावल और गेहूं के मूल्य स्थिर रहे। इसके परिणामस्वरूप ग्रुप के रूप में अनाजों के सूचकांक में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आयी। 29 सितम्बर और 13 अक्तूबर 1973 के बीच ज्वार के मूल्यों में 4.2 प्रतिशत, बाजरे के मूल्यों में 10.4 प्रतिशत और मक्का के मूल्यों में 5.2 प्रतिशत तक गिरावट आयी। इसी अवधि के दौरान चने का सूचकांक भी 1.7 प्रतिशत तक गिर गया। हालांकि अक्तूबर 20 से नवम्बर 17 के दौरान प्रमुख खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई लेकिन नवम्बर 1973 के अन्तिम सप्ताह से अनाजों के मूल्यों में सामान्यतया कमी का रुख आया। 24 नवम्बर के सूचकांक से तुलना करने से पता चलता है कि 8 दिसम्बर 1973 को अनाजों के मूल्यों के सूचकांक में 0.8 प्रतिशत चावल में 1.2 प्रतिशत ज्वार में 1.1 प्रतिशत और बाजरे में 1.0 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। गेहूं के सूचकांक में भी 0.3 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। तथापि मक्का के सूचकांक में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2. सितम्बर 1973 के अन्त को चल रहे मूल्य स्तर से तुलना करने पर पता चलता है कि 24 नवम्बर 1973 को खाने योग्य तेलों के ग्रुप के रुप में, मूंगफली के तेल, तिल के तेल, मछली और दूध के थोक मूल्यों के सूचकांकों में कमी का रुख आया। विभिन्न केन्द्रों पर, मूंगफली के तेल, आलू, घी और दूध के थोक मूल्यों के सूचकांक में नवम्बर मास और फिर दिसम्बर, 1973 के पहले सप्ताह में गिरावट आयी थी। अक्तूबर के दौरान कुछेक केन्द्रों पर मछली के मूल्यों में नर्मी आयी लेकिन नवम्बर में मूल्यों में वृद्धि हो गई और मूल्य ऊंचे चलते रहे। इन दो महीनों में अण्डे के मूल्यों में मिश्रित-प्रवृत्ति रही।

3. बाजार में खरीफ की फसल की अधिक आमद होने से, आशा है कि मूल्यों में नर्मी का रूख आएगा। लेकिन पिछले वर्ष सूखा पड़ने के कारण पैदा हुई कमी की मनोवृत्ति तथा अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल तथ्यों ने खाद्यान्नों के मूल्यों को काफी प्रभावित किया है।

Canopy of Raja Gangadhar Rao in Jhansi

*521. **Dr. Govind Das Richharia :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have since taken a decision to bring the canopy of Raja Gangadhar Rao in Jhansi under the Archaeological Department as a protected building ;

(b) if so, the time by which Government will declare this ancient monument as a preserved monument ; and

(c) the time by which its repair-work will be started?

The Minister of Education. Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : The protection data has already been finalised and countersigned by the revenue authorities. Steps are being taken now for issuing formal notifications of protection. Thereafter necessary repairs will be undertaken.

महाराष्ट्र भूमि अधिकतम सीमा विधेयक पर केन्द्रीय निदेश .

*522. **श्री मधु दंडवते : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी है कि महाराष्ट्र विधान सभा में $1\frac{1}{2}$ वर्ष पूर्व पारित भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक में परिवर्तन किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो किन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है; और

(ग) उक्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कब से लम्बित पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) अगस्त, 1972 से।

विवरण

जोत की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय मार्गदर्शनों से महाराष्ट्र विधेयक निम्न बातों में भिन्न है :—

1. जोत की अधिकतम सीमा को लागू करने की इकाई

राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जोत की अधिकतम सीमा परिवार के सब सदस्यों की कुल भूमि पर लागू होती है । यद्यपि, राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप इस विधेयक में परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से रखी गई भूमि को एक साथ मिलाने की व्यवस्था है, परन्तु यह विधेयक राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों से इस कारण से भिन्न है कि इसमें यह व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ विशिष्ट साधनों से भूमि प्राप्त की हो और वह भूमि उसके कब्ज़े में 26 सितम्बर, 1970 से पहले से हो तो उसे पृथक रूप से जोत की अधिकतम सीमा तक ऐसी भूमि को रखने की अनुमति दी जायेगी।

2. छूट

विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि पिंजरापोलों, गोशालाओं, डेरी फार्मों या पशु, भेड़ या सुअरों के प्रजनन फार्मों के पास 26 सितम्बर, 1970 से पहले जो भूमि थी उसके लिए छूट दी जायेगी जबकि राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह बात राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ी गई है कि वे जोत की अधिकतम सीमा के नियम से केवल सार्वजनिक स्वरूप की गोशालाओं को ही छट दे सकती है । राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पिंजरापोल, डेरी फार्मों, पशु, भेड़ या सुअर प्रजनन फार्म की भूमि के लिए छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

3. मुआवजा

राज्य विधान-मण्डल द्वारा पास किये गये विधेयक में निर्धारित की गई मुआवजे की दरें महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों से काफी अधिक है ।

4. भूमि का वर्गीकरण

राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों की शर्तों में वर्ष में कम से कम 2 फसल उगाने वाली सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि के लिये 10-18 एकड़ और वर्ष में एक फसल उगाने वाली सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि के लिये 27 एकड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन महाराष्ट्र विधेयक में निरन्तर रूप से सिंचित होने वाली भूमि की कुछ श्रेणियों तथा मौसमी रूप से सिंचित होने वाली भूमि की कुछ श्रेणियों (दो मौसमों के लिये सुनिश्चित सिंचाई की भूमि) के लिये 27 एकड़ और मौसमी रूप से सिंचित होने वाली भूमि की कुछ श्रेणियां (जो एक मौसम के लिये सिंचाई अर्थात् वर्ष में 4 महीने के लिये जल प्राप्त करने के कारण) एवं राज्य के कुछ क्षेत्रों में धान की खेती के अन्तर्गत आने वाली बारानी फसल की भूमि के लिये 36 एकड़ की अधिकतम सीमा की व्यवस्था मौजूद है ।

मणिपुर के सरकारी अस्पतालों के अन्तरंग रोगियों के लिए आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता

*523. श्री **एन० टोंम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर सरकार ने अन्तरंग रोगियों में निशुल्क वितरण करने हेतु गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, औषधियों के क्रय पर कितना धन व्यय किया;

(ख) क्या मणिपुर सरकार को आम जनता से सरकारी अस्पतालों के अन्तरंग रोगयों के लिए आवश्यक न्यूनतम औषधियों की अनुपलब्धता के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या औषधियों को स्टोर करने का कार्य किसी पूर्ण-कालिक डाक्टर के अधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो औषधियों के क्रय तथा वितरण में उसका क्या योगदान है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ) : मणिपुर सरकार से सूचना मांगी गई है।

बाढ़ पीडित राज्यों को अधिक उर्वरकों का नियतन

*524. **श्री पी० जी. मावलंकर** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात तथा देश के ऐसे अन्य राज्यों में, जहां हाल की बाढ़ों और निरन्तर वर्षों से अनेक फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, किसानों को उर्वरकों का अतिरिक्त नियतन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) चालू मौसम में बाढ़ और वर्षा से क्षति के कारण अतिरिक्त उर्वरकों के नियतन के लिए दो राज्य सरकारों अर्थात् गुजरात और केरल से अनुरोध प्राप्त हुए हैं । गुजरात से सितम्बर, 1973 के मध्य में इस सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुआ था । इसमें यह कहा गया था कि गुजरात में भयंकर बाढ़ आई है और इसे दृष्टिगत रखते हुए सिन्दरी कारखाने से अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट का कुछ अतिरिक्त कोटा अलाट कर दिया जाये। इसमें यह अनुरोध भी किया गया था कि यह उर्वरक गुजरात में तम्बाकू की फसल के लिए बहुत उपयोगी है । इसकी जांच करने के बाद गुजरात सरकार को यह बता दिया गया था कि गुजरात को सिन्दरी कारखाने से रेल के ज़रिए प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक का वितरण करना तर्कसम्मत नहीं है ।

उन्हें यह भी सलाह दी गई थी कि यूरिया और अमोनियम सल्फेट उर्वरक भी तम्बाकू के लिए उतने ही उपयोगी हैं, जितने कि यूरिया और अमोनया सल्फेट नाइट्रेट । यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां तक चालू मौसम के दौरान गुजरात को कुल सप्लाई की स्थिति का सम्बन्ध है यदि आयातित और देसी दोनों प्रकार के उर्वरकों को लिया जाये तो इस क्षेत्र के अन्य अधिकांश राज्यों की तुलना में अपेक्षित सप्लाई के मुकाबले गुजरात को की गई सप्लाई की स्थिति बेहतर है । इस प्रकार गुजरात को और अधिक सप्लाई करना बांछनीय न होता, क्योंकि अन्य राज्य गुजरात की अपेक्षा अधिक कठिन स्थिति से गुजर रहे थे ।

2. इस प्रकार का दूसरा अनुरोध नवम्बर 1973 के तीसरे सप्ताह में केरल सरकार से प्राप्त हुआ था इसमें जून, जुलाई, 1973 में बाढ़ों के कारण हुई क्षति की वजह से अतिरिक्त सप्लाई करने का अनुरोध किया गया था । इस की भी जांच की गई और यह पाया गया कि दक्षिणी क्षेत्र के सभी राज्यों की तुलना में कुल अपेक्षित सप्लाई के मुकाबले केरल को की गई सप्लाई अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है । अतः केरल को और अधिक सप्लाई करना वांछनीय नहीं पाया गया क्योंकि इससे उस क्षेत्र के अन्य राज्यों को की जाने वाली सप्लाई में कमी हो जाती जोकि केरल की अपेक्षा अधिक कठिन स्थिति में थे।

3. जहां तक ऐसे राज्यों को अतिरिक्त उर्वरक सप्लाई करने के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है जिनमें कि बाढ़ों और वर्षा के कारण फसलों को क्षति पहुंची हो यह उल्लेखनीय है कि उर्वरकों की उपलब्ध की अत्यन्त कठिन स्थिति के कारण इस वजह से पूल से अतिरिक्त नियतन या अधिक सप्लाई करना व्यावहारिक नहीं है । तथापि अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकारों का राज्य के भीतर पूल उर्वरकों के वितरण पर पूरा नियंत्रण है और देशी उर्वरकों के वितरण पर भी उनका काफी नियंत्रण है । अतः राज्य सरकारें अपने निर्धारित उर्वरकों से भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों को तरजी देकर वितरण कर सकती है ।

मध्य प्रदेश में राज्य बृहत योजना [मास्टर प्लान]

4908. श्री मार्तण्ड सिंह: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1970-71 और 1972 में मध्य प्रदेश राज्य में कस्बों और नगरों के लिये कितनी बृहत्त योजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) उक्त योजनाओं ने क्या प्रगति की; और

(ग) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं के लिये कितनी धनराशि मंजूर की ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) कस्बों तथा शहरों के लिये बृहत्त योजना तैयार करने की योजना 1 अप्रैल 1969 से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई थी । राज्य सरकारों को ऐसी योजनाएं तैयार करने के लिये अब कोई सीधी केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती । तथापि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये दिये गये समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार करने में स्वतंत्र हैं।

Madhya Pradesh Scheme for providing Water in fifth plan

4909. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh have submitted a scheme involving Rs. 161.98 crores

to the Government for providing drinking water in problematic and other villages during the Fifth Plan ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) Earlier in the State's draft 5th Plan a provision of Rs. 161.98 crores had been suggested for urban water supply and sanitation and rural water supply schemes as per details in the Annexure I. (Placed in the Library See No. L.T.—6025/73) This was subsequently revised to Rs. 130.99 crores

The working group of the Planning Commission examined the State Government pro posal and have recommended an outlay of Rs. 52 crores only as per details in Annexure II. [Placed in the Library. See No. L.T.—6025/73]

Achievement of Targets for providing Drinking Water in Madhya Pradesh

4910. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the progress made in achieving the targets of providing drinking water to the scarcity hit villages and other villages of Madhya Pradesh under the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether Government is hopeful in achieving the targets fixed under the plan ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) During the Fourth Plan under the State Sector programme there was a target to provide drinking water facilities to 6,000 problem villages in Madhya Pradesh. Out of these 3,636 villages have been covered with water supply arrangements till 1972-73. The remaining 2364 villages are expected to be covered by March, 1974.

In addition to these problem villages 43 big villages have been provided with water supply facility upto 1972-73 and another 18 such villages are expected to be covered during 1973-74.

Besides the above State Sector programme under the Central Accelerated Rural Water Supply programme initiated from 1972-73, 257 villages have been provided with water supply facilities upto June, 1973 and work is in progress in 304 other villages.

मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ वन्य पशु शरण्यस्थल

4911. **श्री रणबहादुर सिह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ वन्य पशु शरण्यस्थल का कोई अध्ययन किया गया है :

(ख) क्या एक हजार से डेढ़ हजार वर्ष पुराने पुरातत्व स्मारकों का ब्यौरा बताते हुए कोई विवरणिका प्रकाशित की गई है जो पर्यटकों के लिए वन्य जीवन के अतिरिक्त आकर्षण है : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरणिका तैयार की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण वाहनों पर कर में छूट देना

4912. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या पैट्रोल के मूल्य में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वाहनों पर और कर-छूट देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बो० राना) : ऐसी गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले टायरों और ट्यूबों पर उत्पादन शुल्क में रियायत देकर स्कूटर और मोटर साइकल मालिकों को कुछ राहत देने के प्रश्न जोकि वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है के अलावा सरकार के सामने मोटर गाड़ियों पर कर रियायत देने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है यह मामला मुख्यत: राज्य सरकारों के क्षेत्र में पड़ता है।

अध्यापकों को नियुक्ति के लिए कुछ मामलों में उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देना

4913. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि.

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रक्रिया के अनुसार अथवा दिल्ली में व्यवस्था के आधार पर उन उम्मीदवारों को अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू के समय पांच अतिरिक्त अंक दिये जाते हैं जिनके पिता सेवानिवृत्ति होने वाले होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कठोरता से पालन होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार उसके सामने लाये गये मामलों में उक्त त्रुटि कब दूर करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : ऐसे मामलों में कुछ रियायत देने की अनुमति दे दी गयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर० के० पुरम से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा

4919. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम दफ्तर जाने वालों के लिए सुबह आर० के० पुरम के लगभग सभी सेक्टरों से केन्द्रीय सचिवालय के लिये कुछ बसें चलाता है; और

(ख) यदि हां, तो आर० के० पुरम के सेक्टर 9 से कोई बस न चलाये जाने के क्या कारण हैं जबकि इस स्थान पर दैनिक सवारियों की संख्या काफी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी नहीं।

(ख) रामकृष्णपुरम के सेक्टर 1 जो कि कालोनी का मुख्य बस स्टैंड और एक केन्द्रीय स्थान, है से पहले ही केन्द्रीय सचिवालय तक कई विशेष फेरे लगाये जा रहे हैं । सैक्टर 9 से प्रात: काल किसी विशेष फेरे को व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि इस सैक्टर से 8ए, 14बी, 45बी, मार्गों पर गुजरने

वाली सामान्य सेवाओं को दफ्तर जाने वालों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी समझा गया है । मौजूदा बेड़े की स्थिति को दृष्टि में रखते हुये दिल्ली परिवहन निगम के लिए कालौनी के प्रत्येक क्षेत्र से सेवा चलाना संभव नहीं है ।

New Medicine 'Trojodon' give new life to aged Persons

4915. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the wonder drug "Trojodon" prepared by the Italian doctors which they claim can give new life to the aged persons ; and

(b) if so, the facts thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) :

(a) No.

(b) Does not arise.

देश में क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयों को खोलना

4916. **श्री बयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या इनमें से एक कार्यालय केरल में खोला जाएगा जहां इस समय ऐसा कोई केन्द्र नहीं है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) जी नहीं

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

केरल को यूकेलिप्टस उगाने के लिये केन्द्रीय सहायता

4917. **श्री बयालार रवि :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने 65,000 हैक्टेयर भूमि में यूकेलिप्टस उगाने की कोई योजना तैयार की है जिससे औद्योगिक कच्चे माल की व्यवस्था की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार की सहायता का अनुरोध किया गया है और केन्द्रीय सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केरल सरकार 10 वर्षों की अवधि के दौरान 65,000 हैक्टार वन क्षेत्र में लुगदी वाली किस्मों की लकड़ी के बागान लगाने के लिये एक परियोजना तैयार कर रही है ।

(ख) भारत सरकार के पास प्राप्त मोटी रूपरेखा के अनुसार इस परियोजना में आर्थिक दृष्टि से कम महत्व के वर्तमान मिश्रित वनों के स्थान पर 65,000 हैक्टार क्षेत्र में लुगदी वाली लकड़ी की किस्मों के बागान लगाने का विचार है । इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय सहायता के प्रश्न की जांच करके उसे अंतिमरूप दिया जायेगा।

औद्योगिक बागान योजनाओं के लिए निगम

4918. **श्री वयालार रवि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन के उद्देश्य से औद्योगिक या चाय बागान योजनाओं के लिए कम व्याज पर वित्तीय सहायता देने हेतु एक अलग निगम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) ऋण देने वाली संस्थाओं की संख्या अधिक न हो इससे बचने के लिए प्रस्ताव है कि वन निगम कृषि पुनर्वित्त निगम जैसे वर्तमान संस्थाओं से ऋण प्राप्त करें। चूंकि वानिकी परियोजनायें शुरू करने के लिए कम व्याज की दर महत्वपूर्ण होती है, अतः वहन निगमों को कम व्याज की दर पर ऋण देने के लिए उधार देने वाली संस्थाओं से बातचीत चल रही है।

भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा चेयरमैन का चयन

4919. **श्री एस० सी० सामन्यत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा चेयरमैन का चयन किस ढंग से किया जाता है और क्या नियमों में इन पदों की कोई कालावधि निर्धारित की गई है और यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) वर्तमान पदधारी किस तारीख से अपने-अपने पदों पर बने हुए हैं:

(ग) क्या इन दो में से किसी अधिकारी की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है, और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण तथा ब्यौरा क्या है और उनकी कालावधि के कब समाप्त होने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अध्यक्ष और प्रबन्धनिदेशक का चुनाव जनता और अपेक्षित वरिष्ठता तथा अनुभव रखने वाले सेवारत अधिकारियों में से क्रमशः तीन और पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। मौजूदा अध्यक्ष 23-3-73 और प्रबन्ध निदेशक 4-11-68 से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रबन्ध निदेशक के पद के मौजूदा पदधारी की कार्यविधि नियमों के अनुसार 3-11-71 तक बढ़ायी गयी थी। इसके बाद कार्य चलाए रखने और निगम को सौंपी गयी अतिरिक्त जिम्मेदारी के हित में संशोधित नियमों के अनुसार उन्हें पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया था।

मध्य प्रदेश के सिधी जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ की व्यवस्था

4920. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिधी जिले से हो कर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ सम्पर्क को बनाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह सिधी जिले के किन-किन महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरेगा; और

(ग) इस प्रकार का राजपथ सम्पर्क कब तक तैयार हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर-झांसी-छतरपुर खजूराहो-पन्ना-सतना-छेरेवा-सिधी,-बेघान-पीपरी-गढ़वा-रांची को पांचवीं योजना की राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। परन्तु चूंकि पांचवीं संपुर्ण पंचवर्षीय योजना जिसमें मौजूदा राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है । अभी प्रारम्भिक अवस्था में है अतः इस समय मध्य प्रदेश के सिधी जिले में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग योजक सड़क की व्यवस्था करने के बारे में कोई संकेत देना समयपूर्व होगा।

सेवा निवृत्त संस्कृत विद्वानों को राजसहायता के रूप में पेंशन

4921. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किनने सेवानिवृत संस्कृत विद्वानों को 1972-73 में सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में पेंशन दी गई है,

(ख) ऐसे अनुदानों का राज्य-वार क्या है, और

(ग) वर्ष 1973-74 में ऐसी राजसहायता के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव:) : (क) विपन्नावस्था में रह रहे 621 विख्यात संस्कृत अध्येताओं को 1972-73 के दौरान सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) 1973-74 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 8.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

विवरण

राज्य का नाम	1972-73 के दौरान दिये गए अनुदान के राज्य-वार ब्यौरे
	रु०
1. आन्ध्र प्रदेश	46,787.00
2 असम	17,605.00
3. बिहार	87,205.00
4. गुजरात	5,400.00
5. हरियाणा	5,000.00
6. हिमाचल प्रदेश	2,500.00
7. जम्मू और काश्मीर	4,416.00

राज्य का नाम	1972-73 के दौरान दिये गए अनुदान के राज्य-वार ब्योरे
8. केरल	76,049.00
9. मध्य प्रदेश	10,993.50
10. महाराष्ट्र	33,069.50
11. मैसूर	50,634.20
12. उड़ीसा	17,018.00
13. पंजाब	10,320.00
14. राजस्थान	11,913.00
15. तमिल नाडु	1,80,164.00
16. उत्तर प्रदेश	78,660.00
17. पश्चिम बंगाल	1,26,395.50
18. दिल्ली	10,100.00
19. गोआ	1,300.00
20. मणिपुर	4,006.00
21. त्रिपुरा	26,168.00
कुल	8,05,703.00

Possibilities of existence of Fort and Rock inscriptions connected with Mahabharat in Morena District (M.P.)

4922. **Shri Rana Bahadur Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there are indications of a fort of the Mahabharat period being found in Morena District of Madhya Pradesh;

(b) whether Government have tried to find out the possibilities of existence of some Rock inscriptions connected therewith; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

देश में आटे की मिलें और उनका राष्ट्रीयकरण

4923. **श्री नवल किशोर सिंह :**

श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आटे की कुल कितनी बड़ी मिलें हैं तथा उनके क्या नाम हैं और उनमें प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या उक्त आटा मिलों को नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) देश में 230 रोलर फ्लोर मिलें हैं । इनकी सूची संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-6026/73** इनकी कुल वार्षिक/स्थापित उत्पादन क्षमता 59,44,644 मीटरी टन है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) गेहूं का थोक व्यापार लेने की योजना में यह व्यवस्था है कि रोलर फ्लोर मिलों का कार्य राज्य सरकारों और प्रशासनों की ओर से केवल भाड़े की पिसाई करने तक सीमित है और इसलिए रोलर फ्लोर मिलों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक दिखायी नहीं देता है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों को जीवन बीमा के पास गिरवी रखना

4924. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये निर्मित्त फ्लैटों को जीवन बीमा निगम के पास गिरवी नहीं रखा जा सकता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि इन फ्लैटों को भारत के राष्ट्रपति के नाम गिरवी रखा जा सकता है; और

(ग) क्या सरकार का कोई ऐसी योजना आरंभ करने का विचार है जिससे इन फ्लैटों को खरीदने के इच्छुक इन फ्लैटों का खरीद मूल्य एक मुश्त अदा करने के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण ले सकें ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जीवन बीमा निगम दिल्ली में बने बनाए फ्लैटों के लिये ऋण नहीं देता हैं; अतः फ्लैटों को जीवन बीमा निगम के पास रहन रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट को दिल्ली में लागू करने के प्रश्न पर दिल्ली महानगर परिषद द्वारा विचार किया जा रहा है जिस से ऐसे फ्लैट दायग्रोग्य तथा हस्तान्तरणीय हो जायेंगे।

विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा

4925. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिये प्रति वर्ष विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष उक्त परीक्षा दिल्ली में कब हुई; और

(ग) क्या इस बीच उक्त परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं, यदि हां, तो क्या उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के नामों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के अन्त में रा० शि० अ० प्र० प० द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है, जबकि कनिष्ठ विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा दिल्ली संघ क्षेत्र में स्थित स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के आरंभ में किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा 2 जनवरी, 1973 को तथा कनिष्ठ विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा 29 जुलाई, 1973 को हुई थी।

(ग) जी, हां। इन परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों के नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-6027/73]

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के वितरण के लिए सलाहकार समिति

4226. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के वितरण के लिए सलाहकार समिति बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या है; और

(ग) राजधानी में दूध की कमी को दूर करने, इसकी सप्लाई तथा वितरण में सुधार करने के लिए यह प्रणाली किस हद तक सहायक होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) तथा (ख) यह निश्चय किया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बूथों में दूध की सप्लाई का नियमन करने और तालमेल स्थापित करने के लिए डिपो सलाहकार समितियों की स्थापना की जाए। इन समितियों का गठन टोकनधारियों द्वारा किया जायेगा और दिल्ली दुग्ध योजना के साथ इनका संबंध तालमेल स्थापित करने के प्रयोजन से रहेगा।

(ग) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना टोकनधारियों की दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने दुग्ध बूथों पर पर्याप्त दूध की सप्लाई कर रही है। तथापि ये डिपो सलाहकार समितियां इन बूथों पर दूध के वितरण को नियमित करने की दृष्टि से दिल्ली दुग्ध योजना और टोकनधारियों के बीच तालमेल स्थापित करेंगी और इस प्रकार नियमित रूप से दूध के वितरण के काम में मदद देंगी।

इस समय दिल्ली दुग्ध योजना अपनी दूध संभालने की तीन लाख लिटर प्रतिदिन की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाकर 3.75 लाख लिटर करने के लिए कार्यवाही कर रही है। आशा है कि यह विस्तार-कार्य लगभग तीन महीनों में पूरा हो जायेगा। उसके बाद दुग्ध बूथों से दूध की सप्लाई की स्थिति में और भी सुधार होने की आशा है।

अरविन्द कालेज, मालवीय नगर, नई दिल्ली के प्रोफेसरों को कठिनाइयां

4927. **श्री के० लकप्पा :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सभा के एक सदस्य ने अरविन्द कालेज, मालवीय नगर, नई दिल्ली के प्रोफेसरों की कठिनाइयों के बारे में उन्हें सितम्बर, 1973 में लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) श्री अरविन्द कालेज के एक लैक्चरर से शिकायत दूर करने के संबंध में एक अभ्यावेदन इस मंत्रालय को प्राप्त हुआ था। इस विषय से संबंधित एक नोट भी एक संसद सदस्य द्वारा भेजा गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मंत्रालय को यह सूचित किया है कि उक्त मामला तय हो गया है और संबंधित लैक्चरर ने हस्तिनापुर कालेज, जहां कि वह मूल पद पर कार्य कर रहे थे, में अपना कार्यभार संभाल लिया है।

जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्र

4928. **श्री के० मालन्ना** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कुल क्षेत्र के 37.5 प्रतिशत भाग को प्लाटों की बिक्री के लिये रखा गया है;

(ख) क्या भूमि तथा इसके विकास की समूची लागत उन लोगों को वहन करनी पड़ी है जिनको 37.5 प्रतिशत विकसित क्षेत्र बेचा गया है;

(ग) क्या शेष 62.5 प्रतिशत क्षेत्र को सार्वजनिक प्रयोजनों अर्थात् सड़कों, पार्कों, संस्थाओं के निर्माण तथा धार्मिक स्थानों के लिए रखा गया है; और

(घ) क्या 62.5 प्रतिशत क्षेत्र को, विकसित क्षेत्र के उन 37.5 प्रतिशत लोगों के केवल मात्र प्रयोग के लिए रखा गया है जिन्होंने भूमि तथा इसके विकास की लागत को जिसका उन्होंने प्रीमियम के रूप में भुगतान किया है, वहन किया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

सरोजनी नगर मार्किट, नई दिल्ली के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय के लिये क्वार्टर दिया जाना

4929. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर मार्कीट, नई दिल्ली के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय को जगह की बहुत अधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है और उसकी प्रयोगशाला तथा अन्य विभाग उन क्वार्टरों के रसोईघरों और स्नानगृहों में स्थित हैं जिनमें वह औषधालय चल रहा है;

(ख) क्या स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक ने औषधालय की पहली मंजिल पर एक क्वार्टर देने के लिये उनके मंत्रालय से अनेक बार अनुरोध किया है जिससे औषधालय को और अधिक जगह प्राप्त हो सके;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त क्वार्टर को औषधालय के लिये न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त क्वार्टर औषधालय को कब तक दे दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) स्वास्थ्य महानिदेशक से इस आशय का एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरोजिनी नगर में एक अतिरिक्त क्वार्टर उन्हें सौंप दिया जाए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को सरोजिनी नगर के 'जी' ब्लाक में पांच क्वार्टर पहले ही सौंपे हुए हैं, अतः एक अतिरिक्त क्वार्टर के आवंटन हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी वास की कमी है।

दादरा और नगर हवेली को सप्लाई की गई रवा, मैदा और गेहूं के आटे की मात्रा

4930. श्री रामूभाई रावजी भाई पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नगर हवेली को बिस्कुट कारखानों के उपयोग के लिए प्रति वर्ष कितनी मात्रा में रवा, मैदा और गेहूं के आटे की सप्लाई की जाती है;

(ख) प्रति बिस्कुट कारखाने के लिए निर्धारित कोटा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बिस्कुट कारखाने प्राप्त कोटे को, चोर बाजार में बेचकर, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कारखाना मालिकों के विरुद्ध जांच करेगी और उन्हें उसके अनुसार दण्ड देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकारी वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों/प्रशासनों को केन्द्रीय पूल से मासिक आधार पर गेहूं आवंटित किया जाता है। गेहूं तथा गेहूं के पदार्थों सहित आवंटित किए गए खाद्यान्नों का आन्तरिक वितरण करना राज्य सरकारों/प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

(ग) और (घ) दादरा तथा नगर हवेली प्रशासन से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

दादरा और नगर हवेली में आदिवासी तथा गैर आदिवासी किसानों को दी गई राज्य सहायता

4931. श्री रामूभाई रावजी भाई पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नगर हवेली में आदिवासी किसानों को राज्य सहायता दी जा रही है ;

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान कुल कितनी राशि दी गई तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या ऐसे गैर-आदिवासियों को, जिनके पास 10 एकड़ से कम भूमि है, गाय, बैलों आदि के लिये, राज्य सहायता देने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

पशुओं से फसल की रक्षा के लिए खेत की मेड़ों पर जहरीली झाड़ लगाना

4932. श्री धनशाह प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पशुओं आदि से फसल की रक्षा के लिये खेत की मेड़ों पर 'बेशर्म

झाड़' नामक झाड़ लगाने के निदेश दिये थे और उक्त झाड़ की मंजूरी उनके मंत्रालय/विभाग द्वारा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस झाड़ की जड़ें गहरी और जहरीली होती है जिससे भूमिगत जल और निकट के कुओं का पानी जहरीला हो जाता है;

(ग) क्या इस झाड़ की कलम विदेशों से लाई गई थी और यदि हां, तो यह कलम किस देश से लाई गई थी; और

(घ) क्या उक्त झाड़ की जड़ से संबंधित उत्पन्न जहर के संबंध में जांच करने के आदेश जारी किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) 'बेशर्म झाड़' (आइपोमिया कार्निया) दूर तक फैलने वाली झाड़ी है जिसका रस दूधिया होता है। इसे दक्षिणी अमरीका से लाकर भारत में सजावटी पौधे के रूप में प्रचलित किया गया है। इसे आमतौर से बाड़ के रूप में लगाया जाता है। शीतकालीन महीनों को छोड़कर इसमें पत्ते और फूल लगभग वर्ष भर आते रहते हैं। इसकी पत्तियों को कम्पोस्ट और हरी खाद बनाने के काम में लाया जाता है।

यह पौधा पशुओं के लिये विषैला होता है। इसकी पत्तियों में पोलीसैकराइड आइपोमोज़, एन्थ्रा-सीन ग्लूकोसाइड, गोंद, जालापिन और सैपोनिन्स होता है। इसकी जड़ों से भूमिगत जल और निकट के कुओं के पानी के विषैला हो जाने के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसकी जड़ों के विष (यदि कोई हो) का विश्लेषण करने की व्यवस्था की जा रही है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी मकानों के लिये नीलामी से बेचे गये प्लाट

4933. **श्री सतपाल कपूर : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में और 1973 में 30 नवम्बर तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी से रिहायशी मकानों के लिए कितने प्लाट बेचे गये;

(ख) विभिन्न कालोनियों में नीलामी द्वारा उक्त प्लाटों को न्यूनतम तथा अधिकतम किस दर पर बेचा गया;

(ग) उपरोक्त (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान मध्य आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को अलग-अलग सीधे तथा पर्चियां निकाल कर रिहायशी मकानों के लिए कितने प्लाट बेचे गये; और

(घ) आरक्षित मूल्य पर पर्चियां निकाल कर अथवा सीधी बिक्री से दिल्ली में मध्य आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को भूमि देने की सरकार की भावी योजना क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) 1972 में 797 और 1973 में 426 (30 नवम्बर, 1973 तक)।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) मध्यम आय वर्ग को 29 और निम्न आय वर्ग को 13 ।

(घ) इस बात पर बल दिया जाता है कि मध्यम आय तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को

प्लाट देने की बजाए जो भूमि इन लोगों के लिए निर्धारित की गयी है उस पर ग्रुप आवास के आधार पर फ्लैटों का निर्माण करके इन वर्गों को अलाट किये जायें।

विवरण

क्रम संख्या	रिहायशी योजना	अधिकतम दर प्रति वर्ग मीटर	न्यूनतम दर प्रति वर्ग मीटर
		रुपये	रुपये
1.	पंखा रोड .	216.34	63.51
2.	मालवीय नगर	312.39	101.89
3.	मस्जिद मोठ	348.26	122.98
4.	फ्रेंडस कालोनी	346.36	191.80
5.	सफदरजंग .	392.49	205.09
6.	ग्रेटर कैलाश II	227.71	116.15
7.	पश्चिम पुरी	147.50	77.02
8.	वज़ीरपुर	323.71	122.78
9.	नजफगढ़ रोड	236.04	213.24
10.	झिलमिल फेज I	105.63	105.63
11.	नरायणा . .	322.67	193.89
12.	मस्जिद मोठ एक्सटेंशन (नीति बाग के समीप) . .	397.48	216.05

दिल्ली विकास प्राधिकरण में हड़ताल

4934. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी नवम्बर, 1973 के तीसरे सप्ताह में हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और हड़ताल कितने दिनों तक जारी रही और हड़ताल किन शर्तों पर समाप्त की गई;

(ग) क्या हड़ताल के दौरान मध्यम तथा निम्न आय वर्ग ग्रुप के हक में रिलीज़ किये गये फ्लैटों के लिए लोगों को आवेदनपत्र के फार्म जारी नहीं किये गये थे; और

(घ) क्या इस बात को देखते हुए इन फ्लैटों के इच्छुक खरीदारों से भरे हुए आवेदनपत्रों को प्राप्त होने की तारीख को बढ़ा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो आवेदनपत्रों के प्राप्त होने की तारीख को न बढ़ाये जाने के कारण क्या हैं जबकि फार्म देरी से जारी किये गये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी नवम्बर, 1973 को हड़ताल पर थे।

(ख) हड़तालियों की मुख्य तथा तत्काल मांग यह थी कि पुलिस उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें जिन्होंने 15-11-1973 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था

तथा अनुशासन की समस्या उत्पन्न की थी। उनकी अन्य महत्वपूर्ण मांगें, बोनस के बकाया की अदायगी, पदोन्नति, स्थायीकरण, वेतनमानों में संशोधन, अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये पदों के आरक्षण आदि के बारे में थीं। हड़ताल 15-11-73 से 21-11-73 तक जारी रही। यह तब समाप्त की गई जब हड़ताली, दिल्ली के पुलिस महानिरक्षक तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रबंधकों से मिले और उनकी मांगों पर कोई समझौता हो गया।

(ग) जी, नहीं। 16-11-73 से 20-11-73 तक 235 आवेदनपत्र बेचे गये।

(घ) जहां कहीं, हड़ताल के कारण आवेदनपत्रों की प्राप्ति में बाधा पड़ी वहां तारीख को बढ़ा दिया गया था

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्तियों को आय की सीमा बिना 100 फ्लैटों का आवंटन

4935. श्री सतपाल कपूर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किसी भी व्यक्ति को चाहे उसका नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत हो अथवा न हो और चाहे उसकी आय कितनी भी हो, अलाट करने के लिये 100 फ्लैट बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ही फ्लैट बनाये न कि खुशहाल और उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए क्योंकि ये लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीलामी द्वारा प्लाटों की बिक्री की योजना से भलीभांति लाभ उठा सकते हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) हाल ही में मुक्त किये गये 10,000 मकानों में से, 100 फ्लैटों को छोड़कर, सभी मकान जनता, निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए हैं, प्रश्नाधीन 100 फ्लैटों से उच्चतर मध्यम आय वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति की संभावना है।

डेरा इस्माइल खां आवास सोसाइटी, दिल्ली का सर्विस प्लान

4936. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 2 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5519 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरा इस्माइलखां आवास सोसाइटी, दिल्ली के सर्विस प्लान को दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली / नगर निगम द्वारा मंजूर कर दिया गया है जैसाकि दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया था और यदि हां, तो कब;

(ख) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं और सर्विस प्लान के कब तक मंजूर हो जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सोसाइटी द्वारा भूमि के वर्तमान विकास को देखते हुए सोसाइटी के शेयर होल्डरों को विकसित भूमि आवंटित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) मार्च, जून और सितम्बर को समाप्त होने वाली अवधियों के दौरान भूमि के विकास के बारे में संबंधित तिमाही में क्या प्रगति हुई और नवम्बर, 1973 के अन्त तक कितनी प्रगति होने की संभावना है ।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मल निर्यास योजना सोसाइटी को 12-12-73 को अनुमोदित कर के दे दी थी ।

बरसाती पानी की नालियां तथा जलपूर्ति की योजनाएं अभी अनुमोदित की जानी है । यह बताना संभव नहीं है कि इन के कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है ।

(ग) सरकार को यह मालूम नहीं है कि सोसायटी ने कोई निश्चित तारीख निर्धारित की है या नहीं ।

(घ) दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली तिमाही के बाद सोसाइटी से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

डेरा इस्माइलखां सहकारी आवास समिति लिमिटेड, दिल्ली पर लागू नये आदर्श उप-नियम

4937. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या कृषि मंत्री दिनांक 2 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5520 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरा इस्माइल खां सहकारी आवास समिति, दिल्ली ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र आवास समितियों पर लागू नये आदर्श उप-नियम अपनाये थे; यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या समिति ने अपने अंश-धारियों से नये आदर्श उप-नियमों के अधीन शपथ-पत्र मांगे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार ऐसे अंशधारियों के हितों के लिये शपथ-पत्र मंगाने हेतु कोई तिथि निश्चित करने का है जिनके अपने नाम पर अथवा अपने आश्रितों के नाम पर दिल्ली में अपने मकान नहीं हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या वैध रूप से सोसायटी को नये आदर्श उपनियम अपनाने और शपथ-पत्र भेजने के लिए कहा जा सकता था ।

Scheme by Madhya Pradesh Re : Construction of Houses for Landless labourers and Harijans

4938. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have submitted a scheme to the Central Government regarding construction of houses for landlerss labourers and Harijan s in rural areas during 1973-74 ;

(b) if so, the amount asked for by the Madhya Pradesh Government in this regard ; and

(c) The amount given or proposed to be given by the Central Government in this connection.

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The Government of Madhya Pradesh

have sought Central assistance of the order of Rs. 14 crores for provision of over 9,18,000 house-sites in the State under the Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas.

(c) It has not so far been possible to sanction any of the project proposals received from the Government of Madhya Pradesh due to the following considerations :

(i) The State Government have not yet enacted the legislation for conferment of home-stead rights on landless workers, who have built houses/huts on private land. This is one of the essential conditions to be fulfilled for drawal of Central assistance under the Scheme.

(ii) As a measure of economy, the Budget provision of Rs. 5.00 crores for 1973-74 for implementation of the Scheme throughout the country has been reduced to Rs. 3.5 crores. The reduced provision of Rs. 3.5 crores is considered to be inadequate compared to the spill-over commitment of about Rs. 12 crores in respect of projects approved during 1972-73. In view of this, it has not till now been considered advisable to enter into fresh commitments under the Scheme by sanctioning fresh projects of any State Government, including Madhya Pradesh, during 1973-74.

Allocation of Nitrogenous Fertilisers to M.P.

4939. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of nitrogenous fertilisers allocated to Madhya Pradesh State from February, 1973 to July, 1973 ; and

(b) the quantity of nitrogenous fertilisers actually supplied to the State during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) : The quantity of nitrogenous fertilisers allotted to Madhya Pradesh from the Central Fertiliser Pool and the actual supplies made during February, 73 to July, 73 is given below :—

Quantity of Nitrogen allotted	Actual supplies made (N)
15,405	15,405 (A)

Note : (A) The physical supplies made during February to July, 73 were actually even more being a total of 19,359 tonnes of N. But 3,954 tonnes out of this, representing the excess over Kharif supplies, were counted against advance allotment for Rabi 73-74 which was issued at the request of the State Govt. on this understanding as a special case.

Educational Delegations sent to Foreign Countries

4940 **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Educational Delegations sent to foreign countries during the current year ; and

(b) names of delegates in each delegation indicating the names of States to which they belonged ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) Nine in the calendar year 1973. The details are in statement attached.

STATEMENT

Sl. No.	Number of Educational Delegations sent abroad by the Ministry of Education, Social Welfare & Culture during the calendar year 1973.	Name of the delegates	State to which the delegates **belong.**
1	2	3	4
1.	1	1. Shri R.S. Chitkara, Director (U), Ministry of Education, Social Welfare and Culture, New Delhi.	Delhi
		2. Shri R.K. Chhabra, Secretary, University Grants Commission, New Delhi.	New Delhi.
2.	2	1. Prof. M.V. Mathur, Director, National Staff College, New Delhi.	Rajasthan
3.	3	1. Shri J. Veeraraghavan, Director (I.F.) Ministry of Education, Social Welfare and Culture, New Delhi.	Tamil Nadu
4.	4	Shri I.U. Ramchandani, Under Secretary, Ministry of Education, Social Welfare and Culture New Delhi.	Maharashtra
5.	5	1. Smt. V. Mulay, Deputy Educational Adviser, Ministry of Education, Social Welfare & Culture, New Delhi.	Bihar
		2. Prof. M.V. Mathur, Director National Staff College, New Delhi.	Rajasthan
6.	6	1. Dr. S.M.S. Chari, Joint Educational Adviser, Ministry of Education, Social Welfare & Culture, New Delhi.	Mysore
7.	7	1. Shri M. Krishnamurti, First Secretary, Embassy of India, Paris.	Tamil Nadu

1	2	3	4
8.	8	1. Shri I.D.N. Sahi, Secretary, Ministry of Education, Social Welfare & Culture, New Delhi.	Uttar Pradesh
		2. Shri J.P. Naik, Member Secretary, Central Advisory Board of Education, New Delhi.	Maharashtra
9.	9	1. Prof. R.N. Dogra, Minister (Education and Science), High Commission of India, London.	Delhi

वर्तमान वन संबन्धी अनुसंधान कार्यों की सूची

4941. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों पर आधारित नये उद्योगों की स्थापना के लिये उपयुक्त श्रवण-क्षेत्र (कैचमैन्ट्स) निश्चित करने हेतु वर्तमान वन संबंधी अनुसंधान कार्यों की सूची तैयार करने की तुरन्त आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जननिर्मित्त वनों के संबंध में क्या प्रोत्साहन दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो शेर सिंह) : (क) जी हां। सरकार वनों पर आधारित नए उद्योगों का पता लगाने के लिए उपयुक्त कैचमैन्टों को अभिज्ञात करने हेतु मौजूदा-वन संसाधनों की विवरण सूची तैयार करना जरूरी समझती है। वन पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए वन संसाधनों की आर्थिक उपलब्धता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य तथा कृषि संगठन/भारत सरकार परियोजना के रूप में 1965 में निवेश पूर्व वन संसाधन सर्वेक्षण परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना की समाप्ति पर भारत सरकार ने यह गतिविधि जारी रखी हुई है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत किए जाने वाले सर्वेक्षणों का उद्देश्य कागज तथा पल्प, पैनल बोर्ड आदि जैसे विभिन्न वन आधारित उद्योगों के लिए मौजूदा कच्चे माल के संसाधनों का मूल्यांकन करना है। वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वेक्षणों के परिणाम उपलब्ध हैं और वास्तव में हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा पेपर एण्ड पल्प मिल्स की स्थापना के लिए पहले ही आधार बन चुका है।

(ख) सरकार वनों पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल को बढ़ाने के लिए मानव निर्मित्त वनों की स्थापना के लिए बहुत उत्सुक रही है। अब तक विभिन्न विकास योजनाओं के अधीन लगभग 20 लाख हैक्टर क्षेत्र में वन लगाए गए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शीघ्र उगने वाली किस्मों के पौदरोपण, और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक लाभ आदि के लिए मितव्ययी पौदरोपण जैसी योजनाए

देश में मानव निर्मित्त वनों की सीमाओं को बढ़ाने के लिए शुरु की गई थी। परियोजनाओं से पता चलता है कि 1980 तक औद्योगिक बन के कच्चे माल की कुल मांग लगभग 250 लाख घनमीटर और 1990 तक 400 लाख घन मीटर हो जाएगी, अतः पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव निर्मित्त वनों की स्थापना के लिए गतिविधियों की गति को बढ़ाने का विचार है। अतः औद्योगिक लाभों के लिए 8 लाख. हैक्टर क्षेत्र में मानव निर्मित्त वनों का विस्तार करने के लिए विभिन्न योजनाएं शामिल कर दी गई हैं। केवल योजना निधि से इन योजनाओं का खर्च पूरा करना संभव नहीं होगा, अतः संस्थानात्मक संसाधनों से धनराशि प्राप्त करने के लिए वन विकास निगम स्थापित करने का विचार है। इन निगमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने क लिए भारत सरकार ने साम्य अंश पूंजी में अंशदान देन के लिए 10 करोड़ रु० की व्यवस्था भी की है।

ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में पानी तथा बिजली की सप्लाई

4942. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में पानी और बिजली की सप्लाई के बारे में 19 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1012 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मकान बनाने वालों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें क्या हैं जिससे कि वे 'ई' ब्लाक को छोड़ कर अन्य ब्लाकों में पानी तथा बिजली के कनेक्शन प्राप्त कर सकें ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : दिल्ली जल सप्लाई तथा मल निपटान उपक्रम और दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान से प्राप्त सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

विवरण

जल तथा बिजली के कनेक्शन देने के लिये शर्तें

पानी का कनेक्शन

पानी के कनेक्शन, ग्रेटर कैलाश II के 'ई' ब्लाक को छोड़ कर जहां उपभोक्ता व्यक्तिशः आवेदन करते हैं, शेष सभी ब्लाकों में स्वीकृत किये जाते हैं। पानी के कनेक्शन दो प्रकार के हैं:--

(क) मकानों के निर्माण हेतु पानी।

(ख) मकानों के पूरा हो जाने के बाद धरेलू उपयोग के लिये पानी।

दोनों प्रकार के कनेक्शनों के लिये उपभोक्ताओं द्वारा एक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाता है तथा उन्हें स्वामित्व का प्रमाण तथा भवन के स्वीकृत नक्शे की एक प्रमाणित प्रति देना अपेक्षित होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को प्लाट के क्षेत्रफल के आधार पर विकास प्रभार/अपूर्णता प्रभार जमा कराने होते हैं। ये विकास प्रभार उन अपूर्ण प्रभारों की राशि को प्रदर्शित करती हैं जो कालोनी में पानी देने तथा नालियां बिछाने जैसी सेवाओं को अपने हाथ में लेते समय दिल्ली जल सप्लाई तथा मल निपटान समिति ने निर्धारित की थी।

मकान के निर्माण के लिये कनेक्शन स्वीकृत करते समय, पानी के प्रभारों का हिसाब, उपभोक्ता द्वारा निर्माण किये जाने वाले मकान के आयतन के घनत्व के आधार पर लगाया जाता है। उसको भवन निर्माण के लिये पानी के प्रभार, विभाग को, अग्रिम रूप से इस शर्त पर देना अपेक्षित है कि वह या तो भवन के आयतन के घनत्व के आधार पर या मीटर के अनुसार इन में जो भी अधिक हो, अदा करेगा, ये प्रभार पूर्णतः प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन पत्र दिखाने पर निर्माण के कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में नियमितिकरण करते समय समायोजित कर लिये जाते हैं।

पानी के कनेक्शन के लिये, उपभोक्ता को कुल 90 रुपये अदा करने होते हैं जिसमें 75 रुपये मीटर की जमानत पानी की खपत सबंधी 10 रुपये का अग्रिम प्रभार और व्यक्तिगत कनेक्शन को म्यूनिसिपल मेन के साथ जोड़ने की 5 रुपये की फीस शामिल है।

बिजली का कनेक्शन

भावी उपभोक्ता को निर्माण के लिए अस्थायी कनेक्शन की सुविधा उस द्वारा औपचारिक आवेदन-पत्र देने पर और जमानत राशि के भुगतान करने पर तथा इस शर्त पर दी जाती है कि उस द्वारा मांगा गया भार तकनीकी दृष्टि से अनुज्ञेय है। ऐसे मामलों में, दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान तक आवश्यक सर्विस लाइन सबंधित आवेदक द्वारा अपने खर्चे से देनी होती है। सामान्यत: ऐसे अस्थायी कनेक्शन प्रथमत: 3 मास की अवधि के लिये दिए जाते हैं। तथापि, उन्हें आगे बढ़ाने के मामलों पर विचार उनके गुण-दोष के आधार पर किया जा सकता है।

स्थायी कनेक्शन केवल उस स्थिति में दिये जाते हैं यदि मुख्य लाइन उस परिसर के 100 फुट के भीतर हो जहां कनेक्शन देना अपेक्षित है। ऐसे मामलों में भी, भावी उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होता है, जमानत राशि, सर्विस लाइन प्रभार और विकास प्रभार जमा कराने होते हैं, दखल का प्रमाण तथा टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होती ह तथा अन्य सबंधित वाणिज्यिक औपचारिकताएं निष्पादित करनी होती हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा हलवाइयों, बेकरियों और होटलों को गेहूं दिया जाना जिसके कारण राशन में गेहूं की कमी पड़ जाना

4943. श्री विश्वनाथ झुंझनवाला: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन को इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर की है कि उन्होंने हलवाइयों और होटलों को गेहूं दिया जिससे राशन में गेहूं की कमी हो गई और उसमें कटौती करनी पड़ी;

(ख) क्या प्रशासन ने इस कार्यवाही के लिए कोई औचित्य बताया है,; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी सारांश क्या है और दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले गेहूं में की गई कटौती कब बहाल की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन को यह परामर्श दिया गया है कि वे उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न देने तथा गेहूं तथा चावल जैसे अनाजों की मात्रा में कमी करने यदि कोई की जाती है से सम्बन्धित किसी परिवर्तन करने के बारे में जनता को सूचित किया करें। कार्यचालन सम्बन्धी कारणों से दिल्ली प्रशासन ने कार्डधारियों के अनाज के कोटे में नवम्बर 1973 के दूसरे पखवाड़े में जो अस्थायी कटौती की थी उसे 1-12-1973 से बहाल कर दिया गया है। कटौती करने की अवधि के दौरान अनाज-यूनिट में की कई कमी के बदले में पक्का दिया गया था।

भारतीय खाद्य निगमके कर्मचारियों के चिकित्सा बिल

4944. श्री विश्वनाथ झुंझनवाला: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम का एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन 200 रु०

प्रति माम है वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के रूप में 500 रु० प्रति मास भी ले रहा है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न जोनों में गत तीन वर्षों में इस रूप में कुल कितनी राशि अदा की;

(ग) क्या यह राशि प्रति वर्ष बढ़ रही है और यदि हां तो क्या सरकार ने निगम से इस बारे में पूरी जांच कराने को कहा है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या बहुत से मामलों में जाली बिल पेश किये जाते हैं और यदि हां, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि केवल असली बिलों का ही भुगतान हो और झूठे बिल पेश करने पर सजा देने के लिये किसी ढंग पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) कुछेक ऐसे मामले हैं जहां 200 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के 500 रुपये प्रति मास लिए हैं।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दी गई चिकित्सा बिल की कुल राशि बताने वाला एक विवरण संलग्न है। कुछ मामलों में झूठे बिल प्रस्तुत किये गये थे। ऐसे प्रत्येक मामले जिसमें कर्मचारी के विरुद्ध प्रत्यक्ष सबूत मिल जाता है को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा जाता है। बिल की जांच करने और और भुगतान करने के तरीके में कड़ाई कर दी गई है और नियंत्रक अधिकारी ऐसे बिलों को जिस आर्थिक सीमा तक पास कर सकते हैं उन्हें सीमित कर दिया गया है।

विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र का नाम	1970-71	1971-72	1972-73
(1)	(2)	(3)	(4)
मुख्यालय	0-03	0.05	(अस्थायी) 0.05
उत्तरी क्षेत्र	0.11	0.17	0.23
दक्षिणी क्षेत्र . .	0.11	0.15	0.14
पूर्वी क्षेत्र . .	0.37	0.72	1.47
पश्चिमी क्षेत्र . . .	0.07	0.07	0.09
जोड़	0.69	1.16	1.98

केंद्रीय सरकार की सहायता पाने वाले मध्य प्रदेश के ग्रामीण अस्पताल

4945. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में जिलावार कितने ग्रामीण अस्पताल हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता मिल रही है;

(ख) क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत यह सहायता बढ़ाई जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) भारत सरकार देश में ग्रामीण अस्पतालों को जिनमें मध्य प्रदेश के अस्पताल भी शामिल हैं कोई सहायता नहीं देती है। किन्तु उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के देख-रेख चरण में प्रवेश कर चुके हैं स्वीकृत पैटर्न के अनुसार विभिन्न प्रकार के बुनियादी स्वास्थ्य सेवा-स्टाफ की नियुक्ति के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश में किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ने देख-रेख चरण में प्रवेश नहीं किया है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्तर बढ़ाकर उन्हें 30 पलंग वाले ग्रामीण अस्पताल बनाने की योजना विचाराधीन है। विभिन्न राज्यों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्तर बढ़ाया जाए इसका निर्णय तभी किया जाएगा जब इस कार्य के लिये नियत की गई धन राशि का अन्तिम रूप से पता चल जाएगा। फिर भी लगभग 1283 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का विचार है। प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक एक- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आशा है। चार ब्लाकों के एक सैट में एक उच्च स्तर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा जिसमें 30 पलंगों और अन्य विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था होगी।

इस योजना का उद्देश्य ग्राम क्षेत्रों में एक्स-रे और प्रयोगशाला सेवाओं के साथ साथ चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोगों की व्यापक तथा सामान्य दोनों प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करना है। प्रत्येक उच्च स्तर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 3.20 लाख से 4 लाख की आबादी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा।

दरभंगा फर्बिसगंज लिंक रोड

4946. श्री **भोगेन्द्र झा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामरिक महत्व की बरेली अमीन गांव सड़क के दरभंगा-फर्बिसगंज भाग का निर्माण जिसका निर्णय 1963 में किया गया था और जो उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) क्या इस भाग को पूरा करने का अन्तिम निर्णय वित्त रक्षा और विदेश व्यापार मन्त्रालयों तथा बिहार सरकार के साथ हुई संयुक्त बैठक में किया गया था परन्तु इसके लिए चौथी योजनावधि में केवल दो करोड़ रुपये रखे गये थे;

(ग) क्या पांचवीं योजना में इस सड़क तथा कोसी और कमला नदियों पर दो संपर्क पुलों के कुल अनुमित व्यय की राशि रखी जा रही है; और इसे पूरा करना भी सुनिश्चित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (एम० वी० राना) : (क) से (घ) बरेली अमीनगांव सड़क जो कि पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना थी में दरभंगा-फर्बिसगंज योजक सड़क शामिल नहीं थी। सितम्बर 1970 की बैठक जो कि नौवहन तथा परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई जिसमें अन्य सदस्यों के साथ रक्षा मंत्री, विदेश व्यापार मंत्री, बिहार के मुख्य मंत्री, बिहार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री तथा योजना राज्य मंत्री ने भाग लिया। चौथी योजना अवधि के दौरान दो करोड़ रुपए की राशि को दरभंगा फोर्ब्जगंज योजक सड़क कोसी और कमला पर पुलों के सहित जो कि सामरिक महत्व की सड़क कार्यों के लिये उपलब्ध होगा से उपयोग के लिये धनराशि व्यय करने का सुझाव दिया गया

था। तत्पश्चात् वित्त मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के परामर्श से यह निश्चय किया गया कि इस योजक पर मोटे तौर पर 23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कार्य शुरु किया जाए। राज्य सरकार को आवश्यक सर्वेक्षण तथा जांच करनी थी और विस्तृत नक्शे और अनुमान भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजने थे। कोसी तथा कमला नदियों के पुलों सहित सड़क कार्य का विस्तृत अनुमान राज्य सरकार से अभी प्राप्त होने हैं। राज्य सरकार से हाल ही में भेजे गए मोटे लागत अनुमान के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 47 करोड़ होगी। चौथी योजना का व्यय तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि राज्य सरकार से विस्तृत अनुमान प्राप्त हो जाएं तथा बढ़ी हुई लागत की संवीक्षा करली जाती है और भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की कुछ जांचों के परिणामों की अभी प्रतीक्षा है । पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कानूनी शिक्षा सम्बंधी अंतर्विश्वविद्यालय सम्मेलन

4947. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**

श्रीमति सावित्री श्याम

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर 1973 में रजत जयन्ती समारोह के अंग के रूप में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो-दिवसीय कानूनी शिक्षा संबंधी अन्तर्विश्वविद्यालय सम्मेलन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिये गये भाषणों, पास किये गये संकल्पों, किये गये निर्णयों और दिये गये सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार और न्यायपालिका की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभग नें उप मंत्री (श्री डी पी यादव) : (क) और (ख) नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती समिति के तत्वावधान में 10-11 नवम्बर 1973 को भारत में कानूनी शिक्षा पर दो दिवसीय अन्तर्विश्वविद्यालय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में कानूनी शिक्षा की समस्या और विधि तथा वकीलों के कार्यों के बारे में विचार-विमर्श हुआ । उसमें कोई औपचारिक संकल्प पारित नहीं किये गये थे। सरकार को नागपुर विश्वविद्यालय से इस विषय पर कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बूचड़ खानों में फालतू पदार्थों का उपयोग

4948 **श्री के कोडंडा रामी रेड्डी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बूचड़खानों के फालतू पदार्थों का उपयोग करने की किन्हीं योजनाओं पर विचार कर रही है ; और यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ;

(ख) ये योजनायें कहां-कहां पर प्रारम्भ की जानी है ;

(ग) इससे अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा का लाभ होगा; और

(घ) उपरोक्त योजनाओं में अनुमानतः कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। बूचड़खानों के खून, सींग, खुरों, आंतों तथा अवशिष्ट मांस अंगों आदि अवशिष्ट उत्पादों का, जो मानवीय उपभोग के योग्य नहीं होते प्रायः अपूर्ण उपयोग होता है या बूचड़खानों में इनका उचित रूप से उपयोग नहीं होता। इन महत्वपूर्ण उत्पादों का उचित तथा आर्थिक रूप से उपयोग करने के लिए, भारत सरकार ने इनके संचयन, भंडारण तथा इनके उपयोग करने के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर परिसंस्करण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बूचड़खानों के आधुनिकीकरण की एक योजना तैयार की है।

(ख) इस योजना के लिए विभिन्न राज्यों में 14 स्थान अर्थात् बंगलौर, मद्रास, दिल्ली, केरल, हैदराबाद, लखनऊ, दुर्गापुर, सूरत, कानपुर, भोपाल, नागपुर, गोवा, जयपुर, अहमदाबाद चुने जा चुके हैं और इन स्थानों को उपोत्पादों का उपयोग करने के लिए सब आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना की योजना में सम्मिलित किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, गोवा, हैदराबाद तथा बंगलौर में 4 परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया है।

(ग) इन सब 14 बूचड़खानों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। अनुमान लगाया गया है कि चार बूचड़खानों (बम्बई, मद्रास, सूरत, तथा दुर्गापुर) का आधुनिकीकरण करके हम लगभग 3.0 करोड़ रुपये के उपोत्पाद प्राप्त कर सकते हैं जिसमें से निर्यात से 66.38 लाख रुपये की निर्यात आय और वसा तथा चर्बी के आयात पर 50 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है।

(घ) अनुमान लगाया गया है कि इन 14 बूचड़खानों की योजनाओं को क्रियान्वित करने पर लगभग 500 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं में 4,000 अशिक्षित बेरोजगारों को भी रोजगार मिलने की संभावना है।

मिन्टो रोड प्रेस, नई दिल्ली में टैक्निकल असिस्टेंटों को छुट्टी देने की विधि

4949. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिण्टो रोड प्रेस नई दिल्ली के टेक्नीकल असिस्टेंटो को छुट्टी देने के सरकार के अनुकूल निर्णय की व्यर्थ प्रतीक्षा करने के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक संघ ने मामले को श्रम समाधान अधिकार को सौंप दिया है ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को उनके पुराने पदों से मुक्त कर दिया गया था अथवा उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का नोटिस दिया गया था जोकि औद्योगिक विवाद विधान के खण्ड 9क के अन्तर्गत आवश्यक है ; और

(ग) क्या सम्बन्धित कार्यालय को यह पता नहीं था कि इन कर्मचारियों के साथ इनकी छुट्टी हकदारी के बारे में किस प्रकार निपटाना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) अवकाश प्रदान करने के बारे में सरकार का निर्णय तकनीकी सहायकों को 10-8-73 को सूचित किया गया था। भारत सरकार मुद्रणालय फोटोलिथो विंग कर्मचारी संघ ने मामला श्रम समाधान प्राधिकरण को 18-9-73 को भेज दिया ।

(ख) जी नहीं। संबंधित व्यक्ति गैर-औद्योगिक स्थापना में थे तथा तकनीकी सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति होने से उन पर भिन्न प्रकार के अवकाश नियम लागू थे। अवकाश की पात्रता में ऐसे परिवर्तन के लिये कोई नोटिस देने का प्रश्न नहीं उठा।

(ग) संबंधित व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मुद्रणालय के प्रबन्धक ने निर्णय के लिये उच्च अधिकारियों को लिखा।

आई० बी० एम० यूनिट के लिथो प्रेस में एक्मिरोज मशीन के आपरेटर

4950. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में आई० बी० एम० के फोटोलिथो प्रेस यूनिट में ऐक्मिरोज मशीनों को लगाने के बाद से अब तक कितने आपरेटरों ने त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) कितने विभागीय उम्मीदवारों को इस पद पर नियुक्त किया गया है और उनको कब से नियुक्त किया गया है ; और

(ग) जिन आपरेटरों ने त्यागपत्र दिया है उनमें से कितने आपरेटरों को बाह्य कोटा से लिया गया था ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तीन ।

(ख) दो; मार्च, 1972 में।

(ग) त्याग पत्र देने वाले सभी आपरेटरों को रोजगार कार्यालय के जरिये सीधी भर्ती के रूप में लिया गया था।

राज्यों में फालतू भूमि के वितरण के लिये समय सीमा

4951. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मन्त्री राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के बारे में 12 नवम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान सभी राज्यों में फालतू भूमि के अधिग्रहण और वितरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी सभी राज्यों के विधेयकों में क्रांतिकारी भूमि सुधारों में विश्वास रखने वाले से युक्त लोकप्रिय समितियों के गठन और अधिनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले भूमिपतियों को कड़ी सज़ा देने के उपबन्ध हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। फालतू भूमि के अधिग्रहण और वितरण के कार्य के लिये समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है। फालतू भूमि का पता लगाने, उसका अधिग्रहण करने और वितरित करने से पहले अनेक कदम उठाने पड़ते हैं। इन कामों में समय लगता है और इनके सम्बन्ध में कोई निश्चित समय निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि भू-स्वामी को अपनी भूमि अधिसूचित करने, उन विशेष भू-खण्डों का चयन करने हेतु जिन्हें वह जोत सीमा के

अन्दर अपने कब्जे में रख सकता है और कई मामलों में फालतू भूमि का अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उपयुक्त प्राधिकारी के पास अपील करने के लिए उपयुक्त समय देना होता है।

(ख) केरल के कानून में ग्रामीण तथा तालुक स्तर समितियों के गठन की व्यवस्था है। उड़ीसा के कानून में ज़िला कार्यकारी समिति के गठन की व्यवस्था है।

राज्यों के अनेक अधिनियमों में कानून के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों को सज़ा देने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० -6028/73]

फोटो लिथो प्रैस और लेटर प्रैस, मिन्टो रोड, नई दिल्ली

4952. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मिन्टो रोड नई दिल्ली स्थित फोटो लिथो और लेटर प्रैस कार्यकरण के सम्बन्ध में और पदोन्नत के प्रयोजन के लिए एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं जैसा कि अध्ययन दलों उदाहरणार्थ एन० पी० सी० और तीसरे वेतन आयोग ने बताया है;

(ख) क्या दोनों प्रैसों के अपने -अपने मजदूर संघ हैं और एक मजदूर संघ दूसरे प्रैस के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में कुछ नहीं कह सकता ;

(ग) क्या एक प्रैस का कोई भी श्रमिक दूसरे प्रैस के मजदूर संघ का सदस्य नहीं है और वास्तव में एक संघ दूसरे प्रैस संघ के श्रमिकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फोटो लिथो प्रैस के मजदूर संघ को मान्यता देने का है ;

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) यह सच है कि फोटो लिथो और लेटर प्रैस दो भिन्न-भिन्न तकनीक हैं। तथापि ऐसा कोई अलग फोटो-लिथो मुद्रणालय नहीं है। फोटोलिथो विंग भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली का एक भाग है। फोटोलिथो मुद्रण हेतु अपेक्षित पदों के लिए भरती नियम तथा पदोन्नति के मार्ग पृथक हैं। पदोन्नति के उद्देश्य के लिए दोनों भागों का एक समान बाइंड्री तथा रीडिंग अनुभाग है।

(ख) जी, नहीं। एक मान्यता प्राप्त संघ है जो भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली के औद्योगिक कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

(ग) यह केवल तब सही होता यदि वहां दो अलग-अलग मुद्रणालय होते। श्रेणी *iii* और *iv* के सभी औद्योगिक कर्मचारी मान्यता प्राप्त संघ के सदस्य बनने के पात्र हैं चाहे वे लेटर प्रैस भाग में काम करते हों या फोटो लिथो भाग में।

(घ) सरकार की नीति यह है कि प्रत्येक मुद्रणालय से कर्मचारियों के एक संघ को मान्यता दी जाय तथा कर्मचारी इनके सदस्य बनने के पात्र हैं।

उर्वरक की सप्लाई के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य

4954. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तुरन्त ही प्रतिदिन उर्वरक की पांच गाड़ियां जिसमें कुल 3500 टन नाइट्रोजन होगा, आया करेंगी ;

(ख) गत 12 महीनों में उत्तर प्रदेश को प्रतिमास कितना उर्वरक सप्लाई किया गया ;

(ग) क्या यह बढ़ी हुई सप्लाई प्रत्येक राज्य को दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने ठीक-ठीक क्या वक्तव्य दिया, इस मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं है। केन्द्रीय उर्वरक पूल से भारतीय खाद्य निगम के देश के विभिन्न भागों के बन्दरगाहों में स्थित यूनिट विभिन्न राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई कृषि मंत्रालय द्वारा किए गए नियतन और अनुदेशों के अनुसार करते हैं। विभिन्न राज्यों को पूल से अपेक्षित सप्लाई की तुलना में वास्तव में की जाने वाली सप्लाई के बीच कुछ अन्तर हो जाता है। तथापि भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित क्षेत्र अधिकारी और सभी क्षेत्रों से की जाने वाली कुछ सप्लाई के मामले में कृषि मंत्रालय समय समय पर वास्तव में की गई सप्लाई की स्थिति की समीक्षा करते हैं और यदि इसमें कोई असंतुलन हो तो उसे ठीक करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाती है। रबी 1973-74 की पहली तिमाही (अर्थात् अगस्त, अक्तूबर, 1973 की तिमाही के दौरान) की स्थिति की समीक्षा से यह पता चला कि पूल से अपेक्षित सप्लाई की तुलना में पूल से वास्तव में की गई सप्लाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमिल नाडु, असम और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों के मामले में बहुत कम रही। अतः इन राज्यों को सप्लाई तेजी से करने के सम्बन्ध में अनुदेश दिए गए थे। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, 31-10-73 को अपेक्षित सप्लाई की तुलना में नाइट्रोजन की 28 प्रतिशत और पी$_2$ ओ$_5$ की 55 प्रतिशत सप्लाई की गई थी। पंजाब के मामले में नाईट्रोजन की 71% और पी$_2$ ओ$_5$ की 69 प्रतिशत सप्लाई की गई थी और हरियाणा को नईट्रोजन की 44 प्रतिशत तथा पी$_2$ ओ$_5$ की 100 प्रतिशत सप्लाई की गई थी अतः पहली तिमाही के असन्तुलन को ठीक करने की दृष्टि से विभिन्न बन्दरगाहों से उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाले उर्वरकों का कार्यक्रम बनाया गया था। इस कार्यक्रम में पश्चिम क्षेत्र की बन्दरगाहों से प्रतिदिन दो ट्रेनें विशाखापत्तनम बन्दरगाह से प्रतिदिन दो ट्रेनों और कलकत्ता बन्दरगाह से प्रतिदिन लगभग आधी ट्रेन भेजना शामिल है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्रतिदिन केवल लगभग 2,500 मीटरी टन नाइट्रोजन भेजी जानी थी, न कि 3,500 मीटरी टन प्रतिदिन भेजी जानी थी। तथापि यह कार्यक्रम भी पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि इसमें प्रचालन सम्बन्धी कठिनाइयां थी। लेकिन इसके परिणामस्वरूप कुछ अधिक सप्लाई की गई और उत्तर प्रदेश के मामले में पहले के भारी असन्तुलन को कम करने में मदद मिली। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त उपायों के बावजूद 30-11-73 को उत्तर प्रदेश के मामले में पूल से अपेक्षित सप्लाई की तुलना में नाइट्रोजन की 40 प्रतिशत सप्लाई की गई, पंजाब को इसकी 75 प्रतिशत सप्लाई की गई, और हरियाणा को इसकी 62 प्रतिशत सप्लाई की गई। पी$_2$ ओ$_5$ की स्थिति भी इसी प्रकार थी। उत्तर प्रदेश को इसकी 66 प्रतिशत सप्लाई की गई, जब कि पंजाब को 92 प्रतिशत और हरियाणा को 100 प्रतिशत सप्लाई की गई। अतः इन राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति इस दृष्टि से अच्छी नहीं रही।

(ख) गत 12 महीनों अर्थात् दिसम्बर, 1972 से नवम्बर, 1973 तक की अवधि के दौरान पूल और पूल के अलावा अन्य स्रोतों से उत्तर प्रदेश को की गई उर्वरकों की सप्लाई की स्थिति इस प्रकार थी :—

	पोषक तत्वों के रूप में सप्लाई की मात्रा
दिसम्बर, 1972 .	50,355
जनवरी, 1973	32,329

फरवरी, 1973 .	46,490
मार्च, 1973 .	29,136
अप्रैल, 1973 .	17,448
मई, 1973	9,162
जून, 1973 .	24,070
जुलाई, 1973 .	25,596
अगस्त, 1973 .	32,765
सितम्बर, 1973	38,761
अक्तूबर, 1973	31,969
नवम्बर, 1973	37,134

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में स्पष्ट किया गया है जिन राज्यों के मामले में भारी असन्तुलन हो, उन्हें समय-समय पर पूल से अधिक उर्वरकों की सप्लाई की व्यवस्था की जाती है।

(घ) विभिन्न राज्यों को अगस्त, अक्तूबर, 1973 के दौरान की गई सप्लाई की स्थिति की समीक्षा के परिणामस्वरूप (जैसा कि ऊपर भाग (क) में दिया गया है) पंजाब और हरियाणा को पहले से दी गई प्राथमिकता के अलावा, मुख्यतः उत्तर प्रदेश राजस्थान, बिहार, तामिलनाडु, असम और कर्नाटक को अधिक सप्लाई करने के अनुदेश दिए गए थे।

सहरसा और पूर्णिया जिलों में सिंचाई के लिये पूर्वी कोसी नहर जल का उपयोग

4955. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहरसा और पूर्णिमा जिलों में सिंचाई के लिये जो पूर्वी कोसी नहर के पानी का भाग उपयोग किया जाता है, वह पुनरीक्षित कमाण्ड एरिया लक्ष्य का भी पांचवीं भाग है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के लिये जिम्मेदारी किस की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) पूर्वी कोसी नहर योजना 4.95 लाख हैक्टार कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचित करने के लिये बनाई गई थी। 115 प्रतिशत वार्षिक सी० सी० ए० सघनता से अन्ततः 5.8 लाख हैक्टार भूमि की सिंचाई करने का प्रस्ताव था। मार्च, 1972 तक पूर्वी कोसी नहर पद्धति के अंतर्गत 2.75 लाख हैक्टार क्षेत्र के लिये सिंचाई की व्यवस्था की गई है। उससे गत वर्ष 1.30 लाख हैक्टार क्षेत्र को लाभ पहुंचा था।

2. 6.27 लाख हैक्टार कुल कृषि योग्य कमान्डिड क्षेत्र में से (जिसमें राजपुर नहर के अंतर्गत सिंचित 1.32 हैक्टार क्षेत्र शामिल हैं) बहुत ऊंची नीची होने के कारण 2.86 लाख हैक्टार क्षेत्र ग्रेविटी कैनाल सिस्टम द्वारा सिंचित होने योग्य नहीं है जब तक कि बाढ़ और जलाक्रांति ही न हो जाए। अतः परियोजना की अंतिम सम्भाव्यता उस समय तक के लिये कुछ कम हो गई है जब तक स्वीकृत परियोजना में पूर्वानुमानित पूर्ण सम्भाव्यता को सुधारने के लिये विचारार्थ उपचारी उपाय शुरू न कर दिए जाए।

3. सर्जित सिचाई सम्भाव्यता को पूरी तरह उपयोग में न लाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(क) जब तक उप नालियां नहीं बना दी जातीं तब तक पावर हाऊस पूरा न होने के कारण सिंचाई सप्लाई नहर में नहीं हो सकेगी।

(ख) परियोजना में एक जलनाम तक वाटर कोर्सिज की व्यवस्था है। किसान एक जलमान से कम खेतों में नालियां बनाने के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं है।

(ग) मुख्य तथा उप नहरों में गाद का होना भी एक मुख्य कारण है जिसके कारण नहर पद्धति पूरी क्षमता से पानी नहीं निकाल पाती।

(घ) भूमि की बनावट तथा माइक्रो भूमि समतलन संबंधी कार्य पीछे पड़ गया है

(ङ) परियोजना के अधीन निर्धारित किए फसल - प्रतिमान का विकास नहीं हुआ है।

(च) कोसी क्षेत्र में चकबन्दी का काम अभी नहीं किया गया है।

(छ) कमाण्ड क्षेत्र में अनुसंधान प्रदर्शन तथा बिस्तार सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(ज) संचार, भण्डारण, विपणन आदि अनेक सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(झ) जल पूर्ति की सट्टा पद्धति त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इससे उचित मात्रा में पानी के प्रयोग में किसानों को काफी देर होती है और हानि होती है।

फसलों के अन्तर्गत सिंचित भूमि

4956. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों के अन्तर्गत सिंचित भूमि क्षेत्र केवल एक चौथाई ही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां,। 1970-71 के अद्यतन वर्ष के लिये उपलब्ध भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों के अनुसार सिंचित भूमि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के एक चौथाई के लगभग है।

(ख) 1950-51 में कुल सिंचित क्षेत्र 225.6 लाख हैक्टार था। यह क्षेत्र 1970-71 में बढ़कर 385.5 लाख हैक्टार हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें लगभग 70 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है। तथापि, चूंकि फसल के अंतर्गत क्षेत्र भी 1950-51 में 1320 लाख हैक्टार से बढ़ कर 1970-71 में 1670 लाख हैक्टार हो गया है, अतः कुल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि 1970-71 के फसल के अन्तर्गत क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में केवल 23 प्रतिशत ही पड़ती है इसके अलावा वित्तीय और अन्य साधनों की उपलब्धि होने पर अधिकतम प्रयास करने के बावजूद सिंचाई विकास की प्रक्रिया में समय लगता है।

(ग) इस सम्बन्ध में किए गए या किए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :--

(1) बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करना,

(2) उन योजनाओं को शीघ्र पूरा करना, जिनका निर्माण कार्य पहले ही काफी आगे बढ़ चुका है,

(3) बढ़े हुए कार्यक्रमों को संभालने के लिए राज्यों और केन्द्रों में संगठनों को सुदृढ़ बनाना,

(4) सिंचाई योजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन में तकनीकी मानकों का सुधार करना,

(5) लघु सिंचाई योजनाओं के लिये भूमि विकास, सहकारी और वाणिज्यिक बकों से निवश के लिए यथासम्भव अधिकतम संस्थागत पूंजी प्राप्त करना,

(6) लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये कृषि पुर्नवित्त निगम के जरिए मिलने वाला विश्व बैंक ऋण प्राप्त करना, और

(7) सिंचाई परियोजनाओं के प्रबन्ध और उपयोग में सुधार करने के लिये कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

मनीपुर में चालूवर्ष में लघु सिंचाई पर व्यय

4957. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में चालू वित्तीय वर्ष में लघु सिंचाई पर कितनी धनराशि व्यय की जायगी और क्रियान्वित की जाने वाली योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार ने मुख्य नदियों अर्थात् इम्फाल, इरील और नाँम्बूल, जो कि मनीपुर घाटी से होकर बहती हैं, के स्रोतों पर बांध बनाने का कार्य शुरु कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) मणिपुर में चालू वित्तीय वर्षु के दौरान लघु सिंचाई पर 10 लाख रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है इस योजना में सिंचाई के लिए बांध, उठाऊ, सिंचाई योजनाओं को निर्माण और नालियों को नया रूप देने की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत बांधों का निर्माण

4958. **श्री लाल जी भाई** : : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितने बांधों का निर्माण किया है, कितने बांधों का निर्माण कार्य पूरा है गया है और वर्ष 1971-72 और 1972-73 में इन बांधों से वर्षवार कितनी एकड़ भूमि सिंचाई हुई है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में सिंचित भूमि से हुई पैदावार के आंकड़े क्या हैं ?

(ग) जो बांध अधूरे पड़े हैं उनके कब तक पूरे होने की सम्भावना है तथा उनके लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी; और

(घ) कितने अतिरिक्त बांधों के निर्माण का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Drilling Rigs for Drinking Water Facilities in Maharashtra and Uttar Pradesh

4959. **Shri Rajdeo Singh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether every District in Maharashtra would get two high power deep drilling rigs for providing drinking water facilities in rural areas ;

(b) if so, whether Government are aware that for want of high power deep drilling

rigs most of the Eastern Districts of Uttar Pradesh are not having new tube wells bored; and

(c) whether Government propose that every District in Uttar Pradesh have got at least one such rig if not two ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes. The Government of Maharashtra propose to provide two rigs to each district.

(b) and (c) : Information is awaited from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

Number of Indigenous and Foreign Cars

4960. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the number of indigenous and foreign cars in the country at present ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : The information required is being collected and will be laid on the table of the Sabha, as soon as it is available.

सी० एम० डी० ए० योजनाओं की क्रियान्विति के संबन्ध में खर्च की गई धनराशि

4961. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि सी० एम० डी० ए० योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बंध में भारी धनराशि बरबाद की गई है अथवा उसका दुरुपयोग किया गया है ;

(ख) क्या यह भी आरोप लगाया गया है कि योजना की प्रगति बहुत धीमी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सी० एम० डी० ए० ने सूचित किया है कि योजनाओं के कार्यान्वियन के सम्वन्ध में धन की अपव्ययिता का कोई विशिष्ट आरोप प्राप्त नहीं हुआ है। योजनाओं के निष्पादन की प्रगति में निरन्तर सुधार हो रहा है यद्यपि कुछ योजनाओं की प्रगति की गति धीमी रही है जो कि मुख्यतः निर्माण-सामग्री की कमी तथा कुछ मामलों में स्थल उपलब्ध करने की कठिनाइयों के कारण हुई । योजनाओं के शीघ्र समापन के लिये आवश्यक उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

Rural Employment Guarantee Scheme for Scheduled Cates/Tribes

4962. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to start a rural employment guarantee scheme with suitable wages for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes so as to enable them to earn their livelihood ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and the objections Government have in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) No, Sir. No exclusive programme for guaranteeing employment for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been formulated. The employment requirements of these classes will be met through such schemes as settlement of landless labourers on government waste lands, various programmes of agricultural production, expanded programmes in specific sectors

like minor irrigation, soil conservation forestry, dairy development, poultry development sheep and piggery development, drought prone areas programme and special employment programmes taken up in all the States and Union Territories. Further, a pilot intensive rural employment project was taken up for implementation during 1972-73 with a view to ascertaining the nature and extent of the problem of unemployment and underemployment in the rural areas. This is a three year project and is being implemented in fifteen selected Blocks throughout the country. The project envisages to provide full employment to every-body in the age group 15-59 seeking work. Employment surveys were conducted to determine the number of days for which the persons in the age group 15-59 years were empoyled and the number of days for which they required additional employment. Work projects are to be formulated for providing employment for the additional number of mandays. Employment for one third of the unutilised mandays is to be found in the first year, for two thirds in the second year and for all in the third year. The number of unutilised mandays as per the Employment Surveys is much larger than what was contemplated in the project, document. The requirement of funds is thus larger than envisaged. The results of implementation of the project will be utilised in formulating policies for the future.

माडर्न बेकरी द्वारा मशीनों से तैयार की गई 'चपाती' का बेचा जाना

4963. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरी द्वारा मशीन से तैयार की गई 'चपाती' बेचने का निर्णय किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई तजुर्बे किए गए थे, और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके कब तक बाजार में आ जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : माडर्न बेकरीज दिल्ली में नान तैयार करने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने की एक योजना बना रही है और इस संबंध में उन्होंने प्रयोगशाला स्तर पर कुछ प्रयोग किए हैं ।

(ग) आशा है कि इस संयंत्र की 100 ग्राम के 10,000 नान प्रतिदिन तैयार करने की क्षमता होगी । आशा है कि उत्पादन आगामी वर्ष शुरू हो जाएगी ।

दिल्ली परिवहन निगम को बसों के कारण दिल्ली में पर्यावरण दूषण

4964. **श्री ई० वी० विख पाटिल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पर्यावरण दूषण की समस्या की जांच करने तथा इसकी रोक-थाम के लिये आवश्यक कदम उठाने के लिये नियुक्त किये गये 'एक्शन ग्रुप' द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) 1973 के दौरान अत्याधिक धुंआ छोड़ने के कारण दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसों को रोका गया उनका चालान किया गया ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) एक्शन ग्रुप ने डीज़ल तथा गैसोलिन वाहनों के रेचन रेल के भाप के इंजनों से निकलने वाले धुएं तथा ताप बिजली

घरों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए कार्यवाही की है । जल दूषण का प्रश्न एक्शन-ग्रुप की अगली बैठक की कार्य-सूची में है । यातायात के वर्तमान नियमों का संशोधन करने के लिए कार्यवाही की जा रही है क्योंकि ये नियम वाहनों से निकलने वाले धुएं की सघनता की अनुज्ञेय सीमा को निश्चित करने के लिये अपर्याप्त हैं ।

दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ताप बिजली घरों से निकलने वाले धुंए को कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें तथा वे इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ अभिकरणों के साथ परामर्श कर रहे हैं । रेल अधिकारियों ने दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में चलने वाले भाप के इंजनों की संख्या कम करने तथा उनके स्थान पर डीजल इंजन चलाने के लिए कार्यवाही की है ।

औद्योगिक एककों से निकलने वाले धुंए के कारण वायु-दूषण के सम्बन्ध में बम्बई स्मोक-न्यूसेन्स एक्ट को दिल्ली के संघ-राज्य क्षेत्र में लागू किया गया है ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को 13 बसों को पुलिस अधीक्षक (यातायात) ने अत्यधिक धुंआ छोड़ते हुए पाया है ।

25वी स्वतंत्रता जन्यती के दौरान कृषि विकास

4965. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25वीं स्वतंत्रता जयन्ती समारोहों के दौरान आरम्भ किये गये विकास के क्षेत्र में अब तक कौन-कौन के कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं; और

(ख) क्या कृषि सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया गया है और यदि हां, तो वह कहां पर है और उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली के चिड़ियाघर में 3 अगस्त, 1972 को भारत की स्वतंत्रता की पच्चीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिये पौधरोपण उत्सव का उद्‌घाटन किया था, इसी दिन वहां पर वन महोत्सव समारोह भी हुआ था । राज्यों में पौधरोपण उत्सव मनाने के संबंध में समस्त राज्य सरकारों को विस्तृत अनुदेश जुलाई, 1972 के दौरान जारी किये गये थे । इस प्रकार, समस्त राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों से जुलाई, 1972 के दौरान वन महोत्सव समारोह को विशिष्ट महत्व देने का अनुरोध किया गया था ।

समस्त राज्य सरकारों के मुख्य वन पालों आदि से उपयुक्त सामुदायिक विकास खण्डों में फार्म वानिकी का कार्य आरम्भ करने का अनुरोध किया गया था ।

स्वतंत्रता जयंती समारोहों को मनाने के लिये कृषि राज्य मंत्री ने दिल्ली में वन्य प्राणी सप्ताह समारोह का उद्‌घाटन किया था । राज्य सरकारों से भी इस सप्ताह के प्रचार पर विशेष बल देने का अनुरोध किया गया था ।

जयंती वर्ष के दौरान, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में चारों 'आपरेशन फ्लड' डेरियों के लिये स्थान प्राप्त कर लिये गये थे । नये डेरी संयंत्रों के लिये योजनाएं और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है । चारों नये डेरी संयंत्रों के लिये आवश्यक मशीनों और उपस्करों के संबंध में संविदाओं को भी अंतिम रूप दे दिया गया है या दिया जा रहा है । आशा है समस्त नई डेरियां 1974-75 के दौरान कार्य करना आरम्भ कर देंगी । साथ ही साथ, आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत दूध के उत्पादन में वृद्धि करने का कार्यक्रम भी आरम्भ किया जा रहा है ।

25वीं स्वतंत्रता जयंती समारोह के भाग के रूप में, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से कृषक संगठनों को किसान भवनों के निर्माण के लिये भूमि आवंटित करने का भी अनुरोध किया गया था आशा है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू, दिल्ली और गोवा की सरकारों ने इस कार्य के लिये भूमि आवंटित कर दी है या कर देंगी।

जयंती कार्यक्रम में स्मरणोत्सव हेतु पांच विशेष अंक निकाले गये और वितरित किये गये--ये अंक 'धरती' (हिन्दी), 'होम साईंस' (इंगलिश), 'इन्टेंसिव एग्रीकल्चर' (इंगलिश), 'उन्नत कृषि' (हिन्दी) और डेरी 'एक्सटेंशन' थे ।

25वीं स्वतंत्रता जयंती समारोहों के स्मरणोत्सव हेतु, असम, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, नागालैण्ड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर, मिजोराम और हिमाचल प्रदेश, की सरकारों ने जिला और खण्ड स्तरों पर विचारगोष्ठियां आयोजित की थीं ।

भारतीय भूख से मुक्त अभियान समिति ने (जिसका कि अब नाम बदल कर लोक विकास कार्यक्रम हो गया है) सार्वजनिक सहकारिता विषयक केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से 12 से 16 सितम्बर, 1972 तक, कृषि उत्पादन लोक कार्यक्रम' पर पांच दिन की राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की थी ।

सामुदायिक विकास खण्डों में होने वाले अन्य कार्यक्रमों की अपेक्षा कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है । इसके अतिरिक्त, 25वें स्वतंत्रता वर्ष के दौरान, केन्द्रीय प्रायोजित योजना और गैर-योजना स्कीमों, केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध फण्ड के उपयोग द्वारा सकेन्द्रित ढंग से पीने के पानी, कमजोर वर्गों को सुधरे मकान, विद्यालय के भवनों का सुधार, सड़कों, नालियों और बिजली लगाने जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये राज्यों से प्रत्येक खण्ड में कम से कम एक गांव चुनने का अनुरोध किया गया था ।

(ख) 25वीं स्वतंत्रता जयंती के समारोह के भाग के रूप में एक राष्ट्रीय कृषि संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय किया गया है । उपयुक्त स्थान की तलाश की जा रही है ।

मछुओं के हितों की रक्षा के लिये कानून

4966. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार मछुओं के हितों की रक्षा के लिये एक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस विधेयक को लाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) असमान प्रतियोगिता, संसाधनों के अलाभकारी तथा अयुक्त उपयोग तथा बिजली के जलयानों की क्षमता का अपर्याप्त उपयोग के फलस्वरूप, हमारे समुद्री-तटों के समीप कुछ क्षेत्रों में छोटे, बड़े, यंत्रीकृत तथा अयंत्रीकृत मछली पकड़ने के जलयानों की सहायता से उपलब्ध संसाधनों से बहुत अधिक संख्या

में मछलियां पकड़ी जा रही हैं । अतः विभिन्न श्रेणी के जलयानों के कार्य के नियमन के लिये उपाय करना आवश्यक समझा गया था । प्रस्तावित कानून के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये प्राधिकारियों को भारतीय समुद्री तटों के आस-पास समुद्र में ऐसे ढंग से मछली पकड़ने के कार्य को नियमित करने का अधिकार होगा कि वे मीन-ग्रहण भण्डारण के सम्बन्ध में मीन-ग्रहण की तीव्रता पर विचार करने पर निर्धारित किये गये तथा बिना इंजनों की मीन-ग्रहण नौकाओं, यंत्रीकृत मीन-ग्रहण नौकाओं तथा बड़ी मीन-ग्रहण नौकाओं की सम्बन्धित क्षमता के अनुसार उपर्युक्त एक या अधिक श्रेणियों की मीन-ग्रहण नौकाओं द्वारा पृथक रूपसे मछली पकड़ने के लिये विशिष्ट क्षेत्रों को आरक्षित कर सकते हैं ।

(ग) समुद्रीय तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रारूप भेज दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी उपयुक्त विधेयक को लागू करने के लिये उपाय किये जायेंगे ।

कुछ वस्तुओं के समुद्रपार भेजने के भाड़े में कमी

4967. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री पी० गंगा देव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ वस्तुओं के समुद्रपार भेजने के भाड़े में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं पर;

(ग) क्या संशोधित दरें अलग-अलग तिथि से लागू होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) सरकार समुद्रपारीय लाईनर व्यापार में समुद्री भाड़ा दरें निर्धारित नहीं करती । ये दरें नौवहन सम्मेलनों/लाइनों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और दरों में हेरफेर भी वे ही करते हैं । जहां कहीं संभव हो सम्मेलनों/लाईनों से भाड़ा दरों में उचित कमी कराने में पोत वणिकों की सहायता के लिए स्थापित किया गया भाड़ा जांच ब्यूरो ने 1-1-73 से 31-10-73 तक की अवधि के दौरान 36 पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक मदों के भाड़े की कम दरें निर्धारित करने के लिये विभिन्न सम्मेलनों/लाईनों को मनाने में सफल हुआ है ।

(ख), (ग) और (घ) : एक विवरण संलग्न है जिसमें उन वस्तुओं के नाम, जिनकी भाड़ा दरों में सम्मेलनों ने कमी की और कम दरें जिस तारीख से लागू हुई, दिखाया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—6029/73]**

बांदीपुर मैसूर में बाघ सुरक्षा योजना के क्षेत्र का विस्तार

4968. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री वाइनाड, केरल में बाघों को सुरक्षित रखने के लिए योजना के बारे में 6 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2043 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांदीपुर, मैसूर में, जहां बाघ सुरक्षा योजना को क्रियान्वित किया जाना है, 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) बांदीपुर में टाइगर प्रोजेक्ट योजना का दूसरे क्षेत्रों में विस्तार न करने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० बी० ए० तथा बिजनेस मेनेजमेंन्ट डिप्लोमा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम

4969. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० बी० ए० तथा 'बिजनेस मैनेजमेन्ट' में डिप्लोमा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : रक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए व्यापार प्रबंध में एक पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । प्रस्ताव विश्वविद्यालय के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना अस्पताल पड़पड़गंज (यमुना-पार क्षेत्र), दिल्ली-51 के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतें

4970. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय श्रेणी के पदों वाले कुछ अधिकारियों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के पटपड़गंज (यमुना पार क्षेत्र) दिल्ली-51 स्थित अस्पताल के कार्यक्रम और वहां के प्रधान डाक्टर के विरुद्ध शिकायतें की हैं लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नही की गई है तथा जिन व्यक्तियों ने शिकायतें की हैं उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिये भी नहीं कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां के अस्पताल इंचार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) इस मामले में कुछ शिकायतें मिली थीं । उन की जांच की गई थी तथा औषधालय का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया था । बहुत सी शिकायतें तो निराधार निकलीं । एक शिकायत के बारे में पूछ-ताछ के बाद उत्तर भेजा गया था किन्तु वह उत्तर, बिना वितरण के ही लौटा दिया गया था ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

Reasons for purchasing rice from rice mills

4971. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India and the State Governments are purchasing rice from rice mills as a result of which farmers are not getting more price for their product;

(b) whether Government had fixed the price of paddy at Rs.70 per quintal whereas rice mills are purchasing it from farmers at Rs.63 per quintal; and

(c) the reasons for which Government do not purchase paddy or rice direct from farmers?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) : State Governments/Food Corporation of India are purchasing rice under the levy system from mills in some of the States but it is not correct that as a result of this the farmers are not getting the procurement price fixed for paddy by the Government of India.

(c) : Paddy is being purchased by the Food Corporation of India and some of the State Governments from the producers, under the price support or levy operations, depending upon the prevailing local conditions.

Manufacturing of spurious drugs at Ghaziabad

4972. **Shri Chandu Lal Chandrakar:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the action taken by Government so far against the management of a factory in Ghaziabad manufacturing spurious drugs and unearthed in a recent raid?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): The case is under investigation by the Uttar Pradesh Drug Control Authorities.

Persons Arrested for Manufacturing Spurious Drugs

4973. **Shri Chandu Lal Chandrakar:**

Dr. Laxminarayan Pandey:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of persons arrested for the manufacturing spurious drugs during the last one year; and

(b) the action taken against them and how many of them were awarded sentences?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): (a) and (b) : The information is being collected from the State Drugs Control Authorities and will be furnished as soon as received from them.

New Variety of Paddy Developed by Mahatma Phule Agricultural University, Ahmadnagar

4974. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Mahatma Phule Agricultural University in Ahmadnagar District has developed a new variety of paddy which gives ten times yield;

(b) whether a farmer of Kolhapur has successfully experimented with this variety;

(c) if so, the facts thereof; and

(d) the action being taken by Government to encourage its cultivation?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) According to the communications received from Vice-Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidya Peeth, Rahuai, this University has developed three high yielding varieties of rice viz

49LSS/73—6

Soorya, Satya and Suhasini which have recorded maximum grain yields around 100 quinals per hectare in the demonstrations trials conducted in Kolhapur district (Maharashtra)

(b) These varieties were tested by 18 farmers in Kolhapur; 12 farmers in Thana; 3 farmers in Kolaba and 2 farmers in Poona districts in Maharashtra.

(c) The per hectare grain yield obtained by different farmers on their fields from these varieties, is given in attached table-1. It ranged from 30 to 102 quintals a hectare.

[Placed in the Library Sec. No. L. T.—6030/73].

(d) These varieties will be tested first under AICRIP trials for their yield stability; adaptability, reaction to the various diseases and pests and for acceptability of their rice by growers and consumers. If their performance is found to be good, they may be considered for release by Central Variety Release Sub-Committee, New Delhi for cultivation in the area(s) of their best adaptability.

छात्रों तथा अध्यापकों में असंतोष संबंधी उप-समिति

4975. **श्री नारायण चन्द्र पारासर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के अनुसरण में छात्रों तथा शिक्षकों में असन्तोष के बारे में बनाई गई उप-समिति ने अब तक कोई बैठक की है,

(ख) यदि हां, तो बैठक कब हुई थी, और

(ग) यदि नहीं, तो समिति को कार्य आरम्भ करने में अत्यधिक विलम्ब क्यों हो रहा है और यह समिति कब बनाई गई थी ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : 22 फरवरी, 1973 को समिति का गठन हुआ था। समिति का प्रारम्भिक कार्य पूरा कर लिया गया है और दिसम्बर, 1973 जनवरी, 1974 में उसकी बैठक आयोजित करने की सम्भावना है ।

नेहरू युवक केन्द्र

4976. **श्री नारायण चन्द्र पारासर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 तथा वर्ष 1973 के दौरान किन-किन स्थानों पर नेहरू युवक केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या देश के सभी जिला मुख्यालयों में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने का विचार है,

(ग) सारे देश को इस योजना के अन्तर्गत कब तक लिया जायेगा, और

(घ) इन केन्द्रों का प्रबन्ध एवं गठन किस प्रकार का है और केन्द्रों के प्रशासन एवं वित्तीय भार को दृष्टि से सम्बद्ध राज्य सरकारों का क्या उत्तरदायित्व है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उन स्थानों की एक सूची सभा पटल पर रख दी गयी है जहां नेहरू युवक केन्द्र खोले गये हैं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०--6031/73]

(ख) जी, हां।

(ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सभी जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

(घ) प्रत्येक केन्द्र का प्रबन्ध एक युवक समन्वयक और एक लेखा लिपिक-एवं-टाइपिस्ट द्वारा किया जाता है । इन केन्द्रों के लिए खेल प्रशिक्षकों की व्यवस्था सुभाष बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा की जाती है । प्रत्येक केन्द्र को, उसके कार्यालय संबंधी खर्चों और कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिये प्रति वर्ष 20,000 रुपये मंजूर किये जाते हैं । सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करती है । संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग अथवा युवक सेवाओं से संबंधित सचिव अथवा उसके द्वारा नामज़द व्यक्ति को केन्द्र का नियंत्रक अधिकारी बनाया गया है । इन केन्द्रों के कार्यकलापों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर समितियां स्थापित की जा रही हैं ।

कुकरे तथा अन्य नेत्र रोग

4977. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छात्र वर्ग में कुकरों और अन्य नेत्र रोगों का कोई सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस पूरी योजना की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा में केन्द्र के उत्तरदायित्व संबंधी समिति

4978. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या पश्चिम शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 36वीं बैठक में पास किये गये प्रस्ताव के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में केन्द्रीय उत्तरदायित्व की जांच के लिये स्थापित की गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) उच्च शिक्षा संबंधी केन्द्रीय जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को पेश कर दी है । रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।

पश्चिमी बंगाल में धान और चावल की वसूली और वितरण के लिए एजेन्ट के रूप में भारतीय खाद्य निगम

4979. **श्री पीलू मोदी :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम ने आपस में कोई समझौता किया था जिसके अनुसार भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल में धान और चावल की वसूली और वितरण के लिये राज्य सरकार का एजेंट बना था ।

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अब यह समझौता समाप्त कर दिया है; और

(ग) उसके कारण क्या हैं और भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) राज्य के अन्दर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और वितरण करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने निगम स्थापित करने की नियत को देखते हुए करार में दिए गए उपबन्धों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिमी बंगाल सरकार को एक वर्ष का नोटिस दिया है कि उनके साथ हुआ करार 1-11-74 से समाप्त हो जाएगा । राज्य के अन्दर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति/वितरण के लिये राज्य सरकारों द्वारा अपने संगठन/प्रतिष्ठान स्थापित करने के बारे में भारत सरकार को कोई विशेष आपत्ति नहीं है बशर्ते कि राज्य सरकारें केन्द्रीय पूल को खाद्यान्न सुलभ करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और भारतीय खाद्य निगम से फालतू हुए स्टाफ को खपाने के लिए भी सहमत हों ।

दिल्ली में सरकारी कार्यालयों के लिये बहु-मंजिले भवनों का अधिग्रहण

4980. **श्री पीलू मोदी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी कार्यालयों के लिये दिल्ली में कुछ बहु-मंजिले भवनों का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) क्या उनके मूल मालिकों को मुआवजा दे दिया गया है; और यदि नहीं तो क्या उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) मुआवजा देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम के मध्य प्रदेश स्थित राजनंदगांव के कार्यालय के बारे में शिकायत

4981. **श्री पीलू मोदी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को भारतीय खाद्य निगम के राजनंद गांव (मध्य प्रदेश) के कार्यालय के कार्यकरण में व्याप्त कुप्रशासन और कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इस डिपो से बड़ी मात्रा में माल चुराये जाने के आरोप हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) प्राप्त शिकायतों की भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच की गई है और डिपो पर गेहूं की 83 बोरियां हिसाब-किताब में ज्यादा पायी गई हैं । दोशी अधिकारी को जांच होने तक मुअत्तिल कर दिया गया है ।

दुग्ध चूर्ण का आयात

4982. **श्री पीलू मोदी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार विभिन्न औद्योगिक एककों में प्रयोगार्थ कितने दुग्ध चूर्ण का आयात कर रही है;

(ख) क्या इस आयात में हाल में कमी की गई है; और यदि हां, तो क्यों;

(ग) क्या दूध के मूल्यों में वृद्धि होने से दुग्ध चूर्ण और दुग्ध उत्पादों में मूल्य भी काफी बढ़ गये हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अप्रैल 1970 से भारत में सप्रेटा दुग्ध चूर्ण को नियमित रूप से आयात किया जा रहा है । आयातित 20000 मीटरी टन में से 8500 मीटरी टन बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ और माल्ट मिश्रित दुग्ध खाद्य पदार्थ बनाने वाले बड़े व छोटे एककों की मांग को पूरी करने के लिए निर्धारित कर दिया गया है ।

(ख) जी नहीं । विश्व भर में सप्रेटा दुग्ध चूर्ण की कमी होने के कारण बार-बार टैन्डर देने के बावजूद अपेक्षित मात्रा की प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न हुई है ।

(ग) जी हां, किसी हद तक ।

(घ) सरकार ने बेबी फूड को छोड़कर और किसी दुग्ध पदार्थ पर कोई मूल्य प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । मजदूरी बढ़ने कच्चे माल और डिब्बों की लागत में वृद्धि होने के कारण बेबी फूड के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय को कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है ।

Universities Closed During 1973

4983. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of Universities closed during the period from 1st April, 1973 to 30th November, 1973 indicating the dates on which they were colsed; and

(b) if reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): (a) and (b) The required information is being collected and a statement will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Employment to Agricultural Graduates

4984. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the fresh steps taken by Government to provide employment to Agricultural Graduates?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): The Government have taken various steps to provide employment opportunities to agricultural graduates. They are:

1. Various centrally sponsored and central sector schemes on commercial crops which were started in IV Plan provided employment for agricultural graduates. These programmes are expected to be stepped up during the V Plan.

2. So far 923 Agro Service Centres have been set up and it is proposed to set up 1250 more during the IV Plan. They are expected to provide self employment, among others, to agricultural graduates.

3. Various schemes such as **Sfda, Mfal** etc. provide essistance to farmers through agricultural. The projects as well as the Banks extending loan facilities, are expected to provide employment to agricultural graduates.

4. Under the half a million jobs scheme for educated unemployed which was started in 1973-74, the State Governments are providing employment opportunities to some agricultural graduates in various schemes connected with agriculture.

5. Several Special Employment Programmes particularly in respect of various types of surveys, have thrown up additional employment opportunities.

6. The present Agricultural Extension and administrative set up will be strengthened and this is also expected to provide additional avenues of employment.

7. The Extension Training and Farmers Training Schemes will be strengthened.

8. Various research programmes in agriculture, including control of plant diseases and pests would be intensified making scope for additional employment.

Fixation of Vanaspati Price and its Implementation

4985. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have announced decreased in the prices of Vanaspati Ghee;

(b) whether prices of Vanaspati were not decreased in Madhya Pradesh and Rajasthan till 20th November, 1973; and

(c) if so, the name of the Government agency which fixes the price and ensures its implementation and the action to be taken on violation of directives?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) : Yes, Sir, with effect from the 16th November, 1973 and again from the 1st December, 1973.

(b) and (c) The changes in prices of vanaspati notified by the Government of India from time to time are effective throughout the country from the date specified in the notifications. Such changes are simultaneously brought to the notice of all State Governments who are competent to take action against factories/dealers failing to comply with the notified prices.

Production of Wheat, Rice, Groundnuts and Sugarcane in Various States

4986. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the production of wheat, rice, groundnuts and sugarcane in punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Maharashtra and Gujarat during the last two years; and

(b) the quantity of chemical fertilisers supplied to the farmers of these States, State-wise during the same period?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) A statement giving the required information for the last two years 1971–72 and 1972–73 for these States is attached. [Placed in the Library. See No. L.T–603 2/73].

(b) Available information pertains to the quantities of chemical fertilisers supplied to different States from the Central Fertiliser Pool and by the domestic manufacturers. The following table shows the quantities of chemical fertilisers supplied to these States during the last two years 1971–72 and 1972–73 :—

(In thousand tonnes)

	1971–72*			1972–73		
	N	P	K	N	P	K
Punjab	178	48	8	225	42	8
Uttar Pradesh	289	41	26	332	60	29
Madhya Pradesh	69	27	7	97	33	3
Haryana	72	9	@	79	5	1
Maharashtra	77	27	45	123	40	58
Gujarat	114	38	8	116	50	10

@ Less than 1000 tonnes.

* The figures for 1971-72 are exclusive of any quantities which may have been supplied to these States by the manufacturers under their seeding programmes and quantities supplied to private parties etc. For the country as a whole, these supplies amounted to 199 thousand tonnes of N, 53 thousand tonnes of P and 24 thousand tonnes of K.

ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं

4987. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामों में चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार ने कोई नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) ग्राम क्षेत्रों के लिये बढ़िया चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के अभिप्राय से भारत सरकार पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान चुने हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्तर बढ़ा कर उन्हें तीस-तीस पलंगों वाले

ग्राम अस्पताल बना देने की एक योजना चलाने का विचार रखती है । चार ब्लाकों के एक सेट में एक उच्च स्तर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा जिसमें 30 पलंगों और अन्य विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था होगी । इस योजना का उद्देश्य ग्राम क्षेत्रों में एक्सरे और प्रयोगशाला सेवाओं के साथ-साथ चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोगों की व्यापक तथा सामान्य दोनों प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करना है ।

ग्राम क्षेत्रों के लिये 30 उप-केन्द्रों में प्रयोगात्मक रूप से एक मार्गदर्शी स्वास्थ्य योजना चलाने का विचार है । प्रत्येक उप-केन्द्र में लगभग 8,000 से 10,000 की आबादी होगी । इस योजना की रूपरेखा नीचे दी गई है।

इस प्रयोग के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:--

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बद्ध वर्तमान उप-केन्द्रों में भारतीय तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों (संस्थानों से अर्हता प्राप्त) को नियुक्त करने की व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन करना;

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के वर्तमान ढांचे के साथ इस नये ढांचे की कार्यप्रणाली का क्या संबंध होगा उसके बारे में अध्ययन करना;

(iii) चिकित्सा के उपचारात्मक और निवारक पहलुओं पर किस प्रकार का कार्य होगा, उसका निर्धारण करना;

(iv) आधुनिक चिकित्सा पद्धति की तुलना में इन चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग और स्वीकार्यता के बारे में अध्ययन करना ।

इस अध्ययन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुधार के मापदण्ड के माध्यम से मूल्यांकन पर बल दिया जायेगा । लोगों का स्वास्थ्य स्तर कैसा है, इसका निश्चय करने के लिये एक आधारभूत सर्वेक्षण किया जायेगा और इसके लिये बच्चों तथा विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में मृत्यु की दरें देखनी होंगी तथा अरक्तता आदि रोगियों के रक्त की जांच-रिर्पोटें देखनी होंगी । उप-केन्द्रों में डाक्टरों की नियुक्ति के बाद, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ अथवा नहीं तथा देहात के लोगों ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को कहां तक स्वीकार किया है और वे कितनी प्रभावकारी हैं, इन बातों को जानने के लिये और आगे अध्ययन किये जायेंगे । इस काम में लगभग चार वर्ष लग जायेंगे ।

देश के पांच विभिन्न राज्यों में यादृच्छिक आधार पर चुने हुये प्रत्येक राज्य के दो-दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अध्ययन किया जायेगा । ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके । प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत हर तीन उप-केन्द्रों में एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद/सिद्ध की अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों का एक एक डाक्टर नियुक्त किया जायेगा । ये डाक्टर अपनी-अपनी चिकित्सा पद्धति की ही प्रैक्टिस करेंगे और अपनी चिकित्सा प्रणाली के अलावा वे किसी भी अन्य प्रणाली को न तो दवा देगें और न ही लिखेगें ।

दिल्ली की परिवहन समस्या के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्री तथा दिल्ली के उपराज्यपाल की बैठक

4978. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नई दिल्ली में अक्तूबर 1973 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ

परिवहन समस्या पर वातचीत करने के लिये एक बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण समस्या पर कोई निर्णय किया गया; और

(ग) यदि हां, तो उस का सारांश क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

4989. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि विज्ञान के क्षेत्र में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । संशोधित मापदंड विचारधीन है । राज्य सरकारों को कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त 1962 में भेजे गये थे ।

(ख) भारत सरकार ने 1962 में राज्य सरकारों को कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे थे । ये सिद्धान्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाये गये थे ।

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त इस प्रकार है :—

1. विश्वविद्यालय की कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा संबंधी कार्य की पूरे राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिये ।
2. कृषि विश्वविद्यालय में कम से कम कृषि कालेज, पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरी प्रोद्यौगिकी और मूल सिद्धान्त विज्ञान और विज्ञान और मानविकी का एक स्कूल भी शामिल होना चाहिये । इनमें से जितने भी संभव हों और कम से कम 3 तो अवश्य ही एक ही परिसर में स्थित होने चाहिये ।
3. विश्वविद्यालय के सभी कालेज उसके घटक होने चाहिये । इनका प्रबन्ध मंडल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एक ही होना चाहिये और संकाय तथा पाठ्यचर्या पूर्णतया एकीकृत होने चाहिये । इसमें और संबदिता म स्पष्ट अन्तर हैं ।
4. राज्य में राज्य सरकार की सहायता से स्थापित सभी कृषि, पशुचिकित्सा और पशु-विज्ञान कालेज उस विश्वविद्यालय के अधीन होंगे और उसके घटक होंगे । इस सामान्य क्षेत्र में नये कालेजों की स्थापना और किसी भी दिये गये क्षेत्र में प्रवेश के विस्तार के मामले में वर्तमान परिसर के भीतर और मुख्यालय परिसर को अग्रता देते हुये प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी ।
5. कृषि और संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम (शैक्षणिक प्रावस्था) का कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा कार्यों के साथ पूर्ण एकीकरण होना चाहिये ।
6. कृषि विश्वविद्यालय एक ऐसा संगठन है, जो ग्रामीण जनता में नेतृत्व के विकास उत्पादन

बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सामान्य सुधार लाने की उनकी शैक्षिक समस्याओं के प्रति समर्पित है । विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रयोजन तकनीकी कर्मचारियों की निम्नलिखित ढंग से सेवा करना है :—

(1) उन्हें गैर-तकनीकी कार्य से मुक्त करना ताकि वे उन समस्याओं की ओर अपना पूरा ध्यान दे सकें जिन्हें कि उन्होंने हल करना है ।

(2) आवश्यक सप्लाई के लिये वसूली के कार्य में तेजी लाना ।

(3) आवश्यक कार्य करने के लिये शीघ्र प्राधिकार देना और

(4) वे अपने कार्यों को कारगर ढंग से कर सकें इसके लिये आवश्यक सेवायें प्रदान करना ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली नगर निगम में अपने नियंत्रण में लिए गए गृह विज्ञान के जूनियर अध्यापकों के पदनाम में परिवर्तन

4990. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री जबुवंत धोते :

क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के शिक्षा विभाग ने दिल्ली नगर निगम के कुछ सहायक अध्यापकों को 1 जुलाई, 1970 से अपने नियंत्रण में ले लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके पदनाम को बदलकर जूनियर गृह विज्ञान अध्यापक या जूनियर व्यायाम शिक्षक आदि कर दिया गया है; और

(ग) क्या उन्हें अब भी 165--350 रुपये का वेतनमन मिल रहा है यद्यपि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में जूनियर गृह विज्ञान अध्यापक अथवा जूनियर व्यायाम शिक्षकों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जबकि आठवीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक 220–430 रुपये का वेतनमान प्राप्त करने के पात्र हैं और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली नगर निगम से स्थानान्तरीत किये गये सहायक अध्यापकों में से कुछ अध्यापक शारीरिक शिक्षा ड्राईंग, ग्रह विज्ञान और संगीत के विषय पढ़ाते थे तथा वे निगम द्वारा सहायक अध्यापक के वेतनमान में भर्ती किये गये थे । जो अब 165–350 रुपये है । इन अध्यापकों ने यह लिखित रूप से स्वीकार किया था कि वे सहायक अध्यापकों के रूप में 165–350 रुपये के वेतनमान में कार्य करने के लिये तैयार हैं, जो उन्हें नगर निगम में मिल रहा था और इसी शर्त पर उन्हें दिल्ली प्रशासन में लिया गया था और उनका पदनाम, वेतनमान तथा वेतन भी सुरक्षित रखा गया था ।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों के प्रयोगशाला सहायकों को चयन वेतनमान

4991. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री जांबुवंत धोते :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन दिल्ली के शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायकों को 274–375 रुपये का चयन वेतनमान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के कितने प्रयोगशाला सहायकों को उक्त चयन वेतनमान दिया गया है?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) दो।

दिल्ली प्रशासन के लिए शिक्षा विभाग में नृत्य अध्यापकों के वेतनमान

4992. **श्री फूल चंद वर्मा :**

श्री जांबुवंत धोते :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के शिक्षा विभाग में कुछ नृत्य अध्यापक 165–350 रुपये के वेतनमान पर काम कर रहें हैं और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं।

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टी० जी० टी०) का 250–550 रुपये का वेतनमान न दिया जाने के क्या कारण हैं यद्यपि वे इस वेतनमान के पात्र हैं और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिये अर्हताप्राप्त हैं जबकि इन्ही अर्हताओं वाले अन्य अध्यापक टी० जी० टी० के वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे, अध्यापकों की संख्या कितनी है जिन्होंने विभागीय तौर पर अपने मामलों के बारे में अभ्यावेदन भेजे हैं परन्तु उनके अनुरोध यह कह कर अस्वीकार कर दिये गये थे कि वे अर्हता-प्राप्त नहीं हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Memorandum Regarding Accommodation Problem from Pensioners Organisers Associations.

4993. **Shri Phool Chand Verma:**

Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether a memorandum regarding accommodation problems has been received from Pensioners Organisers Association in August last;

(b) whether serious concern has been expressed over their problems in the 14th Report of the Petitions Committee laid on the Table of the House on the 15th November, 1973; and

(c) if so, the action being taken in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) and (b) : Yes.

(c) The action to be taken in the matter will depend upon the decision that is eventually taken by Government on the Committee's recommendations.

मुगल लाइन्स द्वारा माल वाहन सेवा आरम्भ करना

4994. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन्स का विचार कोकण स्टीमर यात्री सेवा की हानि को पूरा करने के लिये पर्याप्त मालवाहन सेवा आरम्भ करके अपने लाभ में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुगल लाइन्स द्वारा कोंकण स्टीमर यात्री सेवा में की जाने वाली वृद्धि कुल-लाभ में घाटा पूरा करने के बाद रद्द कर दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) मुगल लाइन का माल सेवाओं का विस्तार करने का कार्यक्रम है । परन्तु यह कोंकण यात्री नौवहन सेवा जिसे "न लाभ न हानि" के आधार पर चलाई जानी है, से भिन्न होगी ।

(ख) जी, नहीं ।

शाहदरा में छात्रों की मांगें

4995. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा के छात्रों की, जो अपनी मांगों के लिये आन्दोलन कर रहे थे और जिन पर पुलिस ने 21 नवम्बर, 1973 को गोली चलाई थी, मांगें क्या हैं; और

(ख) छात्रों की न्यायोचित मांगें पूरी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्रों ने पहाड़गंज पुलिस द्वारा एक दिन पूर्व गिरफ्तार किये गये छात्रों को बिना शर्त छोड़ने तथा उनके विरुद्ध मामलों को भी वापिस लेने की मांग की थी । प्राधिकारियों ने छात्रों को यह बताया कि चूंकि गिरफ्तार व्यक्तियों को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अतः उन्हें जमानत के लिये न्यायालय से निवेदन करना चाहिये ।

दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने श्यामलाल कालेज की घटनाओं की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है । कालेज के शासी निकाय ने भी एक भूतपूर्व न्यायाधीश को मामले की जांच करने हेतु नियुक्त किया है ।

रूस से आयातित गेहूं की पहली खेप की मात्रा

4996. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि** मंत्री भारत-रूस गेहूं ऋण समझौते के बारे में 12 नवम्बर 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई गेहूं खेप इस बीच भारत पहुंच गई है और यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) अब तक 2.36 लाख मीटरी टन गेहूं ला रहे 11 जहाज भारत पहुंचे हैं और उनमें से 6 जहाजों ने जिनमें 1.02 लाख मीटरी टन गेहूं था, 10-12-73 तक निकासी का कार्य पूरा कर लिया था ।

नियमित खेती के लिये मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वेक्षण

4997. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में धान, मक्का और गेहूं की नियमित खेती के लिए कुल कितनी भूमि उपलब्ध है ;

(ख) नये नये स्थानों पर खेती करने के कारण मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है ;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई व्यापक सर्वेक्षण किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और यदि नहीं, तो क्या सरकार वन तथा कृषि दोनों विभागों द्वारा इस समस्या का गंभीर रूप से अध्ययन करायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अभी तक कोई निश्चित सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं ।

(ख) झूम खेती की वजह से मृदा को काफी नुकसान पहुंचा है जिसके परिणामस्वरूप भूमि की उत्पादकता में कमी आती है। इस संबंध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) अभी तक इस संबंध में कोई निश्चित सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं। फिर भी, अब उत्तरी-पूर्वी परिषद ने एक झूम अनुसंधान समिति गठित की है और इस समस्या के अध्ययन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ करने का प्रस्ताव है। पनधारा के आधार पर मार्गदर्शी परियोजनाओं में कार्य आरम्भ किया जायेगा और इस कार्य में केवल कृषि और वन विभाग ही नहीं बल्कि राजस्व, पशुपालन, आदिवासी विकास, आदि अन्य विभाग भी कारगर रूप से भाग लेंगे ।

मणिपुर स्वास्थ्य सेवा का गठन

4998. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर स्वास्थ्य सेवा के गठन में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने मणिपुर सरकार के अधीन सेवा कर रहे डाक्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से पृथक करने के प्रस्ताव के संभावित परिणामों का अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार और उस पर डाक्टरों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) मणिपुर स्वास्थ्य सेवा अन्ततः कब तक गठित हो जाएगी ;

(ङ) क्या डाक्टरों से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा या मणिपुर स्वास्थ्य सेवा में रहने सम्बन्धी विकल्प लिया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने ये विकल्प मांगने से पूर्व मणिपुर स्वास्थ्य सेवा की वास्तविक रूपरेखा बता दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (च) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 'परीक्षा पद्धति' में सुधार

4999. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री विश्वविद्यालयों और सेकेण्डरी बोर्डों के अधीन परीक्षा पद्धति को समाप्त करने के बारे में दिनांक 20 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3642 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि विभिन्न सेकेण्डरी शिक्षा बोर्डों में भिन्न-भिन्न परीक्षा/पद्धतियां प्रचलित होने के कारण देश में शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यान्वियन समिति ने इस बीच कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित परीक्षा सुधार कार्यान्वियन समिति, इस समय कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में परीक्षा सुधार संबंधी कुछ प्रारंभिक कदम उठाने में व्यस्त हैं, प्राप्त होने वाले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अन्य विश्वविद्यालयों में भी शुरू किया जाएगा। आशा है कि अपनी-अपनी परीक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा उठाए गए कदमों का स्कूलों में परीक्षा पद्धति पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा।

दिल्ली प्रशासन में दस्तकारी के अध्यापकों के वेतनमानों में असंगति

5000. **श्री जांबुवंत घोटे :**
श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में दस्तकारी के अध्यापक भिन्न भिन्न वेतनमान प्राप्त कर रहे अर्थात कुछ 250-550 रुपये और कुछ अन्य 220-430 रुपये ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस असंगति के कारण क्या हैं और प्रत्येक वेतनमान में अध्यापकों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) शिल्प अध्यापकों के पदों के दो विभिन्न वेतन मानों में संस्वीकृत किया जाता है अर्थात् 250-550 रुपये के वेतनमानों में वरिष्ठ शिल्प अध्यापक और 220-430 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ शिल्प अध्यापक। इन दोनों प्रत्येक वेतनमान में कार्य कर रहे अध्यापकों की संख्या इस समय 51 है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्छ जिले (गुजरात) में मांडवी में पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के मकान को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव

5001. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के कच्छ जिले में मांडवी में स्वतंत्रता संग्राम के एक

उल्लेखनीय क्रांतिकारी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के मकान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है।

देश में सभी सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण का सर्वेक्षण

5002. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा केन्द्रों का व्यापक सर्वेक्षण करायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की वरीयता

5003. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों की पारस्परिक वरीयता गत 9 वर्षों में निश्चित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) वरीयता समुचित रूप से निश्चित न करने के कारण कितने अध्यापकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) उनकी वरीयता नियत करने में और कितना समय लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) संगीत तथा नृत्य के अध्यापकों को छोड़कर, अध्यापकों के अन्य सभी वर्गों की पारस्परिक वरीयता को अन्तिम रूप दे दिया गया है। संगीत तथा नृत्य के अध्यापकों की वरीयता सूची शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नियमों के अनुसार ही वरीयता निर्धारित की गई है। यदि इससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वह अभ्यावेदन दे सकता है तथा उसके मामले पर नियमों के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्यावृद्धि और मानवीय विकास पर सम्मेलन

5004. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक संस्थान द्वारा आयोजित जनसंख्या वृद्धि और विकास सम्बन्धी एक सम्मेलन हाल में नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) उन पर प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां,। इस बारे में प्रेस रिपोर्ट सरकार को देखने को मिली है।.

(ख) इस सम्मेलन के आयोजकों ने सम्मेलन के निष्कर्ष सरकार को नहीं भेजे हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

फल संरक्षण आदेश अधिनियम के अन्तर्गत सोडावाटर आदि का विपणन

5005. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री शशि भूषण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोडावाटर आदि को फल संरक्षण आदेश के अन्तर्गत लाने के क्या कारण हैं जबकि सोडावाटर आदि में फलों का रस नहीं होता;

(ख) सोडावाटर आदि को एफ०पी०ओ० नम्बर की घोषणा के साथ और फल संरक्षण आदेश की अपेक्षानुसार यह उल्लेख किए बिना कि उत्पादन संश्लिय्ट है विपणन की अनुमति क्यों दी जाती है; और

(ग) एफ०पी०ओ० नम्बर प्राप्त करने के लिए कोका कोला की महक अथवा रंग किस फल से मिलता जुलता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) क्योंकि सोडावाटर में फल का रस न होने से इसे फलों के पेय रस के मुकाबलतन मूल्यों पर बेचा जाता है इसलिए उन्हें फल उत्पाद आदेश के उपबन्धों के अधीन लाया गया है ताकि उनका गुण-नियन्त्रण और समुचित विपणन सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) सोडावाटर को पहली जनवरी, 1973 से फल उत्पाद आदेश के अंतर्गत रखा गया है और आदेश के अनुसार लेबल लगाने सम्बन्धी प्रश्न का कुछेक व्यावहारिक कठिनाइयों के संदर्भ में पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) कोका कोला का वर्गीकरण 'संश्लिष्ट पेय' के रूप में किया जाता है, इसमें कोई फल का रस नहीं होता है।

केन्द्रीय विद्यालय, गुड़गांव में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

5006. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री शशि भूषण :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़गांव में नए खोले गए केन्द्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों के दाखिले के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ;

(ख) शैक्षिक वर्ष 1973-74 के लिए कितने विद्यार्थी दाखिल किए गए हैं, उनमें से कितने विद्यार्थी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बालक एवं बालिकाएं हैं और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके माता-पिता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ;

(ग) गैर-सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन गुड़गांव ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और उक्त अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जानी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केन्द्रीय विद्यालय, गुड़गांव में छात्रों के प्रवेश के लिए वही मानदण्ड अपनाया गया है जो सारे भारत में सभी केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अपनाया जाता है, अर्थात दाखिले के लिए निर्धारि प्राथमिकताओं के आधार पर ही दाखिल किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(i) सीमा सुरक्षा दल के बावर्दी कार्मिकों सहित स्थानान्तरणीय सुरक्षा कार्मिकों के बच्चे ;

(ii) केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे ;

(iii) अखिल भारतीय सेवाएं, स्वायत्त निकायों/परियोजनाओं जिसकी पूरी वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है और सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि के ऐसे अधिकारियों के बच्चे जिनकी सेवाएं स्थानान्तरणीय हैं;

(iv) सुरक्षा कार्मिकों और केन्द्रीय सरकार के गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे; और

(v) केन्द्रीय विद्यालयों की अध्ययन पद्धति को अपनाने की इच्छुक अन्य चल जनता, जिनमें सिविल जनता भी शामिल है।

(ख) 1973-74 शैक्षणिक वर्ष के दौरान गुड़गांव के केन्द्रीय विद्यालय में दाखिल किए गए बच्चों की कुल संख्या 155 है। इसमें से 147 छात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लड़के/लड़कियां हैं और शेष 8 छात्रों के माता-पिता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के दाखिले के लिए अपनाए गए मानदण्ड की प्राथमिकता श्रेणी (v) के अन्तर्गत, केन्द्रीय विद्यालय अध्ययन पद्धति को अपनाने का इच्छुक अन्य चल जनता के बच्चों के लिए दाखिले की भी व्यवस्था है। चूंकि स्थान रिक्त थे, इसलिए 8 छात्रों को, जिनके माता-पिता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, और जिन्होंने दाखिले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली थी, दाखिल कर लिया गया था ।

(घ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघ गुड़गांव से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस मामले की जांच की गई है और उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

49 LSS/73—7

Winding up of N.D.S. and Starting N.S.S.

5007. **Shri R.V. Bade:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be please to state:

(a) the reasons for starting the National Service Scheme by winding up the National Discipline Scheme and the merits and demerits thereof;

(b) the number of Officers and trainers absorbed in the new scheme separately giving them benefits available at the Central level; and

(c) the steps being taken to give benefits of Central Services to the low paid trainers also?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The nature and scope of the National Service Scheme and the National Discipline Scheme are different.

The National Service Scheme was introduced in 1969-70 as a result of the recommendations of the Education Commission (1964-66) and the State Education Ministers' Conference held in April, 1967. The overall objective of the National Service Scheme is to arouse the social consciousness of University and college students and to provide them opportunities to be of service to the community while undergoing collegiate instruction.

The National Discipline Scheme was started in 1954 as a programme for instilling discipline and imparting training in mass drill among the younger generation in refugee camps and colonies. The scope of the Scheme was enlarged in 1958 to cover students in schools. The scheme has not been wound up, but had been merged in 1965-66 in the National Fitness Corps programme, which replaced the various programmes like Auxiliary Cadet Corps, Drill, Physical Training, National Discipline Scheme etc. This programme was introduced as an integrated programme, to be woven into the fabric of educational system at the school stage, which will provide a graduated scheme of character development for a democratic way of life. As the National Fitness Corps programme is to be implemented by the State Governments, it has since been decided to decentralise this programme, and transfer the National Discipline Scheme Instructors, paid and administered by the Central Government, to the respective State Governments for the purpose.

(b) & (c) The number of supervisory and instructional posts sanctioned for National Fitness Corps as on the 30th June, 1972, when the National Fitness Corps Directorate, and its Regional Offices were closed down, was:—

Gazetted:

Designation	Pay scale	No. of posts
Regional Director . .	Rs. 700-900	2
Senior Supervisor	Rs. 450-575	14

Designation	Pay scale	No. of posts
Non-Gazetted:		
Senior Lecturer/Supervisor .	Rs. 325–475	10
Instructional staff:		
Senior Grade I	Rs. 210–320	53
Senior Grade II	Rs. 150–240	297
Junior Grade I	Rs. 110–200	6,000

All the supervisors and instructional staff were offered to the State Governments for absorption in the State cadre of Physical Education Teachers. All other staff (including Ministerial and Class IV staff) was transferred to the Surplus Cell for absorption elsewhere.

The number of posts in the National Service Scheme against which supervisory and instructional staff of the National Fitness Corps have been absorbed is:—

Designation & scale	No. of sanctioned posts in N.S.S.	No. absorbed from National Fitness Corps	N.F.C. Grade from which absorbed
Sr. Youth Officer Rs. 700–1250	8	1	Regional Director
Jr. Youth Officer Rs. 400-900	12	12	Senior Supervisor
Youth Assistant Grade I Rs. 325–475	12	3	Sr. Lecturer/Supervisor
Youth Assistant Grade II Rs. 210–320	12	9	Sr. National Discipline Scheme Instructor Gd. I.

The second Regional Director did not want to be absorbed in the National Service Scheme, and was found alternative employment through the Surplus Cell of the Department of Personnel. Similarly 2 Senior Supervisors who could not be accommodated in the National Service Scheme for want of vacancies have been accommodated under the Central Government by the Surplus Cell. All Clerical and Class IV staff have also been absorbed in the Central Government service elsewhere.

The remaining Supervisors/Sr. Grade I Instructors of the National Discipline Scheme have not yet accepted the offers of posts of Youth Assistants Grade I/II in the National Service Scheme, which are still vacant.

All supervisors and instructional staff have been offered to the State Governments for absorption in the State cadre of Physical Education Teachers. Such of them as are not acceptable to the State Governments will be retained in service and found alternative employment.

1973 के दौरान पत्तनों में हड़ताल

5008. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 के दौरान पत्तनों में कितनी बार हड़ताल हुई हैं;

(ख) उन पत्तनों के नाम क्या हैं; और

(ग) हड़तालों के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) पत्तन परिचालन जटिल है और हड़ताल या काम बंद होने से हुई हानि की मात्रा बताना आसान नहीं है। हानि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है।

विवरण

क्र० सं०	बड़े पत्तन का नाम	1973 (नवम्बर 1973 के अन्त तक) में पत्तन हड़तालों/बन्दों की संख्या — पत्तन कर्मचारियों द्वारा	गोदी कर्मचारियों और पत्तन कार्य संबंधित अन्य कर्मचारियों द्वारा
1.	कांडला	—	1
2.	पारादीप	1	—
3.	बम्बई	23	5
4.	मारमुगांव	—	6
5.	विशाखापटनम	4	15
6.	कोचीन	5	14
7.	कलकत्ता	सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।	
8.	मद्रास		

जल को दूषित करने वाली कम्पनियों पर उप-कर

5009. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन कम्पनियों पर उप-कर लगाने का है जिनके कारखाने जल को दूषित करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जल (प्रदूषण के निर्धारण तथा नियन्त्रण) विधेयक, 1973 के सम्बन्ध में उप-कर लगाने के लिए सरकार एक पृथक विधेयक बनाने का विचार कर रही है ।

खेलों के लिए उचित मार्गदर्शन का अभाव और अपर्याप्त सुविधाएं

5010. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 नवम्बर, 1973 को दिल्ली में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए कथित उस भाषण की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है, कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए उचित मार्गदर्शन का अभाव और अपर्याप्त सुविधाएं आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में शिक्षा प्रणाली की त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) यद्यपि शैक्षिक संस्थाओं में खेल-कूद का स्तर सुधारने का दायित्व राज्य सरकारों का है, फिर भी, भारत सरकार द्वारा देश में खेल-कूद के प्रसार तथा विकास के लिये विभिन्न कदम उठाए गए हैं । उठाए गये मुख्य कदमों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) खण्ड, जिला तथा राज्य स्तरों पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने तथा अखिल भारतीय ग्रामीण प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये राज्य खेल परिषदों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(2) राज्य खेलकूद परिषदों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मदद करने के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की सेवाएं सौंपना । ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने तथा और अधिक विशेषज्ञ—प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिभा का पता लगाने के लिए नेहरू युवक केन्द्रों में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है ।

(3) प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, स्टेडियमों, तरल तालों, भीतरी हालों के निर्माण और खेलकूद उपस्कर की खरीद इत्यादी के लिए राज्य खेलकूद परिषदों से प्राप्त अनुरोधों पर निधियां उपलब्ध करना।

(4) स्कूलों और कालेजों, दोनों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना शुरू करना, ताकि वे खेलकूदों में वांछनीय दक्षता हासिल कर सकें।

(5) खेलकूदों के लिए शारीरिक सुविधाओं के निर्माण/सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों को निधियों की व्यवस्था करना।

(6) सीनियरों और जूनियरों के लिये वार्षिक प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिये तथा चुनिन्दा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय दलों के भाग लेने के लिए राष्ट्रीय खेलकूद संस्थाओं/संघों को वित्तीय सहायता देना।

उपरोक्त उपायों और कार्यक्रमों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तथा बुनियादी स्तर पर शारीरिक प्रशिक्षण सुविधाएं तथा खेलकूद कार्यकलापों को व्यापक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से, पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान कुछ अतिरिक्त कदम उठाने का प्रस्ताव है, जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

"डी० डी० ए० हैज़ फेल्ड इन इट्स ओब्जेक्टिव" शीर्षक से समाचार

5011. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री विक्रम महाजन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकार पार्षद् ने यह कहा है कि जिस उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वह पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि वह उद्देश्य पूरा हो सके जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी थी।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। विशेषकर आवास क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा जनता वर्ग के लिए अनेक योजनाओं का निष्पादन किया गया है तथा निष्पादनाधीन हैं।

तमिलनाडु सरकार का अपने राज्य में बने उर्वरकों के वितरण की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुरोध

5012. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में बने उर्वरकों के वितरण की शक्ति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तमिलनाडु सरकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में प्राइवेट निर्माताओं के पास पड़े हुए पूल के अतिरिक्त अन्य उर्वरकों का स्टाक हाथ में लेने और उसे वितरित करने के लिए अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध का जो कि अभी हाल में ही प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा लम्बे रास्तों से खाद्यान्नों को भेजना

5013. **श्री धामनकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतारा, सांगली और कोल्हापुर के लिए भेजे जाने वाले खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहले रेलों के जरिए कोल्हापुर भेजे जाते हैं और फिर वहां से वापिस ट्रक में सांगली और सतारा लाए जाते हैं, और यह रास्ता लम्बा पड़ता है जबकि ये स्थान रेल से सम्बद्ध है;

(ख) देश के किन अन्य भागों में ऐसी व्यवस्था है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाने के क्या कारण हैं जबकि यह स्पष्ट रूप से हानिकारक हैं; और

(ग) सामान्य जनता को खाद्यान्न प्राप्ती में होने वाली असुविधाओं और विलम्ब के अतिरिक्त माल पर भाड़े के रूप में तथा उसे चढ़ाने और उतारने के लिए दी जाने वाली मजूरी के रूप में कितना अतिरिक्त व्यय होता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रेषण निर्देशों के अनुसार और उनके खाते पर भारतीय खाद्य निगम 1973 के दौरान सतारा रोड, सांगली और कोल्हापुर को खाद्यान्न भेजता रहा है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऐसे कोई संचलन नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पी० जी० टी० की नियुक्ति का आधार

5014. **श्री सी०टी० दण्डपाणि** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों में स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है;

(ख) विभागीय अनुभवी प्रत्याशियों को पदोन्नति करने और बाहर से नए लोगों को भर्ती करने का अनुपात क्या है;

(ग) क्या स्नातकोत्तर अध्यापकों के रिक्त पद भरते समय इस अनुपात को पूरी तरह बनाए रखा जाता है, और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में उक्त अध्यापकों के रिक्त पद भरने के लिए कितने विभागीय प्रत्याशियों को पदोन्नति दी गई और कितने प्रत्याशियों को असफल घोषित किया गया और क्यों ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं और आयु-सीमा के आधार पर ।

(ख) (1) पदोन्नति—75 प्रतिशत ।

(2) सीधी भर्ती—25 प्रतिशत।

(ग) जी, हाँ।

(घ) पदोन्नति किए गए उम्मीदवार :—

1970-71	1971-72	1972-73
146	कोई नहीं	कोई नहीं

दो उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए अयोग्य समझा गया।

पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जो पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करती है।

जगन्नाथ मंदिर, पुरी की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश

5015. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी की मरम्मत के बारे में 19 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1101 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिश में उपकरणों आदि खरीदने के लिए विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति और निर्मित ढांचे की अग्रेतर जांच केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, राऊरकेला के किसी विशेषज्ञ स्ट्रकचरल इंजीनियर से कराए जाने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विशेषज्ञ समिति ने, विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति, उपस्करों की खरीद तथा केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की के किसी विशेषज्ञ द्वारा भवन की और जांच पड़ताल करने की सिफारिश की है।

(ख) सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा प्रारंभिक कदम के रूप में; उपस्कर की खरीद का खर्चा वहन करने हेतु 1.5 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

रूस में अध्ययन करने के लिए छात्रों का नामांकन

5016. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 15 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर अमरीका में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के समान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ख) क्या, जैसा कि ब्रिटेन तथा अमरीका में दाखिलों के मामले में होता है, भारत सरकार की स्वीकृती अथवा नामांकन के बिना यदि विश्वविद्यालय और रूस सरकार विदयार्थी चुन लेते हैं तो सरकार को विद्यार्थियों को रूस में अध्ययन करने के लिए स्वीकृति देने में कोई आपत्ति है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारतीय छात्रों को, रूस के प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा जाता है। चूंकि उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या, छात्रवृत्ति देने वाले देश

द्वारा निर्धारित की जाती है अतः भारत सरकार द्वारा रूस में अध्ययनार्थ छात्रों की संख्या बढ़ाने अथवा घटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) रूस में अध्ययन करने हेतु छात्रों को अनुमति प्रदान करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वे विश्वविद्यालयों द्वारा चुने गए हों तथा रूस की सरकार उन्हें अनुमोदित कर दे।

Admission of Scheduled Castes and Caste Hindus in Public Schools and Hostels

5017. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government will follow a policy of securing compulsory admission in a fixed percentage in public schools and hostels to the students belonging to the Scheduled Castes;

(b) Government's reaction in regard to adopting a similar policy in matters of admitting caste-Hindus students in the schools and hostels intended for scheduled castes and scheduled tribes; and

(c) whether Government feel that such a policy will help more in the eradication of untouchability in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Education Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) Government's stand on all special schools including Public schools has been stated in the Resolution on National Policy on Education (1968), namely:

"All special schools including public schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide a prescribed proportion of free studentships to prevent segregation of social classes. This will not, however, affect the rights of minorities under Article 30 of the Constitution of India."

The Ministry of Education is administering a scheme of Merit Scholarships in residential schools. Under the revised scheme, 500 scholarships are being awarded every year, out of which 15 percent and 5 percent scholarships are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates respectively. Scholarships are awarded to the candidates whose parents' income does not exceed Rs. 500/- p.m. This limit does not apply to Scheduled Tribe candidates. Most of the public schools included in the scheme have voluntarily agreed to reserve 25 percent for the Government of India Merit Scholars in their schools, which includes students from Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) & (c) Schools are by and large established to serve particular localities and this problem of segregation does not arise.

In Harijan Hostels, seats are reserved for Caste Hindu students to give these hostels cosmopolitan character and avoid segregation. In March 1966, instructions were issued to all States/Union Territories that if a Caste Hindu student who is offered a seat in a Harijan hostel, refuses to accept accommodation so offered, he should not be allowed accommodation in any other hostel.

Government's view is that there should be no segregation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The setting up of exclusive institutions for these classes is discouraged and in the institutions meant primarily for them, 10 per cent of the seats are generally available to non-Scheduled Castes/Tribes. A general policy to have mixed hostels will help in the eradication of untouchability in the country.

Purchase of Wheat by Dealers in Some States and its Effect on its Availability

5019. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the States where the dealers were permitted in August last to purchase wheat;

(b) whether it has become very difficult to get wheat at a price of Rs. 120 to Rs. 150 per quintal in those local mandis where the big dealers in foodgrains had hoarded grains after giving advance money to big farmers; and

(c) the reaction of those farmers in this regard who had cooperated with Government in the take-over of whole-sale trade in wheat?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मेडिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक और प्राकृतिक चिकित्सा कालेजों तथा अस्पतालों को खोलना

5020. **श्री अमर सिंह चौधरी :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का यह विचार है अथवा राज्य सरकारों से वह अनुरोध करेगी कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में मेडिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा कालेजों तथा संस्थाओं को खोला जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी (राज्यवार) मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) ऐसे कालेज कब तक बना दिये जायेंगे और इनमें कब तक कार्य आरम्भ हो जाने की आशा है; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक को कितनी वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी और उसका व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) मेडिकल कालेज तथा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और प्राकृतिक उपचार के कालेजों को खोलने का काम मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों का ही है । वैसे देश के लिये अपेक्षित चिकित्सकों की संख्या को देखते हुए पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में कोई भी नया कालेज खोलने का विचार नहीं है ।

ग्राम क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं देने के विचार से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें तीस-तीस पलंगों वाले अस्पताल बनाने तथा

विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के उपलब्ध सभी चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करने की कुछेक विशेष योजनाएं क्रियान्वित करने का विचार है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों के चिकित्सा पर हुए व्यय की वापसी सम्बन्धी दावे

5021. **श्री अमर सिंह चौधरी :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सिविल और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा पर हुए व्यय की वापसी के अनेक दावे गत दो वर्षों से विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे दावे के शीघ्र भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) सभी संबंधित कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के 'बौद्ध अध्ययन विभाग' का 'दर्शन विभाग' के साथ विलय करने का प्रस्ताव

5022. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के 'बौद्ध अध्ययन विभाग' का 'दर्शन विभाग' के साथ बिलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में मत्स्य उद्योग के लिये वृहद्ध योजना (मास्टर प्लान)

5023. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिये मत्स्य उद्योग के लिये एक बृहद् योजना का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिये जुलाई, 1972 में एक समिति गठित की थी जिसके कार्यों में कम से कम समय में मछलियों की सप्लाई के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने, राज्य में मीन-उद्योग का समग्र विकास करने तथा सामान्य रूप से मछुओं की आर्थिक समृद्धि के सम्बन्ध में साधनों की सिफारिश करना शामिल था। संशोधित विचारार्थ विषयों के अनुसार समिति ने 31 जनवरी, 1974 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अभी तक समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कलकत्ता में पर्यावरण-दूषण के बारे में उद्योगों का सर्वेक्षण

5024. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने कलकत्ता क्षेत्र में पर्यावरण-दूषण के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए सी० पी० एच० आई० आर० आई०, नागपुर को परामर्शदाता नियुक्त किया है;

(ख) क्या वायु-दूषण का वर्तमान स्तर जन-स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है; और

(ग) यदि हां, तो समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता तथा हावड़ा के उन भागों में, जहां उद्योग संकेन्द्रित हैं, वायु प्रदूषण का स्तर ऊंचा है लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह स्तर साधारण और निम्न के बीच है; तथा

(ग) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रणा अनुसंधान संस्थान का अध्ययन 1975 तक चलने की संभावना है। उत्सर्जन के स्त्रोतों का पता लगाना तथा जहां-कहीं आवश्यक हो, उचित कार्यवाही करना तभी सम्भव हो सकेगा जब सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जायेंगे।

पश्चिम बंगाल में वनस्पति का उत्पादन करने वाली मिलें और उनका उत्पादन

5025. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वनस्पति का उत्पादन करने वाली मिलें कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं, और

(ख) उनकी लाइसेंस-प्राप्त उत्पादन क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान वास्तव में उनमें कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) छः यूनिट है, उनके नाम तथा अन्य अपेक्षित ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(मी0 टन)

नाम	वार्षिक लाइसेंस शुदा क्षमता	उत्पादन		
		1971	1972	1973 नवम्बर तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. दयापुर टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	30,000	9,190	11,726	8,980
2. हिन्दुस्तान लीवर लि०, शामनगर	34,500	12,021	13,113	8,065
3. कुसुम प्रोडक्ट्स लि० रिशरा .	17,400	14,715	17,449	9,694
4. स्वाइका वनस्पति प्रोडक्ट्स लि०, लिल्लुआ .	30,000	8,237	8,604	5,948
5. यूनाइटेड बेजीटेबल मैन्यूफैक्चरर्स लि०, रिशरा	7,200	2,192	शून्य	218
6. वेजीटेबिल प्रोडक्ट्स लि०, बेलधारिया .	24,000	7,522	7,312	4,674

रायचक (पश्चिम बंगाल) में गहरे पानी में मछली पकड़ने की परियोजना

5026. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचक (पश्चिम बंगाल) में गहरे पानी में मछली पकड़ने की परियोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में मीन उद्योग के विकास के सम्बन्ध में पांचवी योजना के प्रस्तावों पर विचार करने वाले योजना आयोग के कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल के तट पर गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले 15 जलयानों का प्रयोग किया जाना चाहिये। वर्तमान सूत्रों के अनुसार रायचक से गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने का कार्य पश्चिमी बंगाल मत्स्य विकास निगम तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा शुरू किया जाएगा। निगम तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों ने पहले 50 जलयानों के आयात के लिए एक सरकारी अधिसूचना के प्रत्युत्तर में गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले 8 जलयानों के लिए आवेदन पत्र दिए हुए हैं। आयात

की शर्तों के अनुसार उन्हें देश में बने उतने ही मछली पकड़ने वाले जलयान खरीदने होंगे । चूंकि आयात के लिए उपलब्ध संख्या की अपेक्षा आयात के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है, अतः अभी यह ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता कि पश्चिम बंगाल की पार्टियों को कितने जलयान अलाट किए जाएंगे । भारत सरकार गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए आवश्यक मूल सुविधाएं प्रदान करेगी । गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले 15 जलयानों के लिए एक बन्दरगाह रायचक में 151 लाख रु० की लागत से बनाने के लिए जनवरी, 1971 में स्वीकृति दी गई थी । 241.50 लाख रु० के खर्च के लिए नवम्बर, 1973 में एक संशोधित स्वीकृति दी गई थी । बन्दरगाह की क्षमता बढ़ाई जाएगी। विकास के दूसरे चरण में 50 तथा तीसरे चरण में 110 यानों के ठहरने की व्यवस्था की जायेगी । 15 यानों (जिनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो जायेगी) के सफल प्रयोग के पश्चात् स्थिति पर विचार किया जाएगा । बन्दरगाह का प्रथम चरण 1975 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

बर्फ, तथा शीत भण्डारण फिशमील प्लांट आदि अन्य तटीय सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

उर्वरक की मांग और पूर्ति में अन्तर

5027. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972-73 में उर्वरकों की मांग और पूर्ति के अन्तर में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उर्वरकों की मांग और पूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1970-71 तथा 1971-72 में उर्वरकों की मांग और उपलब्धि के बीच कोई अंतर नहीं था । तथापि, वर्ष 1972-73 में राज्यों के लिये उर्वरकों की आवश्यकता और देशी निर्माताओं तथा आयात से की गई कुल सप्लाई के बीच लगभग 4 प्रतिशत का अन्तर था ।

(ख) 1970-71 से उर्वरकों की राज्यवार मांग और सप्लाई का विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या** एल० टी०--6033/73]।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रिजर्वेशन असिस्टेंट

5028. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में कार्य कर रहे प्रिजर्वेशन असिस्टेंटों से संबंधित 6 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2172 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके द्वारा किये जा रहे तकनीकी स्वरूप के काम को ध्यान में रखते हुए उन्हें तकनीकी अथवा कुशल कर्मचारी माना जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में कार्य कर रहे परिरक्षण सहायकों के लिए निर्धारित भर्ती नियमों तथा "तकनीकी" के रूप में पदों के वर्गीकरण के विषय पर समय-समय पर जारी किये गये सरकारी अनुदेशों

को ध्यान में रखते हुए परिरक्षण सहायकों के पदों को "तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।"कुशल", "अर्ध-कुशल" इत्यादि के रूप में ऐसे वर्गीकरण सामान्यतया कार्यशाला/औद्योगिक स्टाफ के लिए प्रयुक्त होते हैं और इन पदों के मामले में लागू नहीं होते हैं।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में कमरा और लेमीनेशन मशीन का कार्य न करना

5029. **श्री एम० कतामुतु**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में कैमरे, लेमीनेशन मशीन पिछले छः महीने से काम नहीं कर रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मशीनों के कार्य न करने के बारे में लेखा-परीक्षा ने आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी है; और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली की लेमीनेशन प्रेस लगभग छः महीनों से बंद पड़ी थी। परन्तु अब उसमें काम हो रहा है। तीन माइक्रोफिल्म कैमरे भी काम कर रहे हैं। दो पुराने माइक्रोफिल्म कैमरों में बड़ी मरमम्त करने की आवश्यकता है और उन्हें काम करने के योग्य बनाने के लिये अपेक्षित कार्रवाई की गयी है।

(ग) और (घ) महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के कार्यालय के लेखा परीक्षक दल ने इस वर्ष के आरम्भ में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजी गयी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ इन मामलों का भी जिक्र किया था। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित उप-करणों के मद्द कोई 20 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं और उनके फालतु पूर्जे मिलना कठिन है और इसलिए ऐसे उपकरणों को पुनः कार्य करने योग्य बनाने के लिए कुछ समय लगना अपरिहार्य होता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को अब उस लेखा परीक्षित पैराग्राफ के सम्बन्ध में अपना उत्तर भेज दिया है।

चौगुले की मुआवजे के पुनरीक्षण के लिए अपील

5030. **श्री एम० कतामुतु**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौगुले ने केन्द्र से अपील की है कि कोंकण सिपिंग सर्विस के अधिग्रहण के समय अधि-सूचित मुआवजे का पुनरीक्षण किया जाए;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी): (क) और (ख) चौगुले स्टीमशिप्स लि० ने अभ्यावेदन दिया है कि कोंकण यात्री जहाज (अर्जन) अध्यादेश 1973 में उल्लिखित मुआवजे

की रकम अपर्याप्त है । कम्पनी ने कहा है कि मुआवजे की रकम का जहाजों के मूल्य से कोई संबंध संबंध नहीं है । इसके अलावा अध्यादेश में जहाज की जिस तरह परिभाषा की गई है । उसमें जहाज के अलावा कुछ अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं और देय रकम निर्धारित करते समय इनका मूल्य भी हिसाब में लिया जाना चाहिए । इसके अलावा उन्होंने प्लवमान कर्मचारियों और तटीय कर्मचारियों इत्यादि पर व्यय किया जो यदि अध्यादेश पहले जारी कर दिया गया होता तो नहीं करना पड़ता । उन्होंने यह भी अभ्यावेदन दिया है कि उनको दिये जाने वाले मुआवजे की रकम निर्धारित करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाये।

(ग) कम्पनी को दी जाने वाली रकम, काफी सोच विचार के बाद ही निश्चित की गई और इसमें कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

भारत में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा (प्लास्टिक सर्जरी) सम्बन्धी सुविधायें

5031. **श्री रामरतन शर्मा**: क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा (प्लास्टिक सर्जरी) सम्बन्धी उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस शिक्षा में प्रगति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि ऐसी सुविधायें उपलब्ध हैं तो वर्ष 1972-73 में सरकारी अस्पतालों में कितने रोगी दाखिल किये गये और कितने प्रतिशत रोगी रोगमुक्त हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) दिल्ली के बड़े-बड़े अस्पतालों में इसकी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं तथा देश के कई मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध अस्पतालों में भी प्लास्टिक सर्जरी विभाग हैं जिनमें ये सुविधाएं पर्याप्त हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही भेज दी जायेगी।

Facilities to Farmers for Solving food Problem and Growing Tobacco and Cash Crops

5032. **Shri R.R. Sharma:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is any scheme to give facilities to farmers with a view to solving the food problem of India;

(b) whether there is no provision for giving facilities to the farmers growing tobacco, a cash crop; and

(c) if so, the reasons therefor, and in case there is such a provision, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) A scheme for the development of Virginia Flue Cured Tobacco in new light soil areas is being implemented in the States of Andhra Pradesh, Mysore, Gujarat, Tamil Nadu and Uttar Pradesh and exploratory trials are being conducted in the States of

Maharashtra, Bihar and Orissa. The various incentives and subsidies offered under the scheme are given below:—

Item	Rate of subsidy
1. Seedlings	50% subject to maximum of Rs. 20/- per acre.
2. Pesticides	Rs. 10/- per acre.
3. Construction of wells.	Rs. 1500/- per well.
4. Construction of barns.	Rs. 1250/- per barn.
5. Sprinkler Irrigation . .	Rs. 2500/- per unit.
6. Curing.	Rs. 50/- per acre.
7. Hand operated Sprayers . . .	Rs. 50/- per sprayer.

Another Central Scheme for Development of Cigar Wrapper Tobacco in Cooch Bihar District of West Bengal is being implemented through the Central Tobacco Research Institute, Rajahmundry. The incentives and subsidies offered under this scheme are as under:—

1. Construction of curing barns-cum-storage room.	Rs. 400/- per acre.
2. Seedlings	Rs. 50/- per acre.
3. Pesticides . .	Rs. 50/- per acre.
4. Fumigation	Rs. 75/- per acre.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का मांग पत्र

5033. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा अभी हाल में कुलपति को प्रस्तुत किये गये मांग पत्र के बारे में अधिकारियों की उदासीनता का विरोध करने के लिये छात्र संघ ने अभी हाल में एक व्यापाक आन्दोलन शुरू किया है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के विरुद्ध अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा अपना आन्दोलन 27 नवम्बर, 1973 को स्थगित कर दिया गया था ।

तूतीकोरिन पत्तन पर मुख्य अभियन्ता और प्रशासक द्वारा गबन की शिकायतें

5034. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को तमिलनाडु में तूतीकोरिन पत्तन परियोजना के भूतपूर्व मुख्य अभियंता और प्रशासक द्वारा सरकार के लाखों रुपये का गबन करने की शिकायतें मिली हैं;

49LSS/73—8

(ख) सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या शिकायतें की गई हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार ने उसकी कोई जांच की है और यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : (क) और (ख) भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर तथा प्रशासक तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना के विरुद्ध धन की हेरा फेरी शक्ति का दुर्पयोग परियोजना कार्यों में देरी प्रशासकीय मामलों में त्रुटियां तथा अनियमितताओं की कई शिकायतें मिली हैं।

(ग) शिकायतों की जांच की गई है परन्तु वे सिद्ध नहीं की जा सकीं।

सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीटयूट, जोधपुर के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

5035. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को सैन्ट्रल एरिड ज़ोन रिसर्च इन्स्टीटयूट जोधपुर के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं:

(ख) क्या आरोप लगाये गये हैं कि निदेशक बेइमानी के और भ्रष्ट कार्यों में लगा है और इस कारण सरकारी खजाने को लाखों रुपयों का घाटा हुआ है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) ये आरोप संस्थान में की गई कुछ नियुक्तियों निदेशक द्वारा अन्य वैज्ञानिकों के अनुसंधान संबंधी आंकड़ों के उपयोग आदि से संबंधित थे।

(ग) इन आरोपों पर विधिवत विचार किया गया था । इस संबंध में विस्तृत जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में सेवा निवृत्त अधिकारी

5036. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के सेवा निवृत्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के स्टाफ में हैं;

(ख) ऐसे सेवा निवृत्त अधिकारियों को स्टाफ में रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्टाफ के अन्य सदस्यों से शिकायतें मिली हैं कि इसके परिणामस्वरूप उनकी पदोन्नति के अवसर बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं; और

(घ) क्या भारत सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समान्य शर्तों के अनुसार इन लोगों को सेवा निवृत्त करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।]

(ग) जी नहीं ।

(घ) पुनर्नियुक्ति के आधार पर लगे सभी सेवा निवृत्त अधिकारियों को उनको सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर छोड़ दिया जाएगा। फिर भी यह बात उल्लेखनीय है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों पर लागू होने वाली उप-नियमावली के उप-नियम 4 के अन्तर्गत वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिकों की वार्धक्य निर्वर्त्तन आयु 60 वर्ष है। उन्हें विशेष परिस्थितियों में 62 वर्ष की आयु तक नौकरी में रखा जा सकता है बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति स्वस्थ एवं हर तरह से उपयुक्त हो।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवा निवृत्त अधिकारी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	60 वर्ष की आयु के बाद नियुक्त करने का कारण	60 वर्ष की आयु जिस तारीख को हुई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रो० पी० एन० वाही, महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्	पद के महत्व को देखते हुए प्रो० पी० एन० वाही को प्रवर समिति की सिफारिशों पर 5 वर्ष की नियत अवधि के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया है जो 11 फरवरी, 1974 को कार्यभार सम्भाल लेंगे।	10 अप्रैल, 1968
2.	डा० ए० मंडल, निदेशक, कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता	नए निदेशक को उनके संस्थान से जहां वह कार्य कर रहे थे, रिलीज कराने में अपरिहार्य विलम्ब होने के कारण डा० मंडल को 31 दिसम्बर, 1973 तक कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी। नए निदेशक अब 12-11-1973 को ड्यूटी पर रिपोर्ट कर चुके हैं और 31-12-73 तक कार्य का अध्ययन करने के बाद उस तारीख को वह कैंसर अनुसंधान केन्द्र के निदेशक कार्यभार सम्भालेंगे तथा इसी दिन डा० मण्डल को रिलीज कर दिया जाएगा।	3 जनवरी, 1973

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	लेफ्टि० कर्नल एम० एल० आहूजा अवैतनिक सम्पादक इण्डियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च	क्योंकि इण्डियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च का स्तर गिर रहा था इसलिये इस परिषद् की कार्यकारी समिति ने लेफ्टि० कर्नल एम० एल० आहूजा को अवतनिक सम्पादक के पद की पेशकश की थी जिस पद पर वह केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली के निदेशक रहते हुए पहले काम कर चुके थे।	29 दिसम्बर, 196 2
4.	डा० एस० एल० मेजरेकर, अनुसंधान अधिकारी वाइरस अनुसंधान केन्द्र, पूना	मार्च, 1970 में उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिये जब तक वह 60 वर्ष के हो जाएं पुनर्नियुक्त किया गया था। चूंकि उनके एवज में कोई योग्य अधिकारी नहीं मिला, इसलिये डा० मंजरेकर को 30 मार्च, 1974 तक जब तक वह 62 वर्ष की आयु के न हो जाएं अथवा उनके एवज में कोई योग्य उम्मीदवार न मिल जाए, जो भी पहले हो निरन्तर काम करते रहने की अनुमति दी गई।	31 मार्च, 1972

रूसी तथा भारतीय अध्यापकों को उच्च शिक्षण, संस्थाओं के लिये पाठ्य-पुस्तकों का संकलन

5037. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूसी तथा भारतीय अध्यापकों द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का संयुक्त रूप से संकलन करने और भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिये रूसी भाषा में पाठ्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) भारतीय छात्रों के लिये रूसी अध्यापकों द्वारा ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कराये जाने का औचित्य क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) भारतीय छात्रों के लिए रूसी भाषा की एक पाठ्य-पुस्तक लिखने का प्रस्ताव है, जिस पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रूसी अध्ययन केन्द्र के भारतीय विशेषज्ञ तथा रूसी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों के भारतीय छात्रों को रूसी भाषा सिखाने के लिए पाठ्य-विवरण का संबंध है, उक्त भारतीय विशेषज्ञ अपने रूसी सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। उस पाठ्यविवरण को संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अंतिम रूप से अपनाना होगा।

वेरावल मछली पकड़ने वाले पत्तन के लिये मछली पकड़ने के जहाज

5038. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य स्थित वेरावल पत्तन का क्षेत्र मछली पकड़ने के लिये एक सब से अच्छा क्षेत्र माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वहां मछली पकड़ने के जहाजों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि वेरावल तट मछली पकड़ने के लिए एक अच्छा क्षेत्र है।

(ख) वर्ष 1972-73 तक वेरावल पत्तन में मछली पकड़ने के छोटे तथा बड़े जलयानों सहित कुल 367 यंत्रीकृत मीन-ग्रहण जलयान कार्य कर रहे हैं । गुजरात सरकार का प्रस्ताव है कि पांचवीं योजना की अवधि में वेरावल पत्तन सहित गुजरात के तटों पर 3200 तटीय यंत्रीकृत मीन-ग्रहण जलयानों तथा 8 गहन समुद्र मीनग्रहण जलयानों से कार्य लेना प्रारम्भ किया जाए।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक समन्वेषी मीन-ग्रहण केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिसका मुख्य कार्यालय वेरावल में स्थित होगा । इस केन्द्र की स्थापना में देरी होने का कारण जहाज-निर्माण यार्ड से जलयानों की उपलब्धि में देरी होना है ।

भारत में विलायक निस्सारण (साल्वेंट एक्स्ट्रेक्शन) संयंत्र

5039. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में राज्यवार कितने विलायक निस्सारण संयंत्र काम कर रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में समुद्र तट के निकट की भूमि का नमकीन होना

5040. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात तथा अन्य राज्यों में समुद्र तट के निकट की अधिकतर कृषि भूमि नमकीन होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि की सुरक्षा हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) अनुमान है कि गुजरात में लगभग 2.02 लाख हैक्टार खार भूमि (नमकीन भूमि) ज्वार-भाटे के पानी से डूब गई है। ज्वार-भाटे के पानी का बढ़ाव रोकने के लिये बांध बनाने के बाद इस भूमि को कृषि योग्य बना कर खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य की योजना की स्कीम के अंतर्गत गुजरात में 43.45 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1480 हैक्टार नमकीन भूमि की और क्षति होने से बचाये जाने की सम्भावना है। राज्य सरकार ने 45 लाख रुपये के अनुमानित परि०यय से पांचवीं योजना में ऐसी भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव किया है। भारत सरकार की पांचवी योजना में विभिन्न राज्यों में खारे, क्षारीय और जलाक्रांत क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के लिये मार्गदर्शी परियोजनायें हाथ में लेने के लिये एक योजना पर विचार कर रही है ताकि संस्थागत वित्त से ऐसी भूमि को बड़े पैमाने पर कृषि योग्य बनाने की तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता जायजा लिया जा सके।

राजधानी में नये विषाणु रोग का फैलना

5041. **श्री देवेन्दर सिंह गरचा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नया विषाणु रोग फैला हुआ है और जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को अस्पतालों और निजी डाक्टरों की शरण लेनी पड़ रही है; और

(ख) क्या इस रोग की इस बीच पहचान हो गई है और इसे रोकने के सम्वन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता का एस० एस० के० एम० अस्पताल में लघु चिकित्सा संस्थान

5042. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता का एस० एस० के० एम० अस्पताल एक सर्वोत्तम चिकित्सा केन्द्र है जिसमें प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं; और

(ख) क्या विशाल पूर्व भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एस० एस० के० एम० अस्पताल, कलकत्ता में राष्ट्रीय स्तर पर एक मिनी चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया जा सकता है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से एक सुझाव मिला है। वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाएगा।

चित्तरंजन कैंसर अस्पताल

5043. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता के चित्तरंजन अस्पताल को अपने विस्तार और संगठन (इस्टेब्लिशमेंट) हेतु गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या मंत्रालय ने इसके लिये कोई प्रस्ताव अथवा योजना तैयार की है अथवा क्या मंत्रालय चित्तरंजन कैंसर अस्पताल को धन प्रदान करने की स्थिति में है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश बन्धु मेमोरियल ट्रस्ट के अधिकारियों ने जो चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता को चला रहे हैं, सरकार को लिखा है कि उन्हें इस अस्पताल को चलाने में वित्तीय कठिनाइयां हो रही हैं।

(ख) चिकित्सा का विषय राज्यों का है। तथा अस्पतालों की देख-रेख करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की ही है। अस्पताल के अधिकारियों को चाहिए कि वे किसी प्रकार की अपेक्षित सहायता के लिए राज्य सरकार से ही अनुरोध करें।

खाद्यान्नों के निगम मूल्य में वृद्धि

5044. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहूं और चावल के वसूली मूल्यों और राशन की दुकानों अथवा एम०आर० दुकान के जरिये बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के निर्गम मूल्यों में 25 से 33.3 प्रतिशत तक की बृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि खाद्यान्नों के वसूली मूल्य की वृद्धि के व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है;

(ग) यदि हां, तो (एक) खाद्यान्नों के वसूली मूल्य को बढ़ाने के लिए अनुमानतः व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी और (दो) खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने से अनुमानतः कुल कितना लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य में वृद्धि उसी अनुपात में की गई है जिससे वसूली मूल्य में की गई वृद्धि से होने वाला खर्च पूरा हो सके;

(ङ) यदि हां, तो साम्य अनुपात की गणना के पीछे क्या तर्क है; और

(च) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में 25 से 33.3 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के अन्य तर्क क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (च) धान के अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप और अनाज के आपसी मूल्यों में समता बनाए रखने की दृष्टि से चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 25-26 प्रतिशत और गेहूं के मूल्य में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उपभोक्ता मूल्य राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में स्थानीय वितरण लागत और अन्य प्रासंगिक खर्चों को जोड़ने के बाद निर्धारित किया जाता है और ये मूल्य प्रत्येक राज्य में और राज्य के अन्दर भी भिन्न भिन्न हैं। क्योंकि अधिप्राप्ति खर्च में वृद्धि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है।

खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में वृद्धि अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि, लागत दाम और राज-सहायता के बोझ को घटाने तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर की गयी है।

भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल स्थित गोदामों में जमा भंडार और भूख के कारण मौतें

5045. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में प्रोतापडीघी कंटाई सत-माइल और कालीनगर के गोदामों में पिछले वर्ष वसूल किया गया चावल जमा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के इन गोदामों में अब कितना भण्डार है;

(ग) क्या इस क्षेत्र से खाद्यान्न की भारी कमी के कारण भूख से मौतें होने के समाचार मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) प्रोतापडीघी गोदाम में केवल 420 मी० टन चावल का स्टाक है।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने खाद्यान्नों की कमी के कारण भुखमरी से किसी मौत होने की सूचना नहीं दी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल की वसूली तथा उसे गोदामों में रखा जाना

5046. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल का भण्डार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के कुल कितने (1) अपने गोदाम हैं तथा उसने (2) कितने गोदाम किराये पर लिए हैं;

(ख) किराये पर लिए गए गोदामों का कुल कितना किराया निर्धारित किया गया है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम की ओर से चावल की वसूली का कार्य कितनी चावल मिलों को सौंपा गया है तथा उनके द्वारा कितना चावल वसूल किया जाना है;

(घ) मिल मालिकों को कुल कितना चावल पूर्णरूप से बेचने का अधिकार है; और

(ङ) इस कार्य के लिए मिल मालिकों को बैंकों से कितना ऋण दिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास अपने और किराये के गोदामों की संख्या क्रमशः 314 और 1060 थी।

(ख) स्थानीय बाजार की दरों पर निर्भर करते हुए किराये के गोदामों के लिए सामान्यतया निर्धारित किराया 15 पैसे से 22 पैसे प्रति वर्ग फुट है।

(ग) और (घ) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और एकत्रित होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम मिल मालिकों के लिए अपनी ओर से अधिप्राप्ति करवाने के प्रयोजन के लिए बैंक पेशगियों की व्यवस्था नहीं करता है।

नकद लेन-देन भारतीय निगम को हुई हानि

5047. **श्री समर गुह** : : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकद धनराशि प्राप्त करने और वितरण करने की व्यवस्था जिला स्तर पर होने तथा उसके नियंत्रण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय कार्यालय के स्तर पर होने के कारण एजेंटों आदि को बैंक के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान किए जाने से भारतीय खाद्य निगम को हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई और क्या रेलवे वैगनों के रुक जाने के कारण विलम्ब शुल्क देना पड़ा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय नकद नियंत्रण प्रणाली के अधीन ब्याज सम्बन्धी दायित्व को बहुत ही कम करने की दृष्टि से मुख्यालय से भारतीय खाद्य निगम के सभी जिला कार्यालयों को धनराशि का आंतरण किया जाता है ताकि वे तार द्वारा पूछ कर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। इसी प्रकार परिचालन केन्द्रों पर प्राप्त राशि का मुख्यालय को आंतरण भी तार के द्वारा किया जाता है। निगम की कार्यचालन निधि भारत के स्टेट बैंक द्वारा दी गयी ओवर ड्राफ्ट सुविधाओं के माध्यम से पूरी की जाती है। ऐसी प्रेषित राशि के लिए तार प्रभार को छोड़ कर बैंक को कोई सर्विस प्रभार नहीं दिया जाता है। बैंक से वास्तव में निकाली गयी और जिन जिन तारीखों से यह राशि निकाली जाती है, उस पर बैंक को ब्याज दिया जाता है।

(ख) इस में ऐसी कोई हानि नहीं होती है। एजेंटों को कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं हुए हैं। सामान्यतया भारतीय खाद्य निगम रेलवे वैगनों को भरने और उनसे माल उतारने के लिए हैण्डलिंग ठेकेदार नियुक्त करता है और रेलवे को विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, देने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तथापि, जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने वैगनों में माल लदवाने और उन से उतारने के लिए विभागीय मजदूरों का प्रयोग किया जाता है वहां रेलवे, भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों द्वारा अनुमेय समय सीमा के अन्दर इन वैगनों में माल न भरने/उतारने पर केवल उन वैगनों पर नियमों के अधीन विलम्ब शुल्क वसूल करता है। ऐसे मामलों में भारतीय खाद्य निगम रेलवे को विलम्ब शुल्क का भुगतान करता है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल और चीनी का सड़ने की वजह से बेकार हो जाना

5048. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में कासीपुर के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम के एक गोदाम में काफी संख्या में चावल और चीनी की बोरियां सड़ने की वजह से बेकार हो गई;

(ख) क्या ऐसी ही रिपोर्ट कूच बिहार के गोदाम से भी प्राप्त हुई है जहां कि चावल सड़ने की वजह से बेकार हो गया;

(ग) यदि हां, तो ऐसे चावल और चीनी के नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से माल सड़कर खराब हो जाने की रिपोर्टें मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है, और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ऐसे नुकसान के विरुद्ध तथा नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ) .अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा केन्द्रों में विकलांग छात्र

5049. **श्री महापीपक सिंह शाक्य** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विकलांग शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की वर्ष 1972-73 में क्या संख्या थी;

(ख) क्या उनमें से अनेक छात्रों को शिक्षा के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिला सका है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 30 जून, 1973 को राष्ट्रीय रोजगार सेवा के चालू रजिस्टर पर 22009 विकलांग व्यक्ति थे।

(ग) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने के लिये निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं :—

(1) विकलांग व्यक्तियों को काम दिलवाने की सहायता करने हेतु 11 विशेष रोजगार कार्यालय खोले गये हैं;

(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य संगठनों को सलाह दी गई है कि इस मामले पर अगवानी करें और विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास के लिये एक गति प्रारम्भ करें;

(3) केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी iii तथा iv में प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये नेत्रहीन, बधिर तथा विकलांग व्यक्तियों की उच्चतर आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है;

(4) विशेष रोजगार कार्यालयों से सम्बद्ध मेडिकल बोर्डों द्वारा ठीक पोषित किये गये विकलांग व्यक्तियों की, नौकरी देने वाले विभागों द्वारा, आगे डाक्टरी जांच नहीं की जाती ; तथा

(5) विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों के लिये राष्ट्रीय रोजगार सेवा द्वारा तीसरी प्राथमिकता दी जाती है;

Shipping Conference in Ottawa during July, 1973

5050. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether shipping Conference was held in Ottawa in July, 1973 and some officer of the Port Trust had presented technical papers therein; and

(b) If so, the facts thereof ?

Minister of Shipping and Transport (Shri Kamalapati Tripathi): (a) & (b) The 23rd Congress of the Permanent International Association of Navigation Congresses was

held in Ottawa from 9th to 18th July, 1973. The following technical papers were contributed for the Congress by officers of Port Trusts:—

Title of paper	Name and Designation of Author
1. On choice of fixed and floating marine terminal for crude.	Dr. S.K. Bhattacharya, Chief Hydraulic Engineer, Calcutta Port Commissioners, Calcutta.
2. Means of controlling littoral drift to protect beaches, dunes, estuaries and harbour entrances—establishment of artificial beaches.	1. Shri A. Rajeswar Rao, Chief Engineer, Paradip Port Trust, Paradip.
	2. Shri S. K. Somayajulu, Dy. Conservator, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
	3. Dr. A.T. Shanmugham, Sr. Scientific Officer, Madras Port Trust, Madras.
3. Measures for preventing pollution in harbours and on coasts. Means of minimising and remedying such pollution.	Capt. M.V.K. Menon, Deputy Conservator, Cochin Port Trust, Cochin.

Solution of Anomalies in Port and Dock Workers

5051. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the Central Wage Board has not been able to resolve the numerous anomalies existing in case of port and dock workers;

(b) whether Central Government have been entrusted with this work; and

(c) If so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamalapati Tripathi): (a) The list of cases involving anomalies was submitted to the Central Wage Board for Port and Dock workers by representatives of labour at a very late stage. For want of time, the Board could not go into the merits of these cases. The Resolution issued by the Department of labour and Employment on 28th March, 1970, announcing the Government's decisions on the Wage Board's recommendations contained the following provision regarding anomalies:—

"Any existing anomalies regarding the pay scales of employees of various ports and also such other anomalies /difficulties that may arise in the course of implementation of the new wage structure evolved by the Wage Board will, in the first instance, be discussed informally between the parties and settled at the port level. The Government will consider the question of setting up suitable bipartite or tripartite machinery for dealing with any issues that remain unresolved."

(b) & (c) On the Dock Labour side, there were no anomalies except a few cases at Calcutta. The Ministry of Labour have taken action on these by reference to a one man committee.

A large number of anomalies was brought out by the labour unions in respect of port workers. Some of these were resolved by discussion at the Ports level. The others have been referred to a two-man committee consisting of Capt. P.S. Vanchishwar, Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta and Shri S.K. Gokhale, Deputy Chairman Dock Labour Board, Bombay. The Report of this Committee is due by 17th January 1974.

Job Oriented University

5052. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether, in view of the fact that the number of educated unemployed has been ever increasing since the Independence because of the existing education system, and education imparted by Universities, it is proposed to bring about radical changes in the educational pattern;

(b) whether a proposal to convert University into job oriented University is under consideration;

(c) If the reply to part (a) and (b) be in affirmative, the broad outlines thereof;

(d) whether the proposal for Job-Oriented University has come from a State Government; and

(e) whether Government are making due analysis of the education systems working in the Soviet Russia and Japan so that system may be introduced in India in the future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) Increase in the number of the educated unemployed is not primarily due to the existing education system. Appropriate changes are being proposed so that the output of the system conforms increasingly to the employment opportunities and man-power needs.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) The objective of the Government is to transform the educational system to meet national needs and aspirations. While doing so, due note will be taken of the experience of other countries, including the Soviet Union and Japan.

Theft of Archaeological Articles in Chhoti Khat Village District Nagor, Rajasthan

5053. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the Phool Wari Bavari (a deep well with a flight of stairs down to the surface of water) in Chhoti Khat Village in Nagor District of Rajasthan is very important from archaeological point of view;

(b) whether the concerned officers have been informed many times of the thefts of these important archaeological articles being committed openly every day but no attention is being paid towards this; and

(c) if so, the factual position in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) to (c) The State Government is seized of the matter and has already taken steps for declaring the monument protected under the State Act.

Non-Availability of Maida in Rajasthan

5054. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether wheat is supplied by Government to Uttar Pradesh, Haryana and Punjab by making purchases from the open market and these States produce maida from it to be distributed to the bakeries;

(b) whether this system is not applicable to Rajasthan and about 1.5 lakhs of people in Rajasthan are out of employment due to the non-availability of maida; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Decline in the Number of Trees

5056. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the decline number of trees as a result of inreasing urbanization and industrialisation;

(b) the efforts made by Government to solve this problem; and

(c) the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) Yes Sir.

(b) 'Vanamahotsava' is celebrated every year by all the States and trees planted during 'Vanamahotsava' partly compensate for the loss of trees as a result of increasing urbanisation and industrialisation. As an incentive to popularise this programme Government of India annually awards Vanamahotsava Shields to the State Governments and Institutions who plant maximum number of trees during Vanamahotsava.

Planting of trees along the road sides compounds of public and private building and public gardens, is receiving greater attention and gets proper encouragement from Government of India. Some State Governments have issued instructions that as far as possible tree-growth should not be cut whenever new sites for housing, industry, roads, electric lines etc. are developed.

(c) In order to create tree consciousness, it is proposed under the Fifth Five Year Plan that suitable Extension organisations be set up both at the Centre and the States.

The details are not available at present. Information from the State Governments/ Union Territories is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

Cut in Ration Wheat in Delhi for Hotels

5057. **Shri Bhagirath Bhanwar;** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Minister of State in the Ministry of Agriculture, Shri Annasaheb P. Shinde is reported to have stated that the cut in ration wheat in Delhi was intended only for otels;

(b) whether the cut in wheat has in fact affected all consumers; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) No such statement as reported was made by the Minister of State in the Ministry of Agriculture. While answering questions relating to starred Question No. 107 in the Lok Sabha on 19-11-1973, the Minister of State had replied that different news about reduction of wheat quota in some shops had appeared and probably a decision was taken by the Delhi Administration to reduce marginally the wheat quota and supplement it by maize, because they have a large floating population in Delhi and have also to meet the requirements of bakeries and other small consumers. There was no reduction in the upply of foodgrains from the Central stocks. The Delhi Administration are responsible for the internal distribution of foodgrains within the Union Territory.

Procurement of Coarse Grains

5058. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) The procurement target set for coarse grains; and

(b) the procurement and issue prices fixed therefor?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Government have adopted a working target of 16.50 lakh tonnes of coarse grains for procurement in the current kharif season.

(b) The procurement and Central Issue Prices fixed for coarse grains for the kharif season 1973-74 are indicated below:

(Rs. per quintal)

	Procurement Price	Central Issue Price w.e.f. 1-11-73
Jawar	70.00	80.00
Maize	70.00	80.00
Bajra	72.00	80.00
Milo (imported)	—	80.00
Ragi	70.00	80.00
Small Millets. (Kodon & Kutki)	60.00	60.00

गेहूं खरीद केन्द्रों का बन्द होना

5059. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र के नौ जिलों में खरीद केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है, क्योंकि कम खरीद भावों के कारण किसान अपने गेहूं की बिक्री नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या खरीद केन्द्रों के बन्द होने के समाचार अन्य राज्यों से भी मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Manufacture of a New Type of Pistol for making Animal Unconscious Before Slaughtering By Madras Centre of Mechanical Engineering Research Development Organisation

5060. **Shri M.S. Purty:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Madras Centre of Mechanical Engineering Research Development Organisation has manufactured a new type of pistol for making the animals unconscious before slaughtering them;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the names of slaughter-houses where it has been permitted to be used and whether it is going to benefit in any way?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मार्डन बेकरी द्वारा नान की बिक्री

5061. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरीज, इण्डिया ने नान बेचने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और इसकी बिक्री कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मार्डन बेकरीज़ (इण्डिया) लि० दिल्ली में नान बनाने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है।

(ख) आशा है कि इस संयंत्र की 100 ग्राम के 10,000 नान प्रति दिन तैयार करने की [illegible] होगी। आशा है कि उत्पादन आगामी वर्ष शुरू हो जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये मुकदमें

5062. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में शुरू किये गये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के बाद कर्मचारियों ने सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध अनेक मुकदमें और याचिकायें दायर की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी मुकदमों अथवा याचिकाओं (विचाराधीन सहित) की एक सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और इसके नियंत्रण में अनुसंधान संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में मुकदमेबाजी न होने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के बाद कुछ कर्मचारियों ने सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध अनेक मुकदमे और याचिकाएं हाईकोर्टों में दायर की हैं। उपलब्ध मामलों की एक सूची संलग्न है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान संस्थानों से भी जानकारी एकत्र की जा रही है और ऐसे मामलों की अनुपूरक सूची (यदि कोई हुई तो) यथा संभव सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) किसी भी संख्या के लिए अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में दायर होने वाले मुकदमों से बचना सम्भव नहीं है। परन्तु भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख रखी जाने वाली सभी उचित मांगों पर हमेशा सहानुभूति पूर्वक विचार करती रही है। इसी प्रकार जैसा कि 12-11-73 को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के सम्बन्ध में हाल ही में किए गए निर्णयों के सदर्भ में सभी वास्तविक शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा उचित और सहानुभूति ढंग से विचार किया जाएगा।

विवरण

1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन होने के बाद कर्मचारियों द्वारा सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध दायर किए गए मुदकदमों की सूची

1. दिल्ली स्थित पंजाब हाई कोर्ट के सरकट बैंच में सिविल रिट संख्या 266-डी/66--श्री रुलिया राम बनाम यूनियन आफ इण्डिया दिनांक 1-9-66 के निर्णय के अनुसार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

2. नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट में 1970 के सिविल रिट पेटीशन 788—श्री परतुल चन्द्र ठाकुर, बनाम यूनियन आफ इंडिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थान निर्णय दिनांक 13-4-71 के अनुसार कोर्ट ने याचिका खर्च सहित खारिज कर दी थी।

3. नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट में 1971 के सिविल रिट संख्या 88—श्री जी० एन० अस्थाना तथा अन्य व्यक्ति बनाम यूनियन आफ इंडिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थान। दिनांक 3-12-71 के निर्णय के अनुसार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

4. नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट में 1971 के सिविल रिट संख्या 89—श्री सी० एल० गौरी तथा अन्य व्यक्ति बनाम दी यूनियन आफ इंडिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थान। दिनांक 3-12-71 के निर्णय के अनुसार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

5. नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट में 1971 के सिविल रिट संख्या 90--श्री ओ०पी० अरोड़ा तथा अन्य व्यक्ति-बनाम यूनियन आफ इंडिया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थान। दिनांक 3-12-71 के निर्णय के अनुसार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

6. नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट में 1971 के सिविल रिट संख्या 91--श्री एच०एल० आनन्द तथा अन्य बनाम भारत सरकार व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ऊपर की तरह के निर्णय के अनुसार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

7. नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट में 1971 के एल०पी०ए० संख्या 81--श्री जी०एन० अस्थाना तथा अन्य व्यक्ति बनाम यूनियम आफ इंडिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थान। हाई कोर्ट में निर्णय के लिए पड़ा है।

8. नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट में 1971 के एल०पी०ए० संख्या 82--श्री सी०एल० गौरी तथा अन्य व्यक्ति बनाम यूनियम आफ इंडिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थान। हाई कोर्ट में निर्णय के लिए पड़ा है।

9. नई दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट में 1972 के सिविल रिट संख्या 669--डा० टी०एस० रमन बनाम यूनियन आफ इंडिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थान। हाई कोर्ट में निर्णय के लिए पड़ा है।

10. नई दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट में 1972 के सिविल रिट संख्या 276--डा० वाई०पी० गुप्ता बनाम यूनियन आफ इंडिया तथा महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थान। हाई कोर्ट में निर्णय के लिए पड़ा है।

11. नई दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट में 1973 के सिविल रिट संख्या 10420--श्री एम०एस० धममाना बनाम भारत सरकार (कृषि विभाग) तथा सचिव, भारतीय कृषिअनुसंधान परिषद् नई दिल्ली निर्णय के लिए पड़ा है।

12. दिल्ली हाई कोर्ट में 1973 के सिविल रिट संख्या 171--श्री एच०के० कामरा बनाम यूनियन आफ इंडिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली तथा अन्य संस्थान। याचिका 15-3-1973 को खारिज कर दी गई थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की बीच में छोड़ी गयी अनुसंधान योजनायें

5063. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान लक्ष्यों की प्राप्ति के बिना ही अथवा परिषद् के शासी निकाय द्वारा स्वीकृत अनुसंधान कार्यक्रमों को पूरा किये बिना ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनेक अनुसंधान योजनायें तथा परियोजनायें बीच ही में छोड़ दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो वे अनुसंधान योजनायें और परियोजनायें कौन-कौन सी हैं, इनको प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी कौन-कौन हैं, इनके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है कितनी-कितनी अवधि की थी और 1966 के बाद इनको बीच ही में छोड़ दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1966 के बाद ऐसी योजनाओं तथा परियोजनाओं पर कितना फिजूल खर्च किया गया है और परिषद् के संसाधनों की ऐसी बरबादी को रोकने के लिये किये गये अथवा प्रस्तावित उपाय कौन से हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) सूचना एकत्रकी जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रकाशन में विलम्ब

5064. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदनों का प्रकाशन निर्धारित समय से से पीछे चल रहा है;

(ख) परिषद् का कौन सा नवीनतम प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है तथा कब;

(ग) परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदनों के तैयार करने अन्तिम रूप देने, मुद्रित कराने तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये क्या समय निर्धारित किया गया है; और

(घ) शेष वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रकाशित कराने तथा भविष्य में उपयुक्त समय पर प्रकाशित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक रिपोर्टों के प्रकाशन में निम्नलिखित कारणों से कुछ देरी हुई है :—

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वार्षिक खातों के (जो वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है) संकलन करने तथा उनकी लेखा-परीक्षा करने में लगभग एक वर्ष का समय लग जाता है।

(ii) रिपोर्ट के तकनीकी भागों का संकलन परिषद् की समन्वित तदर्थ अनुसंधान योजनाओं की वार्षिक प्रगति रिपोर्टों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अनुसंधान संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, आदि की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है और ये रिपोर्टें सम्बन्धित वर्ष के लगभग एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होती हैं। अनुसंधान योजनाओं की रिपोर्ट फसल-वर्ष के आधार पर तैयार की जाती हैं। ये रिपोर्टें प्रायः अगले दिसम्बर में प्राप्त होती हैं।

(iii) वार्षिक रिपोर्ट का संकलन होने के पश्चात् इस पर पहले परिषद् की शासी निकाय विचार करती है और उसके पश्चात् समिति के नियमों के उपबन्धों के अनुसार उस पर सामान्य वार्षिक बैठक में समिति द्वारा विचार किया जाता है समिति की स्वीकृति के पश्चात् इसे अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों लिपियों में छापा जाता है और छपी हुई प्रतियां दोनों सदनों के पटल पर रख दी जाती हैं।

(ख) परिषद् की वर्ष 1970-71 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट नवम्बर, 1973 में छापी थी और इसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) परिषद् में नियमों तथा उप-नियमों में वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी उन्हें अन्तिम रूप देने, मुद्रित कराने तथा उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) बकाया वार्षिक रिपोर्टों को निपटाने तथा उन्हें भविष्य में जल्दी से जल्दी प्रकाशित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(i) महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध से अनुरोध किया जा रहा है कि परिषद् के वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्टें शीघ्र पूर्ण की जाएं।

(ii) रिपोर्टों के तकनीकी भाग का यथा सम्भव शीघ्र संकलित करना।

(iii) रिपोर्टों का मुद्रण तेजी से करना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनबिके प्रकाशनों का जमा होना

5065. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रकाशन स्टोर में अनबिके प्रकाशन काफी संख्य में छंटनी हेतु पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वह सभा पटल पर एक विवरण रखेंगे जिसमें ऐसी सभी प्रकाशनों के शीर्षक, उनके प्रकाशन के वर्ष, उनका विक्रय मूल्य तथा आवश्यकता से अधिक मुद्रित कराने के कारण अथवा सारे माल को बेचने में असमर्थता के कारण बताए गये हों; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बिक्री के आंकड़ों से अधिक संख्या में प्रकाशनों के न मुद्रित कराने के लिये क्या औपचारिक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अप्रचलित प्रकाशनों की छंटाई के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के अनुसार 5 रुपया प्रति जिल्द से अधिक मूल्य वाले अनियतकालिक प्रकाशनों की छंटाई पर तभी विचार किया जाता है जब लगातार चार वर्षों तक उनकी कोई मांग न हो या लगातार चार वर्षों की कुल मांग उनके स्टाक के 5 प्रतिशत से कम हो । 5 रुपया प्रति जिल्द से कम मूल्य वाले प्रकाशनों की भी छंटाई पर विचार किया जाता है यदि लगातार दो वर्षों तक उनकी कोई मांग न हो अथवा उनकी कुल मांग लगातार तीन वर्षों में उनके स्टाक के 5 प्रतिशत से कम हो इस प्रकार 5 रुपया प्रति जिल्द से अधिक मूल्य के केवल दो और 5 रुपया प्रति जिल्द से कम मूल्य के 11 प्रकाशन ही ऐसे हैं जिनकी इन नियमों के अनुसार छंटाई पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) ऐसे प्रकाशनों के नाम, उनके प्रकाशन का वर्ष, बिक्री मूल्य और मन्द बिक्री के कारणों का एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**– 6034/73]

(ग) अब प्रकाशनों की छपाई सम्भावित मांग के अनुसार ही कराई जाती है ।

बड़े औद्योगिक गृहों के पास मत्स्य नौकाएं

5066. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगिक गृहों के पास इस समय कितनी मत्स्य नौकाएं हैं और उन्होंने कितनी नौकाओं के अलाटमेंट के लिए आवेदन किया है; और

(ख) ऐसे नए उद्यमकर्ताओं की संख्या क्या है जिन्होंने मत्स्य नौकाओं के अलाटमेंट के लिए आवेदन किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय दो बड़ी फर्मों अर्थात् मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड तथा मैसर्स टाटा आयल मिल्स कं०, बम्बई के पास गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की दो-दो नौकाएं हैं । वर्ष 1968 में प्रारम्भ की गई 30 मत्स्य नौकाओं के आयात की योजना के अन्तर्गत इन दो बड़ी फर्मों ने क्रमशः 6 तथा 2 मत्स्य नौकाओं के आवंटन के लिये आवेदन दिए थे । इसके अनुसार, प्रत्येक फर्म को दो-दो मत्स्य नौकाएं आयात करने के लिये

आयात लाइसेंस दिये गये थे । ये फर्में इन मत्स्य नौकाओं का आयात कर चुकी हैं और ये नौकाएं इनके अधीन कार्य कर रही हैं । इसके पश्चात् मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड ने शेष चार मत्स्य नौकाओं के आयात की अपनी प्रार्थना वापिस ले ली थी ।

जिन अन्य फर्मों ने इस योजना के अन्तर्गत मत्स्य-नौकाएं आयात की हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :--

फर्म का नाम	आयात की गई मत्स्य-नौकाओं की संख्या
1. इण्डो आइसलेण्डिक फिशरीज़ प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास	2
2. एसमेरियों एक्सपोर्ट इन्टरप्राइजेज, क्विलन . .	2
3. मैसर्स खुरजेले फिशरीज, बम्बई . . .	2

30 मत्स्य-नौकाओं की योजना के पश्चात् भारत सरकार ने जून, 1973 में 50 मत्स्य-नौकाओं के आयात की एक योजना अधिसूचित की थी । इस योजना के अन्तर्गत 7 बड़ी फर्मों ने मत्स्य-नौकाओं के आयात के आबंटन के लिये आवेदन भेजे थे । इन फर्मों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :--

फर्म का नाम	आवेदन की गई मत्स्य-नौकाओं की संख्या
1. मैसर्स इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली	6
2. मैसर्स बिन्नी लिमिटेड, मद्रास .	2
3. मैसर्स रेलिज इण्डिया लिमिटेड, बम्बई .	4
4. मैसर्स ब्रितानिया बिस्कुट कं० लिमिटेड, दिल्ली	10
5. मैसर्स ई० आई० डी० पेरी लिमिटेड, मद्रास . . .	3
6. मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लिमिटेड, दिल्ली	8
7. मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली . . .	8

मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड ने बाद में अपना आवेदन वापिस ले लिया।

(ख) वर्ष 1968 में प्रारम्भ की गई 30 मत्स्य-नौकाओं की योजना के अन्तर्गत 18 आवेदन-कर्ताओं में से केवल एक फर्म को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और 6 अन्य फर्मों को मीन परिसंस्करण का अनुभव है । शेष आवेदक इस क्षेत्र में नये हैं । जून, 1973 में अधिसूचित की गई 50 मत्स्य-

नौकाओं की योजना के अन्तर्गत 208 मत्स्यनौकाओं के आयात के लिये आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:--

श्रेणी	आवेदनों की संख्या
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5
2. राज्य सरकारें	4
3. मछुआरों की सहकारी संस्थाएं	1
4. बड़ी फर्में	7
5. अन्य फर्में	29
6. व्यक्तिगत	23

जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के स्वामित्व का सम्बन्ध है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकारों तथा एक गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्म के अलावा, इस क्षेत्र में सब आवेदक नये हैं।

आन्ध्र प्रदेश को नाइट्रोजन उर्वरकों की सप्लाई

5067. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को पूल और गैर पूल व्यवस्था के अन्तर्गत अगस्त, सितम्बर, 1973 तथा बाद के महीनों में कितना नाइट्रोजन-उर्वरक आवंटित किया गया और इसकी वास्तव में कितनी सप्लाई की गई;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में उसको निर्धारित अनुपात कर ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) कुछ राज्यों को मौसम आरम्भ होने से बहुत पहले उर्वरक सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारत सरकार के रबी फसल के महत्वकांक्षी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए रबी की फसल के दौरान चावल का उत्पादन करने वाले राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं का वर्ष में दो छमाहियों के लिये अनुमान लगाया जाता है। विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा सप्लाई होने वाली मात्रायें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित और अधिसूचित कर दी जाती है। शेष कमी को पूल के पास पंजीकृत कर दिया गया है और उपलब्धि के अनुसार सप्लाई की जाती है। पूल से उर्वरकों का आवंटन तिमाही के आधार पर किया जाता है। पूल और गैर पूल स्रोतों से अगस्त-अक्तूबर 1973 की छमाही और बाद के महीनों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को जो आवंटन और सप्लाई हुई है उसको प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है अनुबन्ध (क)।

(ख) देश के समूचे हित को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न राज्यों को समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुपात से उर्वरकों को भेजने के लिए प्रयास किए जाते हैं। परन्तु मौसम के कृषि विज्ञान सम्बन्धी उतार-चढ़ाव, केन्द्रीय खाद्यान्न पूल को होने वाले अंशदान, आन्तरिक परिवहन की समस्या आदि घटकों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) उर्वरकों की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों की आवश्यकताओं का अनुमान रबी और खरीफ मौसम के आरम्भ होने से कुछ समय पहले लगाया जाता है और उर्वरकों के आबंटन की तिमाही के आधार पर व्यवस्था की जाती है। वास्तविक आपूर्तियां इन आबंटनों से सम्बन्धित हैं। अतः कुछ राज्यों को बुवाई के मौसम से काफी पहले उर्वरकों की आपूर्ति करने का सामान्यतया प्रश्न ही नहीं उठता, सिवाय कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे कि मौसम के कुछ भाग में यातायात की समस्याएं उत्पन्न हो जाना है, अर्थात् भारी वर्षा के कारण सड़क संचलन में रुकावटें उत्पन्न हो जाना। ऐसे समय पर कुछ अग्रिम आपूर्तियां की जा सकती हैं जिसके बारे में बाद में समायोजन किया जा सकता है।

(घ) उर्वरकों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को किसी विशेष मौसम के लिए अधिकतर उनकी आवश्यकताओं के अनुपात में आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाती है। रबी के चालू मौसम के दौरान चावल उत्पादक राज्यों को उनके उत्पादन कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुये उर्वरकों के आवंटन में कुछ प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

राज्य का नाम आन्ध्र प्रदेश (आंकड़े मीटरी टनों में)

		एन०	पी०
1. मांगी गई कुल मांग . . .		167820	83801
2. क्षेत्रीय सम्मेलन में अनुमोदित की गई कुल मांगें		141000	47000
3. 1-8-73 को मौजूद स्टाक		10000	. .
4. निवल मांग . .		131000	47000
5. निर्माताओं द्वारा की जाने वाली पूर्ति		76642	43893
6. पूल के पास दर्ज कराई गई कमी . .		54358	3107
7. अगस्त-अक्तूबर, 1973 (मद 6 का 1/2) की पूल से मांग .		27179	1553
8. अगस्त, 73—अक्तूबर 73 नवम्बर, 1973-जनवरी, 1974 के लिए किया गया नियतन		19603 4315	6520
		23918	6520
9. अगस्त और सितम्बर, 1973 के दौरान की गई वास्तविक पूर्ति	पूल	9451	2588
	नान-पूल	16236	9338
		25687	11926

10. अक्तूबर, 1973 के दौरान की गई वास्तविक पूर्ति	पूल	2638	1146
	नान-पूल	9542	6050
		12180	7196
11. नवम्बर, 1973 के दौरान की गई वास्तविक पूर्ति	पूल	3424	181
	नान-पूल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		3424	181
12. 1-8-73 से 30-11-73 तक की गई कुल पूर्ति	पूल	15513	3914
	नान-पूल	25778	15388
		41291	19302

आन्ध्र प्रदेश में भाण्डागार और विपणन सुविधाओं के विकास हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

5068. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में भाण्डागार और विपणन सुविधाओं के विकास हेतु भारत सरकार के ज़रिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मण्डियों के विकास के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसमें विश्व बैंक की सहायता से दुकान तथा गोदामों का निर्माण करना सम्मिलित है ।

(ख) भारत सरकार परियोजना रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

Construction of Bridge on National Highway Dumaria Ghat on Gandak River

5069. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the work in regard to the construction of a bridge on the National High-way at Dumaria Ghat on Gandak river is going on for many years;

(b) if so, the expenditure incurred so far thereon;

(c) whether Government have fixed any time schedule for the completion of the bridge; and

(d) whether the work has not been completed within the scheduled time and the action proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) (c) and (d) The work of construction of the bridge across the river Gandak at Dumaria ghat was awarded in April 1966. The progress on this work has not been according to schedule on account of various difficulties met with during construction. However, all out efforts are now being made to complete the bridge as early as possible. A constant watch is being kept on the progress of the work and the State Public Works Department are being urged to take all required steps in this regard. The work is now scheduled to be completed by March, 1974.

(b) Rs. 1,73,00,000.

Take-over of Education System

5071. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring the education system prevailing in the entire country under their management; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) & (b) No, Sir. There are certain constitutional and other difficulties in the taking over private educational institutions. Government is however, trying its best to provide comparable conditions of work and service in Government and private institutions and also be maintain comparable standards in them so that the public and private educational institutions, taken together, form an integrated and comprehensive national system of education.

उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाने के प्रयास

5072. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मौसम के दौरान चीनी मिलों को सप्लाई किए जाने वाले गन्ने के मूल्य में उपयुक्त वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या गन्ने का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उसकी सप्लाई की कमी दूर करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसे ही प्रयास न किए जा सकने पर वहां व्यापक असन्तोष है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग से परामर्श कर चालू मौसम में गन्ने के अधिक मूल्य दिए जाने की व्यवस्था की है ।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मौसम के अन्त में मुनाफा बांटने के अलावा, सभी सहकारी चीनी कारखानों द्वारा देय 100 रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से गन्ने के अधिक मूल्य का भुगतान करने की व्यवस्था की है और दक्षिण भारत चीनी मिल एसोसिएशन के माध्यम से गैर-सरकारी चीनी कारखानों को वही नीति अपनाने के लिए कहा है । चित्तूर चीनी कारखाने के उत्पादकों, जो कि अभी भी गन्ने के अधिक मूल्य मांग रहे हैं, को छोड़कर कोई व्यापक रोष नहीं है ।

चीनी का लेवी मूल्य

5073. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पिराई के मौसम के दौरान भिन्न-भिन्न जोनों में चीनी का प्रति मीटरी टन लेवी मूल्य क्या था; और

(ख) इसे युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1972-73 मौसम में उत्पादित चीनी के लिए निर्धारित लेवी चीनी का ग्रेडवार और क्षेत्रवार निकासी मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6035/73]**

(ख) गन्ने के लिए निर्धारित मूल न्यूनतम मूल्य और चीनी तैयार करने की लागत के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (3 सी) के उपबन्धों के अनुसार, युक्तियुक्त आधार पर, लेवी चीनी के निकासी मूल्य अब भी निर्धारित किए जाते हैं ।

दिल्ली में छात्रों द्वारा परिवहन गाड़ियों का जलाया जाना

5074. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में छात्रों और दंगाफसाद करने वाले लोगों द्वारा विरोध आन्दोलन के तरीके के रूप में सार्वजनिक अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की बसों तथा अन्य परिवहन गाड़ियों को जलाया जाना कब तक सहन किया जाता रहेगा और किस कीमत पर;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कोई कठोर कार्यवाही करने की सम्भावना है; और

(ग) इस बारे में की गई कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) हिंसात्मक तत्वों ने (जिनमें विद्यार्थी भी शामिल हैं) आक्रमण के लिये दिल्ली परिवहन निगम को लक्ष्य बनाया हुआ है । इसके लिये अधिकतर वे कारण बताये जाते हैं जिनका दिल्ली में बस सेवाओं की प्रकृति या स्वरूप से कोई सम्बन्ध नहीं होता और कभी-कभी इन सेवाओं के विरुद्ध शिकायतों के दिखावटी कारण होते हैं (अर्थात् बस सेवाओं में अनियमितता, फेरों का न लगाया जाना, बसों का देर से चलाना आदि) इस प्रक्रिया में बसों पर पथराव किया जाता है, उन्हें क्षति पहुंचाई जाती है, उन्हें जलाया जाता है, अपहरण किया जाता है । परन्तु इस स्थिति की दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विचार-विमर्श से निरन्तर समीक्षा की जाती है, ताकि ऐसी व्यवस्था की जा सके जिससे ऐसी घटनाओं को रोका अथवा कम किया जा सके ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के अपहरण, उन पर पथराव और उनको क्षति पहुंचाने की सभी घटनाओं की हमेशा पुलिस को रिपोर्ट की जाती है । कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में जो लगभग पिछले एक वर्ष में हुईं, उन व्यक्तियों को, जिनका घटनाओं में हाथ होने का सन्देह था, गिरफ्तार करके उनका न्यायालयों में चालान किया गया है । अन्य कुछ मामलों में पुलिस जांच कर रही है और सम्बन्धित व्यक्तियों का अपराध साबित करने के लिये पर्याप्त गवाहियां मिलने पर गिरफ्तारियां की जायेंगी ।

दिल्ली परिवहन निगम की स्थापना काल से, दिल्ली में बस सेवाओं में सुधार के निरन्तर प्रयत्न जिसमें छात्रों के लिये प्रयत्न भी शामिल हैं किये जा रहे हैं। परन्तु, जैसा ऊपर कहा गया है, हिंसात्मक घटनाओं ने इन प्रयत्नों में बाधाएं खड़ी कीं। फिर भी निगम कई प्रकार के उपाय कर रहा है, जैसे अपने बेड़े में वृद्धि और अपनी गाड़ियों के लिये मरम्मत तथा रखरखाव सुविधाओं में सुधार करना ताकि राजधानी में बस परिवहन सेवाओं पर ठोस प्रभाव डाला जा सके। ये प्रयत्न उस समय तक जारी रहेंगे जब तक निगम दिल्ली में यात्री लोगों की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य नहीं हो जाता।

कलकत्ता पत्तन पर नौचालन बत्तियों (नेविगेशनल लाइट्स) की चोरी

5055. **श्री रानेन सेन :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा यदि नौचालन बत्तियों की रोशनी से रात्रि के समय नौचालन तुरन्त चालू नहीं किया गया;

(ख) क्या कलकत्ता की पत्तन पुलिस चाहती है कि नौचालन बत्तियों की चोरी रोकने के लिये अलग नदी पुलिस की व्यवस्था की जाये; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) रात्रि में नौचालन अभाव के कारण जहाज कलकत्ता पत्तन डुबाव का पूरा लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि इन महीनों में रात्रि के ज्वार भाटों में अच्छे प्रकार के डुबाव मिल जाते हैं। परन्तु पत्तनों पर जहाज नहीं रोके जाते और न तो भीड़ भाड़ ही होती है।

(ख) तथा (ग) कलकत्ता में पत्तन पुलिस के अधीन मुख्य पत्तन के अन्दर पृथक नदी पुलिस, हुगली नदी के तथा बजबज तक के हिस्से के लिये है। बजबज के नीचे नौचालन बत्तियों की प्रायः चोरियां हो रही हैं पश्चिम बंगाल सरकार से नौचालन मार्ग की गश्त लगाने तथा सुरक्षा की व्यवस्था के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

Starvation Deaths in Katihar, Bihar

5076. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the starvation deaths in Katihar;

(b) If so, the reaction of Government thereto; and

(c) the arrangements made by Government to save the people of Katihar district from starvation?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a): Bihar Government has reported that there has been no death due to starvation in Katihar.

(b) Does not arise.

(c) The State Government has made necessary arrangements such as distribution of foodgrains, opening of labour schemes to provide employment to the population etc.

Assistance to Bihar for Road Bridge on Ganga in Patna

5077. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether a road bridge on the Ganga river is being constructed in Patna, the Capital of Bihar with the assistance of the Government of India;

(b) whether Government had promised a loan of Rs. 4½ crores to the Bihar Government by the final year of the Fourth Five Year Plan;

(c) if so, the amount given to the State Government uptil now and the time by which the remaining amount is likely to be provided;

(d) whether now the construction of this bridge is estimated to cost more than Rs. 35 crores;

(e) if so, whether the State Government have asked the Government of India to bear full expenditure that may incur on the construction of the bridge; and

(f) the reaction of Government thereto?

The Minister of the State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The entire amount of Rs. 4.50 crores has been paid to the State Government.

(d) According to the latest informaion available from the State Government so far, at present the entire bridge project is estimated to cost Rs. 35.55 crores.

(e) No such proposal has been received so far. However, the State Government have requested for including in the 5th Plan in the National Highway System the Patna-Hajipur-Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonabarsa Road which includes the bridge over Ganga at Patna also.

(f) As the Fifth Five Year Plan is still in the preparatory stage, it is not possible to indicate the reaction of the Government of India in the matter at this stage.

Loan to Central Government Employees for Construction of their own Houses in Bihar

5078. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the Central Government employees in Patna, Bihar used to be given loans for construction of their own houses;

(b) if so, whether on the pretext of economic crisis, these loans have been discontinued;

(c) the number of employees who have not been granted loans;

(d) whether the payment of loans has been stopped in most of the cases where the employees have constructed only half of their houses; and

(e) if so, the action contemplated by Government in such cases?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) Yes, Sir.

(b) As part of the economy measures during this year, Government have imposed a ban on grant of house building advance to Central government servants.

(c) As on 1st September, 1973, 1811 applications in all were pending in the Ministry Works and Housing for technical scrutiny and approval.

(d) No, Sir, there is a ban on issue of fresh financial sanctions only.

(e) As and when the ban is lifted, the grant of house building loans will be revised.

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के 'धीरे काम करो' अन्दोलन का देश की उचित दर की दुकानों को अनाज की सप्लाई पर प्रभाव

5079. **श्री किशन मोदी :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के 'धीरे काम करो' आन्दोलन से देशपर्यन्त उचित दर की दुकानों को अनाज की सप्लाई में बाधा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं। जहां कहीं आवश्यक था वहां वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए थे और खाद्यान्नों की सप्लाई में बाधा नहीं पड़ने दी गई थी।

दक्षिण दिल्ली में "वाणिज्य" विषय पढ़ाने के लिए महिला कालेज का न होना

5080. **श्री दलीप सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकाधिक छात्राएं दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रम के विषयों में से "वाणिज्य" विषय ले रही हैं;

(ख) क्या दक्षिण दिल्ली के छात्राओं को "वाणिज्य" विषय पढ़ाने के लिए कोई महिला कालेज नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी छात्राओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, लड़कियों द्वारा वाणिज्य पाठ्यक्रम के लिए मांग में वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग) दक्षिण दिल्ली चाणक्यपुरी में स्थित दी जेसस एण्ड मेरी कालेज (महिला कालेज) में बी० काम० (पास) पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। दक्षिण दिल्ली डिफेंस कालोनी स्थित कमला नेहरू कालेज में गैर-कालेजीय महिला शिक्षा बोर्ड के अधीन, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित केन्द्र में भी बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में वाणिज्य अध्ययन प्रदान करने की व्यवस्था है

अतिरिक्त बस मार्गों के लिए लारेंस रोड के निवासियों का अनुरोध

5081. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लारेंस रोड क्षेत्र के निवासियों के लिये दिल्ली परिवहन निगम का एक ही बस रूट है;

(ख) क्या उस क्षेत्र के निवासियों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें इस क्षेत्र में अतिरिक्त बस-रूट चलाने के लिये अनुरोध किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । इस क्षेत्र के निवासियों ने कालोनी से रेलवे स्टेशन तक सीधी बस सेवा शुरू करने के लिये दिल्ली परिवहन निगम को अभ्यावेदन किया है ।

(ग) निगम के बेड़े में उचित रूप से वृद्धि हो जाने के बाद यथाप्रार्थित बस सेवा की व्यवस्था की जायेगी ।

लारेंस रोड दिल्ली के पाकेट ए-1 में दिल्ली दुग्ध योजना के बूथ

5082. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड, दिल्ली, 35 के ए-1 पाकेट के निवासियों ने वहां दूध के डिपो खोलने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के किसी अधिकारी ने उस पाकेट के टोकन-धारियों की कुल संख्या का सत्यापन किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके दौरे का क्या परिणाम रहा; और

(घ) ये डिपो कब तक चालू हो जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) सितम्बर, 1973 में निरीक्षण करने पर यह पाया गया था कि उस समय वहां के निवासियों के पास 304 बोतलों के टोकन थे । दिल्ली दुग्ध योजना के इंजीनियरी अधिकारियों ने दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा बनाए गए दुग्ध बूथ को हाथ में लेने और चालू करने के उद्देश्य से इसका निरीक्षण किया था । लेकिन यह पाया गया कि बूथ में कई खामियां थीं और जब तक वे ठीक न कर दी जायें यह हाथ में नहीं लिया जा सकता था । जैसे ही दिल्ली विकास अधिकरण दुग्ध बूथ की मरम्मत करके इसे दिल्ली दुग्ध योजना को सौंप देगा, इसे सुबह या शाम की पारी के लिए चालू कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली प्राधिकरण के साथ बातचीत कर रही है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में तनाव को समाप्त करने के तरीकों और साधनों का पता लगाना

5083. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हाल ही में विश्वविद्यालय के प्रांगण में तनाव को समाप्त करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति से मिले थे;

(ख) क्या उस समय बैठक में कोई संहिता बनाने का प्रयत्न किया गया था जिसका विश्वविद्यालय एवं छात्र दोनों पालन करेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) यदि ऐसी कोई संहिता अब तक नहीं बनाई गई है तो ऐसी संहिता बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की कार्यकारी समिति ने कुलपति, समकुलपति और विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों से भेंट की और विश्वविद्यालय में तनाव को समाप्त करने के लिए उपायों और साधनों के बारे में उनसे चर्चा की । उनका ठोस सुझाव यह था कि पिछले वर्ष कुलपति द्वारा चार छात्रों के बारे में दिए गए निष्कासन आदेशों में सजा की अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी जाए । कुलपति ने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि मुख्य प्रश्न सजा की प्रमात्रा का न होकर छात्र यूनियन द्वारा आन्दोलन समाप्त करना और दुराचरण के लिये किसी छात्र को सजा देने के लिये विश्वविद्यालय के प्राधिकार को मानना है । उनके द्वारा इसको स्वीकार करने पर प्रमात्रा को घटाकर एक वर्ष किया जा सकता है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र यूनियन ने बाद में दुराचरण के लिये छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये विश्वविद्यालय के प्राधिकार को स्वीकार कर लिया और 27 नवम्बर, 1973 को विश्वविद्यालय के विरुद्ध अपना आन्दोलन अस्थगित कर दिया । कुलपति ने भी उसी दिन चार उक्त छात्रों के बारे में निष्कासन की अवधि को दो साल से घटाकर एक साल करने का आदेश जारी कर दिया था ।

योरोपीय साझा बाजार से मक्खन का आयात

5084. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरोपीय साझा बाजार के पास मक्खन का फालतू भण्डार है जिसे देश में इस समय प्रचलित वनस्पति तथा सरसों के तेल के मूल्यों पर ही आयात किया जा सकता है;

(ख) क्या मंत्री महोदय से एक प्रतिनिधिमण्डल अगस्त, 1973 के तीसरे सप्ताह में मिला था और उन्हें स्थिति से अवगत कराया था; और

(ग) क्या देश में वनस्पति तथा खाद्य तेलों की कमी को देखते हुए सरकार ने योरोपीय साझा बाजार के देशों से तुरन्त खरीदने और आयात करने की वांछनीयता पर विचार किया है और यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं जो इस समय बहुत ही हितकर हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) सरकार को यह सूचित किया गया है कि यूरोपीय माझा बाजार में मक्खन तथा 'बटर आयल' का कुछ फालतू स्टाक उपलब्ध हो सकता है और वनस्पति की तुलना में कम मूल्य पर प्राप्त हो सकता है। कुछ व्यापारिक घरानों के प्रतिनिधि अगस्त 1973 में कृषि मंत्री से मिले थे और उन्होंने इनका आयात करने की पेशकश की थी। सरकार, सरकारी माध्यम से कुछ मक्खन/बटर आयल प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगा रही है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित पेशकश अथवा पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में अभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Construction of National Highway Between Rajkot and Porbander

5085. **Shri Arvind M. Patel :**
Shri N. R. Vekaria :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether there was a proposal to construct a national highway between Rajkot and Porbander passing through outskirts of the city of Rajkot;

(b) if so, the extent to which this work has been completed;

(c) the reasons for delay in this regard; and

(d) the time by which it is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) to (d) The development programme for the National Highways in Gujarat provides for a bypass outside the Rajkot city on the National Highway No. 8B i.e. Bamanbore-Rakjot-Porbandar Road. Land acquisition for the bypass is in progress and has been completed to the extent of about 80%. For sanctioning the construction work, certain clarifications have been called for in respect of the State Govt.'s estimate for the construction of the Rajkot bypass and they are awaited from them. The construction of the bypass is ordinarily expected to be completed in about four to five years after its sanction.

विलायक निस्सारण (सालवेन्ट एक्सट्रेक्शन) संयंत्र तथा डी० आयल केक के व्यापार का राष्ट्रीयकरण

5086. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में विलायक निस्सारण संयंत्र (सालवेंट एक्सट्रेक्शन) प्लांट और डी० आयल केक के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

वर्ष 1972-73 के दौरान निर्यात की गई डी० आयल केक की मात्रा

5087. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान, डी० आयल केक की राज्यवार, कितनी-कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(ख) किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वाणिज्यिक परिज्ञान तथा सांख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1972-73 के दौरान भारत से कुल 9,94,117 मीटरी टन डी० आयल केक की मात्रा निर्यात की गई है । निर्यात के राज्यवार आंकड़ों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता । सब जिन्सों के निर्यात के आंकड़े देश भर के लिए इकट्ठे रखे जाते हैं ।

(ख) जापान, इंगलैंड, रूस, पोलैंड, जेकोस्लोवाकिया, जर्मन डिमोक्रेटिक रिपब्लिक, हंगरी तथा बलगेरिया आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जिन्हें वर्ष 1972-73 के दौरान डी० आयल केक निर्यात किया गया था ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स द्वारा फरक्का में एक दूसरे संयंत्र की स्थापना

5088. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स गर्भ निरोधकों के उत्पादन हेतु एक दूसरा संयंत्र स्थापित करना चाहता है ;

(ख) क्या इस परियोजना को जिला मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) में फरक्का के स्थान पर संयंत्र स्थापित करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सरकारी उद्यम ब्यूरो से स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(ग) क्या फरक्का में यह कारखाना लगाने से सरकार को असैनिक निर्माण कार्य, जिसमें फरक्का बांध परियोजना द्वारा फालतू घोषित किये गये 500 रिहायशी क्वार्टर भी शामिल हैं, पर लगभग 35 लाख रुपये की बचत होगी ;

(घ) क्या मुर्शीदाबाद जिले में इस परियोजना द्वारा कम से कम 500 युवकों को रोजगार मिलने की संभावना है ;

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक काम चालू किया जायेगा; और

(च) क्या इस परियोजना की पुष्टि के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के एक मंत्री ने त्रिवेंद्रम में वक्तव्य दिया था ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां, निरोध तैयार करने के लिये अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसा कोई निरोध संयंत्र लगाने के लिये पूंजीगत लागत में खर्च की कोई बचत नहीं होगी। यदि फरक्का परियोजना के अन्तर्गत फालतू घोषित किये गये रिहायशी क्वार्टर उपलब्ध करा दिये जायें तो इससे रिहायशी आवास की लागत में, यदि वह स्टाफ को दिया जाना हो, बचत करने में सहायता मिलेगी।

(घ) 7 करोड़ 20 लाख निरोध की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र से 200 के लगभग कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी नहीं।

पश्चिम बंगाल में उर्वरक की कमी

5089. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बंगाल में रबी फसल के लिये उर्वरकों की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल को अधिक उर्वरक देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों की उर्वरकों की आवश्यकता की पूर्ति देशी स्रोतों और केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा आयातित दोनों ही तरह के उर्वरकों से की जाती है।

जहां तक पूल का संबंध है रबी 1973-74 के दौरान कुल उपलब्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से काफी कम है :—

(क) विश्व मण्डियों में उर्वरकों की कमी।

(ख) विश्व भर में जहाजों में जगह की कमी।

(ग) खाद्यान्नों के भारी आयात के परिणामस्वरूप बन्दरगाहों में उर्वरकों के सम्भालने और परिवहन संबंधी कठिनाइयां।

तथापि, कठिन स्थिति होने के बावजूद रबी 1973-74 की प्रथम तिमाही अर्थात् अगस्त-अक्तूबर, 1973 की तिमाही के दौरान पूल और निर्माताओं द्वारा अपेक्षित सप्लाई की तुलना में पश्चिम बंगाल को 58 प्रतिशत नाइट्रोजन और 52 प्रतिशत पी०ओ० की सप्लाई को गई। इस प्रकार यह कुल आवश्यकता से आधी थी अन्य कई राज्यों की तुलना में यह स्थिति बेहतर रही।

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को जनवरी 1973 से उर्वरकों का आवंटन

5090. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जनवरी, 1973 से नवम्बर के अन्त तक महीनेवार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिये क्रमश उर्वरकों का कितना कोटा निर्धारित है तथा वास्तव में इन राज्यों को क्रमशः कितना उर्वरक दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : छः छः महीने की दोनों फसलों (अर्थात् फरवरी से जुलाई तक की खरीफ तथा अगस्त से जनवरी तक की रबी की फसलों) के लिये प्रत्येक राज्य की उर्वरकों की मांग का छमाही क्षेत्रीय सम्मेलनों में अनुमान लगाया जाता है इन मूल्यांकनों के आधार पर तथा देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली सप्लाई को ध्यान रखते हुए यह मंत्रालय प्रत्येक राज्य को तिमाही (3 महीनों) के आधार पर केन्द्रीय उर्वरक पूल से उर्वरकों का आबंटन करता है। उर्वरकों का आबंटन मासिक आधार पर नहीं किया जाता।

उपर्युक्त बात को दृष्टि में रखते हुए फरवरी, 1973 से जनवरी, 1974 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा की अनुमानित मांग तथा उन्हें किये गये आबंटन के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी संलग्न अनुबन्ध 'क' में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—6036/73]

दिल्ली में प्रसूति गृ

5091. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने प्रसूति गृह हैं और उनके नाम क्या क्या हैं तथा प्रत्येक अस्पताल में कितनी रोगी शैयाएं हैं;

(ख) क्या रोगियों की संख्या/प्रसूति मामले रोगी शैयाओं की तुलना में बहुत अधिक होती हैं और सामान्यतः रोगियों को फर्श पर बिस्तर दिया जाता है;

(ग) इन अस्पतालों में शैयाओं की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ताकि किसी भी रोगी को फर्श की शरण न लेनी पड़े; और

(घ) क्या दिल्ली में कुछ और नये प्रसूति गृह खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में 1 जनवरी, 1973 की स्थिति के अनुसार प्रसूति अस्पतालों और प्रसूति पलंगों वाले अस्पतालों की संख्या 26 है। प्रत्येक अस्पताल के नाम तथा उसमें उपलब्ध प्रसूति पलंगों की संख्या के बारे में एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—6037/73]

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

दादरा तथा नगर हवेली में चीनी तथा खाने वाले तेल का वितरण

5092. **श्री रामूभाई पटेल** :

श्री श्री डी० पी० जदजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नागर हवेली में चीनी तथा खाने वाले तेल के वितरण की कसौटी क्या है;

(ख) दादरा और नगर हवेली में प्रति यूनिट प्रति माह चीनी की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या यह मात्रा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में सप्लाई की जाने वाली मात्रा की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इसे अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के समान स्तर पर लाने का है ?

कृषी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शिर सह) : (क) से (ग) खाने योग्य तेलों या वनस्पति के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । तथापि, वनस्पति उद्योग कुछ महीने पहले कमी की अवधि के दौरान अपने चालू उत्पादन से सभी राज्यों/केन्द्र प्रशामित प्रदेशों को पिछले वर्ष में की गई सप्लाई के यथा-नुपात उन्हें वनस्पति सप्लाई करने के लिये राजी हो गया था ।

अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार दादरा और नगर हवेली में एक किलो प्रति यूनिट प्रति माह की समान दर पर लेवी चीनी दी जा रही है और यह मात्रा अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रही दर से कम नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दादरा तथा नगर हवेली में उचित मूल्य की दुकाने खोलना

5093. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे भारत में खाद्य पदार्थ उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दादरा तथा नगर हवेली में खाद्य पदार्थों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से न बेचे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उस क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें खोलने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय कब दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के अन्दर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की होती है । देश भर में 2 लाख से कुछ अधिक उचित मूल्य/राशन की दुकानें चावल, गेहूं, गेहूं से बने पदार्थ, मोटे अनाज, लेवी चीनी आदि का वितरण कर रही हैं । दादरा तथा नगर हवेली प्रशासन ने सूचित किया है कि उक्त केन्द्र शासित प्रदेश में 38 उचित मूल्य की दुकानें कार्य कर रही हैं ।

दादरा और नगर हवेली में सहकरी समितियां और सहकरी चावल मिलें

5094. **श्री रामभाई रावजी भाई पटेल** :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समग्र भारत में सहकारी समितियों धकी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो दादरा और नगर हवेली में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ऐसी गतिविधियों को क्यों दूर रखा जा रहा है ;

(ग) क्या दादरा और तगर हवेली में एक सहकारी चावल मिल स्थापित करने की कई बार मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दादरा और नगर हवेली के निदेशक को उस क्षेत्र में सहकारी एकक स्थापित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश देने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह तथ्य नहीं है ।

(ग) विभाग अथवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दादरा और नगर हवेली में चावल मिल स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उर्वरकों की कमी के कारण पंजाब में रबी की फसल को खतरा

5095. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने 15 नवम्बर, 1973 को केन्द्रीय सरकार का ध्यान उर्वरकों की कमी के कारण पंजाब में रबी की फसल को होने वाले खतरे की ओर दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) गत वर्षों की तरह इस मौसम में भी केन्द्रीय उर्वरक पूल से उर्वरक सप्लाई करने में पंजाब राज्य को काफी महत्व दिया गया है । इसके बावजूद इस मौसम में पूरी तरह से पंजाब की आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि देशी और आयातित दोनों साधनों से उर्वरकों की उपलब्धि की स्थिति बड़ी विकट रही है । तथापि, पंजाब को पूल और पूल के अतिरिक्त अन्य साधनों से की गई कुल सप्लाई की स्थिति देश के अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में बेहतर रही है । मोटे तौर पर पंजाब राज्य की आवश्यकताओं का 75 प्रतिशत अब तक पूरा किया गया है ।

रक्त की जांच से 'कोलन' कैंसर का निदान संभव

5096. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोस्टन सिटी हास्पिटल के हारवर्ड मेडिकल स्कूल यूनिट के वैज्ञानिकों के अनुसार रक्त की जांच से कोलन कैंसर का निदान हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही शुरु की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) डा० डैविड बुल और उनके सहायक डा० रिचर्ड हेल्म्स द्वारा हारवर्ड मेडिकल स्कूल में शुरु किये गये "रक्त" की जांच से कोलन कैंसर के निदान के बारे में सरकार को यद्यपि प्रैस सूचनाओं की जानकारी है फिर भी, कितने रोगियों का पता लगाया गया, निदान के कितने मामले फाल्स-नेगेटिव के थे और कितने फाल्स-पोजिटिव के थे, और अन्य ज्ञात परीक्षणों से इस रक्त परीक्षण की निदान विधि की तुलना जैसी बातों के बारे में विस्तृत जानकारी न होने के कारण इस स्तर पर इस परीक्षण की वैधता प्रमाणित करना संभव नहीं है ।

अमरीका से नटराज की मूर्तियां वापस मंगाना

5097. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चुराई गई नटराज की मूर्तियां वापस मंगाने के बारे में सरकार ने अमरीकी सरकार से बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रमरीकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला सरकार तथा अन्य ग्रमरीकी प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खेल-कूद

5098. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बच्चों के खेलकूद स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने छोटी उम्र में खेल-कूद के प्रशिक्षण पर बल दिया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को खेलकूद में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री ग्ररविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । तथापि, 1970-71 के दौरान भारत सरकार ने उन कुछ स्कूली बच्चों को 600 खेलकूद प्रतिभा छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष प्रदान करने की एक योजना शुरु की थी, जो खेलों में श्रेष्ठता दिखायें । इस योजना को 5वीं ग्रायोजना के दौरान भी जारी रखा जायेगा ग्रौर छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 1200 प्रतिवर्ष तक कर दी जायेगी ।

नालन्दा स्थित पाली इंस्टीटयूट का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव

5099. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा स्थित पाली इंस्टीट्यूट का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ग्रौर (ख) नव नालन्दा महाबिहार को ह्यून सांग मैमोरियल हाल से सम्बन्द्ध करने ग्रौर उसके फलस्वरूप उच्च ग्रध्ययन के लिये सुविधाग्रों में सुधार करने के प्रस्ताव पर इस मंत्रालय की पांचवीं योजनागत योजनाग्रों के एक भाग के रूप में विचार किया जा रहा है । योजना को ग्रन्तिम रूप देने के बाद ब्यौरे तैयार किये जायेंगे ।

वसंत बिहार, नई दिल्ली में एक रिहायशी इमारत का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग

5100. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास** मंत्री यह वसन्त बिहार, नई दिल्ली में एक रिहायशी इमारत में मार्डन बाजार के बारे में दिनांक 30 ग्रप्रैल, 1973 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 8540 के उत्तर के भाग (ग) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरायेदार पर मुकदमा चलाया गया है ग्रौर उसे जुर्माना किया गया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये भवन का दुरुपयोग रोकने के लिये और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) परिसर के उप-पट्टे को रद्द कर दिया गया है तथा किरायेदार के विरुद्ध, लोक परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन, 27-11-73 को बेदखली के आदेश दिये गये हैं ।

वसंत बिहार, नई दिल्ली में प्लाटों का उप-पट्टा समाप्त करना

5101. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वसन्त बिहार, नई दिल्ली में कुछ प्लाटों का उप-पट्टा प्लाटों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने के कारण समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्लाटों पर अनधिकृत कब्जा करने के लिये किरायेदारों से कोई जुर्माना वसूल किया गया है; और

(ग) यदि अब तक कोई जुर्माना नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां, 7 मामलों में ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) (i) दो मामलों में लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्यवाही की जा रही है ।

(ii) दो मामलों में भूतपूर्व उप-पट्टेदारों ने उप-पट्टों को खत्म किये जाने के विरुद्ध न्यायालय से रोकादेश प्राप्त किये हैं ।

(iii) एक अन्य मामले में संधान फीस की अदायगी करने पर परिसर को एक वर्ष के लिये गैर-रिहायशी प्रयोजनार्थ इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है ।

(iv) एक अन्य मामले में, परिसर के गैर-रिहायशी प्रयोजनार्थ इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिये, भूतपूर्व-उप-पट्टेदार से संधान फीस की मांग की गई है; और

(v) अन्तिम मामले में, दुरुपयोग बन्द किए जाने पर भूतपूर्व-उप-पट्टेदार को उप-पट्टा पुनः दिया गया है ।

नवम्बर, 1973 के दौरान टैक्सी हड़ताल

5102. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री भान सिंह मोरा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 नवम्बर, 1973 को देश व्यापी टैक्सी हड़ताल हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) 30 नवम्बर, 1973 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में टैक्सी परिचालकों की आम हडताल नहीं थी, यद्यपि कुछ राज्यों में चन्द टैक्सी परिचालकों ने उस दिन हड़ताल रखी थी ।

(ख) देश के विभिन्न भागों के टैक्सी परिचालकों से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें उन्होंने पैट्रोल के मूल्य में भारी वृद्धि पर अपना असंतोष व्यक्त किया है और यह अनुरोध किया है कि उन्हें रियायती दरों पर पैट्रोल सप्लाई किया जाये ।

पैट्रोल की कीमत में वृद्धि की घोषणा के साथ ही राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से टैक्सी के किराये में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है, ताकि परिचालकों को हानि न हो । फलतः राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों ने पहले ही किरायों में उचित संशोधन कर दिया है । टैक्सी सहकारी समितियों के केवल अपने इस्तेमाल के लिये भारतीय तेल निगम की उन्हें उपयोक्ता पम्प एलोट करने की एक परियोजना है । इन पम्पों से पैट्रोल लेने में प्रति लिटर 4 पैसे की बचत होगी । इसके अलावा पैट्रोल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी ।

उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को रियायती दर पर पैट्रोल सप्लाई करने में गंभीर कठिनाइयां और प्रशासनिक समस्यायें उठ पड़ेगी और फिर ऐसा करना सरकार के मोटर स्पिरिट के प्रयोग को कम करने के उद्देश्य के अनुरूप भी नहीं होगा ।

छात्रों द्वारा बसों का रोकना

5103. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री रामवतार शास्त्री :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 के दौरान दिल्ली में दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों और छात्रों के बीच मुठभेड़ों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान करने के लिये तत्काल क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, नवम्बर, 1973 में छात्रों तथा दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ था । तथापि, उस महीने के दौरान छात्रों द्वारा कुछ बसों को रोकने तथा जबरदस्ती ले जाने के कुछ मामले हुए थे । अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर), डीन, छात्र कल्याण, सहायक महा-प्रबन्धक (प०), दिल्ली परिवहन निगम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष की एक शिखर (स्पेस) समिति विश्वविद्यालय में कार्य कर रही है । इस समिति को दिल्ली परिवहन निगम की छात्रों से संबंधित दिन-प्रतिदिन की समस्याओं की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय में आंचलिक परिवहन समितियां हैं, जहां छात्रों की परिवहन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये छात्र, अध्यापक तथा दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारी बैठक आयोजित करते हैं ।

Selection Committee to Select Players for Sending Abroad

5104. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether it has been decided to constitute a Selection Committee to select the players for sending them abroad;

(b) whether Government have reduced the budget in respect of the players going abroad during the current financial year; and

(c) if so, the reasons therefor and the extent thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) Selection of teams for participation in international competitions is made by the concerned National Sports Federations/Associa tions. However, the All India Council of Sports have suggested guidelines for the proper training and selection of teams and these have been brought to the notice of the National Sports Federations/Associations for guidance.

(b) & (c) In view of the acute financial stringency, grants to National Sports Federations/Associations for meeting expenses on the visit of their teams abroad have been kept in abeyance for the remaining part of the financial year 1973-74. The position will, however, be reviewed subject to additional funds becoming available.

Central Assistance for Setting up Nurse Training Centres in Madhya Pradesh

5105. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government for special assistance for setting up some more nurse training centres in the different areas of the State; and

(b) If so, the outcome thereof?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) No.

(b) Does not arise.

1972-73 में एच० एम० टी० जेटर-2511, हर्ष-टी-25 और लेलैंड ड्यूड ट्रैक्टरों की बिक्री

5106. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे भारत में वर्ष 1972-73 के दौरान कुल कितने एच० एम०टी० जेटर,-2511, हर्ष-टी-25 और लेलैंड ड्यूड ट्रैक्टर और उनके माडल बेचे गये;

(ख) उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उन की बिक्री के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) 1 जुलाई, 1973 को सम्बद्ध उत्पादनों के पास कितने-कितने ट्रैक्टर बिना बिके रहे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) वर्ष 1972-73 के दौरान सारे भारत में बेचे गये एच०एम०टी० जेटर-2511, हर्ष-टी०-25, लेलैंड तथा ड्यूटज़ ट्रैक्टरों की कुल संख्या नीचे दी जा रही है:—

(1) एच०एम०टी० जेटर-2511 .	3154
(2) हर्ष टी०-25 .	824
(3) लेलैंड न्यूफिल्ड-154	26
(4) ड्यूटज़ डी०-4006	196

(ख) उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में इन ट्रैक्टरों के विक्रय के आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

	एच०एम०टी० जेटर-2511	हर्ष टी-25	लेलैंड न्यूफिल्ड 154	ड्यूटज़ डी-4006
1. उत्तर प्रदेश	1240	445	12	6
2. पंजाब	895	151	—	3
3. हरियाणा	145	125	—	1
4. राजस्थान	149	29	4	114
5. जम्मू तथा काश्मीर	15	42	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	45	—	—	—
7. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र. . .	260	21	8	1

(ग) दिनांक 1-7-1973 को अनबिक ट्रैक्टरों की संख्या नीचे दी जा रही है :—

1. मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एच०एम०टी० जेटर-2511) .	32
2. मैसर्स हर्ष ट्रैक्टर लिमिटेड (हर्ष-टी 25)	1
3. मैसर्स आटो ट्रैक्टर लिमिटेड (लेलैंड) .	143
4. मैसर्स किर्लोस्कर ट्रैक्टरर्स लिमिटेड (ड्यूटज़)	55

राष्ट्रीय स्तर पर फसल तथा पशु बीमा योजना बनाये जाने के बारे में वित्त मंत्री का सुझाव

5107. **श्री राजदेव सिंह**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर पशु बीमा योजना से छोटे तथा सीमांत किसानों की आय में स्थिरता आयेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रीमियर की दर का निर्धारण भुगतान की क्षमता तथा जोखिम की मात्रा के दोनों सिद्धांतों के आधार पर किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर पर पशु बीमा योजना अथवा लघु और सीमान्त कृषकों के लाभ के लिये कोई विशेष योजना शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना क्षेत्रों में इन एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे चुने हुए लाभानुभोगियों के लाभ के लिये एक पशु मर्त्यता निधि स्थापित करें।

30 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8540 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Correcting Statement to U.S.A. 8540 dated 30-4-1973

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ओम मेहता

दिनांक 30-4-1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8540 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में, जो एक इमारत के दुरुपयोग के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में था, मुझे खेद है कि एक तथ्यात्मक गलती हुई है ।

2. प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैंने बताया था कि दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन किरायेदार और मकान मालिक के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया गया है । जांच करने पर मुझे अब पता लगा है कि मकान मालिक को केवल नोटिस जारी किया गया था और न्यायालय में मुकदमें की ऐसी कोई कायवाही शुरू नहीं हुई थी । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले की सूचना इस ख्याल से दी थी कि मकान मालिक को नोटिस जारी करने के साथ ही मुकदमे की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है और इस तरह यह गलती हुई । सही स्थिति यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन मुकदमा किरायेदार पर चलाया था और मकान मालिक को नोटिस जारी किया गया था ।

3. मैं इस अवसर पर यह भी सूचित करना चाहूंगा कि प्लाट के उप-पट्टे को रद्द करने के आदेश मकान मालिक को 2 अप्रैल, 1973 को भेजे गये थे ।

4. संदर्भित प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर संशोधन करने में जो देर हुई उसका भी मुझे खेद है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re: Adiournment Motion

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : लोको संगचल कर्मचारियों की हड़लता के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है । विमान सेवायें और रेलगाड़ियां दोनों ही बन्द हैं । रेल अधिकारियों ने पहले दिये हुए वचनों को पूरा नहीं किया है । इसलिये उन्हें हड़ताल पर जाने के लिये बाध्य होना पड़ा है । उनकी मांगें जायज हैं ।

Mr. Speaker: This has already been discussed in the house.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): It is a very serious matter that the assurances given by the hon. Minister on the Floor of the House have not been implemented so far.

The Rail services have been disrupted and a false propaganda is being broadcast from the Radio that trains are running as usual.

Mr. Speaker: When a Minister has not fulfilled his assurances how could an adjournment motion be admitted?

Shri Atal Bihari Vajpayee: I had said in my motion:

"To discuss the serious situation arising out of the failure of the Government to implement their assurances."

श्री ज्योतिर्मय बसु: अगस्त में सरकार ने लोको कर्मचारियों को स्पष्ट आश्वासन दिये थे। इसके आधार पर लोको कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त की थी, लेकिन अभी तक सरकार ने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया है। इसी कारण उन्हें फिर से हड़ताल करने के लिये बाध्य होना पड़ा है। यह सरकार की असफलता नहीं है, तो क्या है? यह स्थगन प्रस्ताव के लिये उपयुक्त एक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अगर सरकार ने आश्वासन पूरा नहीं किया है, तो उस बारे में किसी अन्य तरीके से चर्चा की जा सकती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: You may please admit it as a Privilege Motion.

Mr. Speaker: How could it be forced as a Privilege Motion?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : स्थिति काफी गंभीर है। मन्त्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : वक्तव्य से हमें संतोष नहीं होगा। आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के प्रधान ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आश्वासनों को क्रियान्वित नहीं किया गया, तो वे हड़ताल कर देंगे। अगर सरकार स्थिति को और आगे नहीं बिगड़ने देना चाहती, तो बातचीत की जानी चाहिये और सरकार को अपने तौर तरीके में सुधार करना चाहिये। इसलिये कल इस पर पूरी बहस होनी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The Government's claim that the trains are running time or a bit late is absolutely wrong.

The Loco employees have alleged that the agreement concluded with them has not been honoured. It is a very serious allegation. The honourable Railway Minister should take the House into confidence.

At present this strike is confined only to Northern Railway. This may spread throughout the country resulting in dislocation of Rail services Throughout the country. The railway employees are having apprehension that the honourable Railway Minister does not to honour his earlier commitments. *(Interruptions)* I, therefore, request that our adjournment motion may please be admitted.

श्री एस० एम० बनर्जी : स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 377 के अधीन नोटिस आदि दिये गये हैं। स्थिति काफी गंभीर है। मंत्री महोदय का यह दावा है कि सभी आश्वासन पूरे कर दिये गये हैं। यूनियन के प्रधान का वक्तव्य मेरे पास है। स्थिति और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि इस मामले पर बहस होनी चाहिये, चाहे वह स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से।

Mr. Speaker: The adjournment motion can not be admitted. You might have discussion in any other form.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं चाहता हूं कि नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा की जाय ।

अध्यक्ष महोदय: इस पर प्रत्येक सदस्य भाषण नहीं करें।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मंत्री महोदय ने कहा है कि लोको कर्मचारियों ने कुछ मांगें की थीं और उन मांगों को पूरा कर दिया गया है । कुछ लोको कर्मचारी तोड़ फोड़ की कार्यवाही कर रहे हैं और यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं । . . . (**व्यवधान**) अगर इस स्थगन प्रस्ताव को बहस के लिये स्वीकार किया जाता है, तो इससे यात्रियों का जीवन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिये रेलवे का कुशल कार्यकरण खतरे में पड़ जायेगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाय । (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I have given a calling Attention Notice. The honourable Minister should clarify the following three points. First, whether there has been any agreement in regard to the demands of the Locomen; Secondly, whether the assurances given to the Locomen have been implemented and thirdly, whether the main cause for the present unrest is category-wise recognition of Associations.

The honourable Minister should take the House into confidence about these matters.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य देंगे और तत्पश्चात मैं अगर आवश्यक समझूंगा, तो बहस की अनुमति दे दूंगा ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
Papers laid on the Table

मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत नियम

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (चौथा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 22 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या एफ० 3(19)'73-टी०पी० में प्रकशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल०टी० 6017/73]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आदेश तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का वर्ष 1970-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारणों का विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उड़ीसा चावल (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 512 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल०टी० 6018/73]**

(2) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल०टी० 6019/73]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा विलम्ब के कारणों और हिन्दी में रखने के कारणों को बताने वाले विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :--

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1973-74 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०मा०नि० 509 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल०टी० 6020/73]

(2) (क) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 3 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 की धारा 150 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उड़ीसा अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(क) सा०नि०आ०/संख्या 358/73 जो उड़ीसा राजपत्र दिनांक 23 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा उड़ीसा ग्राम पंचायत नियम, 1968 में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(ख) सां०नि० आ० संख्या 808/73 जो उड़ीसा राजपत्र दिनांक 28 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुये थे और जिनके द्वारा उड़ीसा ग्राम पंचायत नियम, 1968 में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों के दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6021/73]**

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Shri Sher Singh has said that two statements (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi versions of the Notifications mentioned at (i) above. have been laid on the Table.

He has said that these rules relate to Orissa State and there is no arrangement of translating them into Hindi. He has further said that the notification is of local interest in a non-Hindi State and applicable to Orissa State only.

In Lok Sabha every document should be laid both in Hindi and English.

अध्यक्ष महोदय: मूल नियम किसी भी प्रादेशिक भाषा में हो, परन्तु सभा पटल पर रखी जाने वाली प्रतिलिपियां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होनी चाहियें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मद सं० 4(1)--लेवी चीनी के उत्पादन शुल्क में कमी का प्रश्न है, यह काफी गंभीर मामला है । इस पर पटल प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारणों और हिंदी संस्करण सभा पर न रखने के कारणों को बताने वाले विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:

(एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) (एक) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब और (दो) उसके अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजा संस्करण,

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल०टी० 6022/73]

(एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल०टी० 6023/73]**

राज्य सभा से संदेश

Message From Rajya Sabha

महासचिव: मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं:

"कि राज्य सभा 12 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1973 में 4 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है।"

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

Leave of Absence From the sittings of the House

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई अवधि के लिये, सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति देने की सिफारिश की है :--

(1) श्री मार्तण्ड सिंह	9 से 16 मई, 1973 तक (सातवां सत्र) और 23 जुलाई से 5 सितम्बर, 1973 तक (आठवां सत्र)

(2) श्री राम सहाय पाण्डेय	12 नवम्बर से 12 दिसम्बर, 1973 तक (नौवां सत्र)
(3) श्री नरेन्द्र सिंह	12 नवम्बर से 7 दिसम्बर, 1973 तक (नौवां सत्र)
(4) श्री तुलसीदास दासप्पा	23 जुलाई से 5 सितम्बर, 1973 तक (आठवां सत्र)
(5) श्री ई० वी० विखे पाटिल	16 से 30 नवम्बर, 1973 तक (नौवां सत्र)
(6) श्री ए० के० गोपालन	12 नवम्बर से 21 दिसम्बर, 1973 तक (नौवां सत्र)
(7) श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला	अगस्त से 5 सितम्बर, 1973 तक (आठवां सत्र) और 12 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 1973 तक (नौवां सत्र)

क्या इन सदस्यों को समिति की सिफारिश के अनुसार अनुपस्थिति देने के लिये सदन सहमत है?

माननीय सदस्यगण : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी सदस्यों को सूचना दे दी जायेगी।

रेलवे मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : रेलवे पर चर्चा के लिये चार घण्टे का समय नियत किया गया है। दो घण्टे रेलवे अभिसमय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये और दो घण्टे अनुपूरक मांगों के लिये। हम चर्चा के समय सभी बातों का उल्लेख कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा करने जा रहे हैं और उस समय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उड़ीसा)
Supplementary Demands for Grants (Orissa)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1973-74 के लिये उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

दिल्ली नगर कला आयोग विधेयक
Delhi Urban Art Commission Bill

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली के अन्दर नगरीय और पर्यावरिक रुपांकन के सौन्दर्यात्मक स्वरूप के संरक्षित रखने, उसका विकास करने और उसे बनाये रखने के उद्देश्य से दिल्ली नगर कला आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये, आप इसका विरोध करना चाहते थे।

Shri Madhu Limaye (Banka) :The Town-planner has not been included in the Commission. The hon. Minister should make necessary change and include Town-Planner in it.

Shri Bhola Paswan Shastri : When this Bill comes up for discussion, hon. Member may put his views and the Government bill also apprise the House of their views.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली के अन्दर नगरीय और पार्यावरिक रूपांकन के सौन्दर्यात्मक स्वरूप को संरक्षित रखने उसका विकास करने और उसे बनाये रखने के उद्देश्य से दिल्ली नगर कला आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री भोला पसवान शास्त्री : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

Matter under Rule 377

अध्यक्ष महोदय : लवी चीनी के कारखाना द्वार मूल्य में वृद्धि और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर शुल्क में वृद्धि करने का सरकार का निर्णय, वसूली, चीनी के मूल्य के सम्बन्ध में नियम 377 के बारे में दो माननीय सदस्यों की ओर से सूचना मिली है। जो थोड़ा सा समय है उसी में दोनों माननीय सदस्य बोलें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं सभा का ध्यान सरकार के उस निर्णय की ओर दिलाता हूं जो 15 दिसम्बर से लागू है तथा जो (क) लेवी-चीनी का कारखाना द्वार मूल्य बढ़ाने और (ख) खुले बाजार में चीनी पर शुल्क बढ़ाने के बारे हैं। लेवी चीनी के कारखाना द्वार मूल्य वृद्धि करने के निर्णय से चीनी के बड़े बड़े मिल मालिकों को 20 करोड़ रुपये का लाभ होगा। खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर शुल्क में वृद्धि करने के निर्णय से खुले बाजार में चीनी का मूल्य बढ़ जायेगा। इससे एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उत्पादन शुल्क में संसद के अनुमोदन के बिना वृद्धि की जा सकती है? संसद की बैठक हो रही है और सरकार ने उसके अनुमोदन के बिना ही उत्पादन शुल्क में वृद्धि कर दी है।

ऐसा आरोप है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और सत्तारूढ़ दल ने चीनी के कारखानों के मालिकों से 5 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की है। (**व्यवधान**) पहले भी 1971-72 में, ऐसे आरोप लगाये गये थे कि चीनी के बड़े बड़े मिल-मालिकों से सरकार ने भारी राशि ली और उन्हें उपभोक्ताओं को लूटने की अनुमति दी गई।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This matter relates to the whole of the House. If Parliament is sitting and the Government wants to raise excise duty, they should come before Parliament. The Government have raised the excise duty by passing Parliament. This is contempt of the whole House.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने आपको पत्र लिखा है।

(अन्तर्बाधा)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या सरकार कार्यकारी आदेश द्वारा उत्पादन शुल्क बढ़ा सकती है। इस पर आपका क्या विनिर्णय है ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : The excise duty has been raised without taking Parliament into confidence. I am opposed to it. It is a deliberate action.

It will have dire consequences. Levy sugar is distributed through the Food Corporation of India. The States do not get the quota prescribed for them. The quota which lapses, is sold in the open market. The Government should give full information to the House.

An allegation has been made in the Economic and Political Weekly that Rs. 11.50 crores have been collected by the Congress Party in November to fight U.P. elections **(Interruption).**

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार को वक्तव्य देना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : This allegation should be clarified.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please ask the hon. Minister to apologise.

Shri Madhu Limaye : Please ask Shri Ganesh and Shri F.A. Ahmed to apologise.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे संवैधानिक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। अध्यादेश को तो कानून माना जा सकता है परन्तु कार्यकारी आदेश द्वारा उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं है कि सरकार का कानून बनाने का अधिकार है अथवा अध्यादेश जारी करने का। मुझे यह बताया जाये कि मैं किस नियम के अन्तर्गत ऐसा कर सकता हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा को यह सूचना मिली है कि उत्पादन शुल्क में उस समय चुपचाप वृद्धि की गई है जब सभा का सत्र हो रहा है।

इस मामले का सम्बन्ध संसद के अधिकारों से है। आप मंत्री महोदय से स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहें।

श्री विक्रम महाजन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। या तो श्री लिमये और श्री मिश्र ने जो आरोप लगाये हैं उन्हें वे वापस ले लें अथवा उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जब संसद का सत्र चल रहा हो और सरकार अधिसूचना जारी करती है और संसद का विश्वास प्राप्त नहीं करती तो वह जानबूझ कर ऐसा करती है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अधिसूचना द्वारा उत्पादन शुल्क में वृद्धि की गई है। विधेयक पर चर्चा नहीं हुई है। मैं आपसे स्पष्ट विनिर्णय चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने जो कुछ किया है वह सही है या उससे संसद् की गरिमा बढ़ी है या घटी है।

49 LSS/73-11

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

यदि आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय क्षमा याचना करें तो मुझे अन्य मदस्यों की बात सुनने दीजिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please listen to them first and then ask them apologise.

Mr. Speaker : What was said about ordinance is correct . Then point of order was raised. I am not able to think. How can I give my ruling ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सरकार को उस समय ऐसी प्रक्रिया पर अमल करने की अनुमति दी जा सकती है जब सभा का सत्र चल रहा हो ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी अध्यादेश लागू नहीं किया गया है। (**व्यवधान**)

जहां तक इस विशेष आदेश का सम्बन्ध है, यह सरकार के प्रशासनिक अधिकार के अन्तर्गत जारी किया जाता है और इस प्रयोजन हेतु अधिसूचना सभा पटल पर रखी जाती है। मुझे नहीं मालूम कि इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया है। मैं इस बारे में पूछताछ करूंगा (**व्यवधान**)

इस प्रकार के मामले में सरकार के प्रशासनिक अधिकार अन्तर्गत आदेश जारी किये जाने से पूर्व संसद को बताना आवश्यक नहीं है।

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मैं उनके सम्बन्ध में वक्तव्य दूंगा, यदि आप अनुमति दें तो आज शाम को अथवा कल।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। बात केवल इतनी ही है कि यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की तो उसे यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखना चाहिये था। इस बारे में कोई विनिर्णय देने का अधिकार मुझे नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Whatever the Government have done, we are leaving the House in order to express our wrath.

Shri Madhu Limaya: we are leaving the House.

तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

Some hon. Members then Left the House

रेलवे कन्वेंशन समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

Resolution Re: Interim Report of Railway Convention Committee

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व देय लाभांश में की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने के लिये नियुक्त

की गयी समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के, जो 11 दिसम्बर, 1973 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 60, 70, 71, 75, 76, 77, 78 और 79 में दी गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।

कि सभा यह भी निदेश देती है कि इस प्रतिवेदन में दी गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस समिति को प्रतिवेदित की जाये।"

सितम्बर, 1924 में तत्कालीन केन्द्रीय विधानमंडल ने एक संकल्प द्वारा रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से अलग कर दिया था।

1949 की रेलवे अभिसमय समिति ने जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पहली समिति थी, इन व्यवस्थाओं पर पुर्नविचार किया और सिफारिश की कि रेलवे को चाहिये कि वह सामान्य वित्त को ऋण पूंजी पर, जो उपक्रम में लगी हुई है, नियत लाभांश है। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ इन प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्थाओं में महत्वतूर्ण परिवर्तन हुए हैं यद्यपि सामान्य राजस्व को नियत लाभांश देन का सिद्धान्त अभी भी कायम है।

रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को नियत लाभांश दिये जाने के सिद्धान्त का पंचवर्षीय योजनाओं के साथ तालमेल है।

1971 की रेल अभिसमय समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन अप्रैल, 1973 में प्रस्तुत किया। इस समिति ने रेलवे के कार्यकरण सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी की।

1973 की रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आयेगी। इस समिति ने सिफारिश की है कि चौथी योजना अवधि के लिये 1971 की समिति द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था वर्ष 1974-75 के लिये जारी रहेगी, जब तक वह सभी पहलुओं का विस्तृत परीक्षण कर ले और निश्चित सिफारिश करे।

समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि रेलवे के माल-भाड़े के अनुमान पूर्ण रूप से अमल में नहीं लाये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ पूंजी निवेशों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुये हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी लक्ष्यों को योजना आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ परामर्श के बाद निर्धारित करता है। उदाहरण के लिये चौथी योजना के पहले दो वर्षों में यातायात भाड़े का लक्ष्य धीमा था एक बार यदि किसी विशेष लक्ष्य पर विचार किया जाता है तो रेलवे को आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करना चाहिये। मुझे आशा है कि गत अनुभव को देखते हुये रेलवे को पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय करते समय समझदारी से काम लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ:—

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर का तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के जो 11 दिसम्बर, 1973 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 60, 70, 71, 75, 76, 77, 78 और 79 में दी गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।

कि सभा यह भी निदेश देती है कि इस प्रतिवेदन में दी गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस समिति को प्रतिवेदित की जाये।"

हम इस पर मध्याह्न योजन के पश्चात् विचार करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिये दो घंटे का समय दिया है। इस समय विरोधी पक्ष के सदस्य नहीं है, इसलिये मेरे विचार में हम इसके लिये 2½ घंटे का समय दे सकेंगे इस समय के दौरान लोको संगचल कर्मचारियों की हड़ताल पर भी विचार किया जा सकेगा।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : किसी भी मामले पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : दोनों पर एक साथ ही चर्चा की जा सकती है। माननीय मंत्री महोदय उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें रेलवे (1973–74)
और लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

Supplementary Demands for Grants (Railways) 1973-74 and Statement Re: Strike by Loco running Staff.

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान जी मैं 1973-74 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प, अनुदानों की अनुपूरक मांगों और लोको संगचल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर एक साथ चर्चा की जायेगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : 5.30 बजे म० प० पर आधे घंटे की चर्चा हो रही है। उस समय तक चर्चा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हम 5.30 बजे तक समाप्त कर लेंगे। मंत्री महोदय हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य कब देंगे?

श्री एल० एन० मिश्र : जब भी आप चाहें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह अधिक अच्छा होगा। कि सभी भाषणों को सुन लेने के पश्चात् आप अपना वक्तव्य पढ़ दें।

श्री के० रघुरामैया : मंत्री महोदय को 5 बजे म० प० पर बुलाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी ऐसा ही विचार है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् जी, आप को मालूम होगा कि दिल्ली में ही दिल्ली क्लाथ मिल्स के कर्मचारियों ने 4 दिसम्बर से कार्यालय में होते हुये भी हड़ताल कर रखी है। श्रम मंत्री के हस्तक्षेप के कारण सामान्य हड़ताल नहीं हुई। कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री को इस बारे में वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the following three matters were raised during the last 15 days and the Chair had ordered that the Government should give statement on them, but no statement has been given so far :—

(a) Communal riots in Meerut.

(b) The profit of $7\frac{1}{2}$ percent on crude oil in Indian refineries.

(c) Burning to death of Harijans in Monghyr district in Bihar. No statement has been issued in this regard **(interruptions)**

We have no quarrel with the chair. Their incapacity and inactiveness....**(interruptions)**

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी का आप के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है।

Shri Madhu Limaye : The orders of the Chair are not being implemented.

Shri Ranavatar Shastri (Patna) : The hon. Minister's attention should be drawn to the atrocities being committed to the Harijans in the Darbhanga District of Bihar so tha they can give the information to the House in this regard.

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Alcock Ashdown Company Ltd., has been auctioned and still no statement has been made ....**(interruption)**.

रेलवे कन्वेंशन समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प तथा अनुदानों की अनुपुरक मांगे (रेल) 1973-74

Resolution Re: Interim Report of Railway Convention Committee and supplementary Demands for Grants (Railways) 1973-74

उपाध्यक्ष महोदय : रेल अभिसमय समिति की कुछ सिफारिशों और इस वर्ष की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में श्री मिश्र के संकल्प पर साथ-साथ चर्चा करने का निर्णय सभा ने किया था। इन दोनों के लिये दो-दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था। फिर सभा ने निर्णय किया कि चर्चा के दौरान लोको कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति का भी उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार चर्चा में कई बातों का समावेश हो गया है। हमारे पास समय थोड़ा है और पहले यह निर्णय किया गया था कि हम चार घंटे के समय में आधे घंटे का समय कम कर देंगे ताकि हम 5.30 बजे आधे घंटे की चर्चा कर सकें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यदि हम अभी चर्चा आरम्भ कर देते हैं तो वह लगभग 6 बजे समाप्त हो जायेगी और 5.30 बजे एक आधे घंटे की चर्चा भी है। यदि आप चाहें कि रेलवे मंत्री परसों उत्तर न दे तो दो उपाय हैं। या तो हम आधे घंटे की चर्चा को 6 बजे आरम्भ करें या इस चर्चा को 5.30 बजे समाप्त कर लें, अर्थात् 5 बजे मंत्री महोदय को बुला लिया जायेगा।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : हम आधे घंटे की चर्चा 6 बजे आरम्भ कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बैतूल) : हम आधे घंटे की चर्चा 6 बजे आरम्भ कर सकते हैं

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मंत्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को यह कहते हुये सुना कि वह चर्चा से पूर्व 2 बजे वक्तव्य देने को तैयार हैं ताकि माननीय सदस्य उन बातों का उल्लेख कर सके परन्तु क्या कहा जा रहा था। वह मैंने भी सुना कि वह उत्तर देने के समय वक्तव्य देंगे।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : वह बात ठीक है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय परसों उत्तर देंगे तो वक्तव्य असंगत हो जायेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं चर्चा समाप्त होने पर वक्तव्य देना चाहूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम लोको कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में जानकारी चाहते हैं। यदि मंत्री महोदय अभी वक्तव्य देंगे तो हड़ताल के और अधिक बढ़ने की गुंजाइश समाप्त हो जायेगी। हम चाहते हैं कि सरकार वक्तव्य दें।

श्री के० रघुरामैया : यह संयुक्त प्रस्ताव है कि रेल मंत्री अभी वक्तव्य दें और यदि हम इस वाद-विवाद को 6 बजे समाप्त करते हैं तो आधे घंटे की चर्चा बाद में कर लेंगे।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं यह वक्तव्य अत्यन्त दुःख के साथ दे रहा हूं।

इससे पहले कि मैं वक्तव्य दूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगस्त में हड़ताल के समय जितने भी आश्वासन दिये गये थे वे सब पूरे कर दिये गये हैं। यदि कोई व्यक्तिगत मामला मानवीय त्रुटि के कारण रह गया हो तो मैं स्वयं, उसकी जांच करने और चौबीस घंटे के अन्दर निर्णय देने को तैयार हूं।

विवरण

पश्चिम रेलवे के लोको रनिंग कर्मचारियों का एक वर्ग बिना किसी वैध कारण के 26 नवम्बर, 1973 से आन्दोलन करता रहा है और काम से अनुपस्थित होता रहा है। उनकी एक मांग केवल यही दिखाई देती है कि लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन को वार्ता का अधिकार दिया जाये। मैं कई बार संसद में यह स्पष्ट कर चुका हूं कि कोटिवार वर्गों को मान्यता नहीं दी जा सकती। अनुपस्थित कर्मचारियों में से लगभग 40 प्रतिशत काम पर लौट आये हैं और बाकी भी धीरे धीरे लौट रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों में दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में उत्तर रेलवे के लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग ने 15 दिसम्बर, 1973 से अचानक हड़ताल कर दी है। स्पष्टतः उनका उद्देश्य पश्चिम रेलवे के हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन देना है क्योंकि उत्तर रेल प्रशासन की ओर से किसी प्रकार कि उत्तेजनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली जंकशन से शाम के समय जाने वाले दैनिक यात्रियों में से अधिकांश के जाने की व्यवस्था कर दी गई थी और केवल 500-600 दैनिक यात्री बचे थे। पुलिस शीघ्र ही घटना स्थल पर पहुंच गई। सबसे पहले उसने दैनिक यात्रियों को नियंत्रित किया और शीघ्र ही उनकी आगे की यात्रा के लिये गाड़ी की व्यवस्था कर दी गई। चार घंटे के भीतर रुकावट डालने वाले इंजनों को हटा दिया गया और मीटर लाइन की दो डाक गाड़ियों (जोधपुर/बीकानेर) को छोड़कर शाम के समय आने-जाने वाली लम्बी दूरी की अधिकांश गाड़ियां चलने लगीं यद्यपि उन्हें काफी विलम्ब हो गया। लेकिन 17 तारीख तक यह आन्दोलन लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, टुण्डला और बीकानेर मण्डलों में फैल गया और सवारी गाड़ियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। कलकत्ता और दिल्ली के बीच लम्बी दूरी के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 2 या 3 डाक और एक्सप्रैस गाड़ियां चलाने का प्रयास किया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अगस्त की हड़ताल के बाद लोको कर्मचारियों को दिये गये सभी आश्वासनों पर अमल किया जा चुका है जैसा कि आगे बताया जा रहा है। अब मैं दिये गये विभिन्न आश्वासनों और इनमें से प्रत्येक आश्वासन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करूंगा—

(क) मई-अगस्त के आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है जैसा कि वचन दिया गया था। इसके अलावा, सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि इन आन्दोलनों के दौरान उन सभी अपराधों के सम्बन्ध में लगायें गये आरोप पत्र वापस ले लिये जायें जिनमें तोड़-फोड़, हिंसा और तेल सम्पत्ति को क्षति न हुई हो।

(ख) छोड़े गये सभी व्यक्तियों को ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है जैसा कि वचन दिया गया था।

(ग) मई और अगस्त, 1973 की हड़तालों के परिणामस्वरूप परावर्तन, निलम्बन और नौकरी से हटाये जाने की दण्डात्मक कार्यवाही रद्द कर दी गई है।

(घ) मई-जुलाई के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप सेवा भंग को माफ कर दिया गया है जैसा कि वचन दिया गया था।

(ङ) दिये गये वचन के अनुसार, अगस्त, 1973 के आन्दोलन के परिणामस्वरूप अनुपस्थिति की अवधि को अर्जित छुट्टी अथवा अर्जित होने वाली छुट्टी के रूप में समायोजित कर दिया गया है।

(च) ट्रेड यूनियन गतिविधियों अथवा मई और अगस्त, 1973 की हड़तालों के कारण हुई गतिविधियों से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित प्रशासनिक किस्म के आरोप पत्र वापस ले लिये गये हैं जैसा कि वचन दिया गया था।

(छ) अन्य शिकायतों पर विचार करने के लिये रेल उप मंत्री श्री मोहम्मद शफी कुरेशी की अध्यक्षता में लोको रनिंग कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधियों की एक समिति बना दी गई है और यह समिति अभी काम कर रही है।

3. जहां तक 10 घंटे की ड्यूटी का सम्बन्ध है, अगस्त, 1973 की हड़ताल के बाद समझौता यह हुआ था कि 10 घंटे की ड्यूटी को किस रूप में और किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में उपर्युक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा और 6 सप्ताह के भीतर ब्यौरा तैयार कर लिया जायेगा। विषय की जटिलता और दोनों पक्षों के दृष्टिकोण में अत्यधिक अन्तर होने के कारण समिति 6 सप्ताह के भीतर इस विषय पर विचार-विमर्श पूरा नहीं कर सकी। प्रशासन का विचार है कि लगभग 38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अतिरिक्त सुविधायें जुटाने तथा बड़ी संख्या में अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 10 घंटे की ड्यूटी के कार्यक्रम को लागू करने में कम से कम 5 वर्ष लगेंगे। दूसरी ओर रनिंग कर्मचारियों का मत है कि इस कार्यक्रम को लागू करने में 90 दिन का समय लगेगा। सभी पहलुओं पर सावधानी से विचार करने के बाद मैं संसद में पहले ही यह घोषणा कर चुका हूं कि हमने 10 घंटे की ड्यूटी कार्यक्रम को 1 दिसम्बर, 1973 से लागू करना शुरू कर दिया है और एक चरणबद्ध तरीके से 3 वर्ष के समय में पूरा कर लेंगे।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि ड्यूटी के घंटों के समूचे प्रश्न पर मियाभाई अधिकरण ने विस्तार से विचार किया था और यह पाया था कि 14 घंटे की ड्यूटी को कम करके 12 घंटा करने में ही 8 वर्ष लग जायेंगे अतः माननीय संसद सदस्य यह देखेंगे कि 14 घंटे की ड्यूटी को घटा कर 10 घंटे करने में लगने वाले समय को कम करके 3 वर्ष कर देने में एक बहुत भारी कदम उठाया गया है।

5. यद्यपि ड्यूटी के घंटों को एक दम घटाकर 10 घंटे कर देने के निर्णय को लागू करने और उसे 3 वर्ष में पूरा करने के लिये हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं, फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि लोको रनिंग कर्मचारी कार्य घंटा विनियमों से शासित होते हैं। इन विनियमों के अनुसार उन्हें एक पखवाड़े में 108 घंटे की ड्यूटी करना अपेक्षित है। जब वे एक पखवाड़े में 108 घंटों से अधिक काम करते हैं तो उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाता है। मैं यहां यह भी स्पष्ट कर दूं कि जब कोई ड्राइवर लगातार 10 घंटे से अधिक की ड्यूटी करता भी है तो वास्तविक रनिंग ड्यूटी पर लगने वाला समय काफी कम होता है। संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस जैसे प्रगतिशील देशों में भी अभी हाल तक रनिंग कर्मचारियों के लगातार काम करने के घंटे 12 से भी अधिक थे। सोवियत रूस में काम के घंटे घटाकर 12 घंटे प्रतिदिन 1971-72 में ही किये गये हैं और वह भी कर्षण के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप ही हुआ है।

6. जहां तक लोको रनिंग कर्मचारियों की अन्य शिकायतों का सम्बन्ध है, वे इस प्रकार हैं:—

(क) फायर मैन 'ए' और फायरमैन 'बी' तथा शंटर 'ए' और शंटर 'बी' को बराबर वेतन।

यह मामला संयुक्त परामर्श तन्त्र के अन्तर्गत स्थापित विवाचक मंडल के विचाराधीन पहले से ही है।

(ख) स्वास्थ्य की दृष्टि से विकोटिकृत व्यक्तियों को काम की सुरक्षा।

यह मामला भी रेलवे श्रम अधिकरण के विचाराधीन है।

(ग) रनिंग कर्मचारियों के वेतन और भत्ते।

यह पहले ही वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आ गया है।
रेल उपमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति का विचार विमर्श जारी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि लोको रनिंग कर्मचारियों ने बिना किसी उत्तेजक अथवा वैध कारण के अचानक हड़ताल कर दी है और जनता को बड़ी असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया है। एक ओर तो वे वार्ता जारी रख रहे हैं और दूसरी ओर उन्होंने ऐसे असामाजिक तरीके अपनाना पसन्द किया है।

7. मैं सदन के सभी दलों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कर्मचारियों के एक ऐसे वर्ग के इस प्रकार असंवैधानिक और असामाजिक क्रियाकलापों को दबाने में अपना सहयोग दें जो लोक परिवहन को ठप्प कर देना चाहता है और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को क्षति पहुंचाना चाहता है।

8. मैं इस अवसर पर हड़ताली लोको कर्मचारियों के वर्ग से अपील करूंगा कि वे काम पर लौट आयें। वास्तव में बिना किसी वैध कारण से उनके द्वारा की गई इस अवैध हड़ताल की मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती विशेषरूप से जबकि उनकी सहमति से 17 जनवरी, 1974 को कुरेशी समिति की

बैठक निश्चित की गई है। यदि लोको कर्मचारी चाहें तो यह बैठक पहले भी हो सकती है। मैं हड़-तालो लोको कर्मचारियों से फिर अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्र के व्यापक हित में काम पर लौट आयें।

(व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या आय सन्तुष्ट हैं? **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (औसग्राम) : वह 'समाज विरोधी' क्यों कह रहे हैं? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

नियमानुसार मंत्री के वक्तव्य के बाद सवाल नहीं पूछे जा सकते। इस मामले में हम मंत्री महोदय के वक्तव्य को मध्यान्ह भोजन के पूर्व भाषण का अंश मानेंगे और प्रत्येक मामले पर बहस की जा सकती है।

***श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम)** : रेलवे अभिसमय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पांच साल में रेलवे में यात्री किराये और माल भाड़े में लगातार वृद्धि होती रही है और कुल वृद्धि 337 करोड़ रुपये की हुई है। रेलवे की आर्थिक स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन के आर्थिक प्रबन्ध में पर्याप्त अनुशासन लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

पता नहीं अभिसमय समिति के क्षेत्राधिकार में यह आता है अथवा नहीं परन्तु उक्त समिति रेल कर्मचारियों और उनकी समस्याओं के बारे में कोई सिफारिश नहीं करती। रेलवे व्यय के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए भी समिति ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि रेलवे से प्राप्त आय को पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर व्यय किया जायेगा परन्तु रेलवे के प्राधिकारियों के उदासीन व्यवहार के कारण पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी सभी योजनायें ठप्प हो जाती हैं। रेल सुविधा न होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाता।

सीमावर्ती नगर बेलोनरा में अगर रेलवे यार्ड बना दिया जाये तो बंगला देश के साथ आसानी से रेल-सम्पर्क कायम किया जा सकता है। चटगांव के बन्दरगाह से त्रिपुरा होते हुए मिजोरम और मणिपुर तक हम रेल लाइन बना सकते हैं। अगर केवल दो मील लम्बी रेल लाइन बना दी जाये तो वह अगरतल्ला और कछार तथा मणिपुर को आपस में जोड़ देगी अफसोस की बात यह है कि इस बारे में प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने सदन के सम्मुख वित्तीय स्वीकृति के लिए पेश किये गये प्रस्तावों में शामिल नहीं किया गया है।

रेल कर्मचारी 'धीमे काम करो' आन्दोलन कर रहे हैं। लोको कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर हैं। रेलवे कर्मचारियों ने 27 फरवरी 1974 से अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल करने का नोटिस दे रखा है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत द्वारा समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्रादेशिक सेना और रेलवे पुलिस के माध्यम से कर्मचारियों का दमन करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अनुचित और निन्दनीय हैं।

---

* बंगाली में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised Translated version of English translation of the speech delivered in Bengali.

हमें इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि रेलवे की आय में से कितना भाग आय राजस्व को दिया जाये। ट्रेनों का ठीक समय पर चलना बन्द हो गया है। श्री मिश्र द्वारा रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद एक भी दिन ऐसा व्यतीत नहीं हुआ है जबकि रेलवे में कोई न कोई संकट उपस्थित न हुआ हो। रेल मंत्री अपने विभाग की समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय राजनीतिक गतिविधियों में अधिक उलझे हुए हैं ।

रेलवे औद्योगिक कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं ले जा पा रही है। इस वजह से सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों और अन्य औद्योगिक कारखानों में उत्पादन में कमी आ रही है। हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं।

सदन के प्रचण्ड बहुमत और प्रबल समर्थन से रेल मंत्री अपने लिए मेजें थपथपा सकते हैं या करतल ध्वनि करवा सकते हैं परन्तु इस प्रकार समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं। अगर रेल मंत्री समस्या का वस्तुतः समाधान करना चाहते हैं तो उन्हें शीघ्र ही रेल कर्मचारियों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए ।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूचबिहार) : मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लोको कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है और उनसे अनुरोध किया है कि अगर कुछ शिकायतें हों तो उनके बारे में बातचीत की जा सकती है।

आज कुछ सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहते थे। वे सदस्य स्थगन प्रस्ताव बहस के लिए स्वीकार कराना चाहते थे। मंत्रालय द्वारा किये गये सभी आश्वासन पूरे कर दिये गये हैं। कुछ अन्य बातों पर विचार करने के लिए उप रेल मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी गई है। समिति के निर्णयों की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय जबकि इण्डियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी है कुछ व्यक्ति रेलवे में अव्यवस्था उत्पन्न करके गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं।

रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों पर चाहे वे लोको कर्मचारी हों अथवा अन्य किसी श्रेणी के कर्मचारी रेल मंत्री उपमंत्री और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए । इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और उसी प्रकार रेलवे कर्मचारी भी राष्ट्र की सम्पदा हैं। उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय ने रेलवे अभिसमय समिति की अन्तरिम रिपोर्ट विशेषकर पैरा 60 70, 71, 75, 76, 77, 78 और 79 के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं रिपोर्ट का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि सदन भी इसे अपना समर्थन देगा।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बद्ध कुछ प्रमुख प्रश्नों का उल्लेख करना चाहता हूं। मंत्री महोदय को इस बात की पूरी जानकारी है कि अक्तूबर 1968 की भीषण बाढ़ से जिन रेल-लाइनों को नुकसान पहुंचा था उनकी फिर से मरम्मत करके उन्हें चालू किया जाये।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अपने वचनानुसार वह पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की जलपाइ-गुड़ी-हल्दीबाड़ी और लतागुड़ी–चंग्रबन्दल रेलवे लाइनों की मरम्मत का काम शीघ्र आरंभ करके चालू किया जाये क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि सम्बद्ध अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं अतः मंत्री महोदय स्वयं ध्यान दें । घुर्कसाडांगा स्टेशन के निकट एक पुल या पुलिया बनाने के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग गत 13-14 वर्ष से मांग कर रहे हैं और इस वर्ष रेलवे ने ऐसा करना मान भी लिया है फिर भी यहां कोई कार्य आरंभ होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं । विभाग को शीघ्र यह काम हाथ में लेना चाहिऐ

जैसा कि मैंने अपने पत्र में सुझाव दिया था, मंत्री महोदय को न्यू मैनागुड़ी से सिताई की रेलवे लाइन बनाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि पांचवीं योजना में रेलवे के नियतन का पता लगने पर ऐसा किया जाएगा।

मैं त्रिपुरा में रेलवे लाइनों के निर्माण की मांग का समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं रेल-मंत्री के प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम रेलवे अभिसमय समिति की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं।

महानगरीय यातायात परियोजना के लिए 410 करोड़ रुपये रखे गये हैं और कलकत्ता में कुछ खुदाई-कार्य भी हुआ है परन्तु वर्षा ऋतु के बाद भी कोई कार्य हुआ है? मंत्री महोदय बताएं कि कलकत्ता वासियों का यह स्वप्न कब पूरा होगा? साथ ही बिजली की क्या व्यवस्था की गई है? नई लाइनों के संबंध में मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में दिल्ली-सहारनपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना की आधार शिला रखी है। आशा है कि यह चुनाव का शोशा न होकर पूरा किया जाएगा।

पूरक मांगों के संबंध में 21 करोड़ रुपये रेल कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के लिए मांगे गए हैं। दो बार तो यह भत्ता दे दिया गया है परन्तु तीसरी बार के लिए वित्त मंत्रालय ने अभी तक किसी भी मंत्रालय को आदेश क्यों नहीं भेजे हैं?

रेल कर्मचारियों और अन्य सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में वेतन आयोग की रिपोर्ट पर क्षोभ और रोष है। मंत्री महोदय को श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों की बैठक बुला कर इसके क्रियान्वयन पर बातचीत करनी चाहिए।

मुझे मंत्री महोदय जैसे व्यक्तियों द्वारा लोको कर्मचारियों को समाज विरोधी तत्व कहने पर बहुत आपत्ति और दुःख हुआ है। शायद वह भूल गए हैं कि 1962, 1965 और 1971 में उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जबकि वर्षों तक अपनी बात शान्तिपूर्ण ढंग से कहने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और उन्हें आंदोलन करना पड़ा है तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। वे वर्षों तक 14-15 घंटे की ड्यूटी देते रहे हैं और अनेक बार आश्वासन दिए जाने पर भी उनकी सेवा-शर्तों में कोई सुधार नहीं हुआ है। लगता है रेलवे बोर्ड में बैठे कुछ लोग ये समझौते लागू नहीं करना चाहते हैं।

दूसरे अभी मुझे श्री दाजी का एक तार मिला है कि रतलाम में सात कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें वापस नहीं लिए गए हैं। यह गलत है। जहां सभी कर्मचारियों को सेवा में ले लिया गया है, वहां मुकदमें वापस लेने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। उन्हें मुकदमें वापस लेने के लिए आदेश दे दिए जाने चाहिएं।

मैं तीन-चार सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला यह है कि मंत्री महोदय को सभी अखिल भारतीय संघों के प्रतिनिधियों की बैठक जनवरी में बुलानी चाहिए और उसमें श्रम नीति निर्धारित की जाये और स्थायी शान्ति के उपाय ढूंढे जायें।

दूसरे 17 जनवरी को रखी गई बैठक और पहले बुलाई जाये और सभी रेलवे मजदूर संघों को मान्यता दी जाये और सभी मुकदमे वापस ले लिए जायें और इसका आश्वासन भी दिया जाये।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह स्थिति की गंभीरता पर ध्यान दे तथा सभी यूनियनों से बातचीत करना आरम्भ करें जिससे स्थिति और गंभीर न हो तथा हड़ताल को टाला जा सके।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): Sir, I rise to support the Supplementary Budget for the Railways I would like to suggest also that the Railway Ministry should take measures to ensure that the railways services are operated efficiently and with punctuality. There are about 747 or 743 unions in the Railways but those, who are connected with these unions should not make them strike-minded. The locomen have again resorted to strike when, their demands have already been acceded to and the Railway Minister have given repeated assurances that their demands are being fulfilled. A question is, therefore, posed as to what has necessitated the strike at this crucial hour. There is nothing wrong with the working of Railway Ministry.

I would also like to invite the attention of the hon. Minister to the fact that on the basis of the population Samastipur division claims 4800 km. railway line it has only 2500 km. railway line. Further the train services in this division carries only 6 to 8 coaches as against 10 to 15 coaches in other divisions. It causes a great hardship to passengers in this division. I also suggest that the mileage under this division should be extended and a railway lines from Jhanjharpur to Lukaba and from Sakri to Hassanpur should be accorded sanction. The railway line from Nirmati to Saraiganj should also be converted into the broad gauge line.

I would also like to point out that unnecessarily delay is caused in the delivery of goods sent by the Railways. The cases of theft of goods in the transit have also been recorded. I therefore, demand that positive steps should be taken to check this disease.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It can not be denied that Railways with a heavy investment of public money amounting to Rs. 400 crores are in the grip of severe financial crisis for which Railways and other Govt. departments are responsible. The Railways have now been turned into a losing concern. The Railway Convention Committee, 1971, on which I was a member, gave some relief to the Railways with the financial gain of Rs. 107.31 crores. But it is only a book adjustment. It could not bring any improvement in the economy of the country as a whole.

The fourth Plan included the financial provision for Railways to the tune of Rs. 400 crores and it is to be raised by another Rs. 42 crores but despite this, the Railways are suffering loss. I therefore suggest that sufficient care should be taken while formulating Fifth Five Year Plan. It has been observed that Planning Commission lacks realistic approach to the targets fixed for the Railways. Railways, thus, make lofty estimates for their expansion resulting in heavy losses. They should have realistic approach to the expansion programme of the Railways capacity.

I don't find any justification for continuing the practices laid down by the Britishers of presenting a seperate budget for Railways and having a seperate Railway Convention Committee. It should be basically changed.

So far as the strike of the Railway employees is concerned, no body wants to ask them to go on strike and have Railway services paralysed. Even Railway employees do not like to go on strike for the sake of an amusement. The factual position is that no body is then to listen to the greivances of the employees of the different categories of services in Railways. The Principle of one union in one industry is agreeable to all. Then why are two unions in Railways ? I therefore suggest that Government should take positive steps to have only one union in the Railways. I also suggest that Government should have talks with the leaders of the opposition Parties and the representatives of the employees. Genuine demands of the employees should be acceded to by the Government.

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे श्री सभापति की ओर स तार मिला है। इसमें लिखा है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसे मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर दे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : A confederation type of organisation of employees, similar to one existing in Posts and Telegraphs, should also be formed in Railways which should include organisation of different categories of railway employees. This matter should seriously reconsidered.

At least, the employes organisations must be given a channel of communication, if not negotiating facilities, so that they can ventilate their grievances and a feeling may be created in tham that there is some body to give them patient hearing.

The U.P. Finance Minister has recently announced the decision to convert the meter gaugeline connecting Kumaon into a broad guage line but the supplementary demands and the Railway Budget do not indicate any provision made for it. The hon. Minister should explain the reality in the announcement made by the Finance Minister of Uttar Pradesh.

It is learnt that railway lines at the places of strategic importance are either being converted or replaced by new railway lines, but the narrow gauge line from Gwalior to Shivpuri is being dismentled. I demand that it should be converted into a broad gauge line and extended upto Guna because of the fact that it would help in the development of a backward area. Shahdara-Saharanpur line is being constructed because are going to be held in Uttar Pradesh **(interruptions)**.

The Railway Board has accepted in principle to extend Taj Express upto Gwalior and Jhansi. The General Manager of Central Railway said in Bombay that it would be extended upto Jhansi as soon as the problem of platforms at Gwalior Station is removed. I am sorry to point out that Railway Minister has written to him that there is no question of extending Taj Express because it is meant for foreign tourists. The Taj Express reaches Agra at 11A.M and waits there till 7 P.M. Is this proper use of rolling stock and railway employees ? I hope the hon. Minister will consider this question.

The Manager of the Central Railway had stated in Bombay that they would extend Taj Express upto Jhansi as soon as the problems of Platforms at Gwalior Station were

removed. But the Railway Minister in reply to my letter has stated that there is no question of extending Taj Express beyond Agra because that train is meant for foreign Tourists. I want that the hon. Minister should reconsider this matter.

Shri B. P. Maurya (Hapur) : The Railway is the biggest public sector undertaking of the country. In addition to Central labourers, it employees more than 14 lakhs people. About 70 lakhs people daily travel by trains . It carries about 5½ lakh tonnes of load everyday.

Therefore the tendency of resorting to strikes every now and then by the railway employees should be discouraged. I am not in favour of imposing bans on agitations or strikes. I do not say that the workers have no right to go on strike. But at the same time we should seriously consider the reasons which led to workers to strike. The Railway Administration should look the difficulties of the workers and find out ways and means to solve their difficulties. The problems of the railway workers should be taken seriously by the Minister and should not be left in the hands of bureaucracy.

The Government should take immediate steps to reduce the working hours for Loco workers from 14 to 10. But this reduction of working hours may be implemented expeditiously and not in phases as has been suggested by the hon. Minister.

The Railway have suffered a loss of Rs. 14 crores due to Loco workers, 14 days strike. According to the experts if the Railway suffers a loss of one rupee the nation suffers a loss of Rs. 10.

The main difficulty that the people face due to the strike of the railway workers is that they do not get essential commodities like wheat, coal etc. It is not possible to estimate the loss in rupee that the nation suffers due to strike in Railways.

So far as shortage of coal is concerned, there is actually no shortage of coal but there is shortage of wagons.

The case of casual workers should be taken up strongly. In fact they are the most miserable people in the whole set up. The Government should take immediate action to improve their conditions.

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए]

Shri S. A. Kadar in the chair

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : वर्ष 1969-70 से रेलवे की वित्तीय स्थिति बहुत खराब रही है। चौथी योजना के अन्त में रेलवे को कुल 200 करोड़ रुपये की हानि हुई थी जबकि प्रतिवर्ष रेल के किराये और माल भाड़े में वृद्धि की जाती है। पांचवीं योजना के दौरान रेलवे की स्थिति और खराब हो जायेगी जैसाकि रेलवे अधिसमय समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में उल्लेख किया है।

यह सच है कि रेलवे को देश के विभिन्न भागों में बाढ़ आने से भारी हानि हुई है। इसके परिणामस्वरूप बम्बई और बड़ौदा के बीच एक महीने से अधिक समय तक रेल सेवा बन्द रही है।

भारतीय रेलों में 15 प्रतिशत से अधिक लोक बिना टिकट यात्रा करते हैं। यदि इसे घटाकर 10 प्रतिशत भी कर दिया जाये तो रेलवे की हानि बहुत कम हो सकती है। लेकिन रेलवे प्रशासन इस समस्या के प्रति सजग नहीं है। राजकोट डिवीजन पर जब गाड़ियां बिना टिकट निरीक्षक के चल रही हैं जिससे बिना टिकट यात्रा में वृद्धि हो रही है।

पश्चिम रेलवे पर काकसी और उत्तर रेलवे पर भिलाडी के बीच रेल सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इससे अहमदाबाद और दिल्ली के बीच की दूरी कम हो जायेगी। सामरिक महत्व के क्षेत्रों को भी इससे लाभ होगा।

सरकार को लोको कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह सच है कि रेलवे के व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है इसके विपरीत यात्रियों की संख्या और माल यातायात में कमी हो रही है।

गत कुछ वर्षों के दौरान परिव्यय में वृद्धि और राजस्व में कमी के कारण रेलवे आत्म-निर्भरता की स्थिति में नहीं आ सकी है। रेलवे को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। यह बहुत चिन्ताजनक स्थिति है और इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

कर्मचारियों की अनुशासनहीनता के कारण रेलें कुशलता से नहीं चल सकीं।

लोको कर्मचारियों के कुछ कर्मचारियों के प्रतिनिधि रेलवे के एक अधिकारी से मिलना चाहते थे किन्तु वह अधिकारी किसी कारणवश उनसे मिल नहीं सका और उन कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। इसका तात्पर्य यह है कि रेलवे कर्मचारियों को देश की जनता की चिन्ता नहीं है केवल अपनी चिन्ता है। परिणामस्वरूप गाड़ियां बन्द हो गईं।

हमें पांचवीं योजना को क्रियान्वित करना है यदि रेलवे कर्मचारियों का इसी प्रकार का रवैया जारी रहा तो इस योजना को कार्यान्वित करना कैसे संभव होगा? यहीं समझने की बात है। हमें भी रेलवे कर्मचारियों से सहानुभूति है। किन्तु उन्हें काम अवश्य करना चाहिए। अधिकारियों को उनकी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए और शिकायतों को शीघ्र निपटाना चाहिए। आज अव्यवस्था, हड़तालें देश के हित में नहीं हैं। इन्हें सहन नहीं किया जाना चाहिए। जनता इस प्रकार की कार्यवाहियों एवं हड़तालों से तंग आ गई है।

मंत्री महोदय को इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा इस बारे में कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : श्री हरिहर नाथ शास्त्री श्री जय प्रकाश नारायण तथा राष्ट्रपति वी०वी० गिरि के भी यही विचार रहे हैं कि एक उद्योग में एक ही कार्मिक संघ होना चाहिए। संघों एवं महासंघों का मामला श्रमिकों द्वारा स्वयं ही निपटाया जाना चाहिए तथा राजनीतिज्ञों को उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस देश के सभी कार्मिक संघ राजनीतिक दलों द्वारा ही संचालित हैं। ब्रिटेन की तरह देश में केवल एक ही कार्मिक संघ होना चाहिए।

रेलवे मंत्री ने स्वीकार किया है कि लोको कर्मचारियों के कार्य के समय को अगले चार वर्षों में धीरे-धीरे कम करके 14 घंटों से 10 घंटे किया जाना चाहिए। परन्तु कार्मिकों का कथन है कि इसे 10 दिन में क्रियान्वित किया जा सकता है।

जहां तक रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ का प्रश्न है, हमें लोको कर्मचारियों की शिकायतों की ओर ध्यान देना चाहिए, इस मामले पर विचार करने के परिणामस्वरूप श्री मियां भाई की अध्यक्षता में एक अधिकरण भी नियुक्त किया गया था।

इस बात का प्रचार किया गया कि राष्ट्रीय संघ लोको कर्मचारियों की इस मांग का विरोध कर रहा है। यह बिल्कुल गलत है। निश्चय ही हम किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। हमें सभी रेल कर्मचारियों की सुविधाओं का ध्यान रखना है। उनकी समस्याओं का समाधान, हड़तालों एवं तालाबंदियों से संभव नहीं है।

इन विषय परिस्थितियों में इस सभा को निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है। 20 लाख रेलवे कर्मचारी इसके लिये उत्तरदायी हैं। रेलवे मंत्री ने कहा है कि यदि रेलवे हानि में रहती है तो रेलवे कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ेगी। वे रेलवे के लाभों से ही प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय रेलों को केवल लोको कर्मचारी ही नहीं चला रहे हैं। दो लाख इंजीनियरिंग, गैंग-मैन भी हैं जो कि रेलों को चलाने में दिन रात कार्यरत हैं। उनके कार्य के घंटों का क्या होगा? इनके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, कैबिन मैन तथा ट्रेन एग्जामिनर्स भी हैं। क्या रेलवे इन के बिना चल सकती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिये जिससे कोई एक वर्ग बन जाये।

साम्यवादी देशों में कार्य के अनुपात में ही कर्मचारियों को वेतन की अदायगी की जाती है। वहां पर गांधी जी की यह विचारधारा कि "जो व्यक्ति अपना कर्त्तव्य नहीं निभाता उसके कुछ अधिकार नहीं हैं।" का अनुसरण किया जाता है। रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वालों से मेरा प्रश्न है कि क्या वे उनके लिये ठीक कार्य करना चाहते हैं। वे उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिये कौनसा मार्ग अपनायेंगें? मैं चाहता हूं कि श्रमिकों के राजनीतिक शोषण को समाप्त किया जाये। इससे श्रमिकों की तो हानि होती है साथ ही साथ देश की भी हानि होती है।

हमें पहले अपना कर्त्तव्य निभाना चाहिए और तत्पश्चात् अपने अधिकार मांगने चाहिएं। हमें अपने झगड़ों एवं समस्याओं के समाधान संवैधानिक तरीकों से ही ठीक करने चाहियें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान): लोको कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य आडम्बरपूर्ण है। ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय रेलवे बोर्ड के इशारों पर नाच रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने लोको कर्मचारियों की समस्या पर जो अनुचित रवैया अपनाया है, वह सर्वविदित है। इस समस्या को तुरन्त हल करना चाहिये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि आश्वासनों का पूरी तरह पालन किया गया है। परन्तु क्या वास्तव में उन्हें उसी प्रकार पूरा किया गया है जैसा कि करना चाहिए था? एक आश्वासन यह भी दिया गया था कि कर्मचारियों को सताये जाने के सभी मामले वापस ले लिये जायेंगे तथा किसी भी

कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जायेगा । परन्तु इस प्रकार के कई मामले अभी भी चल रहे हैं । रतलाम डिवीजन के लम्बित पड़े 77 मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जिस समय रेल उपमंत्री शिकायत समिति की अध्यक्षता कर रहे थे उसी दौरान नौकरी से हटाने पदावनति करने, निलम्बित करने, दोषपत्र देने आदि के कई मामले हुए हैं । इस दौरान पदोन्नति रोकने के भी कई मामले चलते रहे हैं ।

इस कठिनाई के समय कोई भी कर्मचारी हड़ताल करने में खुश नहीं है । 13 अगस्त को हुए समझौते के पश्चात् कर्मचारी बड़े संयम से प्रतीक्षा करते रहे हैं । कार्य के घंटे घटाने में 3-4 वर्ष लगने की चर्चा की जा रही है । कर्मचारियों का मत है कि यह कार्य 90 दिन में हो सकता है उन्हें चार वर्षों तक 14-16 घंटे कार्य करने के लिये बाध्य किया जा रहा है । खेद की बात है कि जो कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के लिए भी आन्दोलन कर रहे हैं । उन्हें समाज विरोधी कहा जा रहा है ।

लोको कर्मचारियों का कार्य समय 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए । वे 10 घंटे करने को स्वयं सहमत हो गये है । किन्तु इस निर्णय को क्रियान्वित करने को तैयार नहीं हैं ।

रेल मंत्री को रेलवे बोर्ड की कठपुतली नहीं बनना चाहिए । उन्हें स्वयं इस मामले की जांच करनी चाहिए ।

Prof. Narain Chand Parashar (Hamirpur) : Sir, I support the supplementary demands of the Railway Ministry and the recommendations made by the Railway Convention Committee.

Railway Convention Committee appears to have been very much concerned about the finances of Railway and 76th recommendation of the Committee in this regard is very important the Railway convention committee in their 81 report have expressed the hope that the railway authorities would pay due attention to construction of new lines in backward areas. Himachal Pradesh is also a backward State, though it is rich in natural resources. The railway should pay due attention to this state. A rail line from Nangal to Talwara should be constructed in two phases. In the first phase 50 kms. line should be provided.

The Country is passing through a difficult economic situation. There is a lock out in Indian Airlines. The Railway locomen should consider whether their agitation is justified in view of the difficult situation being faced by the country. Their grievances may be genuine but they should not continue their agitation at this stage. They should regard country 's interest above their own interest and withdraw their agitation. The Railway administration should also try to understand the grievances of the locomen and take step to redress them. We should try to ensure that the Railways function is not interrupted

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं सदन का ध्यान रेलवे कन्वेन्शन कमेटी के प्रतिवेदन की कुछ मुख्य बातों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

समिति ने अपने प्रतिवेदन के 76 वें पैरा में रेलवे की असंतोषप्रद वित्तीय स्थिति के बारे में कहा है । निष्कर्ष स्वरूप पैरा 80 में कहा गया है कि चौथी योजना के दौरान रेलवे को 167

करोड़ रूपये की हानि होने की संभावना है जबकि मूल रूप से 119 करोड़ रूपये के लाभ का अनुमान लगाया गया था । पैरा 81 में कहा गया है कि समिति पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने की निरन्तर मांग से भी अवगत है । रेलवे भी अलाभप्रद क्षेत्रों में परिवहन सुविधायें प्रदान करने के भार को वहन करने के कारण राहत की मांग कर रही है । अतः यह बहुत कठिन स्थिति है । एक और तो हड़तालों और प्रदर्शनों के कारण रेलवे सम्पत्ति का विनाश किया जा रहा है और दूसरी ओर प्रदर्शनकारी नई लाइनें चाहते हैं चाहे वे अलाभप्रद ही हों । रेलवे मंत्री को रेलवे के संबंध में पक्षपात पूर्ण रवैया न अपनाकर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाना चाहिये ।

इस संबंध में हमें समाज के लाभ की बात सोचनी चाहिये । इस विषय पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये ।

रेलवे को सरकार से अलग नहीं समझा जाना चाहिये । रेलवे के लिये अलग से बजट पेश करने की ब्रिटिश प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिये । रेलवे प्रबन्धक समस्याओं के प्रति नौकरशाही का रवैया अपनाते हैं, इस संबंध में रेलवे बोर्ड का नवीकरण किया जाना चाहिये । यदि आप कर्मचारियों को राष्ट्रीय विकास का अभिन्न अंग समझते हैं तो उनको विश्वास में लिया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रेलवे में कठिनाइयां चलती ही रहेंगी ।

मंत्री महोदय ने कर्मचारियों के कल्याण के लिये पैसे की व्यवस्था की है । कर्मचारियों को सुविधायें प्रदान करने की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । नई लाइनों के लिये भी पैसे की व्यवस्था रखी गई है । हम बहुत समय से भावनगर-तारापुर और कमादवंज-भोदासा रेल लाइनों के लिये मांग कर रहे हैं । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा अहमदाबाद अजमेर-दिल्ली मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये और इसका कांदला तक विस्तार किया जाना चाहिये।

अन्त में लोको कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो आश्वासन देती है वे पूरे किये जाने चाहियें । देश के हित में मंत्री महोदय को इन हड़तालों को समाप्त कराने के लिये शीघ्रतम प्रयास करने चाहियें । इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तथा सामान्य यातायात को ध्यान में रख कर अपने कार्य करें ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Sir, I would like to request the hon. Minister that he should try to ensure the streamlining of railway administration the suggestion given in the House should at least be honoured on experimental basis.

There is one third class coach provided from Sikar to Delhi. One coach is insufficient in view of the growing crowd of the passengers who want to travel in this coach the railway authorites should provide one more coach.

A number of workers from Rajasthan are employed in Ahmedabad. A train Janta passes through Reengns one Reengns-Ahmedabad coach should be attached with this train. It will be a facility and conveninence to the workers.

There are frequent strikes in the Railways. Passengers are not sure of their reach to their destinations workers are instigated to go on strike by their leaders. The railway administration is also responsible for these frequent strikes. They announce certain action against the workers who go on illegal strike but later on they withdraw it and give concessions. In this way workers are encouraged. The Government should take strong action against

the illegal strikes and should not give any relaxation in this regard. Officers in the railways, they take smell of strike should guide the minister concerned and thereafter efforts should be made to reach some sort of agreement with the workers. Such an agreement should be implemented without any delay. The Government should take strong action if there is any effort to brake the agreement.

An assurance should be given here and now that the railway administration will be streamlined and proper attention would be given to see that the passengers reach their destinations safely. Action shuold be taken against those irrespective of their party attachments who have participated in illegal strike. If this is done, it will prove an example for other undertakings also and nobody will dare participating in illegal strikes.

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhalma): There are certain ordinary demands of the railway workers but they are not met by the railway administration. The petty matters relating to ordinary demands are given undue importance and aggravated by the officers of the railway administration. Bureaucracy is reigning supreme in railways. If the hon. Minister tries to do away with the prevailing bureaucratic domination then, I am sure the problem will be solved.

The Railway administration have taken certain decisions but they are not being implemented. The hon. Minister should try to see that the decisions taken are implemented honestly and the remaining issues are solved at the earliest.

As regards new lines, it is generally found, that the lines are sanctioned in those areas for which the Government is pressed with pulls and pressures, Even after 25 years of independence, there are no rail lines in backward areas. More attention should be paid towards the construction of new lines in backward areas so that these areas may develop.

In Madhya Pradesh, railway facilities are very inadequate. In Advasi areas there are no railway lines there. The result is that there is no development at all in these areas. The hon. Minister should try to see that the railway lines are provided in these areas.

The local railway train from Ratlam to Bhopal should run between Dohad and Bhopal.

The railway administraion should give a serious thought to situation created by the strikes by the railway wokers. Passengers on branch lines are facing great difficulties because cancellation of trains on these lines. Attention should be paid to this matter also.

श्री एम० के० एम० इसहाक (बशीरहाट) : मंत्री महोदय ने सदन में 13 अगस्त, 1973 को लोको कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य दिया था । उन्होंने कहा था कि समझौता हो गया है और समझौते की कुछ मुख्य बातें भी बतायी थीं । एक मुख्य बात यह थी कि अगले तीन वर्षों तक कोई हड़ताल नहीं होगी । समझौते की तीन चार महीने बाद ही लोको कर्मचारियों की फिर से हड़ताल क्यों हो गई ? यदि समझौते की शर्तों को क्रियान्वित कर दिया गया होता तो यह हड़ताल न होती । प्रशासन अब क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहा है ?

राष्ट्रीय श्रमिक समिति ने सिफारिश की है कि एक उद्योग में एक संघ होना चाहिये । आज की परिस्थितियों के संदर्भ में इस सिफारिश को कार्यरूप देना अत्यन्त आवश्यक हो गया है ।

49 LSS/73—13

दो वर्ग आपस में लड़ते हैं और हड़ताल हो जाती है क्या ऐसा कोई उदाहरण विश्व में मिलता है ? ऐसे लोग देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं । कर्मचारी ऐसे दृष्टिकोण अपनाते हैं और संघ का कोई नेता इसकी अवहलना नहीं करता । देश की संचार व्यवस्था भंग की जाती है परन्तु इसका कोई विरोध नहीं करता । इस प्रकार के मजदूर संघों को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिये ये देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने पर तुले हुये हैं ।

समझौता हुआ था कि अगले तीन वर्षों तक कोई हड़ताल नहीं होगी । परन्तु सितम्बर में 25 आन्दोलन हुए । अक्तूबर में 30 और नवम्बर में भी बहुत से । दिसम्बर में 6 तारीख तक 15 आन्दोलन हुए । प्रगतिवादी कहे जाने वाले नेताओं ने इन आन्दोलनों की अवहेलना नहीं की है ।

जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उन्हें 200, 300 रुपये मासिक वेतन नहीं मिलता उन्हें 700 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है । उनमें से कुछ को तो 1500 रुपये मासिक मिल रहे हैं । पता नहीं मजदूर संघ के नेताओं की ऐसे लोगों के साथ क्यों सहानुभूति है । ऐसे हड़तालियों को चेतावनी दी जानी चाहिये कि उन्हे देश को विनाश की ओर ले जाने का कोई अधिकार नहीं है ।

Shri Sarjoo Panday (Chazipur) : Sir the Railway is facing an unprecedented crisis today and the Railway administration is responsible for that. The officers in railway administration are deliberately adopting a wrong approach to the poroblem. The other day General Manager refused to accept our representation at Gorakhpur.

The assurances given by the hon. Minister are not being fulfilled. Instead of employees are being harassed and transferred from one station to the other. The entire administrative machinery is at standstill. The hon. Minister should take the members into confidence and tell them as to what is the actual position, The situation is deteriorating. The grievances of the railway employees should be removed on the basis of merit.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : यदि साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) के हमारे मित्र मजदूर वर्ग की एकता दिखाना ही चाहते थे तो वे एक दिन की आंशिक हड़ताल का आवाहन दे सकते थे। अतः ऐसा करना उचित नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर संघों में राजनीति घुस गयी है । राजनीति को इससे बाहर निकलना चाहिए । इन्होंने विपक्ष के उप नेता होने के नाते आवाहन किया है। यह इनकी रोजी रोटी है ।(**व्यवधान**) ।

उत्तरी बिहार के पिछड़े क्षेत्र की ओर सरकार का अभी तक ध्यान नहीं गया । वहां के लोग पश्चिमी तट रेलवे की मांग करते आ रहे हैं लेकिन इस पर एक भी पैसा नहीं व्यय किया गया । इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है कि योजना आयोग इस ओर ध्यान दे रहा है । रेलवे लाईन न होने से हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर यथाशीघ्र ध्यान दें ।

Shri D.N. Tiwary (Gopalgang) : Railways are meant for the convenience of passenger but neither Minister nor members of the Railway Board are realising their difficulties All those who resort to strike in the railways should be declared as antisocial element and dealtwith sternly. A cell to look into the difficulties of railway passengers should be

opened in the Railway Board. People want that railways should run according to the schedule. Strike in the railway paralises the economy of the society. The leaders of railway unions should keep in mind the welfare of 55 crores of people. It is also not proper to watch the interests of railway employees only **(interruptions)** A great loss is caused even if train runs late by five or six hours. Time has came when people should raise voice against strike in the railways.

Catering system in the railways need improvement. Catering should not be entrusted to the black-listed people.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : Strike in the railway is a national problem. We should think over the welfare of the railway passengers. We should not ignore the interests of the country men while considering the grievances of he railway employees. Rail ways should run in time. All who resort to strike in the railways are anti-social elements People who provoke the railway employees for strike should be gheraoed by the people.

(श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए,

(Shri K.N. Tiwari in the Chair)

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : रेलवे कर्मचारियों में आज असंतोष व्याप्त है। प्रश्न यह पैदा होता है कि उनके असंतोष को दूर करने के लिये क्या किया गया ?

सरकार और रेलवे के महासंघ रेलवे हड़ताल से हुई हानि के बारे में क्या विचार कर रहे हैं ? उनके बीच किन-किन मामलों में मतभेद है।

मुझे पता चला है कि रेलवे के उपवित्त आयुक्त की पदोन्नति और सेवा अवधि की वृद्धि अनियमित ढंग से हुई है। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

वर्ष 1973-74 के उत्पादन की लेवी चीनी के कारखाना-वार मूल्यों के निर्धारण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REFIXATION OF EX-FACTORY PRICES OF LEVY SUGAR OF 1973-74 PRODUCTION

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : प्रशुल्क आयोग द्वारा चीनी उद्योग के लागत ढांचे और पेराई सीजन के दौरान अनुमान और चीनी की वसूली आदि पर अपने नवीनतम प्रतिवेदन में संशोधित अनुसूची की सिफारिश पर सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965 की धारा 3(3ग) के अधीन अपेक्षित विभिन्न जोनों में 1973–74 की लेवी चीनी के कारखानों द्वारा मूल्यों को संशोधित कर दिया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 6 के अनुसार प्रत्येक आदेश को शीघ्र ससद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा। इसी के अनुसार मैं 14 दिसम्बर 1973 के आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 6024/73]**

सम्पूर्ण देश में लेवी की चीनी पर उत्पादन शुल्क में 26 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कमी करके किया गया है। इस प्रकार राजस्व में होने वाली कमी को खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि करके जो कि 30 प्रतिशत से 37 प्रतिशत कर दिया गया है पूरा किया गया है। यह केन्द्रीय उत्पादन प्रशुल्क के अधीन अधिकतम अनुज्ञेय है।

लेवी की चीनी की कुछ मात्रा के बच जाने पर उसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में भेज देने का उल्लेख किया गया है । वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत बच जाने वाली लेवी की चीनी को केन्द्रीय पूल में ले लिया जाता है और कृषि मंत्रालय द्वारा उसे लेवी चीनी के साथ पुनः आवंटित किया जाता है और उसे खुले बाजार में बेचने के लिये नहीं दिया जाता ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir I rise on a point of order. There is a provision to lay the copies of the order or notification issued under the two laws referred to by the hon. Minister on the Table of the House. He has not pointed out as to why the statement or notification or order was not laid on the Table of the House. The hon. Minister should express regrets for the same.

Will the hon. Minister state quantity of levy sugar quota to be release every month

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) :This decision was taken on Friday the hon. Minister has not placed copy of the notification on the Table of the House this morning. People will lose thier faith in the parliamentary democracy in case taxation is to be increased through the issue of this notification. This is against the principle. The hon. Minister should give an assurance in this regard that this practice will not be repeated in future.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं जानना चाहता हूं कि संविधान की किस धारा के अन्तर्गत सरकार को ऐसा प्रशासनिक अधिकार मिला है जिसका जिक्र मंत्री महोदय ने किया है ।

अधिसूचना की प्रति सभा पटल पर न रख कर समय का अपमान किया गया है । क्या हमें बताया जायेगा कि मंत्री महोदय द्वारा इस हेतु क्षमा न मांगने का कोई औचित्य है ?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : अधिसूचना जारी करने संबंधी सरकार की शक्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती । लेकिन उन्हें सदन को इसकी सूचना यथाशीघ्र देनी चाहिये थी । यदि श्री मधु लिमये इस प्रश्न को न उठाते तो शायद मंत्री महोदय वक्तव्य भी न देते । इसका उत्तर क्या है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं सदन को बता चुका हूं कि यह आदेश अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया है । प्रेस से किसी नम्बर के न मिलने के कारण आज सुबह इसकी प्रति सभा पटल पर नहीं रखी जा सकी । इसके मिलते ही इसकी प्रति सभा पटल पर रखी गयी । मैं आश्वासन देता हूं कि सभा का अपमान करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं आपकी जानकारी में एक और बात लाना चाहता हूं (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : लेकिन इन्हें क्षमा मांगने में क्या कठिनाई है ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपको मंत्री महोदय को फटकारना चाहिये ।

सभापति महोदय : गृह मंत्री सभा पटल पर विवरण रखें ।

मेरठ की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENTRE MEERUT INCIDENTS

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं मेरठ में हुई दुर्घटनाओं संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं (**व्यवधान**) ।

सभापति महोदय : श्री टी० ए० पाई० सभा-पटल पर विवरण रखें (**व्यवधान**) श्री टी० ए० पाई अलक्येक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड के बारे में वक्तव्य दें । आप इसे सभा पटल पर रखें (**व्यवधान**) ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : जब तक सदन इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं देता उस समय तक इसे केवल पढ़ा ही जा सकेगा ।

सभापति महोदय : यह मेरठ की दुर्घटना के बारे में है । इन्होंने इसे सभा पटल पर रखा है (**व्यवधान**) मैं इस पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You have pointed out that it relates to Meerut only. Will there be a separate statement about Allahabad.

Mr. Chairman : You may ask it from him.

Shri Uma Shankar Dikshir : If there is time, I have no objection in reading it out.

श्री उमाशंकर दीक्षित : श्रीमान्, मेरठ में 11 से 13 दिसम्बर, 1973 तक जो दंगे हुये, उन पर सरकार को गहरी चिन्ता है । प्रधान मंत्री और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निरन्तर सम्पर्क में हैं और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये उन्हें अपेक्षित सहायक दी जा रही है । उत्तर प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार ये दंगे एक मामूली झगड़े से शुरू हुये जो 11 दिसम्बर, 1973 को गुदड़ी बाजार में दो सम्प्रदायों के व्यक्तियों में शुरू हुआ था । दंगाइयों ने इस स्थिनि को और बिगाड़ा और उन्होंने तीन दुकानों को लूटा और दंगे में एक व्यक्ति मारा गया । जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दंगाइयों ने ईंट-पत्थर फेंके और भीड़ को तितर बितर करने के लिये पुलिस नें गोली चलाई । थाना कोतवाली और दिल्ली गेट क्षेत्र में तत्काल कर्फ्यू लगा दिया गया था । दोपहर बाद शाम से सवेरे तक कर्फ्यु सम्पूर्ण शहर में लगा दिया गया था । तारीख 12 को प्रातः कुछ गम्भीर घटनायें घटी और उस दिन 4 बजे शाम तक कर्फ्यू लगाया गया । 4 बजे से 5 बजे के बीच जब कर्फ्यू में ढील दी गई तो कुछ घटनायें घटी और कर्फ्यू पुनः सम्पूर्ण रात के लिये लगा दिया गया । 12 तारीख की रात को कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया और कुछ हिंसक घटनायें घटीं । एक स्थान पर पुलिस पहुंची और उस पर भीड़ ने हमला किया और पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिये गोली चलानी पड़ी । 13 तारीख को 10 बजे से 11.30 बजे म० पू० में जब कर्फ्यू में ढील दी गई तो छुरेंबाजी की घटनायें हुई और शेष दिन के लिये पुनः कर्फ्यू लगा दिया गया । इसके बाद स्थिति सुधारने लगी और कर्फ्यू धीरे धीरे उठाया गया और किसी दुर्घटना का समाचार नहीं मिला ।

मुझे गहरा खेद है कि इन दंगों में 8 व्यक्तियों की जानें गई और 25 पुलिस कर्मचारियों सहित 70 व्यक्तियों को चोट आई । दंगों से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है । जिला अधिकारियों के लिये पर्याप्त पुलिस उपलब्ध कर दी गई हैं और उनसे यह कह दिया गया है कि वे शहर में शान्ति बनाये रखने के लिये दृढ़ता से पेश आयें । राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को सावधान रहने और स्थिति से निपटने के लिये अपेक्षित एतिहाती कार्यवाही का आदेश दे दिया है ।

एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड के अधिग्रहण के बारे में वक्तव्य

Statement re. Acquisition of Alcock Ashdown Company Ltd.

भारी उद्योग मंत्री (श्री टीं० ए० पाई) : अध्यक्ष महोदय, बम्बई और भावनगर में एलकाक ऐशडाउन की विभिन्न सम्पत्तियों के लिये प्राप्त बोलियों के आधार पर बिक्री की पुष्टि हेतु रिसीवर के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये आज बम्बई उच्च न्यायालय बैठा । भारत सरकार की ओर से एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि इस बात के ध्यान में रखते हुये कि अधिनियम लागू हो गया है बिक्री की पुष्टि का संदर्भ समाप्त हो गया है। न्यायालय ने इस बात को मान लिया और कहा कि अधिनियम जिसे संसद ने पारित किया है, जिसके अनुसार दोनों उपक्रमों की सम्पत्तियां भारत सरकार के अधिकार में दे दी गई हैं, के संदर्भ में बिक्री की पुष्टि का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ लेनदार इस अधिनियम को देखना चाहते थे ताकि इसकी वैधता के बारे में वे अपनी आपत्ति उठा सकें। न्यायालय ने कहा कि वह उनकी आपत्तियों को केवल 19 दिसम्बर को सुनेगा। धारा 5(2) के अधीन सरकारी रिसीवर से संपत्तियों को अधिकार में लेने के लिये मंझगांव डाक को प्राधिकृत करने वाला एक विशेष प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I would like to know the time by which the Minister of Home Affairs Shri Dikshit will give a statement about a Harijan who was burnt alive,

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : I am not aware of the direction of the Speaker in this matter, I will find out and act accordingly.

रेलवे कन्वेंशन कमेटी के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प, अनुपूरक अनुदानों की मांगें रेलवे 1973-74 और लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य-जारी

Demands for Supplementary Grants (Railways) 1973-74 and statement re. Strike by Loco Running Staff—contd.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr. Chairman, Sir, I support the Railway demands. It is stated in it that due attention will be paid to backward areas. But no attention is being paid to the tribal areas and Harijan populated areas of Madhya Pradesh Guna-Makshi line is still lying incomplete. Bastar—Beladila line is also being put off. Iron ores to Vishakhapatnam Steel plant is being supplied by trucks. A survey was conducted in 1930 for a railway line from Lalitpur to Tikamgarh, Panna, and Satna but railway line could not be laid so far. State Government also sent some proposals about railway lines but held was paid to these proposals. If you want that Bundelkhand is put on the road of development, you should clear the proposals for railway lines in this region. In the end, I request that a survey for railway line should be conducted in Lalitpur, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna area and railway line should be laid in this area when finances are available.

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : सबसे पहले मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और जिन्होंने रेलवे कनवेन्शन कमेटी की सिफारिशों और वित्तीय कठिनाइयों के बारे में अपने विचार प्रकट किये। रेलवे कनवेंशन कमेटी के चेयरमैन श्री बी० एस० मूर्ति और उसके सदस्यों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भारतीय रेलों की असंतोषजनक स्थिति की ओर संसद और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि भारतीय रेलें संकट के दौर से गुजर रही हैं। रेलवें की वित्तीय स्थिति भी संकटपूर्ण है। इस वर्ष रेलवे पर 140 से 147 करोड़ रुपये का भार और बढ़ गया है। इसमें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो भार पड़ा, वह भी इसमें सम्मिलित है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि रेलवे की वित्तीय स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिये अनुपूरक मांगें सदन के सामने रखी गई हैं।

श्री पाराशर ने नांगल-गलवाड़ा लाइन को कम से कम 50 किलोमीटर तक बनाने की मांग की है। इस बारे में मैं अभी कोई आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि नई रेलवे लाइन के लिये राशि योजना आयोग वित्त मंत्रालय के परामर्श से निश्चित करता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'ताज एक्सप्रेस' गाड़ी को झांसी और ग्वालियर तक बढ़ाने की मांग की है। अभी इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। श्री मावलंकर ने दिल्ली साबरमती रेलवे मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग की है। इस परियोजना के लिये सर्वेक्षण किया जा चुका है और वह विचाराधीन है। श्री जगन्नाथ मिश्र को मैं यह बताना चाहता हूं कि झंझरपुर से लोकाहा बाजार तक सर्वेक्षण किया जा चुका है और प्रस्ताव विचाराधीन है। हसनपुर-सकरी लाइन पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। श्री एस० एम० बनर्जी ने कलकत्ते की भूमिगत रेलवे का प्रश्न उठाया है। इस परियोजना के बारे में हम जागरूक हैं और चाहते हैं कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चले।

श्री बनर्जी ने यह सुझाव दिया था कि सभी श्रमिक संघों और दो संगठनों की एक बैठक बुलाई जाये और रेलवे में श्रमिक सम्बन्धों पर विचार विमर्श किया जाये। इस बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा। किन्तु मैं स्वयं यह अनुभव करता हूं कि रेलवे में औद्योगिक सम्बन्धों पर नये दृष्टिकोण से विचार किये जाने की आवश्यकता है। यह बात तो ठीक है कि श्रमिक सम्बन्धों के बारे में केवल दो संगठनों का ही एकाधिकार नहीं होना चाहिये बल्कि अन्य उन श्रमिकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये जो उक्त संगठनों से सम्बद्ध नहीं हैं। साथ ही उन दो संगठनों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती जिनकी सदस्य संख्या कुल 14 लाख में से आठ लाख है और जिन्होंने उपयोगी सेवा की है। रेलवे में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में दोनों संगठनों और सरकार और श्रमिकों के अन्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन जनवरी में बुलाना चाहता हूं। उसमें श्रम मंत्री को भी आमंत्रित किया जायेगा और इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जायेगा।

जहां तक लोको कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सरकार ने समस्या को हल करने के लिये भरसक प्रयत्न किया है किन्तु दुर्भाग्य से संकट अभी बना हुआ है। मैं इस मामले में विपक्षी सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि लोको कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों पर ध्यान दिया जाये। जहां तक उनके काम के घंटे कम करने का प्रश्न है, मैं इस बारे में भी सजग हूं। शीघ्र से शीघ्र उनके काम के घंटे 14 से घटाकर दस करना चाहता हूं किन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। इस कार्य को पूरा करने में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। यदि ऐसा व्यवहारिक सुझाव लाया जाये, जो शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके, तो मैं उसे तत्काल लागू करने को तैयार हूं। मैं

लोको कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे अपने काम पर लौट आयें। मैं उनकी कठिनाइयों को समझता हूं। उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिये श्री शफी कुरेशी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। जिसकी पांच बैठकें हो चुकी हैं और वह लोको कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने और उनकी सहायता के लिये कटिबद्ध हैं। समिति जब अपना काम कर रही है तो क्या कर्मचारियों के लिये यह उचित है कि वे हड़ताल करें। दूसरे नियमों के अनुसार उन्हें हड़ताल करने से पूर्व दो सप्ताह का नोटिस देना चाहिये था। इस बार उन्होंने पांच घंटे का भी नोटिस नहीं दिया। साथ ही मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि अगस्त में हुई हड़ताल के दौरान मैंने जो आश्वासन दिये थे, वे पूरे कर दिये गये हैं। यदि कोई आश्वासन रह गया है अथवा किसी कर्मचारी विशेष के मामले में कोई आश्वासन अधूरा रह गया है या किसी कर्मचारी को हड़ताल के आधार पर हानि पहुंचाई गई है तो मैं उसकी ओर अवश्य ही ध्यान दूंगा, यदि ऐसा कोई मामला मुझे बताया जायेगा।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह मामला बहुत गम्भीर है जिसे नगण्य समझा जा रहा है। रेल व्यवस्था पहले ही अस्त-व्यस्त हो गई है और आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के चेयरमैन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि यह हड़ताल सारे देश में फैल जायेगी। माननीय मंत्री सभा को गुमराह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर भाषण दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब आप बैठ जाइये।

श्री समर मुखर्जी :**

सभापति महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। अतः उनका कथन कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Finance Minister of Uttar Pradesh announced that the metre gauge line linking Kumaon will be converted into broad gauge line. This should be announced in the House also,

Shri L. N. Mishra : I think no such decision has so far been taken.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर का तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के, जो 11 दिसम्बर, 1973 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 60, 70, 71, 75, 76, 77, 78 और 79 में दी गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।

कि सभा यह भी निदेश देती है कि इस प्रतिवेदन में दी गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस समिति को प्रतिवेदित की जाये।"

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

संकल्प स्वीकृत हुआ

The resolution was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :--

The following Demands for Supplementary Grants were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	रेलवे बोर्ड .	2,44,000
2.	विविध व्यय	4,92,000
4.	संचालन व्यय--प्रशासन . . .	3,08,51,000
5.	संचालन व्यय- मरम्मत और अनुरक्षण .	8,77,54,000
6.	संचालन व्यय--परिचालन कर्मचारी	7,80,35,000
7.	संचालन व्यय-- परिचालन (ईंधन) . .	5,05,000
8.	संचालन व्यय-- परिचालन कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर	27,96,000
9.	संचालन व्यय-- विविध व्यय . .	11,24,000
10.	संचालन व्यय--कर्मचारी कल्याण . .	94,02,000
14.	नई लाइनों का निर्माण--पूंजी तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि .	12,00,000
15.	चालू लाइन निर्माण--पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि.	3,000

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक

Appropriation (Railways) No. 4 Bill

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री एल० एन० मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि मे से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : Without thinking on the developments regarding oil taking place in the international markets for the last three years, they have worked out a programme for dieselisation. Previously they had stopped the working of steam locomotive in the Jamalpur workshop. Now they are going for steam locomotives. They should place a long-term policy with regard to fuel before the House.

I urge upon the hon. Minister to make every effort to maintain regular supply of coal, power and steel and the smooth running of the railways should not be dislocated. The Government should try to emancipate four industries viz. coal power, steel and railways from corruption otherwise our economy likely to be shattered.

They have talked of the welfare of the workers. But the fundamental rights of the railway workers in the country are not safe. They cannot become members of any political party nor they can contest elections. If there restrictions are lifted, only then they will get the co-operation from the workers.

The lot of railway workers is not going to improve till the 15 lakhs of workers are divided into seven hundered category-wise unions.

An assurance was given at the time of election that the Mandan railway line would be extended and that a new train would be introduced from Devgarh to Gaya. If this is done, the people of Bihar will say that the hon. Minister of Railways has done something for them.

Shri L. N. Mishra : The hon. Member has mentioned about coal and formulation of a fuel policy. That is correct. We are having a scheme formulated for the Sixth and Seventh plans and we are thinking as to what can be done with regard to fuel consumption also.

So far as the recognition is concerned, we have a definite policy which we follow.

Shri Madhu Limaye has made a reference to a railway line. I do not remember anything in this regard.

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करते हैं। कोई संशोधन नहीं है। मैं सभी खंडों को को एक साथ रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, खंड 1, अनुसूची अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 2 और 3, खंड 1, अनुसूचि, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 2 and 3, Clause 1, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एल० एन० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

---

*स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाना

Stepping up of Production of Scooters

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : : देश में स्कूटर मिलने में कठिनाई और आम आदमी की कठिनाइयों को देखते हुये मुझे यहां यह चर्चा करनी पड़ी है। भारत में स्कूटरों का उत्पादन 1955 में आरम्भ हो गया था। पिछले 18 वर्षों में इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई विशेष योजना

---

*आधे घंटे की चर्चा

Half-an-hour discussion.

नहीं बनाई गई है। दुर्भाग्यवश गत 18 वर्षों में योजना आयोग और स्कूटर उद्योग में कोई सामंजस्य नहीं रहा है और वे इस समस्या को सुलझाने में असफल रहे हैं। यह इस उद्योग का सौभाग्य था कि गत 18 वर्षों में स्कूटर की अत्यधिक मांग रही है और इस उद्योग का कारोबार काफी अच्छा चलता रहा है। योजना आयोग बसों जैसी सार्वजनिक परिवहन और छोटी कार आदि के लिये योजना बनाने में व्यस्त रहा। दुर्भाग्यवश स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने के ध्यान नहीं दिया गया। आज स्थिति क्या है? हम देखते हैं कि देश में स्कूटरों की अत्यधिक मांग है। स्कूटर विक्रेताओं के पास $3\frac{1}{2}$ लाख, क्रयादेश पड़े हुये हैं और प्रति वर्ष उत्पादन को तुलना में स्कूटरों की मांग बढ़ती जा रही है।

आज स्कूटरों के निर्माण की क्या हालत है? आटोमोबाइल प्रोडक्टस इंडिया लिमिटेड और बजाज आटोज 94 प्रतिशत स्कूटरों का निर्माण कर रही है? अतः देश में इन दोनों कम्पनियों का स्कूटर उत्पादन पर एकाधिकार है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय ने देशी तकनीकी जानकारी से स्कूटर का उत्पादन करने हेतु लाइसेंस चाहने वाली 180 पार्टियों से अक्तूबर, 1970 में प्राप्त आवेदन पत्रों में से केवल 17 पार्टियों को आशय पत्र जारी किये गये।

इसके पश्चात् जब 1970 में यह मामला राज्य सभा में उठाया गया तो निर्णय किया गया कि सरकारी क्षेत्र में भी स्कूटर का उत्पादन करने वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाये। भारत हैवी इले-क्ट्रिकल्स लिमिटेड के चैयरमैन श्री ओ० पी० मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या स्वदेशी डिजाइन का स्कूटर सरकारी क्षेत्र में बनाया जा सकता है। उसने यह सिफारिश की कि कोई ऐसा प्रमाणित स्वदेशी डिजाइन नहीं है जिसके आधार पर सरकारी क्षेत्र में स्कूटर का उत्पादन किया जा सके और यदि हम अपना डिजाइन बनाना चाहते हैं तो उसमें कम से कम पांच वर्ष लग जायेंगे। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि किसी लोकप्रिय डिजाइन के स्कूटरों का किसी के सहयोग से निर्माण किया जाना चाहिये।

मझे इस बात की प्रसन्नता है कि 'इन्नोसेंटी' से यहां पर स्कूटर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव आया था और सरकार ने इसे स्वीकार करके तथा स्कूटर निर्माण का संयंत्र स्थापित करने का अच्छा निर्णय किया है।

यह पहला मामला था जिसमें पूरे संयंत्र का आयात किया जाना था। यह निर्णय किया गया था कि अगले चार वर्षों में एक लाख स्कूटरों का निर्माण किया जायेगा।

प्रस्ताव की मूल शर्त यह थी कि 'इन्नोसेंटी' विदेशी मुद्रा देगी और वह लगभग 40 प्रतिशत स्कूटरों का निर्यात करने में हमारी सहायता करेगी। परन्तु इसमें परिवर्तन कर दिया गया। मंत्री महोदय हमें बतायें कि हम सारी राशि विदेशी मुद्रा के रूप में देने को क्यों सहमत हो गये और हमने प्रस्ताव की मूल शर्त का पालन क्यों नहीं किया!

मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि वे संयुक्त क्षेत्र उपक्रम, स्कूटर इंडिया लिमिटेड पर नियंत्रक कम्पनी के रूप में विचार करेंगे। मंत्री महोदय हमें बतायें कि क्या वह 1 लाख स्कूटरों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे या उनका उत्पादन कम कर देंगे ?

22 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1793 के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि आठ राज्य औद्योगिक विकास निगमों को स्कूटरों के निर्माण के लिये आशय-पत्र जारी किये गये हैं। इन आशय पत्रों के दिये जाने से मुश्किल से 12000 से 20000 स्कूटरों का उत्पादन होगा।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस समय स्कूटरों का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता क्या है और क्या हम इसका पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं, यदि नहीं, तो क्यों और स्कूटरों की कमी को ध्यान में रखते हुये इस क्षमता के पूरे उपयोग के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, एल्यूमीनियम और अन्य कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के कारण क्या सरकार स्कूटरों की कीमतों में कुछ वृद्धि करके स्कूटरों का उत्पादन बढ़ायेगी ?

इस समय एक व्यक्ति को स्कूटर के लिये 7-8 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुछ बढ़े हुये मूल्य पर स्कूटर उपलब्ध कराये जा सकते हैं ताकि अतिरिक्त धनराशि सरकार को मिले और लोगों को काले बाजार में स्कूटर न खरीदना पड़े।

प्रो० नारायण चंद पाराशर (हमीरपुर) : क्या मंत्री महोदय की उन व्यक्तियों को स्कूटर उपलब्ध कराने में राहत देने की कोई नीति है जो स्कूटर लेना चाहते हैं तथा क्या प्रतीक्षा की अवधि कम करने के लिये किसी प्रक्रिया पर वह पुनर्विचार कर रहे हैं ?

स्कूटरों के बिक्री में काला बाजारी को रोकने के लिये मंत्री महोदय क्या उपाय सुझाने जा रहे हैं?

यद्यपि कई स्कूटर निर्माता कम्पनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है और इसमें सबसे अधिक क्षमता 1,20,000 है परन्तु मांग 2,10,000 है अतः मांग और पूर्ति में तालमेल बैठाने के लिये मंत्री महोदय का क्या विचार है

Shri Jagannath Mishra (Madhubhani) : May I know from the hon. Minister as to why they allowed only three firms to increase their capacity ? Did other firms not apply for increase in their production ? If so, what action was taken on them? Have these three firms got clearance from the Monopoly Commission ?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिये परिवहन का साधन स्कूटर है और इसे ध्यान में रखते हुये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह सप्लाई बढ़ाने पर किस प्रकार विचार कर रहे हैं? सरकार स्कूटरों के आवश्यक अतिरिक्त निर्माण को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रही है?

क्या काला बाजारी, कदाचार और अनियमितायें जो मांग अधिक होने के कारण हो रही हैं, उन्हें रोका जा सकता है और यदि हां तो सरकार इस दिशा में तुरन्त कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती।

क्या भारी उद्योग मंत्रालय योजना आयोग के साथ प्राथमिकतायें निर्धारित करने के बारे में बराबर सम्पर्क बनाये हुये हैं ताकि अन्य आवेदकों को भी अवसर मिले'?

क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने स्कूटरों के निर्माण के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं उन्हें सहायता मिले ताकि दबाव कम हो?

Shri M.C. Daga Ram Pali: Rajasthan Industrial Corporation applied for a licence to manufacture a scooter named Chatak which was approved by the Government. May I know the reasons for not granting industrial licence to the corporation so far and the time by which licence would be granted ?

May I also know the time by which these two conerns, which were given industrial licences would start production of scooters? Have you fixed a time limit in this ,regard ?

I also want to know whether steps have been taken by this dipartment against any persons for indulging in black marketing ? Are they going to formulate such rules, if not existing now, to deal with these persons ? Now, there are so many persons having their own scooters and cars as well while others cannot get scooter only.

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : माननीय सदस्यों ने स्कूटरों के उत्पादन और उपलब्धता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है।

श्री मावलंकर ने कहा है कि वे उनसे पूर्व के सभी वक्ताओं के विचारों से सहमत हैं। किन्तु माननीय सदस्यों ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं। ज्ञात नहीं श्री मावलंकर जी किस से सहमत हैं। जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है कि कई व्यक्ति ऐसे स्कूटर चलाते हैं जिनका लाइसेंस किन्हीं अन्य व्यक्तियों के नाम होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। किन्तु ऐसे मामले बहुत कम होंगे। सरकार के समक्ष इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है कि स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाया जाये जिससे स्कूटर की मांग को पूरा किया जा सके।

एक यह समस्या भी उठाई गई कि पैट्रोल की कमी के कारण कार चलाना कठिन हो गया है। अतः ऐसे व्यक्तियों को स्कूटर दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों के पास कार हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर देना न्यायोचित नहीं है। इस बात में क्या औचित्य हो सकता है कि वे अपनी कारों को गैराज में बंद कर दें और स्कूटरों की मांग करने लगें। जिन व्यक्तियों के नाम बहुत दिनों से प्रतीक्षा सूची में हैं उनकी उपेक्षा करना अनुचित है। ऐसी स्थिति में केवल मोटर साइकिल की ही मांग क्यों की जाती है। साइकल की मांग क्यों नहीं की जाती। मैंने देखा है पूरे यूरोप में साइकिल के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। वहां साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिये लाभदायक बताया जाता है। किन्तु हमारे यहां मोटर साइकिल या स्कूटर रखना प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता है।

माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि इन तीन कारखानों को ही विस्तार करने की अनुमति दी गई है। मेरा निवेदन यह है कि देश में यही तीन कारखाने हैं जहां स्कूटरों का उत्पादन होता है। अतः विद्यमान एककों का ही विस्तार किया जा सकता है। चूंकि देश में स्कूटरों की कमी है तथा हम उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं इसीलिये उन्हें विस्तार करने की अनुमति दी गई है। फिर भी एकाधिकार सम्बन्धी अधिनियम की सभी शर्तों को पूरा किया गया है।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, इस वर्ष के लिये उन एककों की स्वीकृत उत्पादन क्षमता 1,03,200 है। 1971 में उत्पादन 67,212 और 1972 में 64,731 तथा नवम्बर, 1973 तक 72,562 था। बजाज आदि कम्पनियों को 48,000 स्कूटर बनाने की स्वीकृति दी गई है तथा नियमानुसार वे अपना उत्पादन 60,000 तक कर सकते हैं। अतः इन दोनों कम्पनियों में से प्रत्येक की क्षमता लगभग 1,20,000 स्कूटर है। एस्कोर्ट को भी अपनी क्षमता में विस्तार करने की अनुमति दी गई है। यह कम्पनी 18,000 मोटर साइकिल तथा 6,000 स्कूटर बनाती रही है। स्कूटरों के अतिरिक्त देश में अब 43,873 मोटर साइकिलों का उत्पादन हो रहा है। मोपेड्स की क्षमता 75,000 है जबकि उनके इस वर्ष के नवम्बर मास तक का उत्पादन 21,264 रहा और गत वर्ष केवल 24,671 था। इस से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। जहां तक देश में स्कूटरों की मांग का सम्बन्ध है राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के सर्वेक्षण के अनुसार 1979 तक देश में स्कूटरों की कुल मांग 2,43,000 होगी जबकि हमने 4,00,000 स्कूटरों के उत्पादन का कार्यक्रम निर्धारित किया है। किन्तु हम इन अनुमानों से सहमत नहीं हैं। अतः हमने इस क्षेत्र में बहुत विस्तार करने की व्यवस्था .ो है तथा आशा है कि चार लाख स्कूटर पर्याप्त होंगे। मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने आशंका व्यक्त की थी कि पैट्रोल की कमी के कारण स्कूटरों की मांग घट सकती है। अतः सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में उत्पादन कम करा दिया जाये। किन्तु मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा उनसे कहा कि कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित किया जाये।

पूछा गया है कि अन्य व्यक्तियों को स्कूटरों के उत्पादन की अनुमति क्यों नहीं दी गई। मेरा उत्तर है 1969 में पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी जानकारी से स्कूटरों का उत्पादन करने के इच्छुक उद्यमियों से इस बारे में आवेदन पत्र मांगे गये थे। नये उद्यमियों को तथा कुछ राज्य औद्योगिक निगमों को कुल 43,95,000 क्षमता के लिये आशय पत्र भी जारी किये जा चुके हैं। गुजरात लघु उद्योग निगम को 24,000 स्कूटरों की वार्षिक क्षमता का एक अक्तूबर, 1972 को औद्योगिक लाइसेंस दिया जा चुका है। इसी प्रकार मैसर्स यू० पी० स्कूटर्स, कानपुर को भी 17 सितम्बर, 1973 को लाइसेंस दिया गया है। मेसर्स वैस्टर्न महाराष्ट्र डेवेलपमेंट कारपोरेशन को मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड के साथ सहयोग करने की अनुमति दे दी गई है। उसकी क्षमता 24,000 होगी।

राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसे आशयपत्र दिया गया था किन्तु स्वदेशी तकनीकी जानकारी के अभाव में जिसने आगे कोई, प्रगति नहीं की, को स्कूटर्स इण्डिया से सहयोग प्राप्त करने की दिशा में विचार किया गया है। स्कूटर्स इण्डिया के सहयोग से यह निगम लेम्बरेटा का उत्पादन करे जिससे लेम्बरेटा का उत्पादन भी बढ़ सके तथा देश में इसकी लोकप्रियता भी बढ़े, मूल्यों में कमी तभी होने की संभावना है जब स्कूटरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। आन्ध्र प्रदेश केरल, पश्चिम, बंगाल, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु की औद्योगिक विकास निगमों ने इस योजना को मंजूर कर लिया है। राजस्थान के बारे में हमने पूंजीगत सामान के आयात के लिये उन्हें लाइसेंस दे दिया है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र की परियोजना का प्रश्न है इटली के मैसर्स इन्नोसेंटी नामक फर्म से पूरा संयंत्र ही आयात किया जा रहा है। हम इस परियोजना के 30 लाख रुपये के शेयर खरीदेंगे, सरकार केवल 51 प्रतिशत रखेगी तथा शेष जनता को जारी कर दिये जायेंगे। इस कारखाने में अगस्त, 1974 में उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है। इस वर्ष लगभग 40,000 स्कूटरों तथा 1975-76 में 60,000 स्कूटरों का उत्पादन होगा। 1977-78 तक लगभग एक लाख स्कूटरों का उत्पादन हो सकेगा।

वास्तव में स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जितनी बताई गई हैं। यह सच है कि मूल्य और प्रतीक्षा सूची में तभी कमी की जा सकती है जब उत्पादन में वृद्धि हो।

मैसर्स कानपुर कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कानपुर, पांडिचेरी, श्री एम० सी० नल्ला, पूना, महाराष्ट्र आदि जैसी कई फर्मों ने अपने स्कूटरों को जांच के लिये प्रस्तुत किया है। अहमदाबाद स्थित वी० आर० डी० ई० द्वारा अनापत्ति पत्र दिये जाने पर उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा।

स्कूटरों के मूल्य में कमी या वृद्धि करने के बारे में मेरा कहना है कि मूल्य निर्धारित करते समय वास्तविक उत्पादन लागत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि उत्पादकों को उचित मूल्य दिया गया तो उत्पादन में वृद्धि होनी स्वाभाविक है अतः अभी मूल्य के बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 35वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्यमंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(35 **वां प्रतिवेदन**) :

THIRTY FIFTH REPORT

(इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार 18 दिसम्बर 1973/27 अग्रहायण 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई

(The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 18, 1973/Agrahayana 27, 1895 (Saka)

MGIPRRND—49LSS/73—VIII—2-5-74—490